अष्टम माला, खंड 27, अंक 39

शुक्रवार, 24 अप्रैल, 1987
4 वैशाख 1909 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

आठवां सत्र

(आठवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 27 में अंक 31 से 40 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा]

विषय सूची

अष्टम माला, खण्ड 27, आठवां सत्र, 1987/1909 (शक)

अंक 39, शुक्रवार, 24 अप्रैल, 1987/4 वैशाख, 1909 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		1-20
*तारांकित प्रश्न संख्या	: 780, 782, 783, 789 से 791, 796 और 788	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		20-136
तारांकित प्रश्न संख्या	: 781, 784 से 788, 792, से 795, 797 और 799	20-26
अतारांकित प्रश्न संख्या	: 7812, से 7823, 7826, से 7835, 7837 से 7874, 7876 से 7908, 7910 से 7933, 7935 से 7964, 7966 और 7968 से 8008	26-136
सभा पटल पर रखे गए पत्र		136-137
लोक लेखा समिति		137-138
इक्यासीवां, चौरासीवां, और पचासीवां प्रतिवेदन		
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति		138
चौबीसवां तथा छब्बीसवां प्रतिवेदन और कार्यवाही-सारांश		
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति		138
स्थल-पर-अध्ययन दौरे का प्रतिवेदन		
राज्यपाल (परिलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) संशोधन विधेयक—पुरःस्थापित		138-139
नियम 377 के अधीन मामले		139-142
(एक) रिक्शा चालकों की स्थिति में सुधार करने के लिए कदम उठाने की मांग		
श्री अनादि चरण दास		139
(दो) महाराष्ट्र में उल्हास नगर और ठाणे के आयुध कारखाना क्षेत्र को 'नामित शहर' घोषित करने की मांग जिससे कि सरकारी कर्मचारियों को वहां मकान किराया भत्ता और नगर प्रतिपूर्ति भत्ता मिल सके		
श्री एस०जी० घोलप		139-140

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी ने पूछा था।

(तीन) उड़ीसा में ताजचेर में सुपर तापीय बिजलीघर की स्थापना के परिणाम स्वरूप विस्थापित हुए लोगों को पुनः बसाना

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही 140

(चार) केरल के सम्पूर्ण तटीय क्षेत्र को समुद्री कटाव से बचाने के लिए उपाय करने की मांग

प्रो० के०वी० थामस 140

(पांच) आन्ध्र प्रदेश में रामगुंडम में एक दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित करने की मांग

श्री जी० भूपति 140-141

(छः) बंगलौर और बम्बई के बीच एक और सीधी रेलगाड़ी चलाने की मांग

श्री वी०एस० कृष्ण अय्यर 141

(सात) उड़ीसा राज्य के सम्पूर्ण विकास के लिए राज्य में रेलवे संचार प्रणाली को विकसित करने की आवश्यकता

श्री जगन्नाथ पटनायक 141-142

(आठ) देश में देवसासी प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाने की मांग

श्री वी० कृष्ण राव 142

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1987-88 142-192

रक्षा मंत्रालय —[जारी]

श्री इन्द्रजीत गुप्त 142-148

श्री श्रीपति मिश्र 148-151

श्री श्यामलाल यादव 151-153

श्री पी० नामग्याल 153-159

श्री मेवा सिंह गिल 160-162

श्री अजीज कुरैशी 162-165

श्री मदन पांडे 165-168

श्री आर० जीव रत्नम 168-169

श्री के०पी० उन्नीकृष्णन 169-174

श्री महावीर प्रसाद यादव 174-175

श्री ए०सी० षण्मुख 175-177

श्री शिवराज वी० पाटिल 178-189

श्री भद्रेश्वर तांती 189-192

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति 192

चौंतीसवां प्रतिवेदन

उपभोक्ता संरक्षण (विज्ञापित उत्पाद के साथ मूल्य का प्रकाशन) 192-193

विधेयक—पुरःस्थापित

श्रीमती जयंती पटनायक 192

गोवा, दमण और दीव राज्य विधेयक—पुरःस्थापित 193

श्री शांताराम नायक

श्री जी०एम० बनातवाला का

बेरोजगारी उन्मूलन विधेयक 193-224

विचार करने के लिए प्रस्ताव

डा० गौरी शंकर राजहंस 193-198

श्री श्रीवल्भ पाणिग्रही 198-202

श्री ए०जे०वी०बी० महेश्वर राव 202-205

श्री वी० कृष्ण राव 205-207

श्री अनादि चरण दास 207-213

श्री थम्पन थामस 213-215

श्रीमती ऊषा चौधरी 215-218

श्री के०डी० सुल्तानपुरी 218-222

श्री आर० अण्णानम्बी 222-224

संविधान (संशोधन) विधेयक 224-225

(नए अनुच्छेद 16क का अन्तःस्थापन)—पुरःस्थापित

श्री हरीश रावत 225

लोक सभा

सोमवार, 24 अप्रैल, 1987/4 वैशाख, 1909 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

अपराधियों का पता लगाने के लिए आधुनिक पद्धति

*780. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपराधियों का पता लगाने के लिए आधुनिक पद्धति विकसित करने हेतु कोई गंभीर अनुसंधान कार्य अथवा प्रयास किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार का राज्यों में इस पद्धति को किस प्रकार लागू करने का विचार है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (ग) अपराधियों का पता लगाने की पद्धतियों का प्राथमिक रूप से राज्यों से सम्बन्ध है । फिर भी केन्द्र में पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, गदाहों द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों/अभियुक्तों के बारे में दिए गए विवरणों के आधार पर बनाई गई मुखाकृति के संयोजित फोटोग्राफों का पहचान किट विकसित करने के प्रयास कर रहा है । इस किट को पुलिस के जांच पड़ताल करने वाले अधिकारियों के इस्तेमाल के लिए पूरा हो जाने के बाद, आरम्भ किया जाएगा । केन्द्र तथा राज्यों में अपराध रिकार्डों का संगणकीकरण भी किया जा रहा है जिससे अपराधियों का पता लगाना सुविधाजनक होगा ।

श्री जगन्नाथ पटनायक : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या हमारे देश में 'पोलीग्राफ लाई डिटेक्शन टेस्ट' किए जा रहे हैं । यदि हां, तो इसके परिणामों के बारे में क्या अनुभव रहा और क्या इस परीक्षण के परिणामों को साक्ष्य के तौर पर न्यायालयों में प्रस्तुत किया जा सकता है ?

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, जब हम एक 'परफेक्ट' पहचान किट विकसित करने में सफल हो जाएंगे तो हम इसे सभी राज्यों को उपलब्ध कर देंगे । बी० पी० आर० डी० और

एन०सी०आर०बी० जो कुछ भी विकसित करते हैं वह सभी राज्यों के उपयोग के लिए होता है।

श्री जयन्तभाई पटनायक : हमारे देश में अपराधियों के ऐसे अनेक अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह हैं जो आधुनिकतम हथियारों और वैज्ञानिक विधियों के द्वारा तस्करी, हत्याओं, आतंकवादी गतिविधियों और विमान अपहरण जैसे विभिन्न कार्यों में संलग्न हैं। इसे ध्यान में रखते हुए तथा बेहतर वैज्ञानिक जांच तकनीक विकसित करने के लिए क्या इस सम्बन्ध में हमारे अनुसंधान कार्य को विकसित करने का कोई प्रस्ताव है जिससे कि हम भी इस क्षेत्र में किए गए आधुनिक अनुसंधान के समकक्ष हो सकें ?

श्री पी० चिदम्बरम : इसका ठीक-ठीक यही कारण है कि हमने पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो तथा राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो की स्थापना की है। हमारे यहां पुलिस कंप्यूटर समन्वय निदेशालय भी है। हम अपराध और अपराधियों से लड़ने के लिए अपनी प्रणाली को त्रुटिरहित बनाने के लिए उपलब्ध हर विकसित प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे हैं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, मंत्री महोदय ने एक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया कि क्या न्यायालय में 'पोलीग्राफिक' साक्ष्य प्रस्तुत किए जा सकते हैं। तथाकथित 'लाई डिटेक्शन टैस्ट' का वास्तविक कानूनी दर्जा क्या है और क्या हाल ही में यह टेस्ट किन्हीं व्यक्तियों, विशेषरूप से श्री गुरुमूर्ति और श्री जानकीरामन पर किया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : उसका यहां जिक्र मत करिए।

श्री पी० चिदम्बरम : यहां उस बारे में प्रश्न नहीं पूछा गया है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कानूनी प्रश्न न्यायालय में पूछे जाते हैं। इसके लिए न्यायालय हैं। उसे न्यायालयों में चुनौती दी जा सकती है।

श्री शांताराम नायक : महोदय, मेरा प्रश्न भी इससे सम्बन्धित है कि अपराधियों का पता लगाने तथा अन्य सम्बद्ध मामलों के लिए 'लाई डिटेक्टरों' का प्रयोग किया जाता है और उनका व्यापक रूप से प्रयोग किया जाना चाहिए। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या हमारे पास पर्याप्त मात्रा में 'लाई डिटेक्टर' उपलब्ध हैं और क्या जो 'लाई डिटेक्टर' हमारे पास हैं वे अत्याधुनिक हैं ? यदि नहीं हैं तो क्या हम आधुनिक 'लाई डिटेक्टरों' का आयात और निर्माण करेंगे ?

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, हमारे पास पर्याप्त संख्या में 'लाई डिटेक्टर' हैं। मेरा विश्वास है कि राज्यों के पास 'लाई डिटेक्टर' हैं। मैं जब तक 'लाई डिटेक्टरों' के बारे में स्थिति की जांच नहीं कर लेता तब तक इस बारे में कुछ नहीं कह सकता कि 'लाई डिटेक्टर टेस्ट' को न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है अथवा नहीं। महोदय, मैं जांच किए बिना स्थिति के बारे में ऐसे ही कुछ नहीं बता सकता।

श्री के० प्रधानी : अध्यक्ष महोदय, आपराधिक मामलों की जांच के लिए अपराधी की कार्य प्रणाली तथा अपराधी की अंगुलियों के निशान बहुत आवश्यक हैं। अपराधियों की अंगुलियों के निशान और अपराधियों की कार्य-प्रणाली की जानकारी प्राप्त करने के लिए क्या जांच अधिकारी को जांच का कार्य ठीक प्रकार से आगे बढ़ाने में सहायता देने के लिए केन्द्रीय अपराध रिकार्ड तथा सीमावर्ती राज्यों से तुरन्त जानकारी प्राप्त करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं ?

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, अंगुलियों के निशान प्राप्त करने और उनका रिकार्ड रखने के लिए अब एक बड़ी परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के पास बहुत व्यापक जानकारी आधार है। हम एक ऐसी प्रणाली पर कार्य कर रहे हैं जिसके द्वारा हम अर्ध-स्वचालित 'स्कैन' के द्वारा अपराध स्थल पर मिलने वाले अंगुलियों के निशानों की पहचान को जानकारी आधार के साथ मिला सकें। हमारे अर्ध-स्वचालित 'स्कैन' का अब परीक्षण किया जा रहा है। इसके परिणाम बहुत उत्साहवर्धक हैं। हम अनेक राज्यों के साथ 'सोफ्टवेयर' की सुविधा का उपभोग करते हैं। राज्यों की प्रतिक्रिया बहुत अच्छी है। ज्यों-ज्यों हम इसका विस्तार करेंगे और जानकारी आधार विस्तृत होगा, तो मेरे विचार से हम अपराध स्थल से एकत्र अंगुलियों के निशानों का स्टोर में जो जानकारी आधार है उसके साथ मिलान करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति करेंगे। प्रमुख क्षेत्रों में से एक क्षेत्र यह है जिसमें हमने उल्लेखनीय प्रगति की है।

भारत-आस्ट्रेलिया संयुक्त उद्यम

+

*782. **श्री सुभाष यादव** :

श्रीमती बसवराजेश्वरी :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत आस्ट्रेलिया व्यापार परिषद की 18 मार्च, 1987 को नई दिल्ली में एक बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या आस्ट्रेलिया के साथ विभिन्न क्षेत्रों में संयुक्त उद्यम स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) जी, हां।

(ख) बैठक में संयुक्त उद्यन स्थापित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों पर विचार-विमर्श स्थापित किया गया।

(ग) बैठक में संश्लिष्ट रेशों, कंप्यूटर साफ्टवेयर, खनन उपस्कर, जहाज निर्माण, मशीनी औजारों तथा दूर-संचार जैसे क्षेत्रों में संयुक्त उद्यम स्थापित करने की सम्भावनाओं पर कार्यवाही करने की सहमति प्रकट की गई।

[हिन्दी]

श्री सुभाष यादव : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, उससे नहीं लगता है कि माननीय मंत्री जी ने कृषि पर आधारित उद्योग लगाने के बारे में कोई चर्चा की हो। इसमें यह भी स्पष्ट नहीं है कि हमारे लिए क्या व्यवस्था है। तीसरी बात यह, क्या हम कोई टैक्नॉलाजी इम्पोर्ट कर रहे हैं ? चौथी बात यह कि पिछड़े इलाकों में उद्योग लगाने के बारे में कोई चर्चा है ? इस बारे में भी कोई बात स्पष्ट नहीं है।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि 18 मार्च को ज्वाइंट बिजनेस काउंसिल में हमारी उनके साथ मीटिंग हुई। उसमें कुछ एरियाज में हम लोग सिलैक्ट कर चुके हैं। जहां हम अपने-अपने उद्योग को बढ़ाने के लिए कोशिश करेंगे और

ज्वाइंट वैंचर को लागू करने के लिए दोनों देशों के बीच एरिया सिलैक्ट किए हैं। आस्ट्रेलिया इम्पोर्ट के मामले में हमारे देश से ये चीजें।

[अनुवाद]

कंप्यूटर सोफ्टवेयर, रबड़ उत्पादन, विशेषकर गलीचे, साइकिल, स्वचालित कल-पुर्जे, कंप्यूटर एडिड टूल्ज, बुलडोजर।

[हिन्दी]

इनके आधार पर उन लोगों ने विचार रखे हैं और हम लोगों ने।

[अनुवाद]

खनन उपकरण, खाद्य प्रसंस्करण मशीन, मीट और चिकट प्रसंस्करण मशीन ईंट बनाने की मशीन।

[हिन्दी]

इस बारे में चर्चा की है। खास तौर से जो हम लोगों ने कहा है, उसके बारे में मैं पहले बता चुका हूं।

[अनुवाद]

कृत्रिम रेशा, कंप्यूटर सोफ्टवेयर, खनन उपकरण, पोत निर्माण, मशीन उपकरण।

[हिन्दी]

एग्रीकल्चरल के बारे में खास इसमें कुछ नहीं है।

श्री सुभाष यादव : अध्यक्ष महोदय, इस सदन में हम लोग किसानों के बारे में कई बार चर्चा कर चुके हैं कि किसान को उसकी उपज का वाजिब दाम मिले, लेकिन नहीं दिला पा रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि सिन्थैटिक फाइबर लेने से क्या किसानों का उत्पादन नहीं गिरेगा और साथ-ही-साथ किसान को उपज के वाजिब दाम भी मिलेंगे ? इस सम्बन्ध में मेरा अनुरोध है कि जब कोई ऐसा प्रस्ताव आए और भविष्य में और देशों के साथ जो चर्चा चलेगी, तो कृषि पर आधारित उद्योग धंधे लगाने के बारे में इनका कोई विचार रहेगा या नहीं।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : यह सवाल खास तौर से आस्ट्रेलिया के साथ जुड़ा हुआ है। आर्थिक इशू के बारे में मैंने बताया है कि सिंथैटिक फाइबर है। ऐसा नहीं है कि हम लोग इसको नहीं करेंगे। एरिया हम लोगों ने ब्रोडलाइन किया है कि कहां-कहां हम कोशिश कर सकते हैं लेकिन करते समय सारी चीजों को सोच-समझ कर करना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री सी० माधव रेड्डी : मंत्री महोदय द्वारा बताए गए संयुक्त उद्यमों के अतिरिक्त क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या इस परिषद में अन्य उत्पादों के सम्बन्ध में किन्हीं 'कांउटर ट्रेड' प्रस्तावों पर भी विचार-विमर्श किया गया था ? और यदि हां, तो क्या वे चाहते थे कि हम ऐसे उत्पादों के अंतर्गत 'मटन टैलो' का आयात करें। यदि ऐसा है तो क्या सरकार ने ऐसा करना स्वीकार कर लिया है ? इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आस्ट्रेलिया तथा अन्य देशों से 'मटन टैलो' का आयात करने

का काफी विरोध हुआ है, क्या सरकार इस बात का ध्यान रखेगी कि किसी भी देश के इस प्रकार के 'कांउटर ट्रेड' प्रस्ताव को स्वीकार न किया जाए ।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं था ।

श्रवणबेलगोला का पर्यटक केन्द्र के रूप में विकास

*783. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का कर्नाटक में श्रवणबेलगोला का पर्यटक स्थल के रूप में विकास करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो वहां उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इस स्थान के लिए वायुदूत सेवा शुरू करने का विचार है ?

पर्यटन मंत्री (मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) और (ख) पर्यटन मंत्रालय को राज्य सरकार से श्रवणबेलगोला का एक पर्यटक स्थल के रूप में विकास करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ग) फिलहाल, वायुदूत की श्रवणबेलगोला के लिए वायु सेवा प्रारम्भ करने की कोई योजना नहीं है ।

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : मुझे बहुत निराशा हुई है । श्रवणबेलगोला एक घना वन क्षेत्र और सुन्दर स्थान है । मुझे नहीं पता कि मंत्री महोदय ने उस स्थान को देखा है अथवा नहीं । मैं सभी माननीय सदस्यों से उस स्थान को देखने का अनुरोध करता हूं, यह देखने लायक स्थान है । यहां एक ही शिला से बनाई गई भगवान गोमटेश्वर की 57 फुट ऊंची मूर्ति है जिसका निर्माण 183 ई० में किया गया था । यह अभी भी बिल्कुल नई और जीवन्त है । केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकार से किसी प्रस्ताव की परीक्षा नहीं करनी चाहिए थी । मेरे विचार से मंत्रालय काफी सक्षम है और विशेषकर, आपके नेतृत्व में मंत्रालय अपनी ओर से यह देखेगा । कि उस स्थान के विकास के लिए कदम उठाए जाएं । पूरे देश के जैनियों के लिए यह एक तीर्थ स्थान है । यहां हर बारहवें वर्ष महामणिकाभेष समारोह होता है और पूरे देश से हजारों श्रद्धालु उसमें भाग लेने आते हैं । क्या मंत्री महोदय इसके लिए कदम उठाएंगे कि इस मनोरम और सुन्दर स्थल का सर्वांगीण विकास हो ? विशेषकर, स्थान का अभाव है । मैं जानना चाहूंगा कि इस स्थान के विकास के लिए राज्य सरकार से प्रस्ताव की प्रतीक्षा किए बिना आप क्या कदम उठाने जा रहे हैं । क्या मंत्री महोदय अपनी ओर से पहल करेंगे और देखेंगे कि क्षेत्र का विकास हो ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे अधिक स्पष्ट शब्दों में व्यक्त करता । मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में आपको निराश करने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं ?

मुफ्ती मोहम्मद सईद : यह सच है कि यह एक तीर्थ स्थान और ऐतिहासिक स्थान है । दुर्भाग्यवश, राज्य सरकार ने कुछ स्थान का निर्माण करने तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए अपने प्रस्ताव और योजनाएं प्रस्तुत करते समय इस स्थान को शामिल नहीं किया । मैं राज्य सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इस स्थान का सर्वेक्षण करे और अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करे ।

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : यह विशेष स्थान विदेशी पर्यटकों को बहुत अधिक आकर्षित

करता है। इसके बहुत निकट ही प्रसिद्ध पुरातत्व स्थल बेलूर और हालेबिड हैं। क्या मंत्री महोदय नागर विमानन प्राधिकारियों से इस बारे में बात करेंगे कि बेलूर, होलेबिड और श्रवणबेलगोला के लिए वायुदूत सेवाएं शुरू की जाएं। इससे हम काफी विदेशी मुद्रा प्राप्त कर सकेंगे। वहां बुनियादी सुविधाएं पहले से ही हैं। कृपया वहां वायूदूत सेवा शीघ्र शुरू करने के लिए कदम उठाएं।

मुफ्ती मोहम्मद सईद : जैसाकि मैंने पहले कहा है वहां पर्यटकों अथवा तीर्थयात्रियों के ठहरने की कोई सुविधाएं नहीं हैं। हमने नागर विमानन मंत्रालय से पूछा था तथा वायुदूत की इस स्थान के लिए कोई सेवा शुरू करने की योजना नहीं है। जहां तक इस स्थान के विकास का सम्बन्ध है, कर्नाटक सरकार ने पर्यटन विभाग से परामर्श करके इसे एक पर्यटक केन्द्र के रूप में शामिल कर लिया है। मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि हम इस स्थान के विकास के लिए एक योजना तैयार करने हेतु मुख्य मंत्री तथा राज्य सरकार को भी लिखेंगे।

श्री डी० एन० रेड्डी : मैं माननीय मंत्री जी के यह पूछना चाहूंगा कि क्या पिछले एक वर्ष मे हमारे देश में आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या में तथा इस प्रकार से प्राप्त विदेशी मुद्रा में काफी गिरावट आई है। यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं? और स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है?

मुफ्ती मोहम्मद सईद : मुझे समझ नहीं आती कि माननीय सदस्य को जानकारी क्यों नहीं है। विदेशी मुद्रा प्राप्तियों में बढ़ोतरी हुई है तथा 1986-87 के दौरान इनका लगभग 1800 करोड़ रुपये अनुमान लगाया गया है।

[हिन्दी]

श्री शान्ति धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही नहीं है कि जब किसी स्थान के बारे में मांग की जाती है कि उसे पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित किया जाए तो केन्द्र सरकार वह बात राज्य सरकार पर डाल देती है और जब राज्य सरकार से कहा जाता है तो वह केन्द्र सरकार पर डाल देती है? किसी स्थान में क्या खासियत होनी चाहिए, क्या आपने कोई नार्म्स बना रखे हैं?

अध्यक्ष महोदय : वे तो बना रखे हैं। पहले से तय हुआ है।

श्री शान्ति धारीवाल : अक्सर यह सवाल आता है और यहां से यही जवाब मिलता है कि राज्य सरकार यह कर दे तो हम यह कर दें। इतने इम्पार्टेंट प्लेसिज हैं, अगर उनका विकास नहीं हुआ तो वे देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए मंत्री महोदय इसको टालें नहीं। श्रवणबेलगोला में 57 फीट ऊंची एक मूर्ति है।

अध्यक्ष महोदय : वह तो उन्होंने बता दिया है, वे भी जानते हैं।

श्री शान्ति धारीवाल : कई स्थान ऐसे हैं जिनका स्वयं केन्द्रीय सरकार विकास करे।

[अनुवाद]

मुफ्ती मोहम्मद सईद : यह सच है कि कई ऐसे स्थान हैं, विशेषरूप से कर्नाटक में, जिनका पर्यटक केन्द्रों के रूप में विकास किया जा सकता है। यदि माननीय सदस्य जानना चाहें तो अकेले कर्नाटक में ही ऐसी अनेक योजनाएं हैं जो कार्यान्वित है। ये केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा एक संयुक्त उद्यम के रूप में की जा रही हैं। हम राज्य सरकार पर दोष नहीं लगना चाहते।

परन्तु जहां तक इस तीर्थ स्थान का सम्बन्ध है, राज्य सरकार ने कोई निश्चित प्रस्ताव नहीं भेजा है। मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि हम कर्नाटक के मुख्य मन्त्री को लिखेंगे। मैं जानता हूं कि यह एक ऐसा स्थान है जो ऐतिहासिक दृष्टि से तथा तीर्थ स्थान की दृष्टि से दोनों ही तरह से महत्वपूर्ण है तथा बहुत से लोग इसका भ्रमण करते हैं। मैं माननीय सदस्य को पुनः आश्वासन देता हूं कि जहां तक इस तीर्थ स्थान का सम्बन्ध है हमें निश्चय ही प्रस्ताव प्राप्त होगा तथा हम इस पर विचार करेंगे।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अयूब खां : अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि कर्नाटक और राजस्थान का सदियों से एक रिश्ता रहा है क्योंकि जयपुर को बसाने में कर्नाटक के मिर्जा इस्माईल का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जब कर्नाटक की बात चल रही है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि राजस्थान में झुन्झुनू और सीकर हैं। झुन्झुनू में अनेक धार्मिक स्थान हैं—सालासर, खाटू, शामजी, लुहागर, सती मता जो कि पांडवों के जमाने से तीर्थ स्थान चले आ रहे हैं—क्या उन स्थानों को भी आप अपनी सूची में रखेंगे या नहीं ?

मुफ्ती मोहम्मद सईद : सोचेंगे।

अध्यक्ष महोदय : नजरे-इनायत होनी चाहिए। नजरे इनायत करेंगे।

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंहराज वाडियर : माननीय अध्यक्ष महोदय, पर्यटन तथा पर्यटन से जो विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है तथा स्वदेशी पर्यटकों को यात्रा उपलब्ध कराके पर्यटन राष्ट्रीय एकता में जो सहायता करता है उसकी महत्ता को देखते हुए मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार का इस देश में पर्यटन का विकास करने के लिए कोई केन्द्रीय योजना बनाने का कोई विचार है ?

मुफ्ती मोहम्मद सईद : महोदय, हमारी अनेक केन्द्रीय योजनाएं हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : इन्होंने कहा है कि एतबार करेंगे और एतबार पर एक शेर याद आ रहा है "आज एतबार किया होता तो खुशी से मर न गए होते।"

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 784, श्री के० कुन्जम्बु—अनुपस्थित। प्रश्न संख्या 785, श्री ए०जे०वी०बी० महेश्वर राव—अनुपस्थित। डा० वेंकटेश—अनुपस्थित। प्रश्न संख्या 786, श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह—अनुपस्थित। प्रश्न संख्या 787, श्री प्रकाश चन्द्र—अनुपस्थित। प्रश्न संख्या 788, प्रो० रामकृष्ण मोरे—अनुपस्थित। अब यह एक छक्का हो गया है। प्रश्न संख्या 789, श्रीमती प्रभावती गुप्त।

श्रीमती प्रभावती गुप्त : प्रश्न संख्या 789।

अध्यक्ष महोदय : भगवान का शुक्र है, उन्होंने एकरसता तो तोड़ी।

देहेज संबंधी शिकायतें

*789. **श्रीमती प्रभावती गुप्त** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में वर्ष 1986 के दौरान दहेज संबंधी कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) पुलिस द्वारा इन शिकायतों पर की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस अवधि से दौरान कितने लोगों को सजा दी गई और उनको दी गई सजा का ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) 3108।

(ख) इन शिकायतों के आधार पर दहेज निरोध अधिनियम तथा भारतीय दण्ड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत 382 मामले दर्ज किए गए थे। शेष शिकायतों के संबंध में या तो संबंधित पक्षों द्वारा आपस में समझौता कर लिया गया अथवा वे साबित नहीं हो सकी।

(ग) इन मामलों में 868 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए तथा 669 के विरुद्ध न्यायालय में चालान दायर किए गए। उनके विरुद्ध मामले विचारण के लिए लम्बित हैं। 196 व्यक्तियों के विरुद्ध मामले जांच के लिए लंबित हैं तथा 3 व्यक्तियों को दोष मुक्त कर दिया गया है।

[हिन्दी]

श्रीमती प्रभावती गुप्त : अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो विवरण बताया है कि 382 मामलों में कार्यवाही की है और मामलों में समझौता हुआ है तथा अधिकतर संबंधित पक्षों में समझौता हो गया है और कुछ विदड्रा हो गए हैं, मैं यह जानना चाहती हूं कि ऐसे कितने केसेज हैं। मैं यह भी जानना चाहती हूं कि दिल्ली पुलिस में जो एक सैल दहेज के लिए खुला है, उसने क्या कार्यवाही की है और क्या नए ढंग से उपाय किए हैं जिससे कि अच्छे परिणाम निकलें ?

[अनुवाद]

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, यह इस कक्ष के कारण ही है कि हम 382 मामलों की जांच पूरी कर सके। जैसा मैंने बताया कि इन मामले में 868 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं। 669 के विरुद्ध चालान फाइल किए गए हैं। उन पर मुकदमा चलाना बाकी है। प्रश्न, 1986 में प्राप्त हुई मामला शिकायतों के बारे में है। इन किसी भी मामलों में मुकदमों का फैसला नहीं हुआ है। मुकदमें का फैसला होने के बाद ही दोषसिद्ध के बारे में सूचना दे पाऊंगा। जहां तक मेरा विश्वास है यह कक्ष बढ़िया कार्य कर रहा है। इस विशेष कक्ष का मुख्य पुलिस का एक उपायुक्त है जो कि एक महिला है। महिलाओं के प्रति अपराध करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु सभी छः जिलों में विशेष कक्ष स्थापित कर दिए गए हैं। महिलाओं के प्रति अपराध सम्बन्धी मामलों पर विचार करने के लिए 16 महिला विशेष पुलिस अधिकारियों (एस०पी०ओज०) की नियुक्ति की गई है। मेरा विश्वास है कि इन मामलों में एक बार मुकदमा चलाने तथा फैसला सुनाने के बाद ही परिणामों का पता लगेगा।

[हिन्दी]

श्रीमती प्रभावती गुप्त : दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि दहेज आज की ज्वलन्त समस्या है, ऐसी कितनी लड़कियां हैं जो दहेज की बलिवेदी में आग से जली हैं और आपके इस सैल ने प्रयास करके कितनी लड़कियों को बर्बादी से बचाया है।

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : अध्यक्ष जी, अभी प्रत्येक केस के बारे में सूचना देना तो संभव

नहीं होगा। पिछले छह महीने या एक साल में जितने केसेज हुए हैं, उनकी सूचना माननीय सदस्यों को भेज देंगे। कितने केसेज हुए हैं और कितने पकड़े गए हैं, इसकी सूचना एकत्र करके भेज सकते हैं।

श्रीमती प्रभावती गुप्त : अध्यक्ष जी, ये बहुत इम्पार्टेंट केसेज हैं, दहेज की ज्वलंत समस्या है···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : ये आपको बता देंगे।

श्रीमती प्रभावती गुप्त : बता देंगे तो ठीक है, लेकिन तैयार होकर आना चाहिए।

[**अनुवाद**]

श्रीमती गीता मुखर्जी : जो मेरे साथियों ने कहा है मैं पूर्ण रूप से उसके साथ हूं। महोदय, आप यहां इस सभा में ही रहे हैं तथा आपने देखा है कि हम पहले दहेज के मामले लिया करते थे। उस समय की सरकार को कहीं बेहतर जानकारी रहती थी। इसका अर्थ यह हुआ कि ये सभी मामले इतने लम्बे समय से लम्बित हैं। आप जानते हैं कि न्याय करने में विलम्ब का अर्थ है न्याय न करना।

क्या सरकार को यह पता है कि अधिकांश मामलों में वास्तव में यह हो रहा है कि लोग रिश्वत देते हैं तथा समस्त साक्ष्य नष्ट कर देते हैं। इसीलिए मैं यह जानना चाहूंगा कि इन दो वर्षों में निगरानी की ऐसी कौन-सी प्रणाली थी जिससे कि इन मामलों की रोकथाम की जा सकती थी।

श्री पी० चिदम्बरम : मुझे खेद है महोदय, प्रश्न वर्ष 1986 के मामलों से सम्बन्धित है। मैंने 1986 के आंकड़े दे दिए हैं। हमने 382 मामले दर्ज किए हैं जो कि बहुत अधिक हैं। सभी यह जानते हैं कि ऐसे किसी भी मामले में जो 1986 में दर्ज किया गया था उसमें यह असम्भव हो कि अन्वेषण जांच तथा विचारण अप्रैल 1987 तक पूरा हो सके। इन मामलों में किसी पर भी विचारण पूरा नहीं हुआ है। ऐसे मामले में मैं क्या कह सकता हूं ?

श्री अजय विश्वास : समस्या यह नहीं है। प्रश्न यह है कि क्या किसी अपराध के मामले में उन्होंने कुछ किया है।

श्री पी० चिदम्बरम : हम 1986 के मामलों के बारे में बात कर रहे हैं। उससे पहले की अवधि के लिए हम सदैव तैयार होकर आए हैं; हमने गत तीन वर्षों के उत्तर दे दिए हैं; तथा गत पांच वर्षों के उत्तर दे दिए हैं। यदि माननीय सदस्य इससे किसी पूर्व वर्ष के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आंकड़े देने को तैयार हूं। और मैंने कहा है कि 382 मामले दर्ज किए गए तथा 868 को गिरफ्तार किया गया···(**व्यवधान**)

श्री अजय विश्वास : मैं यह नहीं पूछ रहा हूं। मैंने पूछा था कि क्या सरकार ने कोई गहन अध्ययन किया है।

श्री पी० चिदम्बरम : मैं उसका जवाब दे चुका हूं। सरकार द्वारा महिला कल्याण विभाग तथा गृह विभाग में किए गए अध्ययन के कारण ही पिछले वर्ष हमने अनेक विधान बनाए हैं। हमने नवीं धारा 498-क जोड़ी है जो कि एक नया अपराध है तथा धारा 340-ख···(**व्यवधान**)

श्रीमती गीता मुखर्जी : वे इसे लागू नहीं कर रहे हैं। यही तो समस्या है।

श्री पी० चिदम्बरम : लोगों को सजा दे करके हम इसे लागू कर रहे हैं।

डा० फूलरेणु गुहा : मैं मंत्री जी से, जो आंकड़े उन्होंने दिए, अपराधियों में से पुरुषों तथा महिलाओं की संख्या जानना चाहूंगी ?

श्री पी० चिदम्बरम : माफ कीजिए, 1986 में दर्ज किए गए मामलों में कितने पुरुष थे और कितनी महिलाएं थी, मैं नहीं बता सकता। लेकिन माननीय सदस्य को मैं यह सूचना प्रेषित कर दूंगा।

कुमारी ममता बनर्जी : क्या सरकार के पास सर्वेक्षण कराने का कोई प्रस्ताव है। एक सर्वेक्षण दहेज के विषय में होना चाहिए। दिन प्रतिदिन दहेज के कारण बधुओं को जलाने के मामलों में वृद्धि हो रही है। क्या महिलाओं की शिकायतें दूर करने के लिए एक महिला संसदीय फोरम की स्थापना का सरकार का कोई प्रस्ताव है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं सोचता हूं कि इसका तो दूसरे पक्ष के माननीय सदस्य भी समर्थन करेंगे।

प्रो० मधु दण्डवते : पश्चिम बंगाल में स्थिति क्या है ?

सरदार बूटा सिंह : यह कार्यवाही करने के लिए एक सुझाव है। महोदय, इस मामले में हम आपका मार्गदर्शन चाहेंगे।

[हिन्दी]

श्री बालकवि बैरागी : दहेज का मामला है और आपने ममता जी से पुछवाया यह तो न लेने में है और न देने में।

अध्यक्ष महोदय : समय का इन्तजार करें।

[अनुवाद]

श्रीमती जयन्ती पटनायक : दहेज सामाजिक समस्या है। इस समय पुलिस का मूल ढांचा कमोबेश अपराधोन्मुखी है। इस समस्या को हल करने तथा इससे निपटने के लिए, क्या पुलिस ढांचे में कोई प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध है जिससे वे इसे इसी नजरिए से देखें ? इसके अतिरिक्त क्या महिलाओं को पुलिस में अधिक संख्या में भर्ती किया जाएगा ? विशेषरूप से थानों में, हम जानते हैं कि एक पुरुष पुलिस अधिकारी होता है। उसके साथ पुलिस ढांचे में, थानों में महिला पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। मैं माननीय मंत्री से इसका उत्तर चाहूंगा।

श्री पी० चिदम्बरम : जैसाकि मैंने पहले कहा है पुलिस उपायुक्त, जोकि एक विशेष सेल की इंचार्ज है, एक महिला है तथा दिल्ली के सभी जिलों में विशेष कक्ष स्थापित किए गए हैं। जहां तक सर्वेक्षण तथा अन्य कार्य का सम्बन्ध है, सभा को कृपया स्मरण होगा कि जब दहेज निषेध अधिनियम में हमने संशोधन किया था तब प्रत्येक राज्य में एक समाज कल्याण अधिकारी समेत एक सलाहकार बोर्ड गठित करने की व्यवस्था हमने की थी। इस अधिनियम को महिला कल्याण विभाग तथा राज्य सरकारों द्वारा लागू किया जाना है। मेरा विश्वास है कि वे इसे लागू करेंगे।

आयुध कारखानों का आधुनिकीकरण

*790. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन आयुध कारखानों की संख्या कितनी है, जो वित्तीय दृष्टि से सक्षम है और लाभ में चल रहे हैं;

(ख) इन कारखानों को आधुनिक बनाने और उनका विस्तार करने के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं उठाने का विचार है;

(ग) क्या घाटे पर चलने वाले आयुध कारखानों को स्थायी रूप से बंद किए जाने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो उन कारखानों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उनको वित्तीय दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए कौन से कदम उठाने का विचार है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन तथा पूर्ति विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क), (ग), (घ) और (ङ) आयुध निर्माणियों में मूल्य निर्धारण वास्तविक लागत के आधार पर किया जाता है। निर्माणियों में बनाए गए उत्पाद रक्षा सेनाओं एवं अर्धसैनिक बलों को लागत मूल्य पर दिए जाते हैं। इस प्रकार से आयुध निर्माणियों की वित्तीय स्थिति लाभ या हानि के रूप में नहीं आंकी जाती है। परन्तु कीमत को नियन्त्रण में रखने और उत्पादकता में सुधार करने के लिए लगातार प्रयास किए जाते हैं। किसी आयुध निर्माणी को बंद करने का कोई मामला विचाराधीन नहीं है।

(ख) संयंत्र, मशीनरी एवं प्रक्रियाओं के आधुनिकीकरण तथा नए उत्पादों के निर्माण के लिए क्षमता बनाने के लिए आयुध निर्माणियों में लगातार पूंजी लगाई जाती है।

श्री जितेन्द्र प्रसाद : यह बताया गया है कि वित्तीय सक्षमता पर विचार नहीं किया जाता है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या यह सच है कि सरकार इन कारखानों में उत्पादित निम्न प्रविधि के कुछ उत्पादों को इस बात पर ध्यान दिए बगैर कि ये कारखाने अच्छा काम कर रहे हैं निजी क्षेत्र को देने की योजना बना रही है, यदि हां, तो मैं उन कारखानों के नाम जानना चाहूंगा जो निम्न प्रविधि के उत्पादों का उत्पादन कर रहे हैं। और क्या सरकार का इन कारखानों को निजी क्षेत्र को देने का प्रस्ताव है ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : इन कारखानों को सरकार निजी क्षेत्र को नहीं देना चाहती। लेकिन सरकार द्वारा अपनायी गयी नीति यह है कि कुछ निम्न प्रविधि के माल का उत्पादन निजी क्षेत्र में किया जाए जहां यह क्षमता है। अब तक सरकार की नीति यह थी कि आयुध कारखानों तथा सार्वजनिक उपक्रमों में ही निम्न प्रविधि की वस्तुओं के साथ-साथ उच्च प्रविधि की वस्तुओं का भी उत्पादन किया जाए। लेकिन अब हम उच्च प्रविधि वाले कारखानों को स्थापित करने की सोच रहे हैं तथा नए कारखानों को स्थापित करने में हम 1800 करोड़ रु० पूंजी लगाने जा रहे हैं। अत: नए कारखानों को लगाने के लिए हमें अधिक धन की आवश्यकता है। लेकिन आयुध कारखानों के कर्मचारियों को निकाला नहीं जाएगा। बल्कि आयुध कारखानों के तकनीशियनों तथा मजदूरों को हम नए स्थापित कारखानों या आधुनिक कारखानों में उच्च प्रविधि के माल के उत्पादन के लिए प्रयोग करेंगे। सरकार की नीति जूतों, बकसुओं तथा ऐसी ही दूसरी चीजों और हथियारों के लिए लकड़ी के बक्सों और उसी प्रकार की चीजों का उत्पादन निजी क्षेत्र, लघु क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र को भी देने की है। यह नीति देश के सभी क्षेत्रों में विद्यमान मूल सुविधाओं तथा औद्योगिक क्षमता का अधिकाधिक उपयोग करने हेतु अपनाई गई है। अब इससे न केवल हमें रोजगार क्षमता उत्पन्न करने में मदद मिलेगी बल्कि यह पूंजी लागत बचाने में भी सहायक होगी जो अब उच्च प्रविधि के क्षेत्र के लिए उपलब्ध होगी और यह हमें इन चीजों को कम लागत पर बनाने में सहायता

करेगी तथा जब वस्तुओं की मांग न हो तब यही क्षमता बेकार नहीं जाएगी । यदि यह क्षमता स्थापित हो जाएगी तो उस स्थिति में वह बेकार ही होगी । अब इनसे बचने के लिए एक बहुत ही उचित तथा सुनियोजित नीति को अपनाया जा रहा है जिसके अधीन आयुध कारखानों से किसी की छंटनी नहीं होगी । लेकिन वर्तमान क्षमता का उपयोग किया जाएगा तथा इस प्रकार से उपयोग किया जाएगा कि यह लागत तथा मानव शक्ति दोनों को बचाने में सहायता करेगी ।

श्री जितेन्द्र प्रसाद : मैंने कारखानों के नाम पूछे थे जो निम्न प्रविधि वस्तुओं का उत्पादन कर रही हैं ? खैर, पिछले कुछ वर्षों से आयुध कारखानों में नयी भर्ती पर प्रतिबन्ध हैं । यहां तक कि जो लोग सेवानिवृति प्राप्त करते हैं तथा यदि वे सेवाकाल में ही मर जाते हैं, या उनको चिकित्सीय आधार पर निकाल दिया जाता है, फिर भी उन जगहों को भी नहीं भरा जा रहा है । इसका परिणाम यह है कि आयुध कारखानों में कर्मचारियों की संख्या प्रतिदिन कम होती जा रही है और मेरा ख्याल है कि शाहजहांपुर और टुण्डला जैसे कारखानों में इस समय स्थापित क्षमता का पूरा उपयोग इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि नयी भर्ती नहीं हो रही है । इस परिप्रेक्ष्य में मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि क्या वह इस नीति पर पुनर्विचार करेगी तथा भर्ती प्रारम्भ करेगी जिससे कि पूरी स्थापित क्षमता का उपयोग किया जा सके ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : मच्छरदानी, जूते, बक्सुआ तथा इसी तरह की अन्य दूसरी चीजों को ही उन्हें बनाने दिया जा रहा है ।

श्री जितेन्द्र प्रसाद : मैं कम्बल कारखानों की बात कर रहा हूं ।

श्री शिवराज वी० पाटिल : उस पर भी मैं बात करूंगा । और फिर शाहजहांपुर में इन कारखानों में से कुछ में तथा जबलपुर और अन्य कारखानों में भी कुछ दूसरी चीजें भी बनायी जाती हैं । सभी कारखानों के नाम बताना मेरे लिए मुश्किल होगा क्योंकि कुछ छोटी-छोटी वस्तुएं दूसरे कारखानों में बनायी जाती हैं । प्रश्न में यही पूछा गया है कि क्या हम रोजगार प्रदान करने जा रहे हैं । क्या पहले की स्थापित क्षमता का उपयोग हम करने जा रहे हैं ? ठीक है, हमारी नीति तो यही होगी कि विद्यमान क्षमता का या जो क्षमता स्थापित हो चुकी है, चाहे वे वर्दी बनाने के कारखानों हो, या कम्बल बनाने के कारखाने या दूसरे प्रकार के कारखाने हों, पूरा उपयोग किया जाय और यदि उपकरण तथा यांत्रिकी उपलब्ध है और यदि क्षमता का उपयोग उन कारखानों में आवश्यक व्यक्तियों की कमी के कारण नहीं हो पा रहा है, तो हम निश्चित रूप से यह सुनिश्चित करें कि उन व्यक्तियों को लगाया जाए तथा स्थापित क्षमताओं का पूरा उपयोग किया जाए ।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, जहां तक मुझे जानकारी है, इनकी जितनी आर्डिनेन्स फैक्टरीज हैं, उनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 40 परसैंट से ज्यादा नहीं है । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या आप इस कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को पूरे तरीके से अपनाने की व्यवस्था करेंगे जिससे ये सारे यूनिट वायेबल हो जाएं और इंडिजिनस जितना सामान बाहर से मंगाते हैं और यहां बन सकता है, उसकी भी व्यवस्था हो जाये ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : मैं यह बताना चाहूंगा कि हमारी आर्डिनेन्स फैक्टरीज अलग-अलग ग्रुप में बंटी हुई हैं । एक ग्रुप एम्यूनीशन एण्ड एक्सप्लोसिव ग्रुप कहलाता है, दूसरा वैपन्स एण्ड इक्विपमैंट ग्रुप है, तीसरा मैटीरियल कम्पोनेन्ट ग्रुप है और चौथा आर्डिनेन्स इक्विपमैंट ग्रुप कहलाता है ।

सम्मानीय सदस्य के मालूमात के लिए बताना चाहूंगा कि पहले ग्रुप में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 80 87 आफ दी टोटल कैपेसिटी है, दूसरे ग्रुप में 94.16 है और तीसरे ग्रुप में 77.84 है। चौथे ग्रुप में तो उन्होंने कैपेसिटी से भी ज्यादा करने की कोशिश की है। इस पोजीशन में यह कहना दुरुस्त नहीं होगा कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम है। इस वजह से हमारा परफार्मेंस आडिनेन्स फैक्टरीज का समाधान-कारक है और वह अच्छी तरह से चल रही हैं।

[अनुवाद]

श्री सुरेश कुरूप : आरम्भ से ही जबसे हमने देश में ही रक्षा उत्पादन शुरू किया है भारत सरकार की यही नीति रही है कि रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में गैर-सरकारी क्षेत्र को प्रवेश करने की अनुमति न दी जाए। यह मुख्य नीति में परिवर्तन है। मैं यह जानना चाहता हूं कि वह कौन से कारण हैं जिन्होंने सरकार को इस क्षेत्र में गैर-सरकारी क्षेत्र को अनुमति देने के लिए ऐसा निर्णय लेने को बाध्य किया ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : मैंने अपने पहले उत्तर में नीति को स्पष्ट करने और उसका औचित्य बताने का प्रयास किया है। भारत सरकार की नीति यह है कि देश में रक्षा सेनाओं के लिए सभी अपेक्षित साज-सामान और उपस्कर देश में ही तैयार होने चाहिएं। देश में ही उनके उत्पादन पर जोर दिया गया है, आयात पर नहीं। इस बात पर जोर दिया गया है कि देश में ही इन चीजों का उत्पादन किया जाए। यदि यही हमारी नीति है तो देश में उपलब्ध औद्योगिक ढांचे का पूरी तरह से उपयोग किया जाना चाहिए। यदि औद्योगिक ढांचा गैर-सरकारी क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र अथवा सरकारी क्षेत्र में है तो उस क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग करना होगा। अब तक स्थिति यह थी कि गैर-सरकारी क्षेत्र के पास रक्षा सेनाओं के लिए आवश्यक सभी चीजों का उत्पादन करने की क्षमता नहीं थी। अब औद्योगिक ढांचे में मजबूती आई है और हम इस उद्देश्य के लिए क्षमता को गैर-सरकारी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र; सरकारी क्षेत्र, अर्थात् प्रत्येक क्षेत्र में इस्तेमाल करना चाहेंगे। हम निम्न प्रौद्योगिकी के स्थान पर उच्च प्रौद्योगिकी लाना चाहते हैं। यदि निम्न प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में निवेश किया जाता है तो उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों के लिए धनराशि उपलब्ध नहीं होगी। यदि उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों के लिए धन उपलब्ध नहीं होगा और हम उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में क्षमता स्थापित नहीं कर पाएंगे तो हमें आयात पर निर्भर करना होगा जो हम नहीं चाहते हैं। हम अधिक से अधिक सीमा तक आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। हम अधिक से अधिक उत्पादन देश में ही करना चाहते हैं। क्योंकि हमने वह नीति अपनायी है जिसके अंतर्गत रोजगार के अवसर कम नहीं होंगे अपितु और बढ़ेंगे। इस नीति के अन्तर्गत हम अधिक आत्मनिर्भर बनेंगे। इस नीति के अन्तर्गत हम अधिक आधुनिक उपकरणों का उत्पादन करने की स्थिति में होंगे जो गैर-सरकारी क्षेत्र के क्षेत्राधिकार में नहीं हैं। जहां गैर-सरकारी क्षेत्र अथवा संयुक्त क्षेत्र के पास क्षमता है वहां हम इस क्षमता का इस्तेमाल करेंगे।

डा० गौरी शंकर राजहंस : हमारे बार-बार अनुरोध करने और सरकार द्वारा बार-बार किए गए वायदों के बावजूद भी आजादी के बाद बिहार में कोई भी आयुध कारखाना नहीं लगाया गया है जबकि कुछ राज्यों के चार-चार आयुध कारखाने हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार बिहार में कब और किस जिले में आयुध कारखाना लगाएगी ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : आयुध कारखाना अनेक उद्योगों में से एक है। हमारे पास कोयला उद्योग, इस्पात उद्योग और नाभिकीय उद्योग हैं। मैं जानता हूं कि बिहार में इस क्षेत्र में कुछ उद्योग स्थापित हैं जहां इन चीजों का उत्पादन किया जा सकता है।

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में पुनर्नियुक्त सैनिक अधिकारियों को स्थायी किए जाने के बारे में उच्चतम न्यायालय का निर्णय

*791. **श्री अजय मुशरान** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हाल ही में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए उस निर्णय की ओर दिलाया गया है, जिसमें यह आदेश दिया गया है कि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में पुनर्नियुक्त सैनिक अधिकारियों को केवल सितम्बर, 1985 से ही स्थायी किया जाये और उनके मामलों पर पहले सेवा में खपाए गए अधिकारियों के मामलों को ध्यान में रखकर विचार किया जाए ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ; और

(ग) इस निर्णय को भारत-तिब्बत सीमा पुलिस और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में कब कार्यान्वित किया जाएगा ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) तथा (ग) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस में ऐसा कोई मामला नहीं है । केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के संबंध में निर्णय कार्यान्वित किया जा रहा है ।

श्री अजय मुशरान : मैंने उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को लागू करने के बारे में प्रश्न किया था । अब मंत्री जी कहते हैं कि यह लागू किया जा रहा है । यह या तो सातवीं योजना में लागू किया जाएगा या आठवीं योजना में । निश्चय ही मुझे ऐसे उत्तर की आशा थी जिसमें कोई एक निश्चित अवधि बताई जाती । वास्तव में समस्या यह है कि भारत-तिब्बत सीमा पुलिस और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल एक ही नियमों से शासित होते हैं । जबकि भारत-तिब्बत सीमा पुलिस पुनः नियोजित सेना अधिकारियों को खपाने के उन नियमों को अमल में ला रही है, वहीं केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ऐसा नहीं कर रही है । हालांकि मंत्रालय ने 1961 में ही निर्देश जारी कर दिए थे और फिर इन निर्देशों को 1971 में पुनः दोहराया गया था कि पुनः नियोजित सेना अधिकारियों को पिछले अनुदेशों में दिए गए निर्देशों के अनुसार सामान्य पुलिस बल में खपाया जाए फिर भी ऐसा नहीं किया गया । मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि पुराने आदेशों को अमल में क्यों नहीं लाया गया है । इस तथ्य के बावजूद कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय में दिए गए निर्देशों को भी लागू नहीं किया गया है । अभी तक भी यह बताया जा रहा है कि इसे लागू कर दिया जाएगा । 1971 से अब तक 1961 के पहले निर्देशों को लागू करने के लिए क्या किया गया है ?

श्री पी० चिदम्बरम : मुझे खेद है कि माननीय सदस्य को मामले के तथ्यों का पता नहीं है । किन्हीं श्री डी सूजा द्वारा दायर की गई एक रिट याचिका के कारण यह मामला उठा । उन्होंने तत्कालीन विद्यमान नियमों अर्थात् नियम 105 और नियम 107 उप-नियम (2) के आधार पर एक दावा किया था । वह एकल न्यायाधीश और एक डिवीजन (प्रभागीय) पीठ में जीत गए । उच्चतम न्यायालय में अपील करने पर, उच्चतम न्यायालय ने इस निर्णय के उस अंश को रद्द कर दिया और केन्द्रीय सरकार के दृष्टिकोण का समर्थन किया । लेकिन उच्चतम न्यायालय में अपील का निर्णय हो जाने तक हमने नियम 107- उप-नियम (2) को संशोधित कर दिया था । यह संशोधन 20 सितम्बर, 1985 को जारी किया गया था और यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू हो गया था । वह तारीख 12 अक्तूबर, 1985 थी । उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार के तर्क को स्वीकार

कर लिया है लेकिन यह कहा है कि इस संशोधन को ध्यान में रखते हुए, याचिकादाता को इस संशोधन का लाभ प्राप्त करने का हक होगा और उसे संशोधित नियम की उसी तरीख से खपाया जाएगा जिस तारीख को यह नियम लागू हुआ है। हम उच्चतम न्यायालय का निर्णय लागू करने के लिए बध्य हैं। अन्यथा भी हम श्री डीसूजा को इस संशोधित नियाम का लाभ देने के लिए बाध्य हैं। उच्चतम न्यायालय का यह निर्णय 20 फरवरी, 1987 को दिया गया था और इसकी एक प्रमाणित प्रति प्राप्त कर ली गई है। इस निर्णय की मंत्रालय में जांच की जा रही है। गृह मंत्री ने यह आदेश भी जारी कर दिए हैं कि इस निर्णय को लागू कर दिया जाएगा। श्री डीसूजा को ऐसे एक आदेश का लाभ प्राप्त होगा जिसे संभवत: आज सोमवार को जारी किया जायेगा। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में केवल एक अधिकारी और है। भारत-तिब्बत सीमा पुलिस में ऐसा और कोई अधिकारी नहीं है जिसका मामला उपर्युक्त मामले की तरह का हो। हम केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के दोनों अधिकारियों के लिए इस निर्णय को लागू करेंगे।

श्री अजय मुशरान : महोदय, जहां तक भारत-तिब्बत सीमा पुलिस का सम्बंध है, मैं मंत्री महोदय का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद भी इतना अधिक ब्यौरा दिया है और यह कहा है कि जहां कहीं भी न्याय किया जाना चाहिए, किया जाएगा और मुझे विश्वास है कि ऐसा ही होगा। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में अधिकारियों की नियुक्ति या तो सीधी भर्ती द्वारा की जाती है या पुलिस से या पुन: नियोजित अधिकारियों में से या उन अधिकारियों में से जो अपनी सेवानिवृत्ति से बहुत पहले की सेना से परिवीक्षा (प्रोबेशन) पर आते हैं। इन तीनों वर्गों पर लागू सेवा नियम वे ही हैं लेकिन वे सहायक कमांडेंट जो 1966 और 1970 के बीच सीधे ही भरती किए गए थे, उप-महानिरीक्षक के पद पर पदोन्नित दो चुके हैं, जबकि वे अधिकारी जो सेना से आये थे, पुन: नियोजित भूतपूर्व सेना अधिकारी अभी तक भी कमांडेंट के पदों पर ही कार्यरत हैं। अत: क्या यह असमानता दूर की जायेगी ? क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार इस असमान्ता को दूर करने के लिए क्या कदम उठा रही है ताकि सेना से लिए गए सेवानिवृत अधिकारियों और पुन: नियोजित अधिकारियों को भी वही पदोन्नति और अन्य लाभ दिए जा सकें क्योंकि उन पर वे ही नियम आदि लागू होते हैं।

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, बड़े आदर के साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि यह प्रश्न इस प्रश्न से बिल्कुल नहीं उठता है। परन्तु मैं इस समस्या को जानता हूं। माननीय सदस्य इस समस्या को मेरे ध्यान में पहले ही ला चुके हैं। हमने इस मामले की जांच की है। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के अधिकारी न्यायालय में गये थे। इनके मामले में निर्णय कर दिया गया है। जब मैंने गृह मंत्रालय में कार्यभार सम्भाला यह उससे पहले की बात है। मैंने इस निर्णय की जांच की है। मैंने इस निर्णय को स्वीकार कर लिया है। हम इसको कार्यान्वित कर रहे हैं। 45 अधिकारियों को पदोन्नत कर दिया गया है और हमने 43 और अधिकारियों को पदोन्नत करने का निर्णय किया है अब यह संख्या 88 हो जाएगी। यदि माननीय सदस्य मुझसे मिल लें तो मैं उन्हें इस सब के बारे में पूरी जानकारी दे दूंगा।

महिलाओं के प्रति अपराध के मामले

+

*796. **श्री शरद दिघे** :

श्री धर्म पाल सिंह मलिक :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1986 से 31 मार्च, 1987 तक की अवधि के दौरान दिल्ली पुलिस में अपहरण, छेड़खानी, उत्पीड़न और बलात्कार के कितने मामले दर्ज कराए गए ;

(ख) क्या इन अपराधों की संख्या में गत वर्षों की तुलना में वृद्धि हुई है ;

(क) क्या यह सच है कि कुछ मामलों में पुलिस कर्मी भी शामिल पाए गए हैं ; और

(घ) कितने मामलों में मुकदमें दायर कर दिए गए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

1986 के दौरान तथा 31-3-1987 तक दिल्ली पुलिस को अपहरण, छेड़खानी, उत्पीड़न तथा बलात्कार के सूचित किए गए तथा चालान किए गए मामलों की संख्या और 1985 की इसी अवधि के आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

(31-3-1987 तक)

अपराध शीर्ष	वर्ष					
	1985		1986		1987	
	सूचित किए गए	चालान किए गए	सूचित किए गए	चालान किए गए	सूचित किए गए	चालान किए गए
अपहरण	680	169	556	122	17	14
छेड़खानी	756	753	2021	2018	489	484
उत्पीड़न	94	86	112	94	30	5
बलात्कार	88	77	91	63	21	1

पुलिस कर्मी 7 मामलों में अन्तर्ग्रस्त थे। उनमें से 2 मामलों में उन पर मुकदमा चल रहा है और 4 मामले जांच-पड़ताल के लिए लम्बित हैं। शेष एक मामले में अभियुक्त को न्यायालय द्वारा दोष-मुक्त कर दिया गया। यह देखा जा सकता है कि 1986 के दौरान अपहरण के मामलों की संख्या में कमी हुई है। जहां तक 1986 के दौरान छेड़खानी और उत्पीड़न के मामलों की संख्या में वृद्धि का सम्बन्ध है यह दिल्ली पुलिस द्वारा छेड़छाड़ करने वालों/उत्पीड़कों का पता लगाने के लिए बेहतर सतर्कता बरतने और महिलाओं में आत्मविश्वास की वृद्धि के कारण है जो इस प्रकार की घटनाओं की सूचना देने के लिए आगे आ रही हैं।

श्री शरद दिघे : अध्यक्ष महोदय, वस्तुतः मेरा मूल प्रश्न समूचे देश में महिलाओं पर हो रहे अपराधों से संबंधित था। अब यह प्रश्न केवल दिल्ली तक ही सीमित कर दिया गया है। उत्तर से यह देखना बड़ा रोचक लगता है कि जब कभी भी अपराधों में वृद्धि होती है तो सरकार इसका श्रेय ले लेती है और जब कभी अपराधों में कमी होती है तो सरकार कहती है कि यह सब पुलिस की सतर्कता के कारण हुआ है। अतः सरकार श्रेय दोनों तरीकों से ही श्रेय लेना चाहती है चाहे अपराधों की संख्या में कमी आई हो अथवा इनकी संख्या बढ़ी हो। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या यह सच है कि पुलिस अनुसंधान तथा विकास ब्यूरो द्वारा इकट्ठे किए गए आंकड़े, जहां तक

पूरे देश का संबंध है, महिलाओं पर हो रहे अपराधों के संबंध में गत वर्षों में इतनी ही वृद्धि को दर्शाते हैं।

श्री पी० चिदम्बरम : वह मुझसे इसकी आशा कैसे कर सकते हैं ? प्रश्न केवल दिल्ली के बारे में था न कि पूरे देश के बारे में। मेरे पास केवल दिल्ली की जानकारी है। अब वह पूरे देश के बारे में पूछ रहे हैं। मुझे यह जानकारी प्राप्त करनी होगी। यह सम्भव नहीं है कि मैं इन आंकड़ों को याद रख सकूं।

श्री शरद दिघे : पुलिस अनुसंधान तथा विकास द्वारा इकट्ठे किए गए आंकड़े।

श्री पी० चिदम्बरम : दिल्ली के लिए। आप पूरे देश के बारे में पूछ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप कुछ ज्यादा ही पूछ रहे हैं।

श्री पी० चिदम्बरम : मैं इन आंकड़ों को कैसे याद रख सकता हूं।

श्री शरद दिघे : तत्पश्चात्, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या यह सच है कि रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि अपराध के व्यावसायिक स्तर में भी वृद्धि हो रही है, अर्थात्, अधिकाधिक अपराधी समाज के उच्च वर्ग से हैं, जैसे वकील, डाक्टर, अधिकारी और पुलिस। जैसे क्या यह सच है अथवा नहीं ?

श्री० पी० चिदम्बरम : मुझे नहीं पता है कि माननीय सदस्य कौनसी रिपोर्ट के बारे में पूछ रहे हैं। माननीय सदस्य किसी रिपोर्ट का उल्लेख कर रहे हैं। प्रश्न किसी रिपोर्ट से सम्बन्धित नहीं है। अगर वह मुझे यह बताएं कि वह कौनसी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं तो मैं इसके बारे में पता लगाऊंगा और उत्तर दूंगा। वास्तव में प्रश्न पूरे देश अथवा किसी रिपोर्ट से सम्बन्धित नहीं है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है और दिघे साहब ने जो बात कही है, जिन मामलों में कमी आई है, वह भी पुलिस के कारण और जो मामले ज्यादा सामने आए हैं, उसमें भी पुलिस को क्रेडिट जाता है। लेकिन रेप-केसेज के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा है कि रेप-केसेज में क्यों वृद्धि हुई है और न इसमें पुलिस को क्रेडिट दिया है और न उनकी गलती बताई है कि रेप-केसेज में वृद्धि किन कारणों से हुई है, जो रिपोर्टेड केसेज हैं, जिनकी एफ० आई० आर० दर्ज नहीं है, जिन अभियुक्तों के चालान नहीं हुए हैं, जो केसेज अन-ट्रेस्ड गए या जिन लोगों ने एफ० आई० आर० दर्ज कराई, उनकी क्या गलती थी। उसमें जिन लोगों ने झूठी एफ० आई० आर० दर्ज कराई, चाहे रेप हो या मॉलैस्टेशन हो, उनके खिलाफ आई० पी० सी० की धारा 182 के अन्तर्गत क्या कार्यवाही हुई है ?

[अनुवाद]

श्री पी० चिदम्बरम : छेड़खानी और बलात्कार के मामलों को अलग श्रेणियों के अन्तर्गत दर्ज किया जाता है। मैंने अपने उत्तर के साथ लगे विवरण में आंकड़े दिए हैं।

वर्ष 1985 में छेड़खानी के 94 मामले बताए गए हैं जिनमें से 86 के चालान कर दिए गए हैं। 1986 में 112 मामले बताए गए जिनमें से 94 के चालान कर दिए गए। वर्ष 1987 में पहले तीन महीनों में 30 मामले बताए गए और उनमें से 5 के चालान किए गए।

इसी प्रकार वर्ष 1985 में बलात्कार के मामले में 88 मामले बताये गए जिनमें से 77 मामलों में चालान कर दिए गए। वर्ष 1986 में 91 मामले बताए गए जिनमें से 63 मामलों में चालान कर दिए गए। वर्ष 1987 के पहले 3 महीनों में 21 मामले बताए गए और इसमें से एक मामले में चालान किया गया।

क्या मैं वर्ष 1987 के बारे में स्पष्ट कर सकता हूं। यदि कोई मामला वर्ष 1987 में बताया जाता है तो आरोप-पत्र को दायर करने से पहले छान-बीन में कुछ समय लग जाएगा। चालान का मतलब उस मामले में आरोप-पत्र दायर करना है जिसके बारे में बताया गया है और मामला दर्ज किया गया है। वर्ष 1987 में चालान किए गए आंकड़ों की संख्या इस समय कम होगी लेकिन जैसे-जैसे वर्ष बीतता जाएगा वैसे-वैसे आपको पता चलेगा कि बताए गए मामलों की संख्या के साथ-साथ चालान किए गए मामलों की संख्या में भी वृद्धि होगी।

[हिन्दी]

श्री जयप्रकाश अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में जितने भी क्राइम्स होते हैं, उनमें पुलिस का संरक्षण होता है। ये उन लोगों को प्रोटैक्ट करते हैं, जो लोग वहां बदमाशी या गुण्डागर्दी करते हैं और ये इन्हीं के संरक्षण में पलते हैं। ऐसे एस० एच० ओ० या उनका स्टाफ जो तीन-चार साल से एक ही थाने में रहते हैं, उसको अपनी जागीर बना लेते हैं और लोगों से पैसा एंठते हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, आपने कितने केसेज में उनका तीन साल के अन्दर ट्रांसफर कर दिया है या उनके खिलाफ एक्शन लिया है ?

[अनुवाद]

श्री पी० चिदम्बरम : मुझे खेद है कि मैं इतने व्यापक आरोप को स्वीकार नहीं कर सकता कि प्रत्येक गुंडे, प्रत्येक अपराधी को दिल्ली संरक्षण मिलता है। तैनाती की एक व्यवस्था है, स्थानान्तर करने की एक व्यवस्था है। मैं जानता हूं कि इस व्यवस्था को लागू किया जा रहा है। यदि माननीय सदस्य के ध्यान में किसी थानाध्यक्ष के बारे में कोई विशिष्ट मामला है और यदि वह उस मामले को हमारे ध्यान में लाते हैं तो मैं निश्चित रूप से इसकी जांच करूंगा।

बौद्ध स्थानों का यात्रा सर्किट

\+

*798. **श्री प्रताप भानु शर्मा** :

श्री मती माधुरी सिंह :

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से बौद्ध पर्यटक यायायात को बढ़ावा देने के लिए देश में एक बौद्ध सर्किट की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इन केन्द्रों का प्रत्येक वर्ष कितने-कितने पर्यटकों ने दौरा किया; और

(घ) इस सर्किट पर यात्रा करने के इच्छुक पर्यटकों को कौनसी यातायात सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं ?

पर्यटन मंत्री (मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) और (ख) जी, हां। पर्यटन मंत्रालय द्वारा बौद्ध परिपथ का विकास करने के लिए नियुक्त किए गए कृतिक बल ने प्रारम्भ में उत्तर प्रदेश तथा बिहार राज्यों में पर्यटन आधारिक-संरचना की व्यवस्था हेतु निम्नलिखित केन्द्रों का अभिनिर्धारण किया है :—

उत्तर प्रदेश :

(1) वाराणसी और सारनाथ

(2) गोरखपुर (कुशीनगर)

(3) पिपरवा

(4) श्रावस्ती

(5) संकासिया

बिहार :

(1) पटना (पाटलीपुत्र)

(2) नालंदा

(3) राजगीर

(4) बोधगया

(5) वैशाली

(ग) विभिन्न स्थलों को जाने वाले पर्यटक यातायात के विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) बौद्ध परिपथ में पड़ने वाले पर्यटक केन्द्र रेल, सड़क तथा वायु-मार्गों द्वारा भली-भांति जुड़े हुए हैं।

[हिन्दी]

श्री प्रताप भानु शर्मा : अध्यक्ष महोदय, पर्यटन मंत्री जी ने जो जवाब दिया है उसमें उन प्रश्नों की जानकारी नहीं दी गई जो मैंने पूछे थे, विद्येष रूप से जो बुद्धिष्ट महत्व के स्थान हमारे देश में हैं उन स्थानों पर अधिक से अधिक पर्यटक जा सकें उसके लिए आई०टी०डी०सी० द्वारा क्या-क्या सुविधाएं दी जाती हैं और उन स्थानों पर उनके ठहरने के लिए या पर्यटकों की सुविधा के लिए भारत सरकार की ओर से कौनसी विशेष योजना चल रही है ? क्या वह संयुक्त क्षेत्र में है या कुछ विदेशी सरकार के सहयोग के आधार पर है या पूर्णतः भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जा रही है ?

मुफ्ती मोहम्मद सईद : यह जो इन्फ्रास्ट्रक्चर की बात कह रहे हैं तो बुद्ध विहार सबसे बड़ी जगह है, वहां आइ०टी०डी०सी० का एक होटल बन रहा है। उसी तरह से राजगिर में भी सिविल एविएशन की तरफ से एक होटल बन गया है और श्रावस्ती में भी डिपार्टमेंट आफ सिविल एविएशन की तरफ से एक काम्पलेक्स बन रहा है। हर जगह स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट रहने की सुविधा कर रही है और हमारे प्रोग्राम में सबसे ज्यादा प्रायरिटी है कि अच्छी जगह रहने की हो और जो भी टूरिस्ट आ जाएं चाहे जापान से आएं, थाइलैंड से आएं या किसी भी

कंट्री से आएं, कोई भी आए उसके रहने के लिए अच्छा स्थान हो और उनका खास ख्याल किया जाता है।

श्री प्रताप भानु शर्मा : मेरा दूसरा सवाल है। यह जो टास्क फोर्स भारत सरकार ने बनाया है उसमें सिर्फ बिहार और उत्तर प्रदेश के बौद्ध महत्व के स्थानों को टूरिस्ट सेंटर के रूप में सम्मिलित किया है। मध्य प्रदेश में भी सांची एक ऐसा महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है जो दो हजार पांच वर्ष पुराना है। उसी के समकालीन बौद्ध महत्व का स्थान है और वहां से सम्राट अशोक के पुत्र महेन्द्र और उनकी पुत्री संघमित्रा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए और शांति के प्रचार के लिए दक्षिण एशिया और एशिया के महत्वपूर्ण देशों में गए थे। आज भी लंका से थाइलैंड से कोरिया, दक्षिण और उत्तरी दोनों कोरिया से, जापान से तथा और कई देशों से वहां के लोग सांची आते हैं। लेकिन पर्यटक सुविधा के अभाव में वे सिर्फ उत्तरी भारत का या भारत के पूर्वी हिस्से का, बिहार और उत्तर प्रदेश का दौरा कर के निकल जाते हैं, मध्य प्रदेश के सांची के हिस्से में नहीं आ पाते हैं। तो मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा बुद्धिस्ट सर्किट के अन्दर सांची को सम्मिलित करने के लिए वह क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ?

मुफ्ती मोहम्मद सईद : इसमें सबसे ज्यादा जहां तक बुद्धिस्ट प्लेसेज का ताल्लुक है हर जगह आन्ध्र प्रदेश में भी और उड़ीसा में भी है और जैसे मध्य प्रदेश का कह रहे हैं, हमने जो प्रायरिटी दी है वह इस सर्किट को ज्यादा प्रायरिटी दी है जो यू० पी० और बिहार का क्षेत्र है कि पहले इसमें कुछ काम किया जाय फिर दूसरी जगह भी करेंगे।

श्री प्रताप भानु शर्मा : सांची को भी इसी सर्किट में शामिल कर लें।

श्रीमती माधुरी सिंह : पारस नाथ भी बुद्ध धर्म का प्रमुख स्थान है, उसको भी इसमें शामिल किया जाय।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल समाप्त हो गया है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को पहचान-पत्र जारी करने के लिए प्रायोगिक योजनाएं

*781. **श्री एच०ए० डोरा** :

श्री रणजीत सिंह गायकवाड़ :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान से घुसपैठ रोकने के लिए राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में पहचान-पत्र जारी करने हेतु तैयार की गई प्रायोगिक परियोजनाएं कार्यान्वित की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो पहचान-पत्र कब तक जारी किए जाने की सम्भावना है ?

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) से (ग) सरकार ने राजस्थान के चार सीमावर्ती जिलों की चार चुनी हुई तहसीलों में पहचान-पत्र जारी करने के लिए एक प्रायोगिक योजना अनुमोदित की है। यह प्रायोगिक योजना राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के लिए केन्द्र द्वारा धन दिया जा रहा है, के अधीन (i) वास्तविक निवासियों को पंजीकृत करने (ii) निवासियों के स्तर के बारे में विश्वसनीय सूचना एकत्र करने और (iii) 30 दिन से अधिक समय तक ठहरने वाले आगंतुकों की गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करने की दृष्टि से स्थायी निवासियों और आगंतुकों को अलग-अलग पहचान-पत्र जारी किए जाने हैं। विधिवत् प्राधिकृत सरकारी पहचान-पत्र रखने वाले सरकारी कर्मचारी और वैध पारपत्र/वीजा और/अथवा अन्य वैध यात्रा दस्तावेज रखने वाले विदेशी राष्ट्रिकों को छूट दी जाएगी। पंजाब तथा गुजरात की राज्य सरकारों को भी उनके सम्बन्धित सीमावर्ती क्षेत्रों में इसी प्रकार की प्रायोगिक योजनाओं को तैयार करने पर विचार करने के लिए सलाह दी गई है।

केरल में हथकरघा कामगारों की आर्थिक स्थिति के बारे में अध्ययन

*784. **श्री के० कुन्जम्बु** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में हथकरघा कामगारों की आर्थिक स्थिति के बारे में कोई अध्ययन किया गया है;

(ख) क्या इन कामगारों के संगठनों ने उनकी शिकायतों के बारे में समय-समय पर ज्ञापन भेजे हैं; और

(ग) यदि हां, तो उनकी शिकायतें दूर करने के लिए कौन सी कार्यवाही की गई है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

ब्रिटेन के साथ प्रत्यर्पण संधि

*785. **श्री ए०जे०वी०बी० महेश्वर राव** :

डा० वी० वेंकटेश :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और ब्रिटेन के बीच प्रस्तावित प्रत्यर्पण संधि की कतिपय धाराओं पर दोनों सरकारों के मतभेद दूर हो गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो दोनों देशों के बीच औपचारिक प्रत्यर्पण संधि पर कब तक हस्ताक्षर होने और उसके लागू होने की आशा है ?

विदेश मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) हम प्रस्तावित प्रत्यर्पण संधि की कुछ धाराओं पर पारस्परिक सहमति के लिए अभी भी गोपनीय विचार-विमर्श कर रहे हैं।

(ख) दोनों सरकारों द्वारा संधि के स्वीकार्य पाठ के सम्बन्ध में समझौते पर पहुंचते ही ऐसा किया जाएगा।

अभ्रक के लिए सोवियत संघ से प्राप्त निर्यात क्रयादेश

*786. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय अभ्रक व्यापार निगम को सोवियत संघ से एक निर्यात क्रयादेश प्राप्त हुआ है, जैसाकि 2 अप्रैल, 1987 के "इकानामिक टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इन निर्यात क्रयादेश पर भारतीय अभ्रक व्यापार निगम और गैर-सरकारी क्षेत्र के निर्यातकों द्वारा कितना-कितना अभ्रक निर्यात किया जाएगा;

(ग) क्या भारतीय अभ्रक व्यापार निगम ने बिहार स्थित कुछ अभ्रक निर्यातकों को निर्यात क्रयादेश दिया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या बिहार सरकार ने इस पर आपत्ति की है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (घ) अभ्रक का आयात करने वाली सोवियत संघ के मै० स्ट्रोजमेटिरियलिटोर्ग संगठन ने फरवरी, 1987 में भारतीय अभ्रक व्यापार निगम लि०, पटना (मिटको) के साथ वर्ष 1987 में 10.04 करोड़ रु० मूल्य के 2339 मे० टन अभ्रक का निर्यात करने के लिए एक करार किया जिसमें से मिटको को 6.29 करोड़ रु० मूल्य के 1550 मे० टन की मात्रा की सीधी सप्लाई करनी है। बाकी मात्रा की सप्लाई उन गैर-सरकारी निर्यातकों द्वारा की जाएगी जिनका चयन सोवियत संघ के क्रेताओं द्वारा किया गया है। आर्डरों के अपने शेयर की पूर्ति करने के लिए माल मिटको अपने निजी प्रोसेसिंग एककों, छोटे व्यापारियों तथा प्रोसेसरों से प्राप्त करेगा।

इन आर्डरों के दिए जाने के सम्बन्ध में बिहार सरकार से कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

जापान के राजकुमार की यात्रा

*787. **श्री प्रकाश चन्द्र** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान के राजकुमार नारूहितों ने मार्च, 1987 के तीसरे सप्ताह के दौरान भारत की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो भारतीय नेताओं के साथ उनकी क्या बातचीत हुई;

(ग) क्या दोनों देशों के बीच कोई समझौता भी हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां।

(ख) इस यात्रा के दौरान कोई औपचारिक बातचीत नहीं हुई थी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

सूखे मेवों की तस्करी

*788. **प्रो० राम कृष्ण मोरे** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में तस्करी द्वारा लाये गये सूखे मेवा बाजार में ऊंची कीमत पर बिक रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो सूखे मेवों की मांग की तुलना में उनका अनुमानित प्राधिकृत आयात कितना है;

(ग) क्या सूखे मेवों के आयात सम्बन्धी वर्तमान नीति का कोई विश्लेषण किया गया है और सूखे मेवों की तस्करी के क्या कारण हैं; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले और सरकार द्वारा देश में सूखे मेवों की तस्करी रोकने के लिए कौन से कदम उठाये जायेंगे ?

वाणिज्य मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) सरकार को प्राप्त हुई रिपोर्टों तथा जब्त किए गए माल से ऐसे संकेत मिलते हैं कि सूखे मेवों की कुछ सीमा तक तस्करी हुई है। तस्करी में लाए गए इन सूखे मेवों से वहीं कीमतें प्राप्त होती हैं जो कि प्राधिकृत रूप से आयातित सूखे मेवों से होती हैं।

(ख) सूखे मेवों के आयात के ब्यौरे तथा सूखे मेवों के आयात के लिए जारी किए गए आयात लाइसेंसों का मूल्य दर्शाने वाला एक विवरण सदन के सभा पटल पर रखा जाता है।

(ग) सितम्बर, 1986 में, सूखे मेवों के लिए आयात हकदारी को सूखे मेवों के लिए आयात नीति की समीक्षा के आधार पर 20 से 25 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया।

(घ) सूखे मेवों के सम्बन्ध में तस्करी विरोधी अभियान को और तेज कर दिया गया है।

विवरण

1. सूखे मेवों अर्थात किशमिश, सुल्ताना और अन्य सूखे अंगूर, अंजीर, बादाम, पिस्ता गिरी, अखरोट के आयात के ब्यौरे।

वर्ष	मूल्य (करोड़ रु० में)
1982-83	12·57
1983-84	22·11
1984-85	20·73
(मार्च, 1985 के बाद के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं)	

2. खजूर और काजू को छोड़कर सूखे मेवों के आयात के लिए जारी किए गए आयात लाइसेंसों की संख्या तथा मूल्य :—

वर्ष	लाइसेंसों की संख्या	मूल्य (करोड़ रु० में)
1984-85	6802	22·00
1985-86	7872	15·11
1986-87 (दिसम्बर 86 तक)	8454	16.20

केरल में तीर्थ स्थानों पर भारत पर्यटन विकास निगम के होटल

*792. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम का केरल में प्रमुख तीर्थ स्थानों पर होटलों का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन मंत्री (मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सेना इंजीनियरी सेवा में निम्न श्रेणी लिपिकों की पदोन्नति

*793. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना इंजीनियरी सेवा में निम्न श्रेणी लिपिकों (सिविल) को गत 24 वर्षों से अगली पदोन्नति नहीं दी गई है जबकि अन्य विभागों में उनके समकक्ष लिपिक कार्यालय अधीक्षक बनाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कौन से सुधारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

रक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

"स्वदेशी गिनिंग कम्पनी" के निदेशक मंडल में सरकार द्वारा नामांकित व्यक्ति

*794. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्वदेशी गिनिंग कपनी के, जिसमें राष्ट्रीय कपड़ा निगम के 97 प्रतिशत शेयर हैं, निदेशक मंडल में किसी व्यक्ति को नामांकित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) स्वदेशी गिनिंग कम्पनी नाम की कोई ऐसी कम्पनी नहीं है जिसमें राष्ट्रीय वस्त्र निगम के 97 प्रतिशत शेयर हैं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

"यू-एस-पाक शेयर मिलिटरी इंटेलिजेंस" शीर्षक समाचार

*795. **श्री कृष्ण सिंह** :

श्री महेन्द्र सिंह :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 फरवरी, 1987 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "यू-एस-पाक शेयर मिलिटरी इंटेलिजेंस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार इस क्षेत्र में उन घटनाओं के प्रति सजग है जिनका देश की सुरक्षा पर प्रभाव पड़ सकता है।

कर्नाटक रेशम कीट पालन परियोजना का कार्यकरण

*797. **श्री नरसिंह सूर्यवंशी** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक मिशन ने, जिसने हाल ही में कर्नाटक राज्य का दौरा किया था, "बाइवोल्टाइन" रेशम के उत्पादन के अतिरिक्त, कर्नाटक रेशम कीट पालन विकास परियोजना को एक सफल परियोजना माना है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य में "बाइवोल्टाइन" रेशम का उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन से कदम उठाये जा रहे हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां ।

(ख) द्विफसलीय रेशम का उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्य रेशम उत्पादन विभाग के प्रयासों को पूरा करने के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड निम्नोक्त योजनाएं कार्यान्वित करता रहा है :—

(1) द्विफसलीय कोया उत्पादों तथा द्विफसलीय रेशम धागा बनाने वालों को प्रोत्साहन बोनस के भुगतान की योजना ।

(2) द्विफसलीय रेशम कीट पालन के प्रजनन के लिए बोर्ड के अनुसंधान विस्तार केन्द्रों के साथ चौकी कीट पालन केन्द्रों की स्थापना के लिए योजना।

(3) द्विफसलीय रेशम कीट पालकों को कीट पालन उपस्करों की सप्लाई के लिए योजना ।

(4) आर्थिक सहायता प्राप्त दरों पर राष्ट्रीय रेशम कीट बीज परियोजना के माध्यम से रेशम उत्पादकों को रोग मुक्त द्विफसलीय रेशम कीट बीज की सप्लाई की योजना ।

इसके अतिरिक्त द्विफसलीय समन्वय समिति नामक एक विशेष समिति, जिसमें केन्द्रीय रेशम बोर्ड तथा राज्य रेशम उत्पादन विभाग के विशेषज्ञ शामिल हैं, समय-समय पर द्विफसलीय कार्यक्रमों की समीक्षा करती है ।

राष्ट्रमण्डल के देशों का दौरा करने के लिए भारतीय नागरिकों को वीजा की आवश्यकता

*799. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रमण्डल के देशों का दौरा करने वाले भारतीय नागरिकों को इस समय वीजा लेने की आवश्यकता होती है; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने राष्ट्रमण्डल के अन्य देशों के नागरिकों पर भी इसी प्रकार के वीजा संबंधी प्रतिबन्ध लगाये हैं ?

विदेश मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) सभी तो नहीं, लेकिन अधिकांश राष्ट्रमण्डलीय देशों में भारतीय नागरिकों के लिए वीजा अपेक्षित है ।

(ख) भारत में 18 जून, 1984 से राष्ट्रमण्डल के सभी देशों के लिए वीजा लागू कर दिया

गया है। विशिष्ट राष्ट्रमण्डल देश और अन्य देशों के संदर्भ में जब-जब जैसे-जैसे आवश्यकता होती है, बीजा के सम्बन्ध में पारस्परिकता के आधार पर कदम उठाए जाते हैं।

[अनुवाद]

पृथकतावादी संगठनों की गतिविधियां

7812. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों में सक्रिय ऐसे पृथकतावादी संगठनों अथवा आन्दोलनों के नाम क्या हैं जिनके बारे में सरकार को जानकारी है;

(ख) उन संगठनों के नाम क्या हैं जिन्होंने विदेशी सरकारों से सहायता देने का अनुरोध किया है अथवा जिन पर विदेशों से समर्थन प्राप्त होने का संदेह है;

(ग) क्या इन संगठनों का किसी आतंकवादी अथवा हिंसा की गतिविधि से कोई सम्बन्ध है; और

(घ) क्या इन संगठनों ने अब तक कोई जान और माल का नुकसान किया है अथवा उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (घ) निम्नलिखित संगठनों को, जो पृथकतावादी गतिविधियों के लिए ध्यान में आए हैं, गैर-कानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम, 1967 के अधीन गैर-कानूनी संगठन घोषित कर दिया गया है :—

(i) दल खालसा
(ii) नेशनल काउंसिल आफ खालिस्तान } पंजाब में

(iii) त्रिपुरा नेशनल वालन्टीयर्स (टी०एन०वी०) त्रिपुरा में

(iv) मैतेई संगठन नामत :
(क) पीपल्स लिबरेशन आर्मी (पी०एल०ए०
(ख) पीपल्स रेवोल्यूशनरी पार्टी आफ दी कांगलैपाक (प्रिपाक) तथा } मणिपुर में
(ग) कांगलैपाक कम्युनिस्ट पार्टी (के०सी०पी०)

ज्ञात हुआ है कि उक्त में से कुछ संगठन विदेशी स्रोतों से सहायता प्राप्त कर रहे हैं। किन्तु इस सम्बन्ध में और ब्यौरे प्रकट करना लोक हित में नहीं समझा जाता है।

उपलब्ध सूचना के अनुसार 1986-87 की अवधि के दौरान हिंसक घटनाओं, हताहतों की संख्या, लूटा गया धन इत्यादि इस प्रकार है : —

	हिंसक घटनाओं की संख्या	हताहत	लूटा गया धन इत्यादि (लगभग)
मणिपुर			
मैतेई संगठन	35	7	4.24 लाख
त्रिपुरा			
टी० एन० वी०	47	129	8·07 लाख

[हिन्दी]

सैडलरी एवं हार्नेस इकाइयों का बंद किया जाना

7813. **श्री शांति धारीवाल** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में सैडलरी एवं हार्नेस इकाइयों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे इन वस्तुओं के निर्यात पर प्रभाव पड़ा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इण्डियन हार्नेस एण्ड सैडलरी एक्सपोर्ट एसोसिएशन से सैडलरी एवं हार्नेस उद्योग की समस्याओं के बारे में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस उद्योग की समस्याओं को हल करने के लिए सरकार ने कौन सी कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) तथा (ख) इंडियन हार्नेस एण्ड सैडलरी एक्सपोर्ट्स एसोसिएशन, कानपुर से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें इस क्षेत्र में निर्यातों को और आगे बढ़ाने सम्बन्धी कतिपय कदम उठाये जाने का प्रस्ताव किया गया है ।

(ग) उनके प्रस्ताव मुख्यत: इनसे सम्बन्धित हैं : अन्तर्निविष्ट साधनों का शुल्क मुक्त आयात, नकद मुआवजा सहायता की दर में वृद्धि, शुल्क वापसी का दावा करने सम्बन्धी प्रक्रियाएं, अतिरिक्त गन्तव्य स्थानों के सम्बन्ध में आज्ञापक हवाई भाड़ा दरें लागू करना, निर्यात सदन के रूप में मान्यता के लिए निर्यात सीमा को कम करना, हार्नेस चमड़े की उपलब्धता तथा आस्ट्रेलिया में सैडलरी के आयातों पर शुल्क लगाना ।

(घ) हालांकि कुछ बकाया मामलों को सम्बन्धित प्राधिकारियों के साथ उठाया गया है फिर भी अन्य प्रस्तावों के सम्बन्ध में ब्यौरे चमड़ा निर्यात परिषद से प्राप्त होने हैं ।

[अनुवाद]

अमरीका के साथ वित्तीय और व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देना

7814. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अमरीका के साथ वित्तीय और व्यापारिक सम्बन्धों को बढ़ावा देने के लिए और वहां प्रमुख जनसम्पर्क फर्मों की नियुक्ति करके पूंजी निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए एक बड़ा अभियान शुरू करने की तैयारी कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए अमरीका में कुछ जनसम्पर्क इकाइयों को तैनात करने पर कितना व्यय किए जाने की संभावना है; और

(ग) भारतीय दूतावास द्वारा स्वयं यह कार्य न किए जाने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) से (ग) वाणिज्य मंत्रालय ने संयुक्त राज्य अमरीका के साथ राजकोषीय तथा व्यापार सम्बन्ध बढ़ाने के लिए किसी उच्च स्तरीय जन सम्पर्क फर्म को नियुक्त नहीं किया है । तथापि, मंत्रालय ने विश्व निर्यात बढ़ाने तथा उनके विविधीकरण के लिए अनेक कदम उठाए हैं जिनका उद्देश्य निर्यातों के लिए अधिशेष बनाना, प्रौद्योगिकी में समकालीन तथा कीमतों में प्रतियोगी वस्तुओं के उत्पादन को प्रोत्साहन देना तथा निर्यातों को लाभप्रद बनाना है। संयुक्त राज्य अमरीका के विशेष संदर्भ में निर्यात बढ़ाने के लिए अनेक कदम

उठाए गए हैं जिनमें शामिल हैं, बाजार सर्वेक्षण, व्यापार मेलों तथा प्रदर्शनियों में सहभागिता तथा डिपार्टमेंटल स्टोर संवर्धन तथा क्रेता-विक्रेता बैठकों जैसे आयोजनों की व्यवस्था करना। इसके अतिरिक्त व्यापार विकास प्राधिकरण के जरिए एक विशेष प्रचार कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है। इस प्रयोजन के लिए उन्होंने लिंटास नामक एक प्रमुख विज्ञापन एजेंसी की, जोकि संयुक्त राज्य अमरीका में जनसंपर्क से संबद्ध है, सेवाएं बनाए रखी हैं।

प्रचार अभियान में निम्नलिखित माध्यम से सभी सम्मिलित संचारण की व्यवस्था है :—

(एक) व्यापार पत्रिकाओं में विज्ञापन।

(दो) सीधा डाक अभियान।

(तीन) वीडियो टेपों के रूप में श्रव्य-दृश्य संचारण।

(चार) जनसम्पर्क कार्यक्रमों के जरिए व्यापार पत्रिकाओं तथा अन्य प्रकाशनों में संपादकीय कवरेज।

यह प्रस्ताव किया गया है कि संयुक्त राज्य अमरीका में आयात संभाव्य वाले उत्पादों पर प्रचार प्रयास केन्द्रित किए जाएं जैसे इलैक्ट्रोनिक संघटक, कम्प्यूटर साफ्टवेयर, हाथ के औजार, आटो का अनुषंगी माल, साइकल संघटक, चमड़ा तथा चमड़े के उत्पाद, कालीन, परिधानों सहित वस्त्र, हीरे और आभूषण, सिफ्टवेयर, तथा कृषि मदें। इसके अतिरिक्त जिन विषयों का विशेष रूप से उल्लेख किया जाना है वे हैं, भारत की झलक, निर्यात की झलक तथा मुक्त व्यापार क्षेत्र।

इस अभियान में 1.84 करोड़ रु० का कुल व्यय होने का अनुमान लगाया गया है जिसमें 86 लाख रु० की विदेशी मुद्रा शामिल है।

शुरू किए गए कार्यक्रम के स्वरूप को देखते हुए यह कार्य वाशिंगटन में भारतीय दूतावास को सौंपना संभव नहीं है। इसलिए एक व्यावसायिक अभिकरण की सेवाएं बनाए रखी गई हैं।

अशोक होटल से सम्बन्धित औद्योगिक विवाद के लंबित मामले

7815. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अशोक होटल से सम्बन्धित कुल कितने विवाद श्रम न्यायालय, औद्योगिक न्यायाधिकरण के समक्ष समझौते और/अथवा मध्यस्थता निर्णय के लिए लंबित पड़े हैं और प्रत्येक मामले के विवाद के स्वरूप और उसकी लंबित पड़े रहने की तिथि सहित ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन मामलों को न्यायालय भेजने से पहले उन्हें सम्बन्धित पक्षों के मध्य समझौते द्वारा निपटाने के लिए यदि कोई प्रयास किए गए हैं, तो वे क्या हैं ?

पर्यटन मंत्री (मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) कुल लंबित विवादों की संख्या 55 है। ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

वर्ष जब से लंबित हैं	निम्नलिखित में लंबित मामलों की संख्या		
	औद्योगिक न्यायाधिकरण/ श्रम न्यायालय	सुलह	मध्यस्थता
1	2	3	3
1978	1	—	—

1	2	3	4
1979	2	—	—
1980	2	—	—
1981	1	—	—
1982	4	—	—
1983	3	—	—
1984	4	—	—
1985	5	1	—
1986	7	4	1
1987	16	3	1
जोड़ :	45	8	2

(ख) भारत पर्यटन विकास निगम का मैनेजमेंट परस्पर समझौते द्वारा निपटान करने की कोशिश करता है परन्तु कभी-कभी कुछ विवादों का परस्पर निपटान करना संभव नहीं होता।

एझीमाला नौसैनिक अकादमी का नाम बदल कर पण्डित जवाहर लाल नेहरू के नाम पर रखना।

7816. **श्री मुल्ला पल्ली रामचन्द्रन** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के कन्नानूर जिले में एझीमाला नौसैनिक अकादमी का नाम बदलकर पण्डित जवाहर लाल नेहरू के नाम पर रखने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या संबंधित प्राधिकारियों को इस निर्णय की सूचना दे दी गई है; और

(ग) इस निर्णय की कब तक क्रियान्वित किये जाने की संभावना है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) चूंकि नौसेना अकादमी के केवल 1992 के आसपास ही तैयार होने की संभावना है, अत: इसके नाम के निर्णय की सूचना सभी सम्बन्धितों को यथा समय दे दी जाएगी।

ट्रिनिदाद और टोबागो में भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र

7817. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्रिनिदाद और टोबागो में एक भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र स्थापित किया जाएगा; और

(ख) यदि हां, तो सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलेरो) : (क) जी, हां।

(ख) इस भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र में एक निदेशक होगा और संगीत तथा नृत्य के कई अध्यापक। इस केन्द्र को नवम्बर, 1987 तक खोल देने का विचार है।

हिन्दुस्तान डायमंड कम्पनी लिमिटेड में बैंक आफ बेरमुडा द्वारा पूंजी निवेश

7818. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान डायमंड कम्पनी लिमिटेड में जिसमें भारत सरकार का भी हिस्सा है, बैंक आफ बेरमुडा ने कितना पूंजी निवेश किया है; और

(ख) क्या सरकार ने अब तक इस बात का पता लगाया है कि बैंक आफ बेरमुडा ने यह पूंजी निवेश किसकी ओर से किया है क्योंकि वह हीरे का व्यापार नहीं करता है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) तथा (ख) बैंक आफ बेरमुडा हिन्दुस्तान डायमण्ड कम्पनी लिमिटेड में अपनी ओर से स्वयं एक हिस्सेदार है। इस कम्पनी में बैंक आफ बेरमुडा की इक्विटी हिस्सेदारी 10.5 लाख रु० की है।

बाह्य अन्तरिक्ष का परिसीमन

7819. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने राष्ट्रीय वायु सीमा की रक्षा तथा देशों के बीच विवाद उत्पन्न न होने देने के लिए बाह्य अन्तरिक्ष की परिभाषा और परिसीमन करने के लिए कहा है; और

(ख) यदि हां, तो बाह्य अन्तरिक्ष के शांतिपूर्ण प्रयोजनों हेतु उपयोग संबंधी राष्ट्र संघ की समिति की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) बाह्य अन्तरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र विधि उप समिति में जैसाकि कहा गया था भारत का दृष्टिकोण यह है कि बाह्य अंतरिक्ष को परिभाषित और परिसीमित करना आवश्यक है।

(ख) इस प्रश्न के बारे में स्वयं समिति में मतभेद हैं। परिणामत: इस सम्बन्ध में अब तक कोई सहमति नहीं हो पाई है।

दिल्ली में बिक्री कर

7820. **श्री पी० एम० सईद** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दिल्ली में बिक्री कर समाप्त करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) तत्सम्बन्धी निर्णय कब तक कार्यान्वित किया जाएगा ?

गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड द्वारा गैस टर्बाइनों का उत्पादन

7821. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड ने विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में प्रवेश किया है;

(ख) यदि हां, तो हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड का कुल कितने मेगावाट के औद्योगिक गैस टर्बाइनों का उत्पादन करने का विचार है; और

(ग) इस सम्बन्ध में हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड ने कौन से कदम उठाए हैं ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन तथा पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) नवम्बर, 1986 में हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड ने अमरीका के मैसर्स इंगरसोल-रैंड-एलीसन, के साथ, मुख्यत: कम्प्रैसर ड्राइवस के रूप में उपयोग के लिए, 3 से 5 मेगावाट रेंज के एग्रोडिराईवेटिव गैस टरबाइनों के निर्माण के लिए एक लाइसेंस सहयोग समझौता किया है। इसके अतिरिक्त, इसे बिजली पैदा करने (पावर जनरेशन) तथा अन्य औद्योगिक कार्यों के लिए भी उपयोग में लाया जा सकता है। हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है।

मिलिटरी इंजीनियरी सेवा अनुबंधों के मध्यस्थता सम्बन्धी मामलों का लम्बित होना

7822. **श्री के० प्रधानी** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1986 को मिलीटरी इंजीनियरी सेवा के अनुबंधों के मध्यस्थता सम्बन्धी कितने मामले लंबित पड़े थे;

(ख) ये मामले कितने समय से लंबित पड़े हैं और इनके लंबित होने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन मामलों का शीघ्र निपटान करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) से (ग) मध्यस्थता के लिए लंबित पड़े मामलों के बारे में स्थिति इस प्रकार है :—

(क) एक वर्ष से कम	—	84 (चीफ इंजीनियरों द्वारा किए गए ठेकों के बारे में)
(ख) 1 से 2 वर्ष	—	100 (मिलिटरी इंजीनियरी सेवा के सभी ठेकों के बारे में)
(ख) 2 वर्षों से अधिक	—	203

मध्यस्थता के मामले लंबित पड़े रहने के कारण ये हैं—दावे पेश न करना, बचाव में अभिवचन और पार्टियों द्वारा मध्यस्थता को अन्य दस्तावेज, मध्यस्थता कार्यवाही के विरुद्ध न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश (स्टे आर्डर) देना और मृत ठेकेदारों के कानूनी वारिसों द्वारा उत्तराधिकारी-प्रमाण पत्र पेश न किए जाना।

2. मध्यस्थता एवार्ड को अन्तिम रूप देने में देरी को रोकने के लिए तीन पूर्णकालिका मध्यस्थतों का एक पेनल बनाया गया और सभी सम्बन्धितों को आदेश जारी किए गए हैं कि मध्यस्थता के सभी मामलों में शीघ्र कार्रवाई करें। न्यायालयों में पड़े मामलों को भी शीघ्र निपटाने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

[हिन्दी]

सागर, मध्य प्रदेश में बारुद कारखाने की स्थापना

7823. **श्री नन्दलाल चौधरी** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रस्तावित बारूद कारखाने की स्थापना के लिए सागर जिले में कौन-कौन से स्थानों का सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) इस कारखाने में कौन-कौन सी चीजें तैयार की जाएंगी और इससे कितने कर्मचारियों तथा श्रमिकों को रोजगार प्राप्त होगा; और

(ग) इस कारखाने की स्थापना पर कुल कितनी धनराशि व्यय की जाएगी ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन तथा पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) संभावित आयुध निर्माणी की स्थापना के लिए स्थान चयन के सम्बन्ध में स्थान चयन समिति ने कुछ अन्य स्थानों के साथ-साथ, सागर जिले के सुर्खी नामक स्थान का दौरा किया था।

प्रस्तावित निर्माणी में प्रणोदकों का निर्माण किया जाएगा।

परियोजना की लागत और रोजगार के अवसरों आदि के बारे में ब्यौरे विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार हो जाने एवं मंजूर होने के पश्चात् ही उपलब्ध होंगे।

दानापुर छावनी (बिहार) में सफाई व्यवस्था

7826. **श्री सलाउद्दीन** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दानापुर छावनी (बिहार) में गंदगी फैले रहने के फलस्वरूप मच्छरों के कारण इस क्षेत्र में मलेरिया और फाइलेरिया रोग फैल गया है ;

(ख) सरकार ने वहां सफाई-व्यवस्था सुधारने के लिए अब तक कौन से कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि कोई कदम नहीं उठाए गए हैं, तो कब तक आवश्यक सुधार किया जाएगा ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) से (ग) वर्ष 1985 और 1986 के दौरान दानापुर छावनी से मलेरिया के किसी मामले की सूचना नहीं मिली है। 1985 और 1986 के दौरान फाइलेरिया के क्रमशः 819 तथा 3 मामले थे। इससे पता लगता है कि छावनी में सफाई की व्यवस्थाओं को बनाए रखने में काफी सुधार हुआ है। स्वच्छता एवं सफाई की व्यवस्थाओं में सुधार बनाए रखना एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। बोर्ड के पास उपलब्ध साधनों के भीतर छावनी में सफाई व्यवस्था बनाए रखने और उसमें सुधार करने के लिए छावनी बोर्ड सभी प्रयास कर रहा है।

[अनुवाद]

केरल के मसालों के लिए बाजार

7827. **श्री टी० बशीर** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के काली मिर्च, इलायची आदि जैसे मसालों के लिए नए बाजारों का पता लगाने के लिए कोई प्रयास किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या गत वर्ष के दौरान इन मसालों के निर्यात में वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) से (ग) वर्ष 1986-87 के

दौरान काली मिर्च के निर्यात में वृद्धि हुई है। तथापि, इलायची का निर्यात पिछले वर्ष की अपेक्षा कम रहा जैसा कि नीचे दिया गया है :—

(मात्रा : एम० टन—मूल्य करोड़ रु०)

वस्तु	1985-86		1986-87	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
काली मिर्च	37619	172.48	40855	223.91
छोटी इलायची	3271	53.46	1450	18.54
बड़ी इलायची	382	1.81	192	0.95

निर्यात बढ़ाने के लिए इलायची के निर्यात पर हवाई भाड़ा उपदान दिया गया था। मसाला बोर्ड यूरोपीय बाजार में प्रवेश करने के लिए प्रयास कर रहा है।

संसाधित खाद्य पदार्थों का निर्यात

7828. **डा० डी० एन० रेड्डी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निर्यात प्रोत्साहन अवधि को 9 महीने से बढ़ाकर 15 महीने करने का है ताकि संसाधित खाद्य पदार्थों के रूप में मौसमी फलों का वर्ष भर निर्यात किया जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे निर्यात को बढ़ावा देने और अग्रिम/प्रतिपूर्ति लाइसेंस प्राप्त करने में विलम्ब को समाप्त करने के लिए कौन से कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) अग्रिम लाइसेंस योजना के अधीन निर्यात दायित्व के लिए निर्धारित अवधि को 9 महीने से बढ़ाकर 15 महीने करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि प्रत्येक मामले के गुणावगुण के आधार पर सक्षम प्राधिकारियों द्वारा 9 महीने की इस अवधि को बढ़ाया जा सकता है।

(ख) इस प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाने तथा लाइसेंसों को जारी करने में होने वाले विलम्ब को कम करने के लिए निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं।

विभिन्न देशों की जेलों में बंद भारतीय

7829. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न देशों की जेलों में देशवार कितने भारतीय कितनी अवधि से अभी तक बंद पड़े हैं;

(ख) सरकार ने इनकी रिहाई के कितने मामले, देश-वार संबंधित देशों में भेजे हैं; और

(ग) पिछले नौ वर्षों के दौरान कितने भारतीय रिहा हुए हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) विदेश स्थित अपने मिशनों में सूचना एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

नाम पट्टिओं तथा बिल्लों (बैजों) को हिन्दी में तैयार करना

7830. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न रक्षा सेवाओं में अधिकारियों और जवानों की वर्दियों पर लगाने के लिए नाम पट्टियों और बिल्लों (बैजों) आदि को हिन्दी में तैयार करने के संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या इस संबंध में कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन तथा पूर्ति विभाग के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) तीन सेनाओं में उपयोग की जा रही नाम पट्टियों एवं बैजों को अगले तीन वर्षों के दौरान क्रमशः द्विभाषी और देवनागरी लिपि में बदलने के लिए 1983-84 में एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाया गया। इस संबंध में तीनों सेनाओं ने आवश्यक कदम उठाए हैं और दिसम्बर, 1987 तक यह लक्ष्य प्राप्त कर लेने की संभावना है।

1986-87 और 1987-88 के लिए निर्यात लक्ष्य

7831. **श्री अमर सिंह राठवा** :

श्री मोहन भाई पटेल :

श्री कमल चौधरी :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986-87 के लिए निर्यात का कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया था और कितनी उपलब्धियां रही हैं;

(ख) क्या लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किसी उच्च शक्ति प्राप्त पैनल का गठन किया गया है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे निर्यात बढ़ाने में कितनी सहायता मिली है ; और

(ङ) वर्ष 1987-88 के लिए निर्यात का कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दासमुंशी) : (क) और (ख) वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए 12203 करोड़ रु० के निर्यात लक्ष्य में से वर्ष 1986-87 के पहले दस महीनों में 10075.45 करोड़ रु० के मूल्य के निर्यात किए गए। आशा है कि वर्ष 1986-87 के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा।

(ग) और (घ) निर्णय लेने और उन्हें लागू करने को सुविधाजनक बनाने के लिए सचिवों की शक्ति प्राप्त समिति और निर्यात संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति स्थापित की गई है। अनेक कदम उठाए गए हैं जिनका उद्देश्य निर्यातों के लिए अधिशेष बनाना, औद्योगिकी में समकालीन तथा कीमतों में प्रतियोगी वस्तुओं के उत्पादन को प्रोत्साहन देना तथा निर्यात को लाभप्रद बनाना है। इन उपायों का

प्रभाव इस तथ्य से स्पष्ट है कि अप्रैल-जनवरी, 1986-87 के दौरान निर्यातों में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 17 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

(ङ) 1987-88 के लिए निर्यात लक्ष्य को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

विधान सभा चुनावों के दौरान हिंसा

7832. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मार्च, 1987 में केरल, पश्चिम बंगाल और जम्मू और कश्मीर विधान सभाओं में चुनाव प्रचार और चुनाव कराने से लेकर इनके परिणामों की घोषणा तक इन तीन राज्यों में हिंसा के परिणामस्वरूप मृत्यु/गंभीर रूप से घायल होने के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य के संबंध में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) तथा (ख) केन्द्र सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार विधान सभा के हाल के चुनावों में मारे गए/घायल हुए व्यक्तियों की संख्या नीचे दी गई है :—

	मारे गए	घायल हुए
केरल	13	116
पश्चिम बंगाल	9	297
जम्मू और कश्मीर	—	73

मिलों को नई बम्बई में स्थानांतरित करना

7833. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वस्त्र मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में नियुक्त की गई एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति ने वस्त्र उद्योग की रुग्णता के बारे में जांच की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने यह पाया है कि मिलों के संयंत्र और मशीनें बहुत पुरानी हैं और उनके आधुनिकीकरण की आवश्यकता है जिसके लिए बहुत अधिक धनराशि चाहिए;

(ग) यदि हां, तो क्या मिलों ने अपेक्षित धनराशि जुटाने के लिए मिलों की भूमि बेचने का प्रस्ताव किया है ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार मिलों को नई बम्बई में स्थानांतरित करने की शर्त रखने और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इन मिलों के अधिकांश कर्मचारी महाराष्ट्र के पिछड़े क्षेत्र कोंकण के हैं और उन्होंने गत वर्षों में बम्बई को देश की आर्थिक राजधानी बनाने में योगदान किया है, मौजूदा कर्मचारियों को रोजगार की पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने का भी है; और

(ङ) क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि भविष्य में इन मिलों की भूमि का इस प्रकार उपयोग किया जाए कि इस महानगर में गन्दी बस्तियों की समस्या की गंभीरता कम हो ?

वस्त्र मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एम० कृष्ण कुमार) : (क) जी नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, बम्बई की कुछ उन वस्त्र मिलों ने, जो वित्तीय कठिनाइओं में हैं, अपनी जरूरतों से बेशी भूमि को विकसित करने की अनुमति के लिए निर्धारित शहरी भूमि सीलिंग प्राधिकरण तथा/अथवा राज्य सरकार से सम्पर्क किया है ।

(घ) तथा (ङ) शहरी भूमि सीलिंग प्राधिकरण तथा/अथवा राज्य सरकार इस प्रकार की बेशी भूमि के निपटान के लिए शर्तें निर्धारित करते हैं ।

भूतपूर्व सैनिकों के लिए परिवर्तित पेंशन पुनः लागू करना

7834. **श्री गंगा राम :**

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने सेवानिवृत्त सेना के कर्मचारियों के लिए परिवर्तित पेंशन पुनः लागू करने के सम्बन्ध में आदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके कौन से कारण हैं; और

(घ) क्या इस सम्बन्ध में रक्षा कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार के असैनिक कर्मचारियों के समकक्ष माना जाएगा ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) उपर (क) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता ।

(ग) सेवानिवृत्ति की तारीख से 15 वर्षों के पश्चात् पेंशन के संराशिकृत भाग को पुनः लागू करने के बारे में 5-3-1987 को कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्याण विभाग) द्वारा जारी किए गए सरकारी आदेश सशस्त्र सेना कार्मिकों एवं अफसरों सहित केन्द्रीय सरकार के सभी पेंशनभोगियों पर लागू होते हैं ।

(घ) जी, हां ।

औद्योगिक श्रमिकों द्वारा निर्यात करने के वायदे

7835. **श्री कृष्ण सिंह** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985-86 और 1986-87 के दौरान देश में विभिन्न औद्योगिक एककों ने कितना निर्यात करने के वचन दिए थे;

(ख) इस निर्यात वचन का किस सीमा तक पालन किया गया था और इस वचन की पूर्ति के लिए कुल उत्पादन कितने प्रतिशत निर्यात किया गया; और

(ग) निर्यात वचनों को, विशेष रूप से प्रौद्योगिकी, पूंजीगत सामान और कच्चे माल के आयात के सम्बन्ध में, पूरा करने में असफल रहे उद्योगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) और (ख) निर्यात दायित्व

प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा आशय पत्र/औद्योगिक लाइसेंस/विदेशी सहभागिता अनुमोदनों तथा कतिपय मामलों में पूंजीगत सामान लाइसेंसों के मंजूर किए जाने के समय लागू किए जा रहे हैं। देश में विभिन्न औद्योगिक एककों के निर्यात वचनबद्धता सम्बन्धी कुल आंकड़े विभिन्न विषयों के सम्बन्ध में नहीं रखे जाते हैं।

(ग) प्रौद्योगिकी निहित विदेशी सहयोग अनुमोदनों के मामले में दण्ड निम्नोक्त अनुसार है :—

(1) फर्म द्वारा उत्पादित माल को एम०एम०टी०सी०/एस०टी०सी०/पी०ई०सी० या निर्यात के लिए सरकार द्वारा नामित किसी अन्य अभिकरण को सौंपना।

(2) 5 लाख रु० अधिकतम की शर्त पर वार्षिक निर्यात दायित्व के 5 प्रतिशत की दर से क्षतियों की वसूली।

पूंजीगत माल और कच्चे माल के आयातों के मामले में आयात निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 तथा उसके अन्तर्गत जारी किए गए आदेश के तहत विवर्जन तथा फर्मों पर दण्ड लगाने के लिए कार्रवाई शुरू की जा सकती है।

राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने पर खर्च की गई धनराशि

7837. **श्री कमल चौधरी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) वर्ष 1984, 1985 और 1986 के दौरान वर्ष-वार (एक) दृश्य-श्रव्य माध्यम (दो) शांति मार्च (तीन) मुद्रित प्रचार और (चार) पुरस्कार/प्रोत्साहनों पर कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) राष्ट्रीय एकता को चुनौतियों से निरन्तर सतर्कता और लगातार कार्यवाही से निपटने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य के लिए, राष्ट्रीय एकता परिषद का पुनर्गठन 19-2-1986 को किया गया था और इसकी बैठक अब तक 7-4-1986 तथा 12-9-1986 को हुई है। राष्ट्रीय एकता परिषद ने सतत आधार पर पूरे देश में विभिन्न स्तरों पर राष्ट्रीय एकता कायम रखने हेतु स्थायी समिति भी नियुक्त की है। राष्ट्रीय एकता परिषद की 12-9-1986 को हुई बैठक की सिफारिशों पर, राष्ट्रीय एकता परिषद की कार्यवाहियों पर अनुवर्ती कार्यवाही करने के लिए सुझाव देने हेतु एक पांच सदस्यीय उप-दल का गठन भी किया गया है जिसके संयोजक श्री पी०एन० हक्सर हैं।

(ख) गृह मंत्रालय ने, राष्ट्रीय एकता के उद्देश्य से काम करने के लिए स्वयं सेवी संगठनों को सहायता अनुदान की योजना के अधीन विभिन्न स्वयं सेवी संगठनों को निम्नलिखित धनराशि स्वीकृत की है :—

1984-85	1985-86	1986-87
2,13,300 रुपए	1,05,31,810 रुपए	4,52,500 रुपए

रक्षा सेवाओं के अधिकारियों को आबंटित करने के लिए मकान पट्टे पर लेना

7838. **श्री जगन्नाथ प्रसाद** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली और उसके आस-पास रक्षा सेवा के अधिकारियों को आबंटित करने के लिए मकान मालिकों से अनेक मकान पट्टे पर लिए हैं;

(ख) यदि हां, तो मकान मालिकों को प्रतिमाह अधिकतम कितनी पट्टा राशि दी गई;

(ग) क्या यह सच है कि पट्टा करारों का समय पर नवीकरण नहीं किया जाता है, जिसके कारण मकान मालिकों को बहुत परेशानी होती है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) पट्टे का समय पर नवीकरण करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) मेजर से ब्रिगेडियर तक के रैंक और उनके समकक्ष रैंक के अफसरों के लिए किराए पर लिए गए फ्लैटों के लिए मकान मालिकों को अधिकतम 1200 रुपए प्रतिमाह और कैप्टन तथा उससे नीचे के रैंक तथा उनके समकक्ष रैंक के अफ़सरों के लिए किराए पर लिए गए फ्लैटों का 900 रु० प्रतिमाह किराया दिया गया।

(ग) से (ङ) सामान्यतया पट्टा करार के नवीकरण में कोई विलम्ब नहीं होता है। लेकिन कभी-कभी मकान मालिक से नवीकरण की सहमति लेने, कब्जेदार अफसर से मकान के संतोषजनक रख-रखाव के लिए प्रमाण-पत्र प्राप्त करने, मकान मालिक से मकान की मरम्मत सम्बन्धी जरूरी कार्य करवाने आदि जैसी प्रक्रिया सम्बन्धी जरूरतों के कारण से विलम्ब हो जाता है। इससे मकान मालिकों को कोई कठिनाई नहीं होती है क्योंकि उन्हें करार के नवीकरण होने तक का किराया दे दिया जाता है। तथापि प्रक्रिया सम्बन्धी औपचारिकताओं को जल्दी ही निपटाने के लिए विभाग द्वारा सभी प्रयास किए जाते हैं।

आल इण्डिया हैंडलूम फैबरिक्स मारकेटिंग कोआपरेटिव सोसायटी

7839. **श्रीमती ऊषा चौधरी** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इण्डिया हैंडलूम फैबरिक्स मारकेटिंग कोआपरेटिव सोसाइटी ने अपना निर्यात विभाग बन्द कर दिया है और इसके निर्यात में गिरावट आई है और सोसाइटी को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

वस्त्र मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी नहीं। फैब्रिक्स सोसाइटी ने केवल बम्बई में अपने उस निर्यात विभाग को बन्द कर दिया है जिसमें कारोबार नहीं हो रहा था तथा गत कुछ वर्षों से घाटे में चल रहा है। तथापि, फैब्रिक्स सोसाइटी के निर्यात इसके दिल्ली, मद्रास तथा मदोई स्थित निर्यात विभागों और न्यूयार्क, हम्बर्ग, मारीशस तथा क्वालालम्पुर स्थित इसके विदेशी एककों द्वारा पर्याप्त मात्रा में किए जा रहे हैं। फैब्रिक्स सोसाइटी के निर्यात निष्पादन

में कोई गिरावट नहीं है और उन्हें अपने उत्कृष्ट निर्यात निष्पादन के लिए अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र को प्रोत्साहन देना

7840. **श्री हरिहर सोरन** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र में संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में कार्यरत लोगों की अनुमानित संख्या कितनी है; और

(ख) सातवीं योजना के दौरान हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) देश में हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्रों में संगठित तथा असंगठित दोनों क्षेत्रों में लगे लोगों की अनुमानित संख्या क्रमश: 78 लाख और 30.50 लाख आंकी जाती है। संगठित तथा असंगठित क्षेत्रों के सम्बन्ध में पृथक् आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि दोनों क्षेत्र अत्यधिक बिखरे हुए तथा विकेन्द्रित हैं।

(ख) जहां तक हथकरघों का सम्बन्ध है, अनेक विकासात्मक योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं जिनका प्रमुख उद्देश्य हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिए संगठनात्मक अवस्थापना प्रदान करना है। ये योजनाएं निम्नलिखित हैं :—

(1) प्राथमिक हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों को शेयर पूंजी सहायता।

(2) राज्य एपैक्स समितियों तथा राज्य हथकरघा विकास निगमों को शेयर पूंजी सहायता।

(3) प्राथमिक समितियों को प्रबन्धकीय उपदान।

(4) करघों के आधुनिकीकरण के लिए सहायता।

(5) करघा-पूर्व तथा करघा पश्चात प्रोसेसिंग सुविधाएं स्थापित करने के लिए सहायता।

(6) विशेष छूट योजना।

(7) जनता कपड़ा योजना।

(8) कल्याण योजनाएं जिनमें वर्कशेड-सह-आवास योजना तथा बचत निधि योजना शामिल हैं।

हस्तशिल्प क्षेत्र में इस क्षेत्र के संवर्धन के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं जो नीचे दिए गए अनुसार हैं :—

(1) कालीन बुनाई, छपे वस्त्रों, आर्ट मैटलवेयर, बेंत और बांस शिल्प तथा वुडवेयर में प्रशिक्षण। सिद्धहस्त शिल्पियों द्वारा चलाए जा रहे प्रशिक्षुणता प्रशिक्षण केन्द्र भी हैं।

(2) क्षेत्रीय डिजाइन तथा तकनीकी विकास केन्द्रों की मार्फत डिजाइन विकास। हाथ से छपे वस्त्रों के लिए जयपुर में एक राष्ट्रीय शिल्प संस्थान स्थापित किया गया है जिसमें

वस्त्र डिजाइनिंग, प्रोसेसिंग तथा सुधरी हुई प्रौद्योगिकी में शिल्पियों को प्रशिक्षित किया जाएगा ।

(3) देश के विभिन्न भागों में विपणन तथा सेवा विस्तार केन्द्र स्थापित किए गए हैं ।

(4) प्रदर्शन तथा प्रचार ।

(5) निर्यात संवर्धन ।

(6) शिल्पियों को राष्ट्रीय पुरस्कार तथा पेंशन ।

(7) सास्कृतिक विरासत का संरक्षण ।

दार्जिलिंग में चाय उद्योग को गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रन्ट के आन्दोलन से खतरा

7841. **डा० गौरी शंकर राजहंस** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट के वालंटियरों द्वारा आन्दोलन किए जाने के कारण दार्जिलिंग जिले में चाय उद्योग पूर्णतः ठप्प होने की स्थिति में है;

(ख) क्या यह सच है कि गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट के वालंटियरों ने दार्जिलिंग जिले में चाय बागानों के मालिकों को धमकी दी है और उन्हें आन्दोलन के लिए धन देने को मजबूर कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और दार्जिलिंग जिले में चाय उद्योग को बचाने के लिए कौन से कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) गत वर्ष के दौरान दार्जिलिंग में चाय के उत्पादन में लगभग 1.39 मि० किग्रा० की मामूली गिरावट आई है जो सामान्यतः मौसम की प्रतिकूल दशाओं के कारण है । दार्जिलिंग जिले में समय-समय पर अशान्ति के बावजूद चाय बागान कुल मिलाकर सामान्य रूप में कार्य कर रहे हैं ।

(ख) तथा (ग) इस आरोप के सम्बन्ध में कि दार्जिलिंग जिले में गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट के वालंटियरों ने चाय बागानों के मालिकों को धमकी दी है तथा उन्हें आन्दोलन के लिए धन देने को मजबूर कर रहे हैं, राज्य सरकार से अब तक कोई पक्की रिपोर्ट नहीं मिली है ।

हिन्दी में बोलने के संबंध में अतिशिष्ट व्यक्तियों को जारी मार्गनिर्देश

7842. **श्री मानिक रेड्डी** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत यात्रा पर आने वाले विदेशी विशिष्ट व्यक्ति चर्चाओं और प्रेस कांफ्रेंसों में अपनी मातृभाषा में बोलते हैं, जबकि भारत के अतिविशिष्ट व्यक्ति भारत में और विदेशों में अंग्रेजी बोलते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का अतिविशिष्ट व्यक्तियों को विदेशों में अपनी मातृभाषा में बोलने के लिए मार्ग-निर्देश जारी करने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एदुआर्डो फलेरो) : (क) और (ख) भारत आने वाले कुछ विशिष्ट व्यक्ति अपनी-अपनी भाषाओं में बोलते हैं जबकि दूसरे अपनी बातचीत में तथा संवाददाता सम्मेलनों में अंग्रेजी में बोलते हैं। वास्तव में ऐसे मौकों पर विदेशी और भारतीय विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा भाषा का प्रयोग इस बात पर निर्भर करता है कि उस विशिष्ट व्यक्ति विशेष की किसी भाषा पर कितना अधिकार है, दुभाषियों की उपलब्धता कैसी है और पारस्परिक सुविधा किस में है।

(ग) और (घ) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है क्योंकि इस प्रकार के मार्ग-निर्देश जारी करना अव्यावहारिक हो सकता है।

[हिन्दी]

पिथौरागढ़ के व्यापारियों की सम्पत्ति और धन का चीन में अवरुद्ध होना

7843. **श्री हरीश रावत** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में पिथौरागढ़ जिले के कई व्यापारियों की सम्पत्ति और धन गत कई वर्षों से तिब्बत (चीन) में अवरुद्ध है; और

(ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है कि इन व्यापारियों को उनकी सम्पत्ति और धनराशि लौटा दी जाये ?

विदेश मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) हमारे रिकार्ड के अनुसार उत्तर प्रदेश के व्यापारियों का तिब्बत में उधार फंसा हुआ है।

भारत और चीन के बीच परिसम्पत्तियों और सम्पत्तियों का प्रश्न अत्यन्त जटिल है। हमने चीन के अधिकारियों के साथ यह मामला उठाया है। क्योंकि यह मामला पेचीदा है, अत: किसी अन्तिम समाधान तक पहुंचने में कुछ समय लग सकता है।

[अनुवाद]

दिल्ली तथा अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह के पुलिस अधिकारियों के लिए पदोन्नति और प्रशिक्षण के अवसर

7844. **श्री चिंगवांग कोनयक** :

श्री विष्णु मोदी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली तथा अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह के पुलिस अधिकारियों के पदोन्नति और प्रशिक्षण के अवसरों में वृद्धि के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है;

(ख) संघ राज्य क्षेत्र संवर्ग में भारतीय पुलिस सेवा के कितने पद हैं और उनमें से कितने संवर्ग-बाह्य पद हैं;

(ग) क्या नियमों के अनुसार संवर्ग बाह्य पदों को तीन वर्षों के बाद संवर्ग पदों में बदल दिया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो संवर्ग बाह्य पदों को संवर्ग पदों में न बदलने के क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) दिल्ली अण्डमान निकोबार पुलिस सेवा के अधिकारियों के लिए पदोन्नति के उपलब्ध अवसर इस समय समान सेवाओं के तुल्य हैं। उन्हें अपने कार्य की विषय वस्तु के बारे में पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाता है। तथापि, पदोन्नति तथा सुधार लाने के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं के अवसरों की समीक्षा करना एक सतत प्रक्रिया है।

(ख) भारतीय पुलिस सेवा (संघ शासित क्षेत्र) संवर्ग में संघ शासित क्षेत्र में 58 वरिष्ठ ड्यूटी पद हैं। इसके अलावा, 19 पद संघ शासित क्षेत्रों में हैं जिन्हें यदि भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी को तैनात करके भरा जाता है तो उसके लिए यह बाह्य संवर्ग माना जाएगा।

(ग) जी नहीं, श्रीमान।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

रूमानिया द्वारा कुद्रेमुख संयंत्र से छर्रों का आयात

7845. **श्री एच०एन० नन्जे गौड़ा** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूमानिया ने मंगलौर स्थित कुद्रेमुख संयंत्र से कच्चा लोहा और छर्रे आयात करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांग का ब्यौरा क्या है और क्या इस सम्बन्ध में दोनों देशों के बीच कोई समझौता हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो अन्य कौन से देश कुद्रेमुख से कच्चा लोहा और छर्रे खरीदने पर सहमत हुए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) (क) तथा (ख) रूमानिया ने मंगलौर स्थित कुद्रेमुख संयंत्र से लगभग 0·5 मिलियम मि० टन छर्रे खरीदने में रुचि दिखाई है। तथापि, अभी तक किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं।

(ग) 1987-88 के दौरान जिन देशों ने लौह अयस्क सांद्रण खरीदने की पेशकश की है या जिनके द्वारा उसके आयात किये जाने की आशा है, वे हैं: जापान, चैकोस्लोवाकिया, युगोस्लाविया, चीन, आस्ट्रेलिया तथा फ्रांस। 1987-88 के दौरान जिन देशों ने कुद्रेमुख से छर्रे खरीदने की पेशकश की है वे हैं : हंगरी, आस्ट्रेलिया, तुर्की, चैकोस्लोवाकिया तथा युगोस्लाविया।

खनिज और धातु व्यापार निगम द्वारा झींगापालन के लिए काम्पलेक्स की स्थापना

7846. **श्री सी० माधव रेड्डी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज और धातु व्यापार निगम 25 करोड़ रु० की लागत से कृत्रिम झींगापालन के लिए काम्पलेक्स की स्थापना के बाद बड़े पैमाने पर झींगा का निर्यात करेगा;

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना का ब्यौरा क्या है और क्या यह निगम की गतिविधियों

के अनुमोदित ज्ञापन के अनुसार जैसाकि दिनांक 9 जनवरी, 1987 के "इक्नॉमिक टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ग) क्या विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए अन्य सरकारी क्षेत्र के एककों को इसी प्रकार की परियोजनाएं आरम्भ करने की अनुमति दी जायेगी; और

(घ) क्या खनिज और धातु व्यापार निगम सोयाबीन से बनने वाले खाद्य पदार्थों जोकि हमारी आवश्यकताओं से अधिक है, भी निर्यात करेगा जिनकी यूरोपीय आर्थिक देशों में भारी मांग है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) तथा (ख) खनिज और धातु व्यापार निगम को भारत में झींगा के कृत्रिम पालन के लिए एक एकक की स्थापना से संबद्ध झींगों के निर्यात का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। खनिज और धातु व्यापार निगम के संगम ज्ञापन में निर्यात के लिए इस प्रकार की परियोजनाओं को शुरू करने से उसे नहीं रोका गया है।

(ग) यदि ऐसी परियोजनाएं प्राप्त होती हैं जिनसे विदेशी मुद्रा प्राप्त होती हो, तो उन पर गुण व गुण के आधार पर विचार किया जा एगा।

(घ) 1985-86 से खनिज और धातु व्यापार निगम बल्गारिया इरान तथा लीबिया जैसे देशों को सोयामील का निर्यात कर रहा है तथा नए बाजारों को अभिज्ञात करके अपने निर्यातों को बढ़ाने का उसका इरादा है।

तिल का निर्यात

7847. **डा० पी० वल्लाल पेरुमन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986-87 के दौरान सरकार द्वारा भारी मात्रा में तिल जारी किये जाने के बावजूद अब तक निर्यात में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है; और

(ख) यदि हां, तो उत्पादकों को प्रोत्साहन देने और देश के लिए अच्छी मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए सरकार को इसके निर्यात को बढ़ाने के लिए कौन से कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) तथा (ख) 1986-87 के दौरान तिल के निर्यात, जिनका नैफेड के माध्यम से मार्गीकरण किया गया था, 110 एम टी रहे जिनका मूल्य 9.80 लाख था। कम निर्यात निष्पादन मुख्यतः कम आन्तरिक उत्पादन के कारण घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के बीच व्यापक असमानता की वजह से हुआ। देश में समग्र खाद्य तेल की कमी की वजह से तिल की कीमतों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई तथा आजकल कीमत 1200 रु० प्रति क्विन्टल चल रही है, जबकि 1985-86 के दौरान 750 रु० प्रति क्विन्टल थी।

यद्यपि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान तिल के निर्यात बढ़ाने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं, फिर भी देश में वर्तमान प्रचलित कीमतें उत्पादकों को समुचित प्रेरणा देती हैं। खाद्य सामग्री तैयार करने के लिए देश में तिल की काफी खपत होती है। वनस्पति एककों द्वारा भी तिल की मांग की जाती है।

[हिन्दी]

राजस्थान में विजय नगर में रुई निगम में आग लगने से रुई का नुकसान

7848. **श्री राज कुमार राय** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी 1987 से मार्च 1987 के दौरान राजस्थान में विजय नगर में भारतीय रुई निगम में पड़े रुई के बहुत बड़े ढेर पर आग लगी थी;

(ख) यदि हां, तो आग लगने से कितनी अनुमानित हानि हुई;

(ग) क्या आग लगने के कारणों की जांच की गई और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) उत्तरदायी लोगों के विरुद्ध कौन सी कार्यवाही की गई है ?

वस्त्र मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) तथा (ख) जी हां। राजस्थान में श्री विजय नगर केन्द्र पर 1-3-1987 को आकस्मिक आग लग गई थी तथा इस आग में रुई के स्टाकों की हुई क्षति लगभग 22 लाख रु० होगी।

(ग) तथा (घ) भारतीय रुई निगम आग के कारणों के बारे में जांच कर रहा है। व्यक्तियों के खिलाफ की जाने वाली कार्यवाही जांच के परिणामों पर निर्भर होगी।

[अनुवाद]

आन्ध्र प्रदेश में रेशम उत्पादन परियोजना

7849. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय रेशम उत्पादन बोर्ड ने आन्ध्र प्रदेश और अन्य राज्यों में 300 करोड़ रुपये की कुल लागत की जांच रेशम उत्पादन परियोजनाएं शुरू करने के लिए कृषि वित्त निगम से सहायता मांगी है;

(ख) इस प्रस्ताव पर केन्द्रीय सरकार और कृषि वित्त निगम की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) आन्ध्र प्रदेश में इन रेशम उत्पादन परियोजनाओं पर कितनी धनराशि व्यय किए जाने की संभावना है और उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन पर यह धनराशि व्यय की जायेगी ?

वस्त्र मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

राज्य व्यापार निगम द्वारा करार

7850. **श्री यशवन्तराव गडाख पाटिल** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने सरकार के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) से (ग) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का विचार केवल हाल में आरम्भ हुआ है। अब तक एल० टी० सी० द्वारा सरकार के साथ किसी भी समझौता ज्ञापन (एम० ओ० यू०) पर हस्ताक्षर नहीं किये गये हैं।

भारत और पाकिस्तान द्वारा मत्स्य पोतों को पकड़ना

7851. **श्री जी० एम० बसवराज** :

श्री एस० एम० गुरड्डी :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय और पाकिस्तानी तट रक्षक गत दो महीनों के दौरान एक दूसरे के मत्स्य पोतों को पकड़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस अवधि के दौरान दोनों देशों द्वारा पकड़े गए मत्स्य पोतों और गिरफ्तार किए गए पोत चालक कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) दोनों देशों द्वारा मत्स्य पोत पकड़ने को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) तथा रक्षक ने कर्मीदल के 209 सदस्यों के साथ 16 पाकिस्तानी मत्स्य जहाज पकड़े। इसी अवधि के दौरान पाकिस्तानी अधिकारियों ने कर्मीदल दल के 120 सदस्यों के साथ 14 भारतीय मत्स्य जहाज पकड़े।

(ग) तट रक्षक ने हमारे समुद्री क्षेत्र की गश्त तेज कर दी है। हवाई निगरानी द्वारा भी इसमें सहायता दी जा रही है। समस्या से निपटने के लिए राजनयिक उपाय भी प्रारम्भ किए गए हैं।

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में जलयान सेवा

78:2. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जल-भूतल परिवहन मंत्रालय ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जलयान सेवा शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह प्रस्ताव गृह मंत्रालय के विचाराधीन है;

(ग) यदि हां, तो इसको मंजूरी दिये जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इसे मंजूरी दिए जाने के लिए कौन से कदम उठाये जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्तामणि पणिग्राही) : (क) से (घ) अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में जलयान सेवा शुरू करने के बारे में जल-भूतल परिवहन मंत्रालय सैद्धान्तिक रूप से सहमत हो गया है। तथापि, प्राइवेट सेक्टर में सेवा शुरू करने के लिए संविदात्मक शर्तें अभी तय की जानी हैं।

आन्ध्र प्रदेश में खरीदी गई रुई का मूल्य

7853. **श्री वी० तुलसीराम** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस मौसम में भारतीय कपास निगम द्वारा आन्ध्र प्रदेश में किसानों को अदा किया गया रुई का मूल्य केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य से कम था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा सरकार किसानों की क्षतिपूर्ति किस प्रकार करेगी; और

(ग) भविष्य में आन्ध्र प्रदेश से खरीदी जाने वाली रुई का ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) भारतीय रुई निगम ने साधारण औसत क्वालिटी की कपास के लिए सरकार द्वारा निश्चित की गई न्यूनतम समर्थन कीमतों पर आन्ध्र प्रदेश में किसानों से रुई की खरीदारी की है। जब कपास की क्वालिटी साधारण औसत क्वालिटी से नीचे की होती है, तब निगम कटौतियां करता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारतीय रुई निगम जब कीमतें न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाती हैं तब न्यूनतम समर्थन कीमत पर बिना किसी मात्रा प्रतिबंधों के रुई की खरीद करता है।

द्रोणाचार्य परियोजना के लिए कोचीन से लोगों की बेदखली

7854. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौसेना की द्रोणाचार्य परियोजना के निर्माण के लिए फोर्ट कोचीन से कितने लोगों को बेदखल किया गया है; और

(ख) बेदखल किए गए व्यक्तियों को कितना मुआवजा दिया गया है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) :

(क) (i) निजी भूमि से — 166 व्यक्ति

(ii) सरकारी भूमि से — 211 व्यक्ति

(ख) (i) निजी भूमि — 1,53,74,868.95 रुपये

(ii) सरकारी भूमि से बेदखल किए गए व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए राज्य सरकार को 18.00 लाख रुपये की राशि दी गई है। पुनर्वास कार्य राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है।

कपास का निर्यात

7855. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा 1986-87 के दौरान निर्यात के प्रयोजन के लिए लम्बे रेशे तथा अतिरिक्त लम्बे रेशे वाली कपास की कुल कितनी गांठें जारी की गई थीं;

(ख) क्या सरकार का विचार 1987-88 में कपास के निर्यात को बढ़ाने का है;

(ग) यदि हां, तो अब तक कितनी गांठें जारी की गई हैं; और

(घ) वर्ष 1987-88 के लिए कपास के निर्यात के लिए कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

वस्त्र मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (घ) सरकार द्वारा घोषित

दीर्घावधि निर्यात नीति के अन्तर्गत चालू रुई मौसम 1986-87 से आगामी तीन वर्षों की अवधि में प्रत्येक वर्ष लम्बे तथा अत्यधिक लम्बे रेशे की रुई की 5 लाख गांठों तथा बंगाल देशी और दिगविजय किस्म की प्रत्येक की 50,000 गांठों की मात्रा के निर्यात किए जाएंगे। चालू वर्ष 1986-87 के दौरान सरकार ने अब तक लम्बे तथा अत्यधिक लम्बे रेशे की रुई की 4.57 लाख गांठों तथा बंगाल देशी की 50,000 गांठों को रिलीज किया है।

1987-88 में निर्यातों में कोई वृद्धि फसल की मात्रा, घरेलू मांग, पिछले स्टाक, आदि जैसी बातों पर निर्भर होगी।

युवाओं के लिए पर्यटन सुविधा

7856. **श्रीमती डी० के० भण्डारी** : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आगामी वर्षों में देश में युवाओं के लिए पर्यटन सुविधाओं का विकास करने संबंधी कुछ प्रस्ताव विचाराधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजन के लिए चुने गए स्थानों के नाम क्या हैं ?

पर्यटन मंत्री (मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) से (ग) युवाओं में साहसिक कार्य की भावना का विकास करने के लिए, पर्यटन मंत्रालय ने वर्तमान पंचवर्षीय योजना के पहले दो वर्षों के दौरान सिक्किम, तमिलनाडु, केरल और हिमाचल प्रदेश में प्रयोग के लिए ट्रैकिंग उपकरणों की खरीद के वास्ते निधियां स्वीकृत की हैं। इसके अलावा, सिक्किम में ट्रैकर्स हट्स का निर्माण करने के लिए भी निधियां रिलीज की गई हैं। अन्य राज्यों में भी, जिनमें इस प्रकार की गतिविधियां संभव हैं, इसी तरह की सुविधाओं को उपलब्ध कराने के बारे में विचार किया जाएगा।

युवा कार्य और खेल मंत्रालय का, जो इस समय देश में अलग-अलग 19 स्थानों पर युवा होस्टलों का परिचालन कर रहा है, वर्तमान पंचवर्षीय योजना के दौरान 60 और युवा होस्टल बनाने का प्रस्ताव है। नाहरलगन, कुरुक्षेत्र, एर्णाकुलम, कालिकट, गुवाहाटी, हसन, इम्फाल, दीमापुर, पटना, तुरा और आगरा में युवा होस्टलों का निर्माण शुरू हो चुका है।

कर्नाटक में सहकारी कताई मिलों को वित्तीय सहायता

7857. **श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति** :

श्री एच० जी० रामुलू :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्रीय सरकार से राज्य में कुछ सहकारी कताई मिलों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस संबंध में कब तक निर्णय लिया जाएगा ?

वस्त्र मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) कर्नाटक सरकार ने केन्द्रीय सरकार से भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के साथ राज्य में कुछ सहकारी कताई मिलों के ऋण आवेदन पत्रों पर विचार करने के मामले को उठाने का अनुरोध किया था।

(ख) तथा (ग) वित्तीय संस्थाएं अनुभव करती है कि देश में पहले ही पर्याप्त कताई क्षमता विद्यमान है तथा नये कताई एककों का प्रस्ताव पूंजी लागत वार, अर्थक्षम प्रस्ताव नहीं होगा।

तिहाड़ जेल, दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था में परिवर्तन करने का प्रस्ताव

7858. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :**

डा० गौरी शंकर राजहंस :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार तिहाड़ जेल, नई दिल्ली में संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था में परिवर्तन करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) तथा (ख) दिल्ली में तिहाड़ जेल की वर्तमान सुरक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए अतिरिक्त बल तैनात करने, वाहनों और आगन्तुकों के आवागमन को नियमित करने, संचार नेटवर्क में सुधार, फ्लूड लाइटों की व्यवस्था, निगरानी बुर्जों पर दिन-रात जवानों की तैनाती आदि जैसे कुछ कदम पहले ही उठाए जा चुके हैं।

हथकरघा उद्योग के लिए वार्षिक धनराशि के नियतन में कटौती

7859. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न राज्यों को हथकरघा उद्योग के लिए निर्धारित धनराशि के वार्षिक नियतन में कटौती की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) हथकरघा क्षेत्र के लिए केन्द्रीय सरकार की निधियों का आबंटन योजनावार किया जाता है न कि राज्यवार। राज्यों को निधियों की रिलीज राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर की जाती है, बशर्ते कि उनके अपने बजट में समान आबंटन किए गए हों। केन्द्रीय बजट में वार्षिक आबंटन पिछले खर्च के आधार पर किए जाते हैं और इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होती रही है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

विस्कोस फाइबर का आयात

7860. **श्री राम भगत पासवान** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विस्कोस फाइबर को लघु यूनिटों को सुलभ कराने के लिए इसका अधिक आयात करने का विचार है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या विस्कोस फाइबर की बिक्री पर मूल्य नियंत्रण लगाने का कोई प्रस्ताव है ?

वस्त्र मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) तथा (ख) विस्कोस स्टेपल फाइबर का आयात खुले सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत किया जाता रहेगा।

(ग) जी, नहीं।

[हिन्दी]

हिन्दी में सरकारी काम-काज

7861. **श्री कुंवर राम** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दी माध्यम से विश्वविद्यालयों से स्नातक परीक्षा पास केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में काम करने वाले सभी कर्मचारी अपना सरकारी काम-काज हिन्दी में करते हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके कौन से कारण हैं; और

(ग) केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग के लिए कौन से कार्यक्रम तैयार किए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) जी, नहीं ।

(ख) राजभाषा अधिनियम, 1963 के अधीन बनाए गए राजभाषा नियम, 1976 के नियम 8(1) के अनुसार कर्मचारी को हिन्दी या अंग्रेजी में काम करने की स्वतन्त्रता है ।

(ग) केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग के लिए तैयार किए गए कुछ कार्यक्रम इस प्रकार हैं :—

(1) राजभाषा विभाग प्रतिवर्ष एक वार्षिक कार्यक्रम तैयार करता है जिसमें सरकार की राजभाषा नीति को कार्यान्वित करने के लिए आम लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं ।

(2) सरकारी काम में हिन्दी के प्रयोग की प्रगति का अध्ययन करने के लिए राजभाषा विभाग के अधिकारी केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभाग/कार्यालयों आदि का निरीक्षण करते हैं ।

(3) केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों आदि में हिन्दी के प्रयोग की प्रगति का जायजा लेने के लिए विभिन्न समितियां भी स्थापित की गई हैं ।

(4) जिन कर्मचारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान नहीं है उनके लिए हिन्दी पढ़ाने के लिए हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत देश भर में हिन्दी शिक्षण केन्द्र खोले गए हैं । इसी योजना के अन्तर्गत अंग्रेजी के आशुलिपिकों व टंककों को हिन्दी आशुलिपि व टंकण के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की गई है ।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में विद्युत चालित करघों के लिए सेवा केन्द्र

7862. **श्री प्रतापराव बी० भोसले** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार वर्ष 1987-88 के दौरान विद्युत चालित करघों के लिए कुछ नए सेवा केन्द्र स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो ये केन्द्र किन-किन स्थानों पर स्थापित किए जायेंगे ?

वस्त्र मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां। 1987-88 के दौरान चार नए विद्युत करघा सेवा केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है ।

(ख) प्रस्तावित स्थान हैं :—

1. मदुराई के निकट सकरन कोइल (तमिलनाडु)

2. अहमदाबाद

3. इचलकरन्जी (महाराष्ट्र)

4. मेरठ ।

गुजरात क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में पासपोर्ट के संबंध में लम्बित पड़े आवेदन-पत्र

7863. **श्री दौलतसिंह जी ठाकोर** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में जनवरी, 1987 से आज तक लम्बित पड़े पासपोर्ट सम्बन्धी आवेदन पत्रों की संख्या कितनी है;

(ख) गुजरात में जनवरी, और फरवरी, 1987 के दौरान कितने पासपोर्ट जारी किए गए; और

(ग) गुजरात में प्रत्येक आवेदन-पत्र पर स्वीकृत प्रदान करने में औसतन कितना समय लगता है ?

विदेश मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) 31-1-87; 28-2-87 और 31-3-87 को क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, अहमदाबाद में नए पासपोर्टों के लिए लम्बित आवेदन-पत्रों की कुल संख्या क्रमश: 14,216; 12247 और 13865 थी।

(ख) जनवरी और फरवरी में क्रमश: 5,736 और 5,012 पासपोर्ट जारी किए गए थे।

(ग) पासपोर्ट जारी करने में कितना समय लगता है, यह पासपोर्ट सम्बन्धी कागजों के पूरा होने पर निर्भर करता है जिसमें सम्बद्ध पुलिस अधिकारियों की साक्ष्य रिपोर्ट की प्राप्ति भी शामिल है। बहरहाल, क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, अहमदाबाद में कागजात पूरा हो जाने के बाद 5 कार्य दिवसों के अन्दर पासपोर्ट जारी कर दिए जाते हैं।

इलायची उत्पादकों के लाभ के लिए खर्च की गई धनराशि

7864. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मसाला बोर्ड ने 1986-87 के दौरान केरल में इलायची उत्पादकों के लाभ के लिए कितनी धनराशि खर्च की है;

(ख) कौन-कौन सी विभिन्न योजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ वर्ष 1987-88 के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) इलायची उत्पादकों के लाभ की योजनाओं पर राज्यवार खर्च उपलब्ध नहीं है। तथापि, 1986-87 के दौरान इलायची बोर्ड को रिलीज की गई कुल राशि 349.75 लाख रु० है।

(ख) कार्यान्वयन के अन्तर्गत विभिन्न योजनाएं इस प्रकार हैं :—

(1) इलायची पुनर्रोपण-सह-उपदान योजनाएं।

(2) विस्तार सलाहकर योजना।

(3) विभागीय नर्सरी योजना।

(4) प्रमाणित नर्सरीज योजना।

(5) 8 हेक्टर भूमि तक के स्वामी वाले छोटे-उपजकर्ताओं को सिंचाई उपस्करों की उपदान प्राप्त सप्लाई की योजना।

(6) कापर सल्फेट और पौधा संरक्षण उपस्करों की उपदान प्राप्त सप्लाई की योजना।

(7) भू संरक्षण के लिए उपदान।

(8) उपचार गृहों के निर्यात के लिए उपदान योजना।

(9) अनुसंधान क्रियाकलाप।

(ग) 26-2-87 से इलायची बोर्ड का नये गठित मसाला बोर्ड में विलय कर दिया गया है। 1987-88 के दौरान इलायची के उत्पादन, विकास आदि तथा अन्य मसालों के विपणन की योजनाएं आरम्भ करने के लिए बोर्ड के बजट में 568.00 लाख रु० का आबंटन किया गया है।

अखबारी एजेंसियों द्वारा दृश्य-श्रव्य उपकरणों का आयात

7865. **श्री थम्पन थामस** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ अखबारी एजेंसियों को हाल ही में दृश्य-श्रव्य उपकरणों का आयात करने के लिए लाइसेंस जारी किए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या किसी अन्य अखबारी एजेंसी ने भी इसके लिए आवेदन दिया था, यदि हां, तो सरकार का उस बारे में क्या निर्णय है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) और (ख) उपकरणों के लिए जर्मन टी० वी० तथा रेडिया, जर्मन संघीय गणराज्य के श्री पीटर कर्ब्स को जारी किए गए सीमाशुल्क निकासी परमिटों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

1. निम्नलिखित उपकरणों के आयात के लिए 2,72,211 रु० के लिए सी०सी०पी० सं० पी/जे/3054211 दिनांक 17-3-1987 :—

(1) बी०बी०यू० 800 सं० 14868 इंक 1.11 बी० के 806 टाइम कोड रिकोर्डर।

(2) बी०वी० यू० 435 सं० 14800

(3) 3 पोर्ट कलर मानीटर पी०वी०एम० 6030

(4) कार्यालय टाइपराइटर आई०बी० एम० माडल 6747

(5) फोटोकापी अपेरैटस कैनन पी०सी० 25, 13 काटीरिजेंट/डेवेलपर वार० कलर सहित।

(6) 2 पीस हीट रेडिएटर 2.5 के० डब्ल्यू० फाकिर

(7) 3 सेट डेलाइट बैटरीज स्पाट कोबोल्ड 200 ई०एल०

(8) 1 सेट पोर्टेबल स्पांट टाइप एस०टी० 800

(9) स्पाट के लिए 6 ट्राइपोड टी०आर० 512

2. निम्नलिखित उपकरणों के आयात के लिए 18,80,447 रु० के लिए सी०सी०पी० सं० पी/जे/3075742 दिनांक 20-11-86 :—

(1) $\frac{3}{4}$" बेटाकैम कैमरा बी०वी० डब्ल्यू० 3 ए० पी०, 2 लैन्स तथा बिल्ट-इन रिकार्डर पैक एस०ई०आर० सं० 21873 सहित जिसमें शामिल हैं कैमरा एडैपटर्स सेट, केबल, बाक्स, ब्यिूफाइन्डर, बैटरी चार्जर, ए०सी० एडैप्टर, ट्राइपोड, पोर्टेबल ओडिया मिक्सर, माइक्रोफोन ।

(2) बेटाकैम प्लेबैक यूनिट बी०वी०डब्ल्यू० 20 एस०ई०आर० सं० 20313 मानीटर बी०टी०-एम 1400, केबल बाक्स सहित ।

(3) बेटाकैम एडिटिंग पैक बी०वी०ई० 800 एस०ई०आर० सं० 11141, टाइम रीडर बी०के० 806, टाइम बेस करेक्टर बी०वी०टी० 810 सेर० सं० 10956 तथा वेक्टो-स्कोप ई०वी० 4061 कैबिल्स, पावर सप्लाइज सहित ।

(4) बेटाकैम स्टूडियो एडिटिंग मशीन बी०वी०डब्ल्यू० 40 सेर० सं० 10897 तथा बी०वी० डब्ल्यू० 10 एस०ई०आर० सं० 11096 का जोड़ा रैक तथा मानीटर बी० टी०—एम० 1400, कैबित्स पावर सप्लाइज सहित ।

(5) मिश्रित करने वाले उपकरण-विडियोमिक्सर, साथ में इन्सर्टर एस०ए० 300 आडियो-मिक्सर एस० 191 एस०ई०आर० सं० 2148, जिसके साथ लाउडस्पीकर 0.98 हो, तथा विडियो/आडियो पैचबोर्ड हो ।

(ग) सं० सी०डी०आई० सुपर कन्सेन्ट्रैटर, ओकीडाटा प्रिन्टर रेडियो शैक कपलर्स के आयात के लिए एसोसिएटेड, प्रेस आफ अमेरिका के मैसर्स विक्ओरिया ग्राहय का आवेदन पत्र विचाराधीन है ।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में पर्यटन के विकास के लिए वित्तीय सहायता

7866. **श्री विपीय सिंह भूरिया** : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्र ने मध्य प्रदेश द्वारा भेजी गई पर्यटन के विकास संबंधी विभिन्न योजनाओं हेतु वर्ष 1987-88 के लिए योजनावार कितनी धनराशि का नियतन किया है ?

पर्यटन मंत्री (मुफ्ती मोहम्मद सईद) : केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय निधियों का आबंटन राज्यवार नहीं करता बल्कि स्कीमवार करता है । राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों पर गुणवत्ता, निधियों की उपलब्धता तथा परस्पर प्राथमिकताओं के आधार पर वित्तीय सहायता देने के बारे में विचार किया जाता है ।

[अनुवाद]

आयात-निर्यात पास बुक योजना का संशोधन

7867. **श्री नित्यानन्द मिश्र** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्यात में वृद्धि करने के लिए आयात-निर्यात पासबुक योजना में सुधार किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) वर्तमान व्यवस्था किस अर्थ में पिछली व्यवस्था से बेहतर है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) जी ही । निर्यातों को बढ़ावा देने की आवश्यकता के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, आयात-निर्यात पासबुक योजना में दिनांक 24-3-1987 की सार्वजनिक सूचना संख्या 165/85-88 के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं जिसकी प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं ।

(ख) तथा (ग) परिवर्तन योजना के संचालन तथा कार्यक्षेत्र दोनों में किए गए हैं । कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन निम्नोक्त प्रकार हैं :—

(i) योजना जो अब तक केवल रजिस्टर्ड विनिर्माताओं-निर्यातकों पर लागू थी, निर्यात/व्यापार सदनों पर लागू कर दी गई है;

(ii) कुछ निर्यात उत्पादों की आयात हकदारी बढ़ा दी गई है । यदि वर्तमान हकदारी दरें किसी निर्यातक के लिए अनुकूल नहीं हैं, तो उसे अग्रिम लाइसेन्सों हेतु मानदंडों के आधार पर लाइसेन्स प्राप्त करने का विकल्प दिया गया है ;

(iii) आवेदन पत्र प्राप्त होने की तारीख से किए गए निर्यातों को निर्यात दायित्व पूरा करने के लिए स्वीकार किया जाएगा । परिणामस्वरूप निर्यातक कोई आयात करने के पहले प्रयोग में लाई गई सामग्री की प्रतिपूर्ति के पात्र होंगे;

(iv) पासबुक लाइसेन्स धारियों को सरणीकृत एजेन्सियों तथा एस०टी० सी०, एम०एम०टी० सी० या किन्हीं अन्य निर्दिष्ट एजेन्सियों के बॉन्डेड स्टाकों से शुल्क मुक्त कच्चे माल की सप्लाइयां प्राप्त करने का विकल्प दिया गया है ; और

(v) विनिर्माता-निर्यातकों को उन उत्पादों से संबंधित उत्पादों के विनिर्माण और निर्यात के लिए मदों के आयात हेतु पात्र बनाया गया है जिन्हें वे निर्यात करते रहे हैं बशर्ते कि उनका उत्पादन मौजूदा अवस्थापना तथा उत्पादन के अन्तर्गत किया जा सके ।

वैल्डिंग इलैक्ट्रोडों का निर्यात

7868. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वैल्डिंग इलैक्ट्रोडों के निर्यात में हुई भारी कमी की जानकारी है ;

(ख) वर्ष 1986-87 के दौरान वैल्डिंग इलैक्ट्रोडों के निर्यात पर नकद प्रतिपूर्ति समर्थन और सभी उद्योगों के लिए निकासी सुविधा को वापस लिया जाना इसके निर्यात में कमी के लिए कहां तक उत्तरदायी है;

(ग) क्या सरकार का ध्यान वैल्डिंग इलैक्ट्रोडों के निर्यात में कड़ी अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता की ओर दिलाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार वैल्डिंग इलैक्ट्रोडों के निर्यात को पुन: चालू करने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) तथा (ख) इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा संकलित निम्नलिखित निर्यात आंकड़ों से पता चलता है कि 1986-87 के दौरान इलक्ट्रोड्स के निर्यात पहले तीन वर्षों के निर्यातों से ज्यादा हो सकते हैं । इसलिए इलक्ट्रोड्स

के निर्यात में कोई खास गिरावट नहीं आयी है :—

वर्ष	मूल्य (करोड़ रु० में)
1983-84	2.75
1984-85	1.75
1985-86	2.25
1986-87 (अप्रैल से जनवरी)	2.25

(ग) जी हां ।

(घ) सरकार ने इंजीनियरी उत्पादों के निर्यात बढ़ाने के लिए कई निर्णय लिए हैं। इन निर्णयों से अन्य बातों के साथ-साथ प्रौद्योगिकी के आयातों के उदारीकरण, अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों पर आवश्यक कच्चे माल तथा उप भोज्य वस्तुओं की व्यवस्था, थ्रस्ट उद्योगों के लिए शुल्क अथवा कम दरों पर देश में उपलब्ध न होने वाले पूंजीगत उपस्कर के आयात आदि के जरिए उत्पादन आधार का आधुनिकीकरण एवं अपग्रेडेशन हो सकेगा तथा लागत प्रतियोगिता क्षमता आ सकेगी । इसके अलावा, इन उपायों से घरेलू करों के क्रमप्रपाती प्रभाव की क्षतिपूर्ति करने के लिए नकद मुआवजा सहायता की नई व्यवस्था राजकोषीय लाभों तथा रियायती वित्त आदि के प्रावधान द्वारा निर्यातों की लाभप्रदता में सुधार होगा। तय किए गए उपायों के अन्तर्गत विपणन तथा संवर्धनात्मक कार्यकलापों के लिए भी निर्यातकों को सहायता दी जाएगी ।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में शनि देव मन्दिर का विकास करने का प्रस्ताव

7869. **श्री कम्मोदी लाल जाटव** : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मध्य प्रदेश सरकार से चम्बल डिवीजन के मुरैना जिले में शनि देव मंदिर का एक पर्यटक केन्द्र के रूप में विकास करने की कोई योजना प्राप्त हुई; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन मंत्री (मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

[अनुवाद]

विश्व काली मिर्च बाजार में भारत की स्थिति

7870. **श्री के० मोहन दास** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व काली मिर्च बाजार में भारत की स्थिति में कई वर्षों से गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र में इस समय भारत की क्या स्थिति है; और

(ग) प्रति एकड़ उपज में वृद्धि करने, खेती की लागत में कमी करने और इस प्रकार काली मिर्च को विश्व बाजार में और अधिक प्रतियोगी बनाने के लिए क्या विशेष कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) और (ख) जी, नहीं ।

इस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काली मिर्च का निर्यात करने वाले देशों में भारत का स्थान नं० 1 है ।

(ग) काली मिर्च की उपज बढ़ाने के लिए किए गए प्रयासों में शामिल हैं, अधिक उपज देने वाली किस्मों की रो-पण सामग्री का उत्पादन तथा वितरण और विकसित प्रबंधन प्रक्रियाओं का अपनाया जाना ।

चौथे वेतन आयोग की रिपोर्ट पर सेना के अधिकारियों की अप्रसन्नता

7871. **डा० कृपा सिंधु भोई** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना के अधिकारियों ने चौथे वेतन आयोग की रिपोर्ट पर अपनी अप्रसन्नता प्रकट की है;

(ख) यदि हां, तो उनकी शिकायतों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का इस संबंध में कौन से कदम उठाने का विचार है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

पश्चिमी बंगाल में जूट उद्योग का नवीकरण करना

7872. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में जूट उद्योग के नवीकरण के लिए अब तक जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) उन व्यक्तियों/संगठनों के नाम क्या हैं जिन्हें यह धनराशि प्राप्त हुई है;

(ग) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस धनराशि का समुचित उपयोग किया जा रहा है, कोई निगरानी व्यवस्था की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (घ) पटसन उद्योग के पुनरुद्धार के लिए हाल में घोषित वित्तीय सहायता के पैकेज के संबंध में ब्यौरे निम्नोक्त प्रकार हैं :—

(i) 150 **करोड़ रु० की पटसन आधुनिकीकरण निधि**—यह योजना अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों जैसे आई० एफ० सी० आई० और आई० आर० बी० आई० द्वारा कार्यान्वित की जाएगी । यह योजना 1 नवम्बर, 1986 से लागू हुई है । अब तक आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत ऋण की मंजूरी के लिए आई० एफ० सी० आई०/आई० आर० बी० आई० द्वारा पटसन मिलों से 13 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। प्रगति की समीक्षा करने के लिए एक मानिटरिंग समिति का गठन किया गया है ।

(ii) 100 **करोड़ रु० की पटसन विशेष विकास निधि**—इस निधि के अन्तर्गत विस्तृत योजनाएं मंत्रालय द्वारा स्थापित किए गए चार विभिन्न कार्य समूहों द्वारा बनाई गई है । इस योजनाओं का संबंध कच्चे पटसन के कृषि उत्पादक, भारतीय पटसन निगम तथा उसकी राज्य स्तरीय सहकारी

अधिप्राप्ति अभिकरणों को सहायता, औद्योगिक कामगारों के लाभ की योजनाओं तथा आर० एण्ड डी० योजनाओं से है। इस राशि को वस्त्र मंत्रालय के नियंत्रण में सरकारी जमा निधि खाते में भी जमा किया गया है। इन योजनाओं को क्लीयर करने तथा आवश्यक स्वीकृति आदेश जारी करने के प्रयोजन के लिए ई० एफ० सी० प्रस्तावों पर कार्यवाही की जा रही है।

(iii) **अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के लिए पटसन पैकेजिंग सामग्री का अनिवार्य प्रयोग**—पटसन पैकेजिंग सामीप (वस्तुओं की पैकिंग में अनिवार्य प्रयोग) बिल, 1987 मौजूदा सत्र के दौरान राज्य सभा द्वारा पहले ही पारित किया जा चुका है और अब यह विचार तथा अनुमोदन किए जाने के लिए लोक सभा के समक्ष है।

(iv) **अभिज्ञात मशीनों का शुल्क मुक्त आयात**—राजस्व विभाग ने आवश्यक अधिसूचना पहले ही जारी कर दी है।

अरण्डी के तेल का निर्यात

7873. **श्री बृजमोहन महन्ती** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अरण्डी के तेल के निर्यात में वर्ष 1984-85 के बाद वर्षानुवर्ष कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो गिरावट के कारणों सहित इसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कांडला मुक्त व्यापार क्षेत्र की कुछ यूनिट अरण्डी के बीजों का निर्यात करने के लिए चीन से इसका आयात कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) जी, हां।

(ख) 1984-85 के बाद अरण्डी के तेल के अनुमानित निर्यात आंकड़े निम्नलिखित अनुसार हैं:—

(रु०/करोड़)

	1984-85	1985-86	1986-87 (अप्रैल 86 से फरवरी 87 तक)
औषधीय अरण्डी का तेल डिहाइड्रेटेड	88·74	54·41	28.68
अरण्डी का तेल	0·75	0·93	0·42
योग :	89.59	55·34	29·10

(स्रोत : आधारभूत रसायन, भेषजीय तथा प्रसाधन सामग्री निर्यात संवर्धन परिषद, बम्बई।) निर्यातों में कमी के मुख्य कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्राजील से कड़ी प्रतिस्पर्धा, उत्पादन की ऊंची लागत तथा बढ़ती हुई घरेलू मांग है।

(ग) जी, हां।

(घ) सरकार ने अरण्डी के बीज के आयात की अनुमति देने के लिए अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है।

अमरीका की उत्पाद उत्तरदायित्व बीमा योजना

7874. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीकी प्रशासन ने एक उत्पाद उत्तरदायित्व बीमा योजना शुरू की है जिसके अनुसार भारतीय कम्पनियों को प्रति टायर 8 डालर देने पड़ेंगे, जबकि पहले यह दर केवल 20 सेंटें थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रकार की भेदभावपूर्ण कार्यवाही यूनियन कारबाइड के मामले में भारत में सरकार के दावों के बदले में की गई है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले को अमरीकी प्रशासन के साथ उठाया है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) विनिर्माता देश की ओर ध्यान दिए बिना अमरीकी प्रशासन ने सं० रा० अमरीका में विक्रय किए गए टायरों सहित कतिपय उत्पादों पर उत्पाद दायित्व बीमा प्रारम्भ किया है, जिसके परिणामस्वरूप प्रीमियम दरों में वृद्धि हुई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) तथा (घ) चूंकि नीति देश विशिष्ट की नहीं है, अतः मामले को अमरीकी प्रशासन के साथ उठाने का प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

रेशम कीट पालन विशेषज्ञों के दल को संयुक्त अरब अमीरात भेजा जाना

7876. **श्री बदन बण्डे** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेशम कीट पालन विशेषज्ञों के एक दल को संयुक्त अरब अमीरात भेजा जा रहा है अथवा भेजने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस दौरे का प्रयोजन क्या है और क्या इस दल को वहां संयुक्त अरब अमीरात के निमंत्रण पर भेजा जा रहा है ?

वस्त्र मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

वस्त्र नीति को किसानों और उपभोक्ताओं के हित में पुनरीक्षा करना

7877. **श्रीमती एन० पी० झांसी लक्ष्मी** :

श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 6 जून, 1985 को घोषित वस्त्र नीति से किसानों और उपभोक्ताओं के हितों को नुकसान पहुंचा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इस नीति पर पुनर्विचार करने का प्रस्ताव है ?

वस्त्र मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एम० कृष्ण कुमार) : (क) जी, नहीं ।

(ख) वस्त्र उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों पर नीति के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए सरकार द्वारा वस्त्र नीति की समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

[हिन्दी]

राजस्थान में सैनिक अभ्यास के परिणामस्वरूप हुए नुकसान के लिए मुआवजा

7878. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में सैनिक अभ्यास के दौरान भारी वाहनों के इस्तेमाल के परिणामस्वरूप हुई क्षतियों और सरकार द्वारा दिए गए मुआवजे का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्षति का मूल्यांकन करने के लिए क्या मानदण्ड हैं; और

(ग) क्या इस संबंध में राज्य के अधिकारियों और जन-प्रतिनिधियों की राय नहीं ली गई थी ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) सरकार के पास मिलिटरी अभ्यास के दौरान भारी वाहनों द्वारा की गई क्षति के बारे में कोई सूचना नहीं है। मिलिटरी अभ्यास के दौरान, यदि कोई क्षति होती है तो उसके मूल्यांकन और देय मुआवजे का फैसला संबंधित सेना यूनिट द्वारा स्थानीय रूप से किया जाता है ।

(ख) और (ग) क्षति का मूल्यांकन प्रभावित व्यक्ति की उपस्थिति में संयुक्त रूप से किया जाता है । इसमें सेना, स्थानीय सिविल अधिकारी और संबंधित गांव पंचायत का एक-एक प्रतिनिधि होता है । क्षति के बारे में आपसी सहमति से मूल्यांकन के आधार पर, स्थानीय सिविल अधिकारी के प्रतिनिधि की उपस्थिति में प्रभावित व्यक्ति को मुआवजा दिया जाता है ।

[अनुवाद]

इटली और जापान को ग्रेनाइट का निर्यात

7879. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इटली और जापान को ग्रेनाइट के निर्यात में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इन देशों को वर्ष 1980, 1982 और 1985 में ग्रेनाइट का कितना-कितना निर्यात किया गया; और

(ग) निर्यात घटने के क्या कारण हैं और ग्रेनाइट का निर्यात बढ़ाने के लिए कौन से कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दासमुंशी) : (क) तथा (ख) 1980 की अपेक्षा 1982 में मामूली गिरावट को छोड़कर, भारत से इटली तथा जापान को ग्रेनाइट के निर्यात बढ़े

हैं। 1980, 1982 तथा 1985 में निर्यात निम्नोक्त प्रकार रहे हैं :—

(मूल्य : मिलियन अमरीकी डालर)

देश	1980	1982	1985
इटली	8.14	6.34	14.60
जापान	24.05	20.82	28.71

(ग) ग्रेनाइट के निर्यातों को बढ़ाने के लिए उठाए जा रहे कदमों में शामिल हैं :—जापान में सम्पर्क संवर्धन कार्यक्रम, व्यापार विकास प्राधिकरण (टी०डी०ए०) द्वारा 1987-88 में इटली में मारबल इन्टरनेशनल शो में प्रस्तावित भागेदारी तथा यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों में ग्रेनाइट के बेहतर प्रवेश के लिए यूरोपीय आर्थिक समुदाय आयोग से किया गया अनुरोध।

मेवों और मसालों का आयात

7880. **श्री शांताराम नायक** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष किन-किन और कितने मूल्य के मेवों और मसालों का आयात किया गया;

(ख) वर्ष 1986-87 के दौरान विभिन्न प्रकार के मेवे आयात करने के लिए कितने परमिट और लाइसेंस जारी किए गए और वे कितनी मात्रा में और कितने मूल्य के मेवों के आयात के लिए थे;

(ग) क्या इनका आयात किसी सरकारी एजेंसी के माध्यम से किया जाता है अथवा इसके लिए कोई अन्य व्यवस्था है; और

(घ) इनके आयात पर विदेशी मुद्रा के व्यय को सीमित करने के लिए सरकार का कौन से कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) लवंग, दालचीनी/तेजपात का आयात, एस०टी०सी० के जरिए तथा जायफल/मैक का आयात, नेफेड के जरिए सरणीबद्ध है। आयात नीति की समीक्षा एक निरंतर चलते रहने वाली प्रक्रिया है तथा जब कभी भी उचित स्थिति होती है आवश्यक सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं।

विवरण

(i) किशमिश, सुलतान जैसे सूखे मेवों तथा अन्य शुष्कित अंगूर, अंजीर, बादाम, पिस्ता गिरी, अखरोट और मसालों के आयात के ब्यौरे निम्नोक्त अनुसार हैं :—

वर्ष	मूल्य (करोड़ रु० में) (सूखे मेवे)	मूल्य (करोड़ रु० में) (मसाले)
1982-83	12.57	27.82
1983-84	22.11	41.09
1984-85	20.73	29.91

(मार्च, 1985 के बाद के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं)

(ii) खजूरों और काजू गिरियों को छोड़कर सूखे मेवों के आयात के लिए जारी किए गए आयात लाइसेंसों की संख्या और मूल्य :—

वर्ष	लाइसेंसों की संख्या	मूल्य (करोड़ रु० में)
1984-85	6802	22.00
1985-86	7872	15.11
1986-87 (दिसम्बर 86 तक)	8454	16.20

लुगदी की सप्लाई न होने के कारण रेमन फिलामेंट निर्माताओं को मिलों के बन्द होने का खतरा

7881. **श्री जी० एस० बसवराजू :**

श्री एस० एम० गुरड्डी :

श्री एच० एन० नन्जे गौडा :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लुगदी की सप्लाई के संकट को देखते हुए रेमन फिलामेंट के कुछ प्रमुख निर्माताओं को अपनी मिलें बन्द होने के खतरे का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो लुगदी की कमी के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) हालांकि सरकार को विस्कोस फिलेमेंट यार्न के उत्पादकों द्वारा रेयन ग्रेड वुड पल्प के अधिक उदार आयात के सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, परन्तु उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि 1985 की तुलना में 1986 और 1987 (पहले दो महीनों) में वुड पल्प की कुल उपलब्धता और खपत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। लागू नीति के अनुसार घरेलू वुड पल्प की उपलब्धता, समय-समय पर आयातों से पूरी की जाती है।

विदेशियों का निर्धारित अवधि से अधिक समय तक ठहरना

7882. **श्री सी० जंगा रेड्डी** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विदेशियों की राज्यवार संख्या कितनी है जो अपने वीसा शर्तों की समाप्ति के बाद भी अपने देश को वापस नहीं गए हैं और वे किन-किन देशों के मूल निवासी हैं;

(ख) ऐसे गैर कानूनी अप्रवासियों की संख्या कितनी है जिन्हें गत एक वर्ष के दौरान वापस अपने देश भेजा गया; और

(ग) प्रत्येक राज्य में ऐसे शेष विदेशियों को अपने देश वापस न भेजने के क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (ग) जब भी कोई विदेशी वैध वीसा की अवधि समाप्त होने के

बाद अनधिकृत रूप से भारत में रहता हुआ पाया जाता है तो राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों, जिन्हें इस बारे में शक्तियां प्रदत्त की गई हैं द्वारा कानून के तहत कार्यवाही की जाती है। इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार द्वारा कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

पश्चिम बंगाल में पर्यटक स्थान

7883. **डा० फूल रेणु गुहा** : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में पर्यटक स्थानों तथा पर्यटक बंगलों का विकास करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1987-88 में इस योजना पर कितनी धनराशि व्यय करने का विचार है; और

(घ) क्या राज्य सरकार को कुछ धनराशि का आबंटन किया जा चुका है और यदि हां, तो अब तक कितनी धनराधि आबंटित की गई है ?

पर्यटन मंत्री (मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) से (घ) केन्द्रीय पर्यटम मंत्रालय पर्यटक-स्थलों तथा पर्यटक-गृहों सहित परियोजनाओं के लिए निधियों का आबंटन राज्यवार नहीं करता बल्कि स्कीमवार करता है। राज्य सरकारों से प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों के आधार पर निधियों की उपलब्धता तथा परस्पर प्राथमिकताओं पर निर्भर रहते हुए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

राजधानी में अस्वाभाविक मौतें

7884. **श्री आर० एम० भोये** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजधानी में 1-1-1987 से 30-3-1987 की अवधि के दौरान हुई अस्वाभाविक मौतों की संख्या कितनी है;

(ख) राजधानी में 1986 के दौरान हुई अस्वाभाविक मौतों की संख्या कितनी थी; और

(ग) वर्ष 1986 में हुई अस्वाभाविक मौतों के औसत की तुलना में चालू वर्ष के दौरान अस्वाभाविक मौतों की संख्या में वृद्धि होने के कौन से कारण हैं ?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) 1051।

(ख) 4446।

(ग) 1986 की इसी अवधि जिसमें 1100 अस्वाभाविक मौतों की सूचना दी गई थी, की तुलना में, पहली जनवरी, से 31 मार्च, 1987 तक की अवधि के दौरान कोई वृद्धि नहीं हुई है।

तमिलनाडु में पर्यटन

7885. **श्री ए० सी० षण्मुखम** : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का वर्ष 1987-88 के दौरान तमिलनाडु में पर्यटन स्थलों का विकास करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए दी जाने वाली सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन मंत्री (मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय का 1987-88 के दौरान राज्य सरकार द्वारा भिजवाए गए प्रस्तावों के आधार पर तमिलनाडु को वित्तीय व्यवहार्यता तथा निधियों की उपलब्धता पर निर्भर रहते हुए वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है।

(ग) पर्यटन मंत्रालय स्वदेशी तथा विदेशी दोनों प्रकार के पर्यटकों के लिए पर्यटन आधार संरचना को सुदृढ़ बनाने के लिए निधियां प्रदान करता है।

ऐसे क्षेत्र जिनमें राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों द्वारा अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता

7886. **श्री प्रकाश वी० पाटिल** : क्या **विदेशी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में भारतीय विदेशी मिशनों के अधिकारियों से पत्र द्वारा उन क्षेत्रों का जिक्र किया गया है जिनमें उन्हें राष्ट्रीय उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अधिक सावधानी और सूझ-बूझ का परिचय देना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो किन-किन मुद्दों पर जोर दिया गया है;

(ग) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कोई आवधिक आकलन की व्यवस्था है कि इन निदेशों का पालन हो रहा है अथवा नहीं और यदि अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं तो उनमें समुचित संशोधन किया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्ध ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलोरो) : (क) से (घ) विदेशी मंत्रालय निदेश नीति से सम्बद्ध सभी महत्वपूर्ण मसलों के सम्बन्ध में विदेश स्थिति भारतीय मिशनों के साथ बराबर सम्पर्क रखता है। मंत्रालय मिशनों को नीति सम्बन्धी अद्यतन निदेशों से अवगत रखता है, इन निदेशों के परिप्रेक्ष्य में उनके कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन करता है और जहां कहीं आवश्यक हो वहां सुधार करने के लिए आवश्यक मार्ग निदेश जारी करता है।

[हिन्दी]

टूरिस्ट गाइडों को मान्यता

7887. **श्री संतोष कुमार सिंह** : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्षेत्रीय निदेशक (पर्यटन) ने विदेशी पर्यटकों और सरकारी अतिथियों की सहायता और उनका मार्ग दर्शन करने के लिए नियुक्त कुछ टूरिस्ट गाइडों को मान्यता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो क्या भविष्य में, उन्हें नियमित करने और उनके हितों आदि की रक्षा करने के लिए कोई प्रबन्ध किए गए हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को उनके कर्त्तव्यों के बारे में और इन टूरिस्ट गाइडों के हितों की रक्षा करने के लिए कोई निदेश/अनुदेश जारी किए जाने की संभावना है ?

पर्यटन मंत्री (मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार द्वारा पर्यटक गाइडों को प्रशिक्षित करने के लिए तैयार की गई स्कीम के अनुसार, पर्यटन गाइडों द्वारा सफलतापूर्वक अपना प्रशिक्षण पूरा कर लेने पर उन्हें अपने-अपने क्षेत्रों में कार्य करने के लिए लाइसेंस दिए जाते हैं । ये गाइड स्वतन्त्र रूप से काम करते हैं और सरकारी अतिथियों सहित विदेशी तथा स्वदेशी पर्यटकों का मार्गदर्शन करते हैं।

(ग) गाइडों के प्रशिक्षण आदि से सम्बन्धित दिशा-निर्देश, जिनमें हाल ही में संशोधन किया गया था और जिनमें उनका आचरण तथा कार्य का निष्पादन शामिल है, राज्य सरकारों को भेजे गए हैं । गाइडों की फीस की दरों में वृद्धि करके उनके हितों की रक्षा की गई है । इसके अलावा, पर्यटन विभाग के कुछ कार्यालय गाइडों के रोस्टर रजिस्टर रखते हैं ताकि सभी को गाइड सम्बन्धी कार्य करने से लिए समान अवसर सुनिश्चित किए जा सकें ।

[अनुवाद]

सिले सिलाए कपड़ों के लिए नकद प्रतिपूर्ति सहायता

7888. **श्री राधाकांत डिगाल** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी प्रकार के सिले सिलाए कपड़ों के लिए नकद प्रतिपूर्ति सहायता नहीं दी जा रही है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या-क्या कारण हैं; और

(ग) नगद प्रतिपूर्ति सहायता के लिए उपयुक्त पाए गए सिले सिलाए कपड़ों की सूची क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) कुछ तेजी से बिकने वाले सूती परिधानों जैसे कि शर्टों, ब्लाउजों, स्कर्टों, जैकटों के अलावा जोकि अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में बिना किसी ऐसी सहायता के प्रतिस्पर्द्धा कर सकते हैं, सभी प्रकार के परिधानों पर नकद मुआवजा सहायता दी जाती है ।

उत्तर प्रदेश में हमीरपुर में राष्ट्रीय कपड़ा निगम का शोरूम

7889. **श्री स्वामी प्रसाद सिंह** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा देश में शोरूम खोलने के मानदंड क्या हैं;

(ख) वर्ष 1985-86 और 1986-87 के दौरान उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में कितने शोरूम खोले गए;

(ग) क्या सरकार का हमीरपुर में कोई शोरूम खोलने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो कब ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) किसी भी स्थान पर शोरूमों के खोले जाने का निर्णय एन० टी० सी० द्वारा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन के बाद लिया जाता है।

(ख) एन० टी० सी० द्वारा दो शोरूम 1985-86 तथा 1986-87 के दौरान क्रमश: उत्तर प्रदेश के अलमोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों में खोले गए।

(ग) तथा (घ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव एन० टी० सी० के विचाराधीन नहीं है।

सी० डी० ए० (पेंशन), इलाहाबाद द्वारा पेंशन के दावों का निपटान

7890. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि रक्षा लेखा (पेंशन), नियंत्रक का कार्यालय, इलाहाबाद न केवल सेवारत रक्षा कर्मचारियों के पेंशन के दावों को बल्कि उनकी विधवाओं के पेंशन सम्बन्धी दावों की जांचों में असाधारण रूप से अधिक समय लगाता है, इस विलम्ब के परिणामस्वरूप इन्हें काफी परेशानी होती है;

(ख) क्या जीवित तथा मृत रक्षा कर्मचारियों के लम्बित पेंशन सम्बन्धी मामलों पर निगरानी रखने तथा निपटान की जांच के लिए इस कार्यालय में कोई व्यवस्था है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का उक्त कार्यालय में पेंशन भुगतान प्रणाली को सरल और कारगर बनाने तथा लम्बित पड़े पेंशन सम्बन्धी मामलों को निपटाने और विलम्ब के लिए जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) सेवानिवृत्त होने वाले रक्षा कार्मिकों और सिविलियनों के पेंशन संबंधी दावे नियन्त्रक, रक्षा लेखा (पेंशन), इलाहाबाद द्वारा मंजूर किए जाते हैं। इसमें कोई असाधारण विलम्ब नहीं होता है। बड़ी संख्या में प्राप्त होने वाले पेंशन संशोधन संबंधी दावों, निशक्तता और परिवार पेंशन दावों के निपटान में कर्मचारियों द्वारा सेवानिवृत्ति-अधिसूचनाओं से सम्बन्धित कार्य में पहले से व्यस्त रहने तथा निशक्तता और परिवार पेंशन दावों में कार्रवाई के लिए अपेक्षितपूर्ण कागजात न मिलने के कारण कभी-कभी विलम्ब हो जाता है।

(ग) पेंशन दावों पर रिपोर्टों, विवरणियों, समीक्षा तथा नियन्त्रक, रक्षा लेखा (पेंशन) और रक्षा मंत्रालय के निरीक्षण के जरिए पूरी निगरानी रखी जाती है।

(ग) सरकार ने पेंशन भुगतान प्रक्रिया को सरल और सुचारु बनाने के लिए पहले से ही कई कदम उठाए हैं, जैसे-संयुक्त अधिसूचना, वायुसेना और नौसेना के अफसरों तथा कार्मिकों की पेंशन मंजूरी तथा अन्य रैंकों और रक्षा सिविलियनों की सेवा-जांच से संबंधित कार्य का विकेन्द्रीकरण तथा अफसर रैंक से नीचे के कार्मिकों की पेंशन मंजूरी का कम्प्यूट्रीकरण/रक्षा सिविलियनों और कमीशन प्राप्त अफसरों की पेंशन-मंजूरी का भी कम्प्यूट्रीकरण किया जा रहा है। परिहार्य विलम्ब के मामलों में विलम्ब होने पर जिम्मेदारी निर्धारित की जाती है।

खनिज और धातु व्यापार निगम में भर्ती

7891. डा० वी वेंकटेश : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज और धातु व्यापार निगम में विभिन्न संवर्गों में कार्मिकों की सीधी भर्ती में अनियमितताएं बरती जाने के आरोप हैं;

(ख) 1 अक्टूबर, 1983 से 30 मार्च, 1987 तक संवर्ग-वार और ग्रुपवार सीधी भर्ती द्वारा कितने पद भरे गए;

(ग) रोजगार कार्यालयों, समाचार पत्रों में विज्ञापनों और प्रबन्ध संस्थाओं के माध्यम से कितनी भर्ती की गई है; और

(घ) प्रत्येक संवर्ग/ग्रुप में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से लोगों की भर्ती के बारे में पिछला बकाया कितना है और उन्हें साथ-साथ न भरे जाने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) 1 अक्टूबर, 1983 से 31 मार्च, 1987 तक सीधी भर्ती द्वारा भरे गए प्रबंधकीय संवर्ग के पदों की संख्या, रोजगार कार्यालय, अखबार में विज्ञापनों, प्रबन्ध संस्थाओं तथा अन्य साधनों से लिए गए प्रबन्धकों की संवर्गवार तथा समूह वार संख्या और प्रत्येक संवर्ग/समूह में अनु० जा०/अनु० ज० जाति के पिछले न भरे गये पदों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है । पिछले न भरे गए पदों के साथ-साथ न भरे जाने का कारण मुख्यत: अ० जा०/अ०ज० जाति के उपयुक्त अभ्यार्थियों का उपलब्ध न होना था ।

स्टाफ के संवर्ग के संबंध में जानकारी एकत्र की जा रही है ।

क्र० सं०	पद नाम	विवरण: 1-10-1983 से 31-3-1987 तक सीधी भर्ती द्वारा भरे गए पदों की संख्या			भर्ती का स्रोत			भर्ती में बैकलाग		
		सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	प्रोन्नति	विज्ञापन के माध्यम से	कैम्पस के माध्यम से	सरकारी क्षेत्र तथा अन्यों	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित जन जातियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	महाप्रबन्धक	1	—	—	1	—	—	1	1	—
2.	प्रभागीय प्रबन्धक	6	—	—	6*	3	—	3	1	1
3.	संयुक्त प्रभागीय प्रबन्धक	8	—	—	8	4	—	4	2	—
4.	उप प्रभागीय प्रबन्धक	6	1	—	7	7	—	—	1	—
5.	सहायक प्रभागीय प्रबन्धक	50	8	1	59	23	28	8	3	5
6.	सहायक लेखा प्रबन्धक	26	—	—	25	26	—	—	4	3
7.	सहायक प्रबन्ध (विधायी)	6	—	—	6	6	—	—	—	—
8.	वरिष्ठ एसार्टर	5	—	—	5	5	—	—	—	—
	योग :	108	9	1	118	74	28	16	12	9

* एच० एम० टी० से प्रतिनियुक्ति पर लिए गए एक को छोड़कर।

साइकलों का निर्यात

7892. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इंजीनियरी क्षेत्र में विशिष्ट वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने की नीति के अनुसार साइकलों और साइकलों के पुर्जों, औद्योगिक फोर्जिंग और ढलाई कार्य के निर्यात को बढ़ाने के लिए उपायों की एक श्रृंखला की घोषणा की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) जी हां।

(ख) सरकार ने इंजीनियरी उत्पादों के निर्यात बढ़ाने के लिए तैयार किए गए उपायों के एक पैकेज की घोषणा की है। अन्य बातों के साथ-साथ इन निर्णयों में शामिल है, लाइसेंस प्रक्रियाओं को उदार बनाना, बड़े सदनों को लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित मदों का उत्पादन करने की अनुमति देना बशर्ते कि उत्पादन का 60 प्रतिशत निर्यात किया जाए तथा एकक पिछले क्षेत्र में स्थित हों, अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों पर कतिपय घरेलू कच्चे माल की सप्लाई करना, आयातित कच्चे माल तथा उपभोग्य वस्तुओं की अधिक आसानी से प्राप्ती, पूंजीगत उपस्कर का शुल्कों की "जीरो" या कम दर पर आयात, लदान पूर्व और पश्चात ऋण की दरों में कमी, थ्रस्ट उद्योगों के लिए अधिक उदार-ऋण इक्विटी औसत, निर्यातकों को अभिज्ञात निर्यात संवर्धन क्रिया-कलापों के लिए अपनी निवल विदेशी मुद्रा आय के 5-10 प्रतिशत का इस्तेमाल करने की अनुमति देना आदि। ये निर्णय साइकल और साइकल संघटकों और औद्योगिक कास्टिंग्स तथा फोर्जिंग्स पर भी लागू होते हैं।

इसके अतिरिक्त इन उद्योगों के लिए विशिष्ट निर्णय लिए गए हैं। कास्टिंग्स और फोर्जिंग्स के संबंध में अन्य बातों के साथ-साथ इन निर्णयों में शामिल हैं, कास्टिंग्स और फोर्जिंग्स के लिए नकद मुआवजा सहायता में वृद्धि करना, प्राथमिकता के आधार पर उद्योग के लिए निवेश-उत्पादन मानदण्डों में संशोधन करना, अन्तर्राष्ट्रीय कीमत प्रतिपूर्ति योजना के अन्तर्गत हैवी मेल्टिंग स्क्रेप सहित सभी प्रकार के इस्पात को शामिल करना तथा इस क्षेत्र में नयी क्षमताएं स्थापित करने के लिए प्रयास करना, साइकल और साइकल संघटक उद्योग के संबंध में अन्य बातों के साथ लिए गए निर्णयों में शामिल हैं प्रौद्योगिकी के आयात संबंधी निषेधक सूची में साइकल उद्योग को निकालना अलग-अलग मामले की क्लीयरेंस के बिना पिछले वर्ष के निर्यातों के 0·25 प्रातशत मूल्य के निर्यात नमूनों की अनुमति देना तथा दोषपूर्ण सप्लांइयों को बदलना आदि।

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल सीमा सुरक्षा और बल में काम करने वाले कर्मचारियों का उनके गृह राज्यों के निकट के स्थानों में स्थानान्तरण

7893. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **गृह मंत्री** केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल और सीमा सुरक्षा बल में कार्यरत कर्मचारियों का उनके गृह राज्यों से दूर दराज के स्थानों में स्थानान्तरण के बारे में 18 अप्रैल, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8033 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल और सीमा सुरक्षा बल में कार्यरत कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों से उन्हें उनके गृह/पड़ौसी राज्यों में नियुक्त करने के बारे में पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या प्रत्येक वर्ष के प्रारम्भ में ऐसी कोई प्रतीक्षा सूची तैयार की जाती है कि आवेदकों की रुचि के राज्यों में यूनिटों में कोई रिक्तियां हैं या नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य के लिए उपर्युक्त अर्द्ध-सैनिक बलों में से प्रत्येक के लिए प्रतीक्षा सूची में कितने लोग हैं और कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को वहां स्थानान्तरित करने हेतु कौन सी कार्यवाही की गई है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) तथा (ग) जी नहीं, श्रीमान्। लेकिन प्रत्येक उम्मीदवार के मूल क्षेत्र/राज्य में उसके स्थानान्तरण की पात्रता पर गुणावगुण तथा तैनाती के क्षेत्र की आवश्यकताओं के आधार पर विचार किया जाता है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त हुए आवेदनों और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल और सीमा सुरक्षा बल में किए गए स्थानान्तरणों का विवरण।

संगठन का नाम	प्राप्त हुए आवेदनों की संख्या	उन कार्मिकों की सं० जिनका उनके मूल क्षेत्र/राज्य में स्थानान्तरण किया गया
के०औ०सु०ब०	2061	138
के०रि०पु०बल	2051	1781
सी०सु०ब०	64	44

भारतीय यात्री आवास विकास समिति को राज सहायता

7894. **डा० बी०एल० शैलेश** : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक पर्यटन स्थलों, वन्य जीवन पर्यटन, अनुपूरक आवास तथा पर्यटन परिवहन के विकास पर किए जाने वाले व्यय की राशि की पूर्ति के लिए इस वर्ष के बजट में कोई प्रावधान किया गया है;

(ख) यदि हां, तो चुने गए स्थानों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश में धार्मिक और तीर्थ स्थलों पर कोई धर्मशालाएं, सराय आदि के निर्माण के लिए भारतीय यात्री आवास विकास समिति को इस वर्ष कोई राज सहायता दिए जाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो कितनी और इस प्रयोजन के लिए किन-किन स्थानों को चुना गया है ?

पर्यटन मंत्री (मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) जी, हां।

(ख) गढ़वाल तथा कुमाऊं क्षेत्र में आवास सुविधाएं तथा उत्तर प्रदेश में बौद्ध सैक्टर के तीन स्थानों यथा फरैन्दा, देवरिया तथा घागरा घाट पर मार्गस्थ सुविधाएं मुहैया कराने पर विचार किया जा रहा है। दुधवा और धनगढ़ी (कारबेट) में वन-गृह का निर्माण करने के प्रस्तावों की जांच की जा

रही है। कुमाऊं तथा गढ़वाल क्षेत्र में प्रयोग होने वाले पैदल-भ्रमण उपकरण के लिए निधियों की व्यवस्था करने सम्बन्धी मामलों पर कार्रवाई की जा रही है।

इस उद्देश्य के लिए इससे पूर्व रिलीज की गई निधियों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर इलाहबाद में एक यात्री निवास के निर्माण हेतु तथा कारबेट, बुधना और चिल्हा के वन्य-जीव अभ्यारण्यों में परिवहन सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए निधियों की अगली किस्त रिलीज की जाएगी।

(ग) जी, हां।

(घ) भूमि की उपलब्धता और अन्य आवश्यक सुविधाओं पर निर्भर रहते हुए वृन्दावन, कम्पिल और नन्दमेहर में पहले से चली आ रही परियोजनाओं के लिए तथा नैमिशारण्य, ऋषिकेश, केदारनाथ, गंगोत्री, जोशीमठ एवं वाराणसी में नई परियोजनाओं के लिए इमदाद दी जाएगी।

शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षण को सौंपी गई सम्पत्तियां

7895. **डा० बी०एल० शेलेश** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शत्रु संम्पत्ति अभिरक्षकों को जिन सम्पत्तियो को प्रबन्ध और अभिरक्षण के लिए सौंपा गया है, वे कितनी हैं और उनका अनुमानित मूल्य कितना है;

(ख) शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक के कार्यालय के विचाराधीन ऐसे भारतीय राष्ट्रिकों के दावों की संख्या और अनुमानित लागत कितनी है जो पाकिस्तान और बंगलादेश में अपनी सम्पत्तियां छोड़ आए हैं; और

(ग) इन दावों के निपटान में कितना समय लगने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षण को सौंपी गई अचल सम्पत्तियों का राज्यवार संलग्न विवरण में दिया गया है। अन्य आस्तियों जैसे कि शेयर आदि भी जिनका अंकित मूल्य लगभग 1756 लाख रु० हैं, शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक के पास है।

(ख) तथा (ग) 53549 फाइल किए गए मुआवजा दावों सम्बन्धी मामलों में 13800 मामले निपटान में लम्बित हैं। इन दावों के मूल्य को प्रोसेसिंग के समय पता लगेगा। ऐसी उम्मीद है कि लम्बित दावे लगभग 3 साल की अवधि में निपटा लिए जाएंगे।

विवरण

अचल सम्पत्तियों के राज्य-वार ब्यौरे

क्रम सं०	राज्य का नाम	सम्पत्तियों की संख्या	लगभग मूल्य (लाख में)
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	7	2.00
2.	असम	4	.40
3.	अण्डमान	1	.10

1 2	3	4
4. बिहार	5	5.00
5. दिल्ली	8	6.00
6. गुजरात	9	15.00
7. गोआ	5	1.00
8. कर्नाटक	15	5.00
9. केरल	4	1.00
10. महाराष्ट्र	16	30.00
11. मध्य प्रदेश	1	1.00
12. राजस्थान	7	.50
13. तमिलनाडु	6	8.00
14. उत्तर प्रदेश	300	260.00
15. पश्चिम बंगाल	294	230.00
जोड़ :	682	565.00

कम्प्यूटर द्वारा 1981 की जनगणना

7896. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981 की जनगणना के आंकड़ों के कम्प्यूटरीकरण करने, जन संख्या आंकड़ों का मूल्यांकन करने, उनका कार्टोग्राफिक विश्लेषण और चित्रण करने की दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्यक्रम बनाया गया है कि आगामी दसवर्षीय जनगणना के लिए प्रारम्भिक कार्य शुरू करने से पूर्व यह कार्य पूरा हो जाएगा; और

(ग) इस प्रारम्भिक कार्य को कब से शुरू किए जाने की संभावना है और दूसरे दशक की जनगणना कब शुरू की जाएगी ?

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) और (ख) मकान सूची, व्यक्तिगत पर्चियों का 5 प्रतिशत अग्रिम सारणीकरण एक करोड़ अथवा उससे अधिक जनसंख्या वाले राज्यों के सम्बन्ध में व्यक्तिगत पर्चियों का 20 प्रतिशत क्षेत्रीय सैम्पल और अन्य राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के सम्बन्ध में व्यक्तिगत पर्चियों का शतप्रतिशत सारणीकरण और प्राथमिक जनगणनासार तथा ग्राम निदेशिका से सम्बन्धित 1981 की जनगणना आंकड़ों का कम्प्यूटरीकरण पूरा कर लिए गया है। एक करोड़ अथवा उससे अधिक जनसंख्या वाले राज्यों के सम्बन्ध में व्यक्तिगत पर्चियों के 20 प्रतिशत क्षेत्रीय सैम्पल और अन्य राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के सम्बन्ध में शतप्रतिशत व्यक्तिगत पर्चियों से अखिल भारतीय सारणियां बनाई जा रही हैं। अ०जा० तथा अ०ज०जा० की शतप्रतिशत व्यक्तिगत पर्चियों को प्रक्रियागत किया जा रहा है। परिवार अनुसूचियों पर आधारित सारणियों का राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के लिए कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है और यह भारत के सम्बन्ध में पूरा होने वाला है। व्यक्तिगत पर्चियों के 20 प्रतिशत सैम्पल के सम्बन्ध में आकड़ों की प्रविष्टि की जा रही हैं।

जहां तक जनगणना आंकड़ों के मूल्यांकन का सम्बन्ध है, 1981 की जनगणना के शीघ्र बाद पद्य गणना की जांच की गई थी और इसकी रिपोर्ट "भारत की जनगणना 1981, श्रृंखला-1-भारत, 1982 का पेपर 4, पद्य गणना की जांच सम्बन्धी रिपोर्ट" खण्ड में प्रकाशित की जा चुकी है। 1981 की जनगणना के शीघ्र बाद एक जनगणना मूल्यांकन अध्ययन भी किया गया था और इसकी रिपोर्ट "भारत की जनगणना 1981, श्रृंखला-1-भारत, 1983 का पेपर-1, जनगणना मूल्यांकन अध्ययन" खण्ड में प्रकाशित की जा चुकी है।

जिला जनगणना हस्त पुस्तिका मानचित्र, शहरी भूमि उपयोग मानचित्र और मानक शहरी क्षेत्र मानचित्र से सम्बन्धित 1981 की जनगणना का कार्टोग्राफिक कार्य पूरा हो गया है। राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के संबंध में जनगणना मानचित्रावलियों से संबंधित कार्य संबंधित जनगणना निदेशालयों में उपलब्ध जनगणना आंकड़ों के अनुसार किया जा रहा है और तदनुसार जून 1987 से सितम्बर, 1988 तक लक्षित तारीख निश्चित की गई हैं। इसका प्रबोधन भी किया जा रहा है ताकि निश्चित किए गए लक्ष्यों के अनुसार कार्य पूरा किया जा सकें। "भारत का क्षेत्रीय विभाजन एक कार्टोग्राफिक विश्लेषण" संबंधी योजना स्कीम सारणियों के अनुसार प्रगति पर है। 1981 की जनगणना के अधिकांश कार्य के अगली जनगणना के प्रारम्भिक कार्य करने तक पूरा होने की संभावना है।

(ग) अगली दसवर्षीय जनगणना का प्रारम्भिक कार्य इस वर्ष के अन्त में अथवा अगले वर्ष के प्रारम्भ में शुरू होने की संभावना है और अगली दस वर्षीय जनगणना 1991 में किए जाने की संभावना है।

गणतंत्र दिवस परेड पर व्यय

7897. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1987 के गणतन्त्र दिवस परेड के आयोजन पर, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किए गए व्यय को छोड़कर कितना व्यय हुआ है;

(ख) परेड के आयोजन संबंधी समिति की रचना क्या है; और

(ग) क्या गणतन्त्र दिवस परेड को विभिन्न राज्यों की राजधानियों में बारी-बारी से आयोजित करने का विचार है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) दिल्ली में गणतन्त्र दिवस परेड से संबंधित प्रबन्ध कई एजेंसियों द्वारा किए जाते हैं जैसे केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय/विभाग, राज्य सरकारें/संघ शासित क्षेत्र के प्रशासन, स्थानीय निकाय तथा ऐजेंसियां। अब तक यह पद्धति रही है कि विभिन्न मदों पर होने वाले व्यय संबंधित एजेंसियां ही वहन करती हैं। विभिन्न एजेंसियों द्वारा किए गए खर्च को परेड से संबंधित किसी एक शीर्ष के अन्तर्गत एकत्रित तथा प्रदर्शित नहीं किया जाता। अतः कुल व्यय कितना हुआ यह बताना संभव नहीं है।

(ख) परेड के लिए आयोजन समिति के रूप में कोई समिति नहीं है। परेड के आम पैटर्न का समन्वय समिति की बैठक में अनुमोदन किया जाता है। इस समिति में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधि होते है। जबकि परेड के सैनिक भाग को तीनों सेनाएं आयोजित करती हैं, झांकियों, लोक नृत्यों तथा स्कूली बच्चों के कार्य का चयन करने के लिए विशेषज्ञों की समितियां गठित की जाती हैं।

(ग) जी, नहीं।

भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड द्वारा चर्क चालन साधन (नेवीगेशनल ऐड) का विकास

7898. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड द्वारा चर्क चालन साधन (नेवीगेशनल ऐड) के लिए तैयार किए गए डिजाइन और विकास का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त चर्क चालन साधन के डिजाइन निर्माण में कोई विदेशी सहयोग प्राप्त किया गया था, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन कम्पनियों/यूनिटों का ब्यौरा क्या है जो भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड से प्रौद्योगिकी/उपक्रमों के मुख्य खरीददार हैं ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन तथा पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड ने निम्नलिखित मार्गनिर्देशन साधनों (नेवीगेशनल ऐडस) का डिजाइन बनाया तथा विकास किया है :—

(i) वी० एच० एफ० ओम्नी रेडियो रेंज इक्यूपमेंट (वी०ओ०आर०)।

(ii) दूरी मापक उपस्कर (डी०एम०ई०)।

(iii) 100 वाट एवं 400 वाट एम०एफ० के रेडियो बीकन।

(ख) उपरोक्त उपस्करों के डिजाइन तथा निर्माण में कोई विदेशी सहयोग नहीं लिया गया है।

(ग) ऊपर (i) और (ii) में बताए गए उपस्करों की प्रौद्योगिकी को मैसर्स गुजरात कम्युनीकेशन एण्ड इलेक्ट्रानिक्स को हस्तांतरित करने के लिए विचार-विमर्श किया जा रहा है। ऊपर (iii) में बताए गए उपस्कर की प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के लिए मैसर्स मेरीना एण्ड कम्युनीकेशन इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड के साथ समझौते के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। बी०ओ०आर०/डी०एम०ई० 100 वाट के उपस्करों को नागर विमानन विभाग को सप्लाई किया गया है। 400 वाट के बीकन भारतीय वायुसेना को सप्लाई किए जा रहे हैं।

सीमा सुरक्षा बल द्वारा तस्करी का माल पकड़ा जाना

7899. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान सीमा सुरक्षा द्वारा तस्करी का माल पकड़े जाने सम्बन्धी वर्षवार और क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्षेत्र	तस्करी के माल के ब्यौरे तथा वर्ष	मूल्य
1	2	3
	1984	
1. जम्मू और कश्मीर	विविध माल	64,652.50
	गोल्ड रिंग्स (4)	950.00

1	2	3
	1985	
	विविध माल	2,110.00
	1986	
	विविध माल	7,44,647.00
	1984	
2. पंजाब	विविध माल	4,31,83,733.50
	सोना (500 तोला 231 ग्राम)	12,41,580.00
	1985	
	विविध माल	2,58,24,628.47
	सोना (32 कि० 100 ग्रा०)	69,39,784.00
	1986	
	विविध माल	12,77,61,975.55
	सोना (84.164 कि०ग्रा०)	1,82,54,107.00
	1984	
3. राजस्थान	विविध माल	94,18,143.85
	1985	
	विविध माल	19,10,36,482.60
	सोना (25 तोला)	6,00,60.00
	1986	
	विविध माल	20,88,12,591.82
	सोना (45 ग्राम)	11,670.00
	1984	
4. गुजरात	विविध माल	1,04,60,525.60
	1985	
	विविध माल	6,46,060.60
	1986	
	विविध माल	1,71,693.00
	सोने के जेवरात (चूड़ियां/चेन/तथा इयर रिंग)	3,500.00
	1984	
5. असम/मेघालय/मणीपुर/ नागालैण्ड	विविध माल	11,06,554.00

1	2	3
	1985	
	विविध माल	30,75,973.00
	1986	
	विविध माल	27,23,086.00
	1984	
6. त्रिपुरा/मिजोरम :	विविध माल	1,01,43,086.00
	1985	
	विविध माल	1,45,15,187.95
	1986	
	विविध माल	1,57,56,291.89
	1984	
7. पश्चिम बंगाल :	विविध माल	1,80,67,919.91
	सोना (20 ग्राम)	3,953.00
	1985	
	विविध माल	2,02,37,914.69
	सोना (506 ग्राम)	1,01,356.32
	1986	
	विविध माल	2,60,61,347.70
	सोना (2 कि० 442 ग्राम)	4,88,572.25

अमरीका द्वारा पाकिस्तान में विमान क्षेत्रों का विकास किया जाना

7900. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस्लामाबाद से आ रही इन खबरों की जानकारी है कि पाकिस्तान में अमरीका द्वारा विकसित किए जा रहे अनेक विमान क्षेत्रों के चालू हो जाने से पाकिस्तानी वायुसेना की प्रचालन गतिशीलता बहुत अधिक बढ़ जाएगी और इससे आगामी वर्षों में इसके विस्तार की गति और तेज हो जाएगी;

(ख) क्या पाकिस्तानी वायुसेना के इस प्रकार के विस्तार से हमारी देश की सुरक्षा के लिए नया खतरा पैदा हो जाएगा; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) सरकार ने पाकिस्तानी प्रेस में उन रिपोर्टों को देखा है जिनमें कहा गया है कि अमरीका पाकिस्तान कई हवाई अड्डों को विकसित कर रहा है।

(ख) और (ग) पाकिस्तान से किसी हवाई खतरे का सामना करने के लिए उपायों की योजना बनाते समय इन हवाई अड्डो के प्रस्तावित विकास को ध्यान में रखा जाएगा ।

उड़ीसा में रबड़ बागान के लिए भूमि

7901. **श्री हरिहर सोरन** :

श्री चिन्तामणि जेना :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में रबड़ बागान के लिए कितनी भूमि उपयुक्त पाई गई है; और

(ख) यह कहां स्थित है और उन क्षेत्रों में रबड़ बागान के संवर्धन के लिए क्या कदम उठाए गए है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) तथा (ख) उड़ीसा में रबड़ बागान के लिए मयूरभंज, बालासोर, पुरी, कटक, ढेंकानाल, गंजम तथा कोरापुट जिलों में व्यापक क्षेत्र अनुकूल बताए जाते हैं । रबड़ बोर्ड नए बागानों के लिए उपदान देने सम्बन्धी एक योजना कार्यान्वित करता रहा है । इसके अतिरिक्त रबड़ बोर्ड अनुसंधान केन्द्र एकक तथा नर्सरियां आदि खोलने के लिए कदम उठा रहा है और उसने क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की योजना के लिए उड़ीसा में 40 हैक्टेयर भूमि पहले ही प्राप्त कर ली है ।

परमाणु युद्ध को रोकने के सम्बन्ध में राष्ट्रीय सम्मेलन

7902. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु युद्ध को रोकने के लिए भारतीय डाक्टरों के राष्ट्रीय संघ का राष्ट्रीय सम्मेलन अभी हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो उक्त सम्मेलन में क्या विचार व्यक्त किए गए और क्या सिफारिशें की गई ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) सरकार ने इस आशय की खबरें देखी हैं ।

(ख) इन खबरों के अनुसार सम्मेलन में दूसरी बातों के अलावा यह फैसला भी किया गया कि प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी को एक अपील पेश की जाए जिसे वे मानवता को नाभिकीय अस्त्रों से उत्पन्न खतरे से बचाने के लिए विश्व नेताओं को भेजें ।

मरीना कम्यूनिकेशन इलेक्ट्रानिक्स इण्डिया लिमिटेड, विशाखापत्तनम को भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड द्वारा प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण

7903. **डा० वी० वेंकटेश** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत इलेक्ट्रानिक्स लि० ने मरीना कम्यूनिकेशन इलेक्ट्रानिक्स इण्डिया लिमिटेड, विशाखापत्तनम को दोहरे बीकन ट्रांसमीटरों के लिए प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण करने के लिए किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन तथा पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) जी, हां । समझौता ज्ञापन में मीडियम फ्रीक्वंसी के रेडियो बीकनों के निर्माण के लिए भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड और मरीना कम्युनीकेशन इलेक्ट्रानिक्स इंडिया लिमिटेड, विशाखापत्तनम के बीच लाइसेंस समझौता की व्यवस्था है । भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड निर्माण सम्बन्धी जानकारी देने वाले दस्तावेज सप्लाई करेगा और मरीना कम्युनीकेशन इलेक्ट्रानिक्स के कार्मिकों को प्रशिक्षण भी देगा । समझौता ज्ञापन में जानकारी लाइसेंस शुल्क एवं मरीना कम्युनीकेशन इलेक्ट्रानिक्स द्वारा भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड को दी जाने वाली रायल्टी भी निर्धारित है ।

रेल पटरियों पर मौतें

7904. **श्री सुभाष यादव :**
श्री धर्मपाल सिंह मलिक :
श्री प्रकाश चन्द्र :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रेल पटरियों पर होने वाली मौतों को रोकने के लिए उनकी चौकसी करने हेतु कदम उठा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (ग) दिल्ली पुलिस ने दुर्घटना प्रवृत्त क्षेत्र में रेल की पटरियों के साथ-साथ गश्त गहन कर दी है ।

डोर्नियर विमानों का बहुत जल्दी खराब हो जाना

7905. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड में तैयार किए गए तथा वायुदूत की सप्लाई किए गए डोर्नियर विमानों के इंजन में प्रयोग किए जाने पर बहुत जल्दी खराब हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन विमानों का निर्माण कार्यक्रम की पुनरीक्षा करने का कोई निर्णय लिया गया है;

(ग) मूल कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने विमान तैयार किये जाने हैं;

(घ) क्या इन विमानों के इंजनों का निर्माण विदेशों में किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या इन इंजनों का भारत अथवा विदेशों में पुन: डिजाइन तैयार कराने का विचार है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन तथा पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड ने सूचित किया है कि अमरीका के मैसर्स गेरैट कारपोरेशन आयातित किटों से हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लि० में तैयार किए गए दस इंजनों में से पांच को विभिन्न कारणों से मैसर्स वायुदूत द्वारा असमय हटा दिया गया है । इन कारणों की जांच की जा रही है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रारम्भिक परियोजना रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 140 विमानों का निर्माण तथा एसम्बल किया जाना है ।

(घ) गेरेट टरबाइन इंजन कम्पनी, फोइनेक्स, अमरीका में गेरेट टी० पी० ई० 331-5 इंजन का निर्माण किया जाता है । वायुदूत बेड़े में 24 इंजनों का प्रयोग किया जाता है जिनमें से 14 इंजनों की सीधे मैसर्स गेरेट द्वारा सप्लाई की गई थी और मैसर्स गेरेट में निर्मित आयातित किटों से हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड में 10 इंजनों को एसम्बल किया गया ।

(ङ) इन इंजनों का भारत अथवा विदेशों में पुनः डिजाइन तैयार कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है, तथापि इस इंजन के निर्माता मैसर्स गेरेट निगम, अमरीका ने कुछ पुर्जों में सुधार का काम शुरू किया है ।

खनिज और धातु व्यापार निगम द्वारा एक निर्यात-प्रधान उर्वरक संयंत्र की स्थापना

7906. **श्री सी० माधव रेड्डी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज और धातु व्यापार निगम का एक निर्यात-प्रधान उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का विचार है; और

(ख) क्या खनिज और धातु व्यापार निगम का जैव-उर्वरकों के उत्पादन के लिए, जिसमें देश पिछड़ा हुआ है, एकक स्थापित करने का भी विचार है, जिससे कि वह अपने निर्यात में वृद्धि कर सकें ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) तथा (ख) जी नहीं ।

चावल की भूसी के आयात के कारण पड़ने वाला प्रभाव

7907. **डा० पी० वल्लल पेरूमन** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पड़ौसी देशों से चावल की भूसी का आयात करने का है जिससे कि चावल की भूसी से निकलने वाले तेल के निर्यात को बढ़ाया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो इसका चावल की मिलों तथा चावल की भूसी के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

इंडोनेशिया में बाम्बे डाइंग का संयुक्त उद्यम

7908. **श्री भट्टम श्रीराममूर्ति** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडोनेशिया में बाम्बे डाइंग का संयुक्त उद्यम, पी० टी० फाइवस्टार इंडस्ट्रीज, बंद होने की स्थिति में है;

(ख) क्या यह सच है कि इंडियन ओवरसीज बैंक को, जिसने इस परियोजना के लिए धन दिया था, उद्यम में संघ के नेता के रूप में शामिल किया गया था; और

(ग) क्या यह भी सच है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की कम्पनी की इक्विटी भागीदारिता के समर्थन के कारण 1 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि डूब गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है तथा सदन के सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली में लापता व्यक्ति

7910. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान रेडियो और टेलीविजन पर व्यक्तियों के लापता होने के वर्षवार कितने मामलों की सूचना प्रसारित की गई; और

(ख) उक्त प्रसारण के संबंध में क्या नियम और विनियमन हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) अपेक्षित आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

वर्ष	आकाशवाणी द्वारा प्रसारित	टेलीविजन द्वारा प्रसारित
1984	रिकार्ड नहीं रखा गया	496
1985	1391	805
1986	1250	906
1987 (31-3-87 तक)	347	201

(ख) ऐसे प्रसारण के लिए कोई नियम नहीं हैं। लापता व्यक्तियों का पता लगाने के लिए अपनाए गए साधनों में से प्रसारण एक है।

रक्षा लेखा विभाग में यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते पर व्यय

7911. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान रक्षा लेखा विभाग में यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते पर कितना व्यय किया गया; और

(ख) इस व्यय को कम करने के लिए यदि कोई कदम उठाए गए हैं, तो वे क्या हैं ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान रक्षा लेखा विभाग ने निम्नलिखित व्यय किया :—

1984-85	—	99.39 लाख रुपए
1985-86	—	110.70 लाख रुपए
1986-87	—	136.85 लाख रुपए (फरवरी, 87 तक)

(ख) प्रशासनिक आवश्यकताओं एवं कर्मचारियों के हित को ध्यान में रखते हुए 1976 में

विभाग ने अपनी दो स्टाक एक्सचेंजों के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श से एक युक्तसंगत तथा वैज्ञानिक स्थानांतरण नीति तैयार की है और इस नीति के अनुसार रक्षा लेखा नियन्त्रक स्थानान्तरण करते हैं।

दक्षिणी क्षेत्र से वस्त्रों के निर्यात की संभावनाएं

7912. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986-87 के दौरान दक्षिण क्षेत्र से वस्त्रों के निर्यात से कुल कितना धन प्राप्त हुआ है; और

(ख) क्या सरकार का विचार दक्षिणी क्षेत्र से वस्त्रों के निर्यात की अत्यधिक संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए बंगलौर में एक फैशन डिजाइन केन्द्र स्थापित करने का है ?

वस्त्र मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) क्षेत्र-वार निर्यात आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ख) जी, नहीं। तथापि, सरकार ने हाल ही में नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किया है।

पर्यटन के संवर्धन के लिए विज्ञापन

7913. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986-87 के दौरान पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन के संवर्धन के लिए कुल कितनी राशि व्यय की गई;

(ख) क्या सरकार का विचार विज्ञापनों के माध्यम से पर्यटन के संवर्धन का कार्य संबंधित राज्यों को सौंपने का है; और

(ग) यदि हां, तो प्रस्ताव की रूपरेखा क्या है ?

पर्यटन मंत्री (मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) वर्ष 1986-87 के दौरान पर्यटन विभाग द्वारा भारत तथा विदेश में पर्यटन के संवर्धन के लिए विज्ञापन पर व्यय की गई कुल राशि इस प्रकार है :—

	(लाख रुपयों में)
(i) भारत में विज्ञापन देना	204.43
(ii) विदेशी मार्किट में-प्रिन्ट/इलैक्ट्रानिक मीडिया और व्यवसाय संवर्धनों में विज्ञापन देना	555.87
जोड़ :	760.30

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

गलत जानकारी देने के आरोप पर विदेशी आगंतुकों को वापस भेजा जाना

7914. **श्री वी०एस० कृष्ण अय्यर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने विदेशी आगंतुकों को गलत जानकारी देने के आरोप पर वापस भेजा गया;

(ख) क्या वरिष्ठ आप्रवासन अधिकारियों को ऐसा कोई स्वविवेकाधिकार नहीं है कि वे ऐसे विदेशी आगंतुकों को अनुमति दे सकें, जिनके बारे में उनको सन्तुष्टि हो जायें कि जानबूझकर कुछ जानकारी छुपाई नहीं गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (ग) यह पता लगने पर कि किसी विदेशी द्वारा गलत जानकारी दी गई है तो उसे वीसा नहीं दिया जाता है। आप्रवासन अधिकारी किसी विदेशी को वैध वीसा और यात्रा दस्तावेजों पर ही भारत में प्रवेश की अनुमति देते हैं।

"रीलिंग और प्रोसेसिंग मशीनरी" को आयात-शुल्क से छूट देना

7915. **श्री वी०एस० कृष्ण अय्यर** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का रेशम का उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से "रीलिंग और प्रोसेसिंग" मशीनरी को आयात-शुल्क से छूट देने का विचार है ?

वस्त्र मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : देश में रेशम उत्पादन में सुधार लाने हेतु कुछ खास किस्मों की रेशम रीलिंग तथा प्रोसेसिंग मशीनरी के शुल्क मुक्त आयात के लिए प्राप्त सुझावों पर सरकार द्वारा ध्यान दिया गया है।

गैर-सरकारी क्षेत्र को होटलों के निर्माण के लिए सहायता

7916. **श्री के० कुन्जम्बु** :

श्री वी०एस० विजयराघवन :

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में पर्यटक स्थलों पर होटलों के निर्माण हेतु गैर-सरकारी क्षेत्र को सहायता देने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के अन्तर्गत अब तक कितने लोगों को सहायता दी गई है ?

पर्यटन मंत्री (मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) और (ख) देश भर में पर्यटक स्थानों पर होटलों का निर्माण करने हेतु गैर-सरकारी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए, सरकार ने होटल उद्योग को अनेक प्रोत्साहन/रियायतें दी हैं। इनमें शामिल हैं :—नई परियोजनाओं तथा मौजूदा होटलों के विस्तार दोनों ही मामलों में एम०आर०टी०पी० एक्ट से छूट; नए होटलों को आयकर से छूट; उच्चतर मूल्यह्रास भत्ता; विनिर्दिष्ट पिछड़े क्षेत्रों में नए होटलों का निर्माण करने के लिए केन्द्रीय इमदाद; भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा दिए गए होटल ऋणों पर ब्याज इमदाद; विदेशों में विज्ञापन/प्रचार, संवर्धनात्मक दौरों, वाहनों (एक वर्ष में दो) सहित सामान, उपकरणों को आयात करने के लिए विदेशी मुद्रा प्रोत्साहन कोटा; होटलों द्वारा वास्तविक प्रयोग के लिए आयात की जाने वाली अनेक मदों पर रियायती सीमा शुल्क; टेलीफ़ोन/टेलेक्स कनैक्शंस का प्राथमिकता से आबंटन; आदि। उसके अलावा, केरल सरकार सहित कुछ राज्य सरकारों ने होटलों/पर्यटन को एक

उद्योग का दर्जा भी प्रदान किया है जिससे होटल उन रियायतों/प्रोत्साहनों के हकदार हो गए हैं जो सम्बन्धित राज्यों में अन्य उद्योगों को उपलब्ध हैं।

(ग) ये प्रोत्साहन पर्यटन विभाग द्वारा अनुमोदित सभी होटल परियोजनाओं को उपलब्ध हैं। जहां तक ऋण सम्बन्धी सहायता का सम्बन्ध है, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को केरल में होटल परियोजना के लिए ऋण की मंजूरी हेतु कोई आवेदन नहीं मिला है।

हाथ के औजारों के निर्यात में तेजी

7917. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** :

श्री एच०एन० नन्जे गौडा :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि क्या हाथ औजार उद्योग के पास निर्यात के लिए भारी संख्या में ऋयादेश पड़े हैं, जैसा कि 2 अप्रैल, 1987 के "इकानामिक टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा हाथ औजार उद्योग को आवश्यक सहायता देने के लिए कौन से कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) जी हां। इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद ने सूचित किया है कि हस्त औजार उद्योग द्वारा निर्यात आदेशों की बुकिंग की स्थिति में सुधार हुआ है।

(ख) अन्य बातों के साथ-साथ सरकार द्वारा विचार किए गए महत्वपूर्ण समर्थन उपायों में शामिल हैं, अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों पर अलॉय इस्पात की व्यवस्था करना, जहां औचित्य हो वहां वित्तीय सहायता प्रदान करना, पावर सप्लाई, विपणन तथा माल गोदाम आदि में सहायता देना।

विदेशियों को राजनैतिक शरण देने के संबंध में अमरीकी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

7918. **प्रो० रामकृष्ण मोरे** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अवैध विदेशियों को राजनैतिक शरण देने के मानदण्डों में ढील देने सम्बन्धी अमरीकी सर्वोच्च न्यायालय के हाल के निर्णय की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो कुछ भारतीयों द्वारा अमरीका में जाकर बसने वाले व्यक्तियों को इस निर्णय के अनुसरण में उपलब्ध छूट का लाभ उठाने के संभावित प्रयासों को ध्यान में रखते हुए क्या समस्याएं उत्पन्न होने की संभावना है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

विदेश मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार को ऐसा नहीं लगता कि अमरीका में भारतीयों के आप्रवासन के स्तर में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा। सरकार यह मानती है कि विदेशों के आप्रवासन के सम्बन्ध में अपने नियम बनाना हर देश का अपना संप्रभुतात्मक अधिकार है।

आयुध कारखानों के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की छंटनी/स्थानांतरण

7919. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 5 प्रतिशत मितव्यता बरतने के उपाय के तौर पर जनरल स्टोर्स निरीक्षणालयों और कुछ आयुध कारखानों में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भारी पैमाने पर छंटनी और स्थानांतरण करने पर विचार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस उपाय को लागू करने के सम्बन्ध में सरकार ने कौन-सा फार्मूला अपनाया है;

(ग) क्या मितव्ययता बरतने सम्बन्धी इस उपाय को लागू करते समय यूनिट की वित्तीय अर्थक्षमता को ध्यान में नहीं रखा जाता है; और

(घ) आयुध कारखानों और जनरल स्टोर्स निरीक्षणालयों के जिन कर्मचारियों के स्थानांतरण/छंटनी किए जाने की संभावना है, उनकी संख्या कितनी है और ये कर्मचारी किस-किस श्रेणी के हैं ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन तथा पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (घ) सरकार के निर्देशों के अनुसार मितव्ययता बरतने के लिए सामान्य भण्डारण निरीक्षणालय सहित निरीक्षण महानिदेशालय में, आवश्यकता के आधार पर कार्मिकों की पुनरीक्षा की गई थी। इस बारे में कोई प्रतिशत या सूत्र निर्धारित नहीं किया गया था। इस पुनरीक्षा के परिणामस्वरूप 1107 पद छालतू पाए गए थे, जिनमें सामान्य भण्डारण निरीक्षणालय के चतुर्थ श्रेणी के 256 पद थे परन्तु इन फालतू पदों को खतम करने के लिए कोई छंटनी करने पर विचार नहीं किया गया है। अतिरिक्त पदों के, पदधारियों को अभी स्टेशन में उपलब्ध रिक्तियों में जहां तक सम्भव हो सका, खपाने के बाद सामान्य भण्डारण निरीक्षणालय के चतुर्थ श्रेणी के केवल 42 कर्मचारियों को अन्य स्टेशनों को स्थानान्तरित किया गया।

2. चूंकि फालतू पदों का पता लगाने के लिए स्थापनाओं के कार्यभार को ध्यान में रखा गया था इसलिए इन पदों को छोड़ने पर स्थापनाओं की कार्यक्षमता और वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा।

3. शहां तक आयुध निर्माणियों का सम्बन्ध है, किसी भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की छंटनी नहीं की गई है। आयुध निर्माणियों में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का स्थानांतरण सामान्यतः एक फैक्टरी से दूसरी फैक्टरी में नहीं किया जाता। कुछ अपवाद हो सकते हैं जब कार्यभार में परिवर्तन या कुशलता की आवश्यकता के लिए दोबारा तैनाती आवश्यक हो जाती है।

आयुध कपड़ा कारखाना द्वारा उत्पादित मदें

7920. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983-84 और 1984-85 के दौरान आयुध कपड़ा कारखानों द्वारा कितनी मदों का उत्पादन किया गया और अब उनके द्वारा कितनी मदों का उत्पादन किया जा रहा है;

(ख) क्या यह सच है कि अनेक मदों का गैर-सरकारी क्षेत्र के एककों में उत्पादन कराया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उन्हें गैर-सरकारी क्षेत्र को सौंपने के क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन तथा पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) वर्ष 1983-84, 1984-85 और अब (1986-87) में आयुध कपड़ा कारखानों द्वारा उत्पादित मदों की संख्या और उत्पादन का मूल्य इस प्रकार है :—

वर्ष	उत्पादित मदों की संख्या	उत्पादन का मूल्य
1983-84	1126	115.34 करोड़ रुपए
1984-85	1093	112.60 करोड़ रुपए
1986-87	951	175.18 करोड़ रुपए

(ख) और (ग) वे मदें जिनका आयुध कपड़ा कारखानों में उत्पादन नहीं किया जाएगा और वे मदें जिनका उत्पादन आयुध कपड़ा कारखाना तथा सिविल ट्रेड में भी जिस तारीख से किया जाएगा वह संलग्न विवरण के रूप में उनके सामने दिया गया है। आयुध कपड़ा कारखानों में अपर्याप्त क्षमता, राष्ट्रीय औद्योगिक आधार भूत साधनों के सर्वोत्तम उपयोग की वांछनीयता और निम्न प्रौद्योगिकी और/या कम मूल्य के मदों से उत्पादन स्थानान्तरित करने के कारण यह कार्रवाई करनी पड़ी है।

विवरण

(क) वे मदें जिनका उनके सामने बताई गई तारीख से आयुध कपड़ा कारखानों में उत्पादन नहीं किया जाएगा।

क्रम संख्या	मद	तारीख
1	2	3
1.	मच्छरदानी	1-4-89
2.	शार्ट मेन ड्रील खाकी	1-4-88
3.	टेन्ट स्टोर फ्लाई आउटर	1-4-88
4.	टेन्ट स्टोर फ्लाई इनर	1-4-88
5.	टेन्ट डेजर्ट फ्लाई आउटर	1-4-90
6.	टेन्ट डेजर्ट फ्लाई इनर	1-4-90
7.	टेन्ट 20 कि०ग्रा० फ्लाई आउटर	1-4-90
8.	टेन्ट 20 कि०ग्रा० फ्लाई इनर	1-4-90
9.	केप्स डब्ल्यू०पी०ओ०जी०	1-4-90
10.	कोर पारका आउटर सैल	1-10-89
11.	कोर पारका इनर सैल	1-10-88
12.	कवर डब्ल्यू०पी० 9.1 x 9.1 के०एन०डी०	1-10-89
13.	केप्स एफ०एस० डिसरप्टिव	1-4-90

1	2	3
14.	ट्राउजर बी०डी० सर्ज	1-4-89
15.	ड्रावर काटन	1-4-89
16.	स्टोव हीटिंग कोल बर्निंग	1-4-87
17.	स्टोर टेन्ट हीटिंग केरोसीन रूम हीट	1-4-88
18.	बर्दियों के बैज (20 टाइप)	1-4-88
19.	टाइलन आन ड्रैसिस (51 टाइप)	1-4-88
20.	फ्लेगस (45 टाइप)	1-4-88
21.	हीटिंग स्टोव के लिए पुर्जे (14 टाइप)	1-4-88

(ख) वे मदें जिनका सामने बताई गई तारीख से आयुध कपड़ा कारखानों और सिविल ट्रेडों में भी उत्पादन किया जाएगा ।

क्रम संख्या	मद	तारीख
1.	जैकेट कम्बार डिसरप्टिव	1-4-87
2.	ट्राउजर कम्बार डिसरप्टिव	1-4-87
3.	बैग किट यूनीवर्सल ओ०जी०	1-4-87
4.	ऐक्रिलिट बी०डी० वब	1-4-87
5.	वैरट कनीटिड	1-4-87
6.	कोट कम्बार डिसरप्टिव	1-4-87
7.	वेस्ट काटन ओ०जी०	1-4-87
8.	सर्ट अंगोला	1-4-87
9.	बूट डी०एम०एस०	1-4-87
10.	मैट्रेस केपोक	1-4-87

खाद्यान्न, दालों और तिलहन का आयात

7921. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्यान्न, दालों और तिलहन का कितनी मात्रा में आयात किया जा रहा है तथा उनमें से प्रत्येक मद के लिए कितना मूल्य दिया गया;

(ख) क्या यह सच है कि इनका इतनी अधिक मात्रा में आयात के कारण इनमें से कुछ खाद्यान्नों का मूल्य किसानों के लिए अलाभकारी हो गया है; और

(ग) क्या सरकार का इन वस्तुओं के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) 1986-87 के दौरान खाद्यान्नों (गेहूं आदि), तथा खाद्य तिलहनों का कोई भी आयात नहीं किया गया है । दालों के आयात

ओ०जी०एल० के अन्तर्गत है। 1984-85 के बाद वास्तविक आयातों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, नेफेड में संविदाओं के पंजीकरण द्वारा आयातों की सावधानीपूर्वक मोनीटरिंग की जा रही है। अप्रैल-दिसम्बर, 1986 के दौरान पंजीकृत संविदाएं 642,940 मे० टन की थी जिनका मूल्य 236.48 करोड़ रुपए था।

(ख) तथा (ग) सरकार सप्लाई, मांग और घरेलू तथा अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों को ध्यान में रखते हुए नीति की बराबर समीक्षा कर रही है तथा जब कभी आवश्यक होता है सुधारात्मक उपाय कर रही है।

रेशम-उत्पादन के संबंध में भारत-सोवियत संघ समझौता

7922. **श्री नरसिंह सूर्यवंशी** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कृषि मंत्रालय और सोवियत संघ को राज्य कृषि-औद्योगिक समिति के बीच दीर्घावधि सहयोग कार्यक्रम के संबंध में हाल ही में हुए भारत सोवियत संघ समझौते में रेशम उत्पादन भी शामिल है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी हां।

(ख) इस करार में विकासशील गहन प्रौद्योगिकियों में संयुक्त सहयोग तथा रेशम उत्पादन के निम्नलिखित क्षेत्रों में विशेषज्ञों/प्रशिक्षणार्थियों/प्रजनन सामग्री/जानकारी का आदान-प्रदान करने की व्यवस्था है :—

1. बोम्बिक्स नस्ल/संकर नस्ल का चयन तथा परीक्षण और प्रजनन में उसका प्रयोग।

2. शहतूती किस्मों, संकरण तथा बोम्बिक्स के लिए बीज आधार का चयन तथा परीक्षण।

3. रेशम कीट अंडा उत्पादन प्रौद्योगिकी।

4. रेशम धागाकरण प्रौद्योगिकी।

दिल्ली पुलिस में अंग्रेजी और हिन्दी के आशुलिपिकों के वेतनमानों में असमानता

7923. **श्री नरसिंह सूर्यवंशी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस की सेवाओं में अंग्रेजी और हिन्दी के आशुलिपिकों के वेतनमानों और पदोन्नतियों में अन्तर है जबकि उनकी अर्हताएं, परीक्षा का स्तर और उनके कार्य आदि समान हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस विषमता को दूर करने के लिए सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए गए हैं या उठाने का विचार है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (ग) दिल्ली पुलिस में हिन्दी आशुलिपिक का कोई पद नहीं है। तथापि, उप निरीक्षक के स्तर के 425-600 रु० के संशोधित-पूर्व वेतनमान में हिन्दी शार्ट हैण्ड रिपोर्टर के 4 पद तथा सहायक उप-निरीक्षक स्तर के 330-560 रु० के संशोधन-पूर्व वेतनमान में

6 पद हैं। अंग्रेजी आशुलिपिकों से उनका अलग संवर्ग हैं। उनके लिए निर्धारित अर्हताएं तथा सौंपी गई ड्यूटियां भी एक जैसी नहीं है।

बौद्ध सर्किट मार्ग में "सांची" को शामिल न करना

7924. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बतावे की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "सांची" को जो भारत का एक महत्वपूर्ण बौद्ध केन्द्र है, देश के बौद्ध सर्किट मार्ग में सम्मिलित नहीं किया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त सर्किट मार्ग में सांची को सम्मिलित करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन मंत्री (मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) से (घ) जी, नहीं। केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय ने बौद्ध परिपथ में आने वाले स्थानों का अभिनिर्धारण करने और एक कार्य योजना बनाने के लिए एक कृतिक बल की नियुक्त की थी। प्रारम्भ में, इस कृतिक बल ने बिहार और उत्तर प्रदेश में स्थिर निम्नलिखित केन्द्रों का अभिनिर्धारण किया है :—

बिहार :

1. बोधगया
2. राजगीर
3. नालन्दा
4. वैशाली
5. पाटलीपुत्र

उत्तर प्रदेश :

1. कुशीनगर
2. सारनाथ
3. श्रावस्ती
4. कपिलवस्तु
5. संकासिया
6. कौसम्बी

पर्यटन के विकास के लिए वित्तीय आबंटन

7925. **श्री टी० बशीर** : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केरल में पर्यटन के विकास के लिए कितना वित्तीय आबंटन किया गया; और

(ख) अब तक किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है और पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान किन कार्यों को करने का प्रस्ताव है ?

पर्यटन मंत्री (मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) और (ख) केन्द्रीय मंत्रालय निधियों का आबंटन राज्यवार नहीं करता बल्कि स्कीमवार करता है। सातवीं योजना के पहले दो वर्षों के दौरान स्वीकृत स्कीमों तथा 1987-88 के दौरान विचाराधीन नए प्रस्तावों के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :—

(लाख रुपयों में)

क्र०सं०	स्कीम का नाम	स्वीकृत राशि	रिलीज की गई राशि
1.	अलेप्पी में आवास सहित मार्गस्थ सुख-सुविधाएं	10.28	9.00
2.	कोट्टारक्कारा में आवास सहित मार्गस्थ सुख-सुविधाएं	10.28	9.00
3.	कन्नानौर में आवास सहित मार्गस्थ सुख-सुविधाएं	10.28	9.00
4.	पालघाट में आवास सहित मार्गस्थ सुख-सुविधाएं	10.28	4.00
5.	वाईनाद में आवास सहित मार्गस्थ सुख-सुविधाएं	10.28	4.00
6.	कोचीन, क्विलोन, कुमारकम तथा थेक्कड़ी के लिए नौकाओं की व्यवस्था	50.78	25.00
7.	कोवलम में जलक्रीड़ाएं	17.31	15.00
8.	मेले और त्यौहार	2.56	2.56
9.	पैदल भ्रमण उपकरण की व्यवस्था	3.24	2.92
10.	क्विलोन में यात्री निवास	35.35	8.00
11.	कप्पड़ में समुद्र-तट विहार-स्थल का विकास	46.43	8.00
12.	विवेन्द्रम में यात्री निवास	26.43	8.00
13.	परम्बीकुलम में वन-गृह	12.42	6.00

विचाराधीन नए प्रस्ताव

(लाखों रुपयों में)

क्र०सं०	स्कीम का नाम	अनुमानित लागत
1	2	3
1.	मालमपुझा में जल खेल	7.10
2.	नय्यर वन्य जीव अभ्यारण्य में वनगृह	17.19
3.	परम्बीकलम वन्य जीव अभ्यारण्य के लिए मिनी बसें (2)	12.86

1	2	3
4.	मार्गस्थ सुख-सुविधाएं	75.00
5.	यात्री निवास	105.00
6.	सफारी क्रूजर्स	180.00
7.	समुद्र तट विहार-स्थल	75.00
8.	तैरता रेस्तरां, जलक्रीड़ाएं और नौकायन	44.00
9.	वन्य जीव अभ्यारण्य के लिए मिनी बसें	6.00
10.	स्मारकों की प्रकाश-पुंज व्यवस्था	15.00

भारतीय राज्यक्षेत्र पर दावा करने के लिए पाकिस्तान और चीन के प्रतिनिधियों की बैठक

7926. **श्री वी० तुलसीराम** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तान और चीन के साथ लगने वाली सीमा पर भारतीय राज्यक्षेत्र पर अपना-अपना दावा करने के लिए हाल में पाकिस्तान और चीन के प्रतिनिधियों की बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी स्थिति का सामना करने और अपनी सीमा की रक्षा करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

विदेश मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) कराकोरम राजमार्ग पर खुंजेराब दर्रे को तीसरे देशों के राष्ट्रिकों के लिए खोलने के सम्बन्ध में आप्रवासन, सीमा-शुल्क, परिवहन और आवास सम्बन्धी अवन्धों से संबद्ध प्रस्तावों की समीक्षा करने के लिए इस महीने के शुरू में चीन और पाकिस्तान के प्रतिनिधिमण्डलों की इस्लामाबाद में बैठक हुई थी।

सरकार इन कार्रवाइयों के राजनीतिक और सामाजिक निहितार्थों के प्रति सजग है और भारत की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

रक्षा बलों को घटिया राशन की सप्लाई

7927. **श्री वी० तुलसीराम** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा बलों को, विशेष रूप से सीमा और कृतिम क्षेत्रों में, सप्लाई किया गया राशन घटिया किस्म का और पुराना है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) अग्रिम क्षेत्रों में थलसेना के जवानों के स्वास्थ्य पर इस घटिया किस्म के राशन का कहां तक बुरा प्रभाव पड़ा है; और

(घ) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई थी और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

फोर्ट कोचीन, चेराई और एर्नाकुलम में पर्यटन का विकास

7928. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने एर्नाकुलम जिले के फोर्ट कोचीन और चेराई में पर्यटन का विकास सम्बन्धी कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

पर्यटन मंत्री (मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय को कोचीन में पर्यटन के विकास के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं :—

(1) यात्री निवास ।

(2) लग्जरी क्रूजर ।

(ख) इन प्रस्तावों की जांच की जा रही है और निधियों की उपलब्धता तथा परस्पर प्राथमिकताओं के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी ।

हिन्दुस्तान डायमंड कम्पनी लिमिटेड के विदेशी निदेशक

7929. **डा० डी० एन० रेड्डी** :
श्री बृज मोहन महंती :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री बसुदेव आचार्य :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान डायमंड कम्पनी लिमिटेड में इसके प्रारम्भ से कितने विदेशी निदेशक हैं;

(ख) क्या हिन्दुस्तान डायमंड कम्पनी लिमिटेड में विदेशी निदेशक दक्षिण अफ्रीकी केन्द्रीय बिक्री संगठन अथवा इससे सम्बद्ध कम्पनियों के निदेशक या कार्यकारी अधिकारी हैं; और

(ग) क्या दक्षिण अफ्रीकी केन्द्रीय बिक्री संगठन या इससे सम्बद्ध कम्पनियों के निदेशक अथवा कार्यकारी अधिकारी हिन्दुस्तान डायमण्ड कम्पनी लिमिटेड की बैठकों में भाग ले रहे हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी): (क) हिन्दुस्तान डायमंड कम्पनी लि० की स्थापना से अब तक के इसके विदेशी निदेशकों के नाम निम्नोक्त अनुसार हैं :—

	से	तक
1. श्री ई० जी० जे० दवे	30-6-1979	9-4-1981
2. श्री टी० डब्ल्यू० एच० केपन	25-7-1979	3-11-1980
3. श्री डी० डी० आर० एफ० फिन	3-9-1980	कार्य कर रहे हैं
4. श्री एम० ए० ग्रांथम	9-4-1981	17-9-1981
5. श्री आई० जी० डब्ल्यू० व्हाईट	23-6-1983	कार्य कर रहे हैं

(ख) और (ग) एच० डी० सी० एल० बोर्ड के विदेशी निदेशक श्री डी० आर० एफ० फिन और श्री आई० जी० डब्ल्यू० व्हाईट में से कोई भी केन्द्रीय बिक्री संगठन या उससे संबद्ध संगठनों के

निदेशक या कार्यकारी नहीं बताए जाते हैं । वे बैंक आफ बोरमूडा के प्रतिनिधियों के बतौर जो कि इस कम्पनी के विदेशी शेयरधारी हैं, एच० डी० सी० एल० के बोर्ड की बैठकों में उपस्थित होते हैं ।

पर्यटक बाजार खोलने का प्रस्ताव

7930. **श्रीमती डी० के० भंडारी** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में पर्यटक बाजार खोलने के लिए किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजन के लिए किन-किन स्थानों का चयन किया गया है तथा स्थानों के चयन के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं; और

(ग) पर्यटन उद्योग को इससे किस सीमा तक लाभ होगा ?

पर्यटन मंत्री (मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) और (ख) जी, हां । तथापि पर्यटन उद्योग के अलग-अलग घटकों से परामर्श करते हुए इस प्रस्ताव के ब्यौरे अभी तैयार किए जाते हैं ।

(ग) एक प्रमुख पर्यटन घटना बनने के अलावा, यह बाजार भारत को सभी ऋतुओं और पर्यटन के अलग-अलग घटकों के लिए एक गंतव्य के रूप में प्रस्तुत करेगा । यह अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन का संवर्धन करने में आने वाली अड़चनों तथा कमियों का पता लगाने में पर्यटन मंत्रालय की मदद करेगा और भारतीय पर्यटन उद्योग पर दिए जा रहे नए बल तथा दिशा को प्रस्तुत करने में भी मदद करेगा ।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटन

7931. **श्रीमती डी० के० भंडारी** : क्या पर्यटन मंत्री पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटन के बारे में 27 मार्च, 1987 के अतारांकित प्रश्न सं० 4561 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर राज्यों में उन योजनाओं और उन स्थानों का ब्यौरा क्या है जहां चालू वर्ष के दौरान तथा सातवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान आवास, मार्ग-सुविधाएं, वन्य जीवन अभ्यारण्यों के भीतर परिवहन, जल क्रीड़ाओं जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी;

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के पहले दो वर्षों के दौरान सिक्किम में शुरू की गई प्रत्येक योजना के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1987-88 के लिए राज्य सरकार से प्राप्त योजनाओं के लिए कितनी धनराशि नियत की है ?

पर्यटन मंत्री (मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय राज्य सरकारों द्वारा भिजवाए गए प्रस्तावों में आधार पर राज्य को वित्तीय सहायता देता है । वर्तमान वर्ष के दौरान निधियां रिलीज करने के लिए अब तक कोई प्रस्ताव अनुमोदित नहीं किया गया है । सातवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान राज्य सरकारों से प्राप्त स्कीमों के आधार पर, स्कीम के गुणवत्ता निधियों की उपलब्धता और, परस्पर प्राथमिकताओं पर निर्भर रहते हुए, वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी ।

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के पहले दो वर्षों के दौरान सिक्किम में प्रारम्भ की गई प्रत्येक

स्कीम की प्रगति निम्नलिखित है :—

(लाख रुपयों में)

स्कीम का नाम	स्वीकृत राशि	रिलीज की गई राशि
1. ट्रेकिंग हट्स	15.86	14.00
2. ट्रेकिंग उपकरण	3.88	3.49
3. रंगपो में मार्गस्थ सुख-सुविधाएं	38.96	10.00

हालांकि ट्रेकिंग हट्स और ट्रेकिंग उपकरण की स्कीमें वर्तमान वर्ष में पूरी हो जाने की संभावना है, तथापि रंगपो में मार्गस्थ सुख-सुविधाओं की स्कीम सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक पूरी हो जाने की आशा है।

(ग) केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय निधियों का आबंटन राज्यवार नहीं करता बल्कि स्कीमवार करता है।

तम्बाकू निर्यात में गिरावट

7932. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्पादकों के पास तम्बाकू के भारी स्टाक जमा हो गए हैं और उन्हें अपने उत्पादों को बेचने में कठिनाइयां हो रही हैं;

(ख) क्या तम्बाकू उत्पादकों के एक प्रतिनिधिमण्डल ने उनसे इस सम्बन्ध में भेंट की थी; और

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1987-88 के दौरान तम्बाकू के निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष आंध्र प्रदेश में नीलामी मंचों पर तम्बाकू की अपेक्षाकृत कम खरीदारियां हुई।

(ख) जी, हां।

(ग) तम्बाकू का निर्यात बढ़ाने के लिए वाणिज्य मंत्रालय तथा तम्बाकू बोर्ड ने निम्नलिखित उपाय किए हैं :—

(1) सोवियत संघ से अधिक मात्रा में तम्बाकू की खरीद करने का अनुरोध किया गया है।

(2) बल्गारियाई एकाधिकार से भी अधिक मात्रा में तम्बाकू की खरीद करने का अनुरोध किया गया है।

(3) चैकोस्लोवाकियाई तथा चीनी प्रतिनिधिमण्डलो के साथ, जिन्होंने हाल में भारत का दौरा किया था, विचार-विमर्श किया गया है। उनसे अपनी खरीदारियां बढ़ाने का अनुरोध किया गया है।

(4) तम्बाकू बोर्ड ने मिस्र तथा अल्जीरिया में तम्बाकू के लिए सम्भाव्य बाजारों का पता

लगाया है। इन देशों को शीघ्र ही प्रतिनिधिमण्डल भेजे जाने वाले हैं। तम्बाकू बोर्ड भारतीय तम्बाकू के लिए स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस तथा स्वीडन में भी नए बाजारों का पता लगाएगा।

(5) भारतीय राज्य व्यापार निगम ने नीलामी मंचों पर तम्बाकू की वाणिज्यिक खरीद आरम्भ कर दी है।

(6) तम्बाकू बोर्ड ने न्यूनतम समर्थन कीमतों पर तम्बाकू की खरीद के लिए ऐसे मंचों में प्रवेश किया है, जहां बोली लगाने वाले नहीं होते।

(7) आंध्र प्रदेश राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह तम्बाकू की खरीद बढ़ाने तथा उपजकर्ताओं को सहायता प्रदान करने के लिए राज्य अभिकरणों को हिदायत दे दे।

(8) आंध्र प्रदेश राज्य सरकार से यह भी अनुरोध किया गया है कि वह किसानों को आसान शर्तों पर कोयला तथा उर्वरकों जैसे अन्तर्निविष्ट साधन प्रदान करने पर भी विचार करे।

(9) तम्बाकू बोर्ड ने एफ-2 तथा एल-2 के मूल ग्रेडों के अतिरिक्त अन्य ग्रेडों के लिए न्यूनतम समर्थन कीमतों के कीमत अंतर को पुनः निर्धारित किया है।

(10) सिगरेट विनिर्माताओं से तम्बाकू की अपनी खरीदारियों में सक्रियता लाने का अनुरोध किया गया है।

राज्य व्यापार निगम द्वारा मारुति उद्योग को आपसी सहमित ज्ञापन

7933. **श्री यशवन्तराव गडाख पाटिल** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने मारुति कार के निर्यात के लिए संभावित क्षेत्रों का चयन करने व पता लगाने के लिए मारुति उद्योग लिमिटेड से किसी आपसी सहमति के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या प्रगति हुई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) जी, हां।

(ख) समझौता ज्ञापन में राज्य व्यापार निगम द्वारा अभिज्ञात थ्रस्ट बाजारों को मारुति कारों, वैनों, जीपों तथा अतिरिक्त पुर्जों के निर्यात किए जाने की व्यवस्था है। यह ज्ञापन दो वर्षों की अवधि के लिए वैध हैं परन्तु परस्पर सहमति से इसकी अवधि बढ़ाई जा सकती है।

यूगोस्लाविया को जीपों तथा जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य को कारों के निर्यात के लिए पूछ-ताछें मिली हैं।

श्रीलंका की जातीय समस्या

7935. **डा० वी० वेंकटेश** :
श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव :
प्रो० पी० जे० कुरियन :
डा० कृपासिंधु भोई :
श्री० पी० कुलनदईवेलू :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रीलंका में जातीय समस्या के बारे में इस समय बातचीत में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) सरकार ने श्रीलंका में सामान्य स्थिति की संभावनाओं और भारत में तमिल शरणार्थियों के अपने देश को वापस लौटने के लिए उस देश में अब स्थितियों का पता लगाने के बारे में क्या अनुमान लगाया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) सरकार यह पता लगाने के लिए दोनों पक्षों से सम्पर्क बनाए हुए है कि क्या राजनीतिक समाधान के लिए बातचीत फिर से शुरू करने के लिए परिस्थितियां तैयार की जा सकती हैं।

(ख) हालांकि तमिलनाडु से कुछ शरणार्थी श्रीलंका वापस चले गए हैं, फिर भी अधिकतर शरणार्थियों को यह भरोसा नहीं है कि श्रीलंका में ऐसी परिस्थितियां नहीं है कि वे अपने घर लौटकर वहां सुरक्षित रह सकेंगे। शरणार्थियों की अपने घरों को सुरक्षित वापसी तभी संभव हो पाएगी जब कोई राजनीतिक समाधान निकल आए और हिंसा समाप्त हो जाए।

वस्त्रों के सम्बन्ध में स्वीडन के साथ समझौता

7936. **डा० वी० वेंकटेश** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और स्वीडन ने जनवरी, 1987 में वस्त्र सम्बन्धी एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

स्वीडन के साथ :

करार के ब्यौरे निम्नोक्त प्रकार है :—

(i) यह करार 1 जनवरी, 1987 से 31 दिसम्बर, 1991 तक की पांच वर्ष की अवधि के लिए वैध है तथा इसमें एक और वर्ष तक बढ़ाये जाने की व्यवस्था है बशर्ते कि दोनों पक्षों की सहमति हो।

(ii) पहले वाले करार की अवधि को 1 जनवरी से 30 जून, 1987 तक बढ़ाया जाएगा। इस अवधि के दौरान, सम्बन्धित श्रेणियों में स्वीडन को भारत के निर्यात पहले वाले करार में की गई व्यवस्था के स्तरों के 18/12 तक स्वीडन द्वारा स्वीकार की गई मात्राएं नए करार की भाग होंगी।

(iii) इस करार में प्रगामी पैटर्न पर उत्पादन कवरेज में कटौती करने की व्यवस्था है। जबकि पहले वाले करार में प्रतिबन्ध अध्यधीन 10 उत्पाद समूह थे, 1 जनवरी, 1990 तक केवल 6 समूह प्रतिबन्ध के अध्यधीन रहेंगे। करार की अवधि के दौरान जिन उत्पादों पर प्रतिबंध को क्रमबद्ध रूप से समाप्त किया गया है वे हैं : शर्ट, टेबल लीनन, परदे/चादरें/फर्निशिंग तथा "शेष समूह" अंतर्गत वर्गीकृत बहुप्रयोजनीय उत्पाद।

(iv) "भारतीय मदें" प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी, जबकि पहली बार हथकरघा तैयार उत्पादों

को मात्रा की दृष्टि से प्रतिबंधों से मुक्त रखा गया है। हथकरघा परिधानों के लिए तदनुरूप मिल-निर्मित परिधान श्रेणियों के कोटों के अलावा अतिरिक्त कोटे प्रदान किए गए हैं।

(v) बेहतर लोचशीलताएं प्रदान की गई हैं तथा बढ़ते हुए आधार पर बढ़ी हुई वृद्धि दरें भी प्रदान की गई हैं। समूह 6 (ग) तथा (घ) 8, 9 और 10 में 1.5% तक विशेष वृद्धियों की मंजूरी दी गई है।

(iv) इस करार में ऐतिहासिक प्रवेश की सुरक्षा के साथ-साथ अतिरिक्त व्यापार उपायों के मामले में सुरक्षा के सम्बन्ध में रक्षा उपबंध शामिल किए गए हैं।

विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सैल की स्थापना

7937. **प्रो० नारायण चन्द पाराशर** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गृह मंत्रालय ने विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन पर निगरानी रखने और शैक्षिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और अन्य धर्मार्थ संस्थानों/संगठनों/संस्थाओं आदि द्वारा विदेशों से प्राप्त धनराशि के आंकड़े तैयार करने के लिए कोई सैल स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो यह सैल किस तारीख को स्थापित किया गया था;

(ग) क्या इस बात की जांच की गई है कि प्राप्त धनराशि को निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए ही व्यय किया गया है; और

(घ) जांच के परिणाम क्या हैं और इन पर क्या अग्रेतर कार्यवाही की गई है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) सहायक कर्मचारियों सहित सहायक निदेशकों के छः पदों की स्वीकृति दी गई थी जिन्होंने 1984 से शुरू विभिन्न तारीखों को अपने पदों का कार्यभार सम्भाला।

(ग) तथा (घ) विभिन्न संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत की गई सूचनाओं/लेखा परीक्षित लेखों की चयन के आधार पर जांच की जाती है।

1985 तथा 1986 के दौरान कुछ संस्थाओं को कोई विदेशी अभिदान स्वीकार करने से पहले पूर्व अनुमति प्राप्त करनी आवश्यक थी तथा कुछ अन्य संस्थाओं को कोई भी विदेशी अभिदान कतई स्वीकार करने से रोका गया था। इसके अतिरिक्त, तीन संस्थाओं के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पास शिकायतें दर्ज कराई गई।

उपकरणों के आयात की शर्तें

7938. **श्री शान्ति धारीवाल** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनेक औद्योगिक यूनिटों को उपकरणों के आर्डर स्वदेशी निर्माताओं को देने के बजाय उपकरणों के आयात करने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने किसी उपकरण के आयात करने की अनुमति देने से पूर्व उस

उपकरण के आयात की उपयोगिता निर्धारित करने सम्बन्धी गहन अध्ययन करने के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति गठित की है;

(ग) यदि हां, तो कितने मामलों में समिति ने ऐसे उपकरणों के आयात करने की अनुमति नहीं दी और इसके बजाय देश में निर्मित उपकरणों को खरीदने की सिफारिश की है;

(घ) क्या सरकार का इन मामलों पर पुनर्विचार करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) आयात की आवश्यकता को प्रमाणित करने तथा घरेलू क्लीयरेंस देने के बाद आयात-निर्यात नीति तथा प्रक्रिया सम्बन्धी हस्तपुस्तिका में निर्दिष्ट अनुसार उपयुक्त समिति द्वारा पूंजीगत माल के आयात की अनुमति दी जाती है।

(ख) पूंजीगत माल के आयात सम्बन्धी प्रक्रियाओं की समीक्षा करने के लिए उद्योग मंत्रालय ने एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति गठित की है। समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

(ग) से (ङ) समिति किसी विशेष मामले पर विचार नहीं कर रही है। इसलिए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में जनता कपड़े की मांग

7939. **श्री हरीश रावत** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में जनता कपड़े की कुल मांग कितनी है और इस राज्य को वर्ष 1985 और 1986 में कितने मीटर जनता कपड़ा आबंटित किया गया; और

(ख) इस राज्य के लिए जनता कपड़े के कोटे में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वस्त्र मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों को जनता कपड़े का आवंटन समस्त देश के लिए निश्चित जनता कपड़े के लिए कुल लक्ष्य पर आधारित है, न कि मांग के आधार पर। 1985-86 तथा 1986-87 के लिए उत्तर प्रदेश हेतु जनता कपड़े का उत्पादन लक्ष्य क्रमशः 420 तथा 500 मिलियन वर्ग मीटर के कुल लक्ष्य में से 100 तथा 120 मिलियन वर्ग मीटर था।

(ख) उत्तर प्रदेश के लिए जनता कपड़ा कोटा को बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं है क्योंकि यह राज्य पहले ही राज्य के अन्दर उपभोग हेतु अपनी हकदारी से अधिक जनता कपड़ा पहले से तैयार कर रहा है।

भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड के उत्तर में कोटद्वार में स्थित यूनिट की प्रगति

7940. **श्री हरीश रावत** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड के कोटद्वार यूनिट का निर्माण कार्य निर्धारित कार्यक्रम से बहुत पीछे है; और

(ख) यदि हां, तो इस यूनिट का निर्माण कार्य समय पर पूरा करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन तथा पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी नहीं। कोटद्वार (उत्तर प्रदेश) में भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड यूनिट का निर्माण कार्य कार्यक्रमानुसार चल रहा है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

रानीखेत छावनी क्षेत्र का असैनिक जनता के लिए पानी उपलब्ध कराना

7941. **श्री हरीत रावत** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश के रानीखेत छावनी क्षेत्र की असैनिक जनता को ग्रीष्मकाल में उनकी आवश्यकता से कम पानी मिलता है; और

(ख) यदि हां, तो असैनिक जनता की अधिक मात्रा में पानी उपलब्ध कराने के लिए कौन से कदम उठाए जा रहे हैं ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) रानीखेत छावनी की सिविलियन जनता के लिए 280 लाख गैलन प्रतिदिन (एल०जी० पी०डी०) समेत 9.86 लाख गैलन प्रतिदिन (एल०जी०पी०डी०) की जरूरत के मुकाबले उपलब्ध जल की मात्रा करीब 3.56 लाख गैलन प्रतिदिन है। यह जल सेना इंजीनियरी सेवा तथा छावनी बोर्ड दोनों ही इस्तेमाल कर रहे हैं।

उत्तर प्रदेश जल निगम को 11.2 लाख रुपए का ऋण मंजूर किया गया है ताकि नए पम्प लगाकर मौजूदा जल स्रोतों में वृद्धि की जा सके। इसके अलावा, उत्तर प्रदेश जल निगम, सेना इंजीनियरी सेवा तथा छावनी बोर्ड के लिए जल आपूर्ति में वृद्धि के वास्ते निम्नलिखित निर्माण कार्य कर रहा है :—

(i) 21.01 लाख रु० की लागत पर रानीखेत-ताड़ीखेत जल आपूर्ति योजना के स्रोतों में वृद्धि करना।

(ii) 77.37 लाख रु० की लागत पर रानीखेत-ताड़ीखेत जल आपूर्ति योजना के लिए अतिरिक्त पम्पिंग संयंत्र, और सम्बद्ध कार्य। जल आपूर्ति में वृद्धि करने के उपर्युक्त उपायों से जल आपूर्ति का वर्तमान स्तर 3.56 लाख गैलन प्रतिदिन से बढ़कर 5.96 लाख गैलन प्रतिदिन हो जाएगा।

नए जल स्रोतों का पता लगाने के लिए आगे और प्रयास किए जा रहे हैं ताकि जल आपूर्ति में वृद्धि लाई जा सके।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में निर्यातोन्मुख प्लास्टिक यूनिटें

7942. **श्री प्रताप राव बी० भोंसले** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1987 को महाराष्ट्र में निर्यात करने वाली प्लास्टिक यूनिटों की जिले-वार संख्या क्या थी;

(ख) वर्ष 1983 से 1986 के दौरान महाराष्ट्र की इन यूनिटों द्वारा वर्षवार कितना निर्यात किया गया;

(ग) क्या सरकार ने इन यूनिटों को अपना निर्यात बढ़ाने के लिए कुछ प्रोत्साहन दिए हैं;

(घ) क्या सरकार का भविष्य में महाराष्ट्र की प्लास्टिक यूनिटों को अन्य प्रोत्साहन देने का यह विचार है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) तथा (ख) जिलावार या राज्यवार निर्यात आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग) तथा (घ) निर्यात प्रोत्साहन जैसे कि शुल्क वापसी, आयात प्रतिपूर्ति तथा नकद मुआवजा सहायता प्लास्टिक उद्योग को उपलब्ध हैं तथा उसमें इस बात का ध्यान नहीं रखा जाता है कि एकक किस स्थान पर स्थित है।

(ङ) तथा (च) प्रश्न ही नहीं उठते।

हिन्दुस्तान डायमंड कम्पनी की बैंक आफ बेरमुडा के साथ भागीदारी

7943. **श्री सी० माधव रेड्डी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंक आफ बेरमुडा जिसके साथ हिन्दुस्तान डायमंड कम्पनी लिमिटेड में भारत सरकार भागीदार है, के पास कोई हीरों के व्यापार अथवा इस व्यापार से सम्बन्धित कोई अनुभव है;

(ख) क्या इस तरह की भागीदारी सरकार की नीति के अनुरूप हैं; और

(ग) बैंक आफ बेरमुडा को लाभांश निदेशकों की फीस आदि के रूप में प्रतिवर्ष कितनी विदेशी मुद्रा का भुगतान किया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) तथा (ख) देश में प्रोसेसिंग तथा पुर्निर्यात के लिए अपरिष्कृत हीरों की उपलब्धता में सुधार लाने में सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से सरकार ने बैंक आफ बेरमुडा को हिन्दुस्तान डायमंड कम्पनी में इक्विटी हिस्सेदारी में भाग लेने के लिए अनुमति दे दी है। बैंक आफ बेरमुडा ने कम्पनी को नियमित रूप से अपरिष्कृत हीरों की खरीद में सहायता की पेशकश की है। बैंक अपरिष्कृत हीरों के मूल्य निर्धारण तथा उनके चयन में कम्पनी के कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए भी सहमत हो गया है।

(ग) हिन्दुस्तान डायमंड कम्पनी लि० के आरम्भ होने से अब तक बैंक आफ बेरमुडा को भुगतान किया गया लाभांश निम्नोक्त प्रकार है :—

वर्ष	विदेशी मुद्रा में प्रेषित निवल लाभांश (रुपए)
1	2
1979-80	47,250.00

1	2
1980-81	94,500.00
1981-82	94,500.00
1982-83	1,18,125.00
1983-84	1,57,500.00
1984-85	1,57,500.00
1985-86	78,750.00
योग :	7,48,125.00

निदेशकों की फीस आदि के रूप में बैंक आफ बेरमुडा को विदेशी मुद्रा का कोई भुगतान नहीं किया गया ।

विदेशी पर्यटकों द्वारा आदिवासी महिलाओं के फोटो लिया जाना

7944. **श्री के० प्रधानी** : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विदेशी पर्यटक, जो उड़ीसा में आदिवासी क्षेत्रों का दौरा करते हैं, अर्धनग्न आदिवासी महिलाओं के फोटो ले लेते हैं और उन्हें विदेशी समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं में प्रकाशित करते हैं;

(ख) क्या इसे रोकने के लिए कोई पाबन्दी लगाने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन मंत्री (मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) पर्यटन मंत्रालय को ऐसे किसी विदेशी पर्यटक की जानकारी नहीं है जिसने उड़ीसा में अर्धनग्न आदिवासी महिलाओं के फोटो लिए हों और उन्हें विदेशी प्रिंट मिडिया में प्रकाशित कराया हो ।

(ख) और (ग) चूंकि उड़ीसा विदेशी पर्यटकों के लिए एक प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं है, इसलिए इस मंत्रालय के लिए विदेशी पर्यटकों द्वारा स्थानीय लोगों के फोटों लेने पर पाबंदी लगाना सम्भव नहीं है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय की आतिथ्य स्कीम के अन्तर्गत आमंत्रित अतिथियों के साथ हमेशा एक सम्पर्क अधिकारी जाता है ताकि वह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे आपत्तिजनक किस्म के फोटो न लिए जाएं जिनसे देश की छवि को क्षति पहुंचे और विदेशों में विपरीत प्रचार हो ।

भूतपूर्व सैनिकों के लिए स्व:रोजगार योजना

7945. **श्री पी०एम० सईद** :

प्रो० नारायण चन्द पराशर :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुनर्वास महानिदेशालय ने भूतपूर्व सैनिकों के लिए एक स्व-रोजगार योजना की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है और योजना के अन्तर्गत किन-किन श्रेणियों के भूतपूर्व सैनिक लाभान्वित होंगे; और

(ग) उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक धनराशि जुटाने के लिए क्या कदम उठाने का सुझाव दिया गया है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) 1-4-1987 की शुरू की गई सेमफैक्स योजना (भूतपूर्व सैनिकों के लिए स्व:रोजगार) के अन्तर्गत भूतपूर्व सैनिकों, सेना के निशक्त कार्मिकों और दिवंगत भूतपूर्व सैनिकों की पत्नियों को स्व:रोजगार प्राप्त करने में सहायता दी जाएगी और उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। इस योजना के अन्तर्गत, सेवानिवृत्त होने वाले ऐसे सेना कार्मिकों को भी स्वरोजगार का प्रशिक्षण दिया जाएगा जो इसके लिए इच्छुक हों।

पुनर्वास महानिदेशालय ने आई० डी० बी० आई० के सहायोग से भूतपूर्व सैनिकों के लिए स्व:रोजगार की यह योजना (सेमफैक्स) संयुक्त रूप से तैयार की है। सेमफैक्स (भूतपूर्व सैनिकों के लिए स्व:रोजगार) की निम्नलिखित विशेषताएं हैं :—

(एक) चयन, प्रशिक्षण परामर्श सेवा, परियोजना रिपोर्ट लेखन से एक पूर्ण रूपरेखा तैयार होगी;

(दो) पुनर्वास महानिदेशालय आई०डी०बी०आई० में केन्द्रीय कल्याण निधि से एक करोड़ रुपया वार्षिक निवेश करेगा तथा भूतपूर्व सैनिकों, दिवंगत भूतपूर्व सैनिकों की पत्नियों और निशक्त कार्मिकों के स्वरोजगार के लिए रियायती शर्तों पर ऋण पूंजी के लिए आवर्तन निधि का सृजन करेगा। आई०डी०बी०आई० भी उतनी ही राशि अंशदान के रूप में देगा। ऋण पूंजी के रूप में अधिकतम 1,80,000 रुपए तक उदार शर्तों पर बगैर किसी प्रतिभूति अथवा समर्थक ऋणाधार के उपलब्ध कराई जाएगी;

(तीन) सामान्य आई०डी०बी०आई० योजना के अन्तर्गत प्रोत्साहक के परियोजना लागत के न्यूनतम अंशदान 12.5 प्रतिशत से 22.5 प्रतिशत के मुकाबले प्रोत्साहन का अंशदान केवल 10 प्रतिशत होगा;

(चार) केन्द्र और राज्य की सहायता को परियोजना लागत वित्तीय साधन के रूप में हिसाब में नहीं लिया जाएगा। ऐसी सहायता तथा अन्य उपलब्ध रियायतों को कार्यकारी पूंजी के लिए भूतपूर्व सैनिक उद्यमियों द्वारा "कुशन" के रूप में रख लिया जाएगा;

(पांच) आ०डी०बी०आई० मियादी ऋण की दोबारा व्यवस्था करेगी और

(छः) जिला सैनिक बोर्ड में पंजीकृत आवेदकों की आरम्भिक जांच के बाद जिला सैनिक बोर्ड स्तर की एक समिति तथा अध्यक्ष के रूप में राज्य वित्त निगम की एक समिति जिसमें सचिव, राज्य सैनिक बोर्ड, प्रबंध निदेशक, राज्य तकनीकी परामर्शदाता संगठन तथा संबंधित लीड बैंक का प्रतिनिधि सदस्य के रूप में होंगे, उचित रोजगार की मंजूरी के लिए आवेदन पत्रों की जांच करेगी। तकनीकी परामर्शदाता संगठन परियोजनाओं का पता लगाने तथा चुने गए भूतपूर्व सैनिकों के लिए उद्यम विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने में सहायता करेगा।

सेमफैक्स (भूतपूर्व सैनिकों के लिए स्व-रोजगार) के अन्य महत्वपूर्ण बातें :

पात्र परियोजनाएं

1. के०वी०आई०सी० के क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले सभी परियोजनाएं, कृषि आधारित उद्योग, परिवहन और अन्य पात्र उद्योगों समेत लघु उद्योग क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली नई औद्योगिक परियोजनाएं जो आई०डी०बी०आई० के लिए पुनर्वित्त योजना के अन्तर्गत सहायता ले सकते हों, इस योजना के अन्तर्गत शामिल किए जाएंगे ।

2. इस परियोजना की लागत 12 लाख रुपए से अधिक नहीं होगी ।

3. 50,000 रुपए तक का ऋण आई०डी०बी०आई० के मौजूदा संयुक्त ऋण योजना के अन्तर्गत दिया जाएगा । 100 प्रतिशत राशि राज्य वित्त निगम/बैंक द्वारा दी जाएगी और आई०डी०बी०आई० उसे वापस लौटाएगा । किसी प्रोत्साहक के अंशदान की आवश्यकता नहीं है । अधिसूचित पिछड़े क्षेत्र में स्थित होने पर ऋण पर 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष रियायती ब्याज मिलेगा और अन्य क्षेत्रों में स्थित होने पर 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष रियाती ब्याज मिलेगा ।

वित्तियों के स्रोत

4. परियोजना की लागत (संयुक्त ऋण योजना से भिन्न) में भूमि, भवन, प्लांट तथा मशीनरी की लागत, अन्य निश्चित परिसंपत्तियां तथा कार्य पूंजी के लिए अतिरिक्त लागत शामिल है तथा प्रोत्साहन के अंशदान, परियायती शर्तों पर ऋण पूंजी और मियादी ऋण का प्रबंध किया जाता है । इस योजना के अन्तर्गत प्रोत्साहन का अंशदान परियोजना की लागत का 10 प्रतिशत होगा, रियायती शर्तों पर ऋण पूंजी 15 प्रतिशत तक होगी और मियादी ऋण 75 प्रतिशत होगा । सेमफैक्स योजना (भूतपूर्व सैनिकों के लिए रोजगार) के अन्तर्गत परियोजना की अधिकतम स्वीकृत लागत 12 लाख रुपए है । उदाहरण के रूप में यदि परियोजना की लागत 1 लाख रुपए है तो इसके हिस्से ये होंगे :—

(एक) प्रोत्साहन का अंशदान (पूरी परियोजना की लागत का 10%)	10,000 रुपए
(दो) रियायती शर्तों पर ऋण पूंजी (पूरी परियोजना की लागत के 10% तक)	15,000 (पुनर्वास महानिदेशक तथा आई०डी०बी०आई० प्रत्येक द्वारा 7500 रु०)
(तीन) मियादी ऋण (पूरी परियोजना की लागत का 75%)	75,000 रुपए
	1,00,000 रुपए

ब्याज

5. **(एक) रियायती शर्तों पर ऋण पूंजी :**

वार्षिक सेवा प्रभार के रूप में 1 प्रतिशत प्रतिवर्ष का नाममात्र ब्याज देय होगा । रियायती शर्तों पर ऋण पूंजी अवधि के दौरान दरें की समीक्षा की जा सकेगी । यदि

वित्तीय स्थिति और यूनिट का लाभ अनुमति दे तो ब्याज ऊंची दर पर लिया जाएगा लेकिन यह ऋण की सामान्य शर्तों से अधिक नहीं होगा ।

(दो) मियादी ऋण :

मियादी ऋण 9 लाख रुपए से अधिक नहीं होगा । यदि यह अधिसूचित पिछड़े क्षेत्रों में है तो इस पर रियायती ब्याज की दर प्रतिवर्ष 12.5 प्रतिशत होगी और यदि अन्य क्षेत्रों में है तो ब्याज की दर 13.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष होगी । वाहन लेने के लिए ऋणों के मामले में 12.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की समान दर पर ब्याज लिया जाएगा ।

पुनर्भुगतान अवधि :

6. रियायती शर्तों पर ऋण पूंजी सहायता का पुनर्भुगतान 10 वर्ष तक की अवधि से किया जाएगा जिसमें 5 वर्ष तक का आरम्भिक विलम्बन काल शामिल है । मियादी ऋण का पुनर्भुगतान 10 वर्ष तक किया जाएगा जिसमें 1 से 2 वर्ष की सामान्य छूट शामिल है । परिवहन ऋण का पुनर्भुगतान 5 वर्षों में किया जाएगा ।

प्रतिभूति :

7. सेमफैक्स (भूतपूर्व सैनिकों के लिए स्वःरोजगार) योजना के अन्तर्गत रियायती शर्तों पर ऋण पूंजी सहायता प्रतिभूति रहित होगी और ऋणदाता को उसके लिए कोई प्रतिभूति (समर्थक ऋण आधार सहित) देने की जरूरत नहीं है । मियादी ऋण के लिए जहां आवश्यक हो परियोजनाओं की परिसम्पत्ति के सिवाय कोई समर्थक ऋण आधार देने की जरूरत नहीं होगी ।

सहायता देने की प्रक्रिया :

8. राज्य वित्त निगम अथवा राज्य औद्योगिक विकास निगम जो उनसे राज्य वित्त नियमों का कार्य कराता है (अपने-अपने राज्य और क्षेत्र में मंजूरी संवितरण और रियायती शर्तों पर ऋण पूंजी तथा परियोजना के लिए सामान्य मियादी ऋण की वसूली के लिए आई० डी०बी०आई० के एजेंट के रूप में कार्य करेगा । परियोजना की व्यवहार्यता का मूल्यांकन करने के बाद ऋण मंजूर किया जाएगा ।

प्रशिक्षण :

9. (i) जिन भूतपूर्व सैनिकों/दिवंगत भूतपूर्व सैनिकों की पत्नियों और निशक्त कार्मिकों की परियोजनाएं मंजूर कर ली जाएंगी उन्हें आई०डी०बी०आई० सम्बन्धित तकनीकी परामर्शदाता संगठन अथवा आई०डी०बी०आई० द्वारा अनुमोदित किसी एजेंसी के माध्यम से चलाए जा रहे उद्यमी विकास कार्यक्रम प्रशिक्षण में अपने-अपने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के राज्य पुनर्वास प्रशिक्षण केन्द्र में भाग लेना होगा ।

(ii) प्रत्येक राज्य/संघ राज्य से अनुरोध किया गया है कि प्रशिक्षण लेने वालों के लिए उपयुक्त आवास का अलग से प्रबंध कर दिया जाए । प्रशिक्षण के लिए भेजे गए उम्मीदवारों पर होने वाला प्रशासनिक व्यय तथा प्रशिक्षण की अवधि के दौरान वृत्तिका का भुगतान जहां लागू हो, राज्य सैनिक बोर्डों द्वारा वहन किया जाएगा ।

(iii) पुनर्वास महानिदेशालय ने अपनी आय का एक भाग स्वःरोजगार को प्रोत्साहन देने

के लिए अलग से रख दिया है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि वे स्व:रोजगार सहायता के लिए अपनी कल्याण निधियों में अपनी आय का कुछ हिस्सा इसी प्रकार से रखें।

(iv) प्रशिक्षण, कागजात/सामग्री की लागत जिसमें पारिश्रमिक, यदि कोई हो, भी शामिल है, आई०डी०बी०आई० द्वारा वहन किया जाएगा। तकनीकी परामर्शदाता संगठन/लघु उद्योग सेवा संस्थान/अन्य एजेंसी द्वारा परियोजना रिपोर्ट तैयार करने, परामर्शदाता सेवाएं आदि पर हुआ खर्च आई०डी०बी०आई० द्वारा वहन किया जाएगा बशर्ते यह खर्च प्रति व्यक्ति 2500 रुपए से अधिक न हो।

पाठ्यक्रम अवधि :

10. पाठ्यक्रम की अवधि का निर्णय तकनीकी परामर्शदाता संगठन द्वारा किया जाएगा।

स्थायी व्यापार मेला केन्द्रों की स्थापना

7946. **श्री पी०एम० सईद** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की भारत में स्थायी व्यापार मेला केन्द्र स्थापित करने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो स्थानों के नाम सहित योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या दिल्ली के अतिरिक्त अन्य केन्द्रों में भी अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले आयोजित करने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) और (ख) कुछ राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, जम्मू और कश्मीर आदि ने अपनी राजधानियों में प्रदर्शनी काम्प्लैक्स स्थापित करने में रुचि दिखाई है। भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण इन राज्यों से संपर्क बनाए हुए है।

(ग) भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण अन्य स्थानों पर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों के आयोजन की सम्भावनाओं पर विचार कर रहा है जो कि विभिन्न अवस्थापनात्मक सुविधाओं की उपलब्धता पर निर्भर है। इस दिशा में एक कदम के बतौर इसने 1986 और 1987 के दौरान मद्रास में भारत अन्तर्राष्ट्रीय चमड़ा मेला आयोजित किया है।

गैर-परम्परागत देशों को निर्यात

7947. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986-87 में गैर-परम्परागत देशों को निर्यात में वृद्धि के लिए क्या प्रयास किए गए;

(ख) उनके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या विश्व व्यापार में भारत का हिस्सा घट रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) विश्व व्यापार में भारत का हिस्सा बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) और (ख) हमारे निर्यात बाजारों का विस्तार करने तथा विविधीकरण करने के लिए हाल में अनेक कदम उठाए गए हैं उनमें

शामिल हैं, अनेक देशों के साथ द्विपक्षीय करार, विशिष्ट भारतीय प्रदर्शनी का आयोजन तथा सामान्य और वस्तु-विशेष अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में सहभागिता, क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन आदि । उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अप्रैल-जनवरी, 1986-87 के दौरान भारत के समूचे निर्यात 10075.45 करोड़ रु० के स्तर के हुए जो कि पिछले वर्ष की इसी अवधि के 8609.34 करोड़ रु० के स्तर की तुलना में 17.0% की वृद्धि दर्शाते हैं ।

(ग) और (ङ) उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार विश्व निर्यातों में भारत का अंशदान जो कि जनवरी-सितम्बर, 1986 में 0.41 प्रतिशत था, जनवरी-सितम्बर, 1986 में बढ़कर 0.44 प्रतिशत हो गया । सरकार ने हमारे निर्यातों में वृद्धि करने तथा विश्व-निर्यातों में भारत का अंशदान बढ़ाने के लिए अनेक उपाय किए हैं । इन उपायों का उद्देश्य निर्यातों के लिए अधिक उत्पादन करना, प्रौद्योगिकी में समकालीन तथा कीमतों में प्रतियोगी वस्तुओं के उत्पादन को प्रोत्साहन देना तथा निर्यातों को लाभप्रद बनाना है ।

पैन-एम एयरलाइन्स के विमान के अपहरणकर्ताओं पर मुकदमा चलाना

7948. **श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तानी अधिकारी पैन-एम एयर-लाइन्स के विमान के संदिग्ध अपहरणकर्ताओं पर मुकदमा चलाए जाने की तिथि निर्धारित कर रहे हैं;

(ख) क्या भारत सरकार ने विमान अपहरणकर्ताओं की राष्ट्रीयता आदि के संबंध में जो जानकारी मांगी थी, वह पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा भेज दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) सरकार ने इस आशय की खबरें पाकिस्तान की प्रैस में देखी हैं ।

(ख) इस मामले में सरकार ने जो जांच रिपोर्ट पाकिस्तान से मांगी थी, वह अभी उसे देनी है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

[हिन्दी]

सांची में भू-दृश्य और मनोरंजन उद्यान की योजना

7949. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार को सांची में भू-दृश्य एवं मनोरंजन उद्यान की 15.75 लाख रुपए की लागत की एक योजना भेजी है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना पर क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) यह योजना कब तक स्वीकृत की जाएगी ?

पर्यटन मंत्री (मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) स्कीम को अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया है ।

मध्य प्रदेश में सहकारी सूत मिल

7950. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार

सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान मध्य प्रदेश मे एक सहकारी सूत मिल की स्थापना करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : मध्य प्रदेश राज्य में सहकारी कताई मिल स्थापित करने के लिए इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

आयात-निर्यात योजनाओं को सुदृढ़ बनाना

79. 1. **डा० गौरी शंकर राजहंस** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आयात-निर्यात को प्रभावी बनाने के लिए हाल ही में कोई योजनाओं की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो घोषित की गई योजनाओं/परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) घोषित योजनाओं/परिवर्तनों से देश की आय में कितनी वृद्धि होगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) से (ग) शुल्क छूट योजना तथा आयात-निर्यात पास बुक योजना के, जो कि निर्यात संवर्धन योजनाएं हैं, कुछ प्रावधानों में क्रमश: सार्वजनिक सूचना सं० 156/85-88 दिनांक 19-2-1987 तथा 165/85-88 दिनांक 27-3-1987 के अनुसार हाल में संशोधन किया गया है, जिसकी प्रतियां संसदीय पुस्तकालय में उपलब्ध है। योजनाओं के संचालन तथा उनकी कार्यक्षेत्रों दोनों में परिवर्तन किए गए हैं। इन परिवर्तनों के प्रभाव का मूल्यांकन इतनी जल्दी नहीं किया जा सकता।

आयात को उदार बनाना

7952. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयात को उदार बनाने की योजना का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो सरकारी एजेन्सी के माध्यम से किए जाने वाले किन वस्तुओं के आयात में कमी किए जाने का विचार है और खनिज और धातु व्यापार निगम तथा राज्य व्यापार निगम के निर्यात सम्बन्धी समझौते पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) तथा (ख) आयात नीति की समीक्षा एक सतत प्रक्रिया है और जब कभी आवश्यक होता है तब सभी संगत बातों पर विचार करने के बाद आवश्यक सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं।

अण्डमान में होटलों की स्थापना

7953. **श्री नित्यानन्द मिश्र** : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंगापुर के भारतीयों से अण्डमान में होटल स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन पर क्या निर्णय किया गया है ?

पर्यटन मंत्री (मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

भारतीय शिष्टमंडल द्वारा यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों का दौरा

7954. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय शिष्टमंडल ने ऊर्जा, इस्पात, विज्ञान और "यूरोपियन डाटा बेस" आदि क्षेत्रों में आधुनिक तकनीक के विकास के सम्बन्ध में सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार यूरोपीय आर्थिक समुदाय से भारतीय उद्योगों में प्रासंगिक यूरोपियन डाटा बेस को प्राप्त करने में कहां तक सफल हुई है; और

(ग) सरकार औद्योगिक तकनीक के आधार पर स्वयं अपना डाटा बेस स्थापित करने के लिए कौन से कदम उठा रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) जनवरी, 1987 में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने भारत-यूरोपीय आर्थिक समुदाय संयुक्त आयोग के चौथे अधिवेशन के सम्बन्ध में ब्रसेल्स का दौरा किया, जबकि अन्य बातों के साथ-साथ विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, इस्पात तथा यूरोपीय डाटा बैंक के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी के विकास के लिए यूरोपीय आर्थिक समुदाय की सहायता की मांग की गई थी ।

(ख) यूरोपीय आर्थिक समुदाय सैद्धान्तिक रूप में यूरोप में विभिन्न डाटा बैंकों तक पहुंच के लिए सम्भव प्रबन्धकों के बारे में विचार-विमर्श करने के लिए राजी हो गया है।

(ग) भारत में औद्योगिक प्रौद्योगिकी डाटा बैंक स्थापित करने के सरकार के इरादे की सूचना सहायता के लिए यूरोपीय आर्थिक समुदाय को दे दी गई है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने भारत को अपना डाटा बैंक स्थापित करने में सहायता देने में रुचि दिखाई है।

काजू

7955. **श्री के० मोहनदास** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अफ्रीकी तथा अन्य देशों से कच्चे रूप में कितना काजू आयात किया जाता है;

(ख) क्या सरकार का काजू का उत्पादन बढ़ाने की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और वर्ष 1987-88 में इस प्रयोजन के लिए कुल कितनी धनराशि आवंटित की जा रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) अनेक देशों से भारत में संसाधित किये जाने के लिए कच्चे काजू आयात किया जा रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों के लिए आयातित मात्राएं निम्नोक्त प्रकार है :—

वर्ष		मात्राएं (एम० टनों में)
1983-84	—	27,915
1984-85	—	33,158
1985-86	—	23,310

(ख) तथा (ग) कच्चे काजू का स्वदेशी उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान काजू के विकास के लिए एक केन्द्र प्रायोजित योजना कार्यान्वित की जा रही है। 1987-88 के लिए प्रस्तावित कार्यक्रमों में आर्थिक सहायता प्राप्त क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम प्रदर्शन-प्लाटो की रूप रेखा बनाना, पौध संरक्षण उपाय करना इत्यादि शामिल हैं। 1987-88 के दौरान इन कार्यक्रमों के लिए परिव्यय 150 लाख रु० है, जिसमें राज्य सरकारों का हिस्सा भी शामिल है, इसके बाद अतिरिक्त, किसान काजू की खेती के लिए बैंकों से ऋण का लाभ भी उठाते हैं।

केरल में पर्यटन के विकास के लिए धनराशि का उपयोग करना

7956. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में पर्यटन के विकास के लिए वर्ष 1986-87 के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई 10.5 लाख रुपए का राशि के उपयोग से सम्बन्धित ब्यौरा क्या है;

(ख) केन्द्रीय सरकार पर्यटन के विकास के लिए राज्यों को हर वर्ष आबंटित धनराशि के उपयोग पर किस तरह निगरानी रखती है और अथवा उस पर नियन्त्रण रखती है;

(ग) केरल में पर्यटन के विकास के लिए वर्ष 1987-88 में कुल कितनी धनराशि नियत की गई है;

(घ) केन्द्रीय सरकार ने केरल के लिए इस वर्ष कोई विशिष्ट परियोजना आरम्भ करने के सम्बन्ध में सुझाव दिए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन मंत्री (मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) 1986-87 में, केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय ने केवल में निम्नलिखित पर्यटन स्कीमों के लिए 181.44 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है :—

1. कोवलम में जल क्रीड़ाएं।
2. पैदल-भ्रमण (ट्रैकिंग) उपकरणों की व्यवस्था।
3. क्विलोन में यात्री निवास।
4. कप्पड़ में समुद्र तट विहार स्थल।
5. त्रिवेन्द्रम में यात्री निवास।
6. परम्बिकुलम में वन-गृह।

(ख) केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय राज्यों को पर्यटन के संवर्धन के लिए आबंटित निधियों के उपयोग की निगरानी या पर्यवेक्षण नहीं करता।

(ग) केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय निधियों का आबंटन राज्य-वार नहीं करता बल्कि स्कीम-वार करता है।

(घ) केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय राज्यों को विशिष्ट परियोजनाओं हेतु सुझाव नहीं देता। राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर वित्तीय सहायता दी जाती है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय इंजीनियरी सामान के निर्यात पर शास्तिक शुल्क

7957. **श्रीमती बसवराजेश्वरी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए योजना बनाई है कि भारतीय इंजीनियरी सामान के निर्यात पर विदेशों में शास्तिक शुल्क न लगे;

(ख) क्या यह योजना अमरीकी प्राधिकारियों द्वारा हाल ही में भारतीय निर्यात पर प्रतिकारी शुल्क लगाने की कार्यवाही के जवाब में लागू की गई थी; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) से (ग) निर्यात प्रोत्साहनों तथा संवर्धन के लिए योजना तैयार करने में सरकार हमारे द्वारा स्वीकृत रूप में अन्तर्राष्ट्रीय मानदंडों तथा नियमों को ध्यान में रखती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आयातक देशों की सरकारों द्वारा हमारे निर्यातों पर पाटनरोधी तथा प्रतिकारी शुल्क लगाने के अवसर कम से कम हों। सरकार द्वारा अपनाई गई यह एक सामान्य नीति है तथा भारतीय निर्यात पर संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा लगाए गए किसी प्रतिकारी शुल्क से सम्बन्धित नहीं है।

जापान में श्रिम्प मछली बाजार भारत के हाथ से निकलना

7958. **श्रीमती बसवराजेश्वरी** :

श्री एस० एम० बुरड्डी :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रिम्प मछली का निर्यात करने वाले अन्य देशों के साथ तीव्र प्रतिस्पर्द्धा के कारण जापान में श्रिम्प मछली का बाजार तेजी से भारत के हाथ से निकलता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या जापान भारत से निर्यात की जाने वाली लगभग 72 प्रतिशत श्रिम्प मछली खरीदता है; और

(ग) यदि हां, तो जापान के इस बाजार के भारत के हाथ से निकल जाने के मुख्य कारण कौन से हैं और जापान में पुन: भारतीय मछली की मांग बढ़ाने हेतु कौन से प्रयास किए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) से (ग) अपनी बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए जापान के श्रिम्प के आयात में वृद्धि हुई है। स्थिर श्रिम्प उत्पादन के कारण भारत अपने अंश को बनाए रखने में असफल रहा है। जापान द्वारा कुल आयात भारत से आयात तथा उनका अंश नीचे दिए गए हैं :—

वर्ष	जापानी आयात (मे० टन में)	भारत से आयात (मे० टन में)	भारत का अंश
1983	148628	36912	24.84%
1984	169080	38498	22·77%
1985	182912	46235	9·81%
1986	212805	36727	7.26%

इस अवधि के दौरान कुछ श्रिम्प निर्यातक देश जैसे ताइवान अपने सफलतापूर्वक श्रिम्प पालन कार्यक्रमों के कारण जापान को अपनी सप्लाइयों में वृद्धि कर सके तथा जापान में श्रिम्पों की बढ़ती हुई मांग को पूरा कर सके। जावान भारत श्रिम्पों के लिए प्रमुख बाजार बना रहा जिसका भाग मूल्य की दृष्टि से भारत के श्रिम्प निर्यात का लगभग 74.6% बैठता है।

जापान में बाजार प्राप्त करने के लिए किए जा रहे प्रयासों में शामिल हैं—कल्चर्ड श्रिम्पों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए श्रिम्प पालन का संवर्धन, श्रिम्प अंडज उत्पत्ति शालाएं स्थापित करना, टोकियों में एम्पीडा के व्यापार संवर्धन कार्यालय के माध्यम से संवर्धनात्मक प्रयास, जापान में प्रमुख फूड फेयर में एम्पीडा द्वारा नियमित भागीदारी तथा भारत में जापानी खरीदारों को और सीफूड प्रतिनिधिमंडल आमंत्रित करना।

(स्रोत : एम्पीडा, कोचीन)

भारत और सोवियत संघ के बीच व्यापार अन्तर

7959. **श्रीमती बसवराजेश्वरी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और सोवियत संघ ने बढ़ते हेतु व्यापार अन्तर को समाप्त करने के लिए तुरन्त कोई उपाय करने का निर्णय लिया है, यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ख) भारत और सोवियत संघ के बीच व्यापार में बढ़ते हुए अन्तर के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) तथा (ख) भारत-सोवियत व्यापार शेष, जिसमें समय-समय पर उतार-चढ़ाव आता है, अब कुछ समय से मुख्यतः कच्चे तेल तथा तेल उत्पादों की कीमतों में गिरावट होने की वजह से सोवियत संघ के पक्ष में रुपया स्रोतों के कम सृजन के कारण से भारत के पक्ष में रहा है। दोनों देश व्यापार को स्थिरता प्रदान करने तथा व्यापार की मात्रा को बढ़ाने के उद्देश्य से व्यापार ढांचे में विविधता होने के लिए कदम उठा रहे हैं। भारत में आयात के लिए 1987 हेतु भारत-सोवियत व्यापार योजना में कोकिंग कोल, अपघर्षक माल, सेलिनियम, एंटीमोनी, सोडा ऐश, एवसीलीन पी०वी०सी०, पोलियस्टरीन, चिरा हुआ सामान, लकड़ी की लुगदी, रद्दी कागज, कच्ची खालें आदि जैसी नई मदें शामिल की गई हैं। वर्तमान मदों के सम्बन्ध में भी, भारत में आयातों के सम्बन्ध में कच्चा तेल, अखबारी कागज़, संश्लिस्ट रबड़, मेथानाल, पोलीथिलीन, उर्वरकों, रोल्ड इस्पात उत्पादों आदि जैसी मदों में भी वृद्धियां की गई हैं। परम्परागत व्यापार आदान-प्रदान के अलावा, सहयोग के अन्य तरीकों जैसे कि उत्पादन सहयोग संयुक्त उद्यमों, भारतीय फर्मों द्वारा सोवियत संघ में परियोजनाओं की स्थापना आदि का पता लगाया जा रहा है। व्यापार मेलों/सामान्यीकृत प्रदर्शनियों, क्रेता-विक्रेता बैठकों में सहभागिता, वाणिज्यिक तथा व्यापारिक शिष्ट मंडलों के आदान-प्रदान तथा भारतीय व सोवियत व्यापारिक तथा औद्योगिक उद्यमों और निर्यात एसोसियेशनों के बीच सम्बन्धों को बढ़ाने के लिए संस्थागत प्रबंधों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।

चाय उद्योग के निर्यात सम्बन्धी प्रस्ताव

7960. **श्रीमती बसवराजेश्वरी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय उद्योग ने जून, 1986 में सरकार को चाय निर्यात की दीर्घावधिक नीति के लिए एक प्रस्ताव भेजा था; और

(ख) यदि हां, तो चाय उद्योग द्वारा कौन-कौन सी सिफारिशें की गई और उनमें से कितनी सिफारिशें सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा चुकी हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) तथा (ख) चाय के निर्यात बढ़ाने के लिए समय-समय पर विभिन्न चाय व्यापारी एसोसिएशनों के अभ्यावेदन/सुझाव प्राप्त हुए हैं। निर्यात बढ़ाने के लिए विगत हाल में चाय व्यापार द्वारा दिए गए सुझावों में शामिल हैं चाय के निर्यातों को नियंत्रित करने वाली दीर्घावधि योजना के लिए अनुरोध, क्वालिटी चाय के अधिक उत्पादन को बढ़ावा देने की आवश्यकता, निर्यातकों को बेहतर-ऋण सुविधाएं, पैकेजिंग उपस्करों पर आयात शुल्क की रियायती दरें, विदेशों में संवर्धनात्मक कार्यकलापों के लिए विदेशी मुद्रा आय का उपयोग करने की अनुमति, पैकेजिंग फैक्टरियों के लिए उदार शर्तों पर निधियां प्रदान करना, चाय बैगों की परिभाषा में परिवर्तन करना, ताकि चाय के 30 ग्राम तक के बैग शामिल किए जा सकें, 1 किग्रा० तथा 21 किग्रा० के बीच पैक की गई चाय के निर्यातों पर छूट आदि। क्वालिटी चाय के अधिक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कई विकासात्मक योजनाएं चल रही हैं जिनमें आवश्यकता के अनुसार समय-समय पर संशोधन किए जाते हैं। चाय बोर्ड ने चाय पैकेजिंग मशीनरी की खरीद के लिए ब्याज मुक्त ऋण योजना शुरू की है। 20 किग्रा० वजन तक की पैकेट चाय के निर्यातों पर उत्पाद शुल्क की पहले ही छूट है। 20 ग्राम से अधिक वजन वाले चाय बैगों के निर्यात पर कोई रोक नहीं है तथा इसलिए चाय बैगों की परिभाषा में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त, विगत हाल में चाय के निर्यातों को बढ़ाने के लिए किए गए उपायों में शामिल हैं, मूल्य-वर्धित चाय पर उच्च नकद मुआवजा सहायता बल्क चाय के निर्यात पर उत्पादन शुल्क में 50 पैसे प्रति किलोग्राम की छूट, पैकेट चाय के निर्यातों पर उत्पाद शुल्क की पूरी छूट, चाय बैगों पर उत्पाद शुल्क की छूट, चाय बैगों के विनिर्माण में प्रयोग किए गए फिल्टर पेपर पर सीमा शुल्क की छूट, आदि।

खाद्यान्नों का निर्यात

7961. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986-87 के दौरान किन कृषि उत्पादों का निर्यात किया गया और उनका मूल्य कितना था;

(ख) क्या यह सच है कि भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल परिसंघ ने सरकार से यह अनुरोध किया था कि वह खाद्यान्नों और अन्य कृषि उत्पादों को मौसम के प्रभाव से सुरक्षित रख कर निर्यात में वृद्धि करने के लिए निर्यातकर्ताओं को बड़े पैमाने पर भूमि आबंटित करें; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) 1986-87 के दौरान निर्यात किए गए प्रमुख कृषि उत्पाद थे : गेहूं तथा बासमती चावल सहित अनाज, तम्बाकू, ममाले, काजू गिरी, एच०पी०एस० मूंगफली, खली, चमड़ा, संसाधित खाद्य पदार्थ, मांस तथा मांस उत्पाद और ताजे फल एवं सब्जियां। अनन्तिम अनुमानों के अनुसार, अप्रैल, 1986 से फरवरी, 1987 अवधि के लिए, जिनके लिए अनुमान उपलब्ध हैं निर्यात लगभग 1500 करोड़ रु० के हुए।

(ख) जी, हां।

(ग) राज्यों के भूमि अधिकतम सीमा कानूनों में निर्यातकों के लिए भूमि के विस्तृत क्षेत्रों के आबंटन के लिए कोई विशेष प्रबन्ध नहीं किए गए हैं। भूमि का आबंटन भूमिहीनों तथा समाज के कमजोर वर्गों को प्राथमिकता देने की सरकार की समग्र नीति के अन्तर्गत किया जाता है।

केन्द्रीय पुलिस बलों के कार्यचालन की पुनरीक्षा

7962. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी केन्द्रीय पुलिस बलों के संगठन और ढांचे को कारगर और युक्तिसंगत बनाने के उद्देश्य से उनके कार्यचालन की पुनरीक्षा की गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या पुनरीक्षा कार्य पूरा हो गया है और इस पुनरीक्षा के क्या परिणाम निकले हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) समीक्षा पूरी हो गई है और समीक्षा के दौरान लिए गए निर्णय के अनुसार कार्रवाई प्रारम्भ की जा चुकी है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में रेशम कीट पालन के विकास की योजना

7963. **श्री मदन पाण्डे** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय रेशम बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों की रेशम कीट पालन विभाग, उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के साथ 1986 में कोई बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में उत्तर प्रदेश में रेशम कीट पालन के विकास के लिए कुछ योजनाएं तैयार की गई थीं;

(ग) यदि हां, तो उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है और उनमें से कितनी योजनाएं अब तक कार्यान्वित की गई हैं; और कितनी योजनाएं अभी तक क्रियान्वित की जानी है; और

(घ) शेष योजनाओं के कार्यान्वित न किए जाने के क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश सरकार ने शहतूती रेशम उत्पादन उद्योग के विकास की नीति पर विचार करने के लिए 12-9-86 को एक बैठक बुलाई। इस बैठक में अन्य लोगों के साथ-साथ केन्द्रीय रेशम बोर्ड के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में हुए विचार-विमर्श के आधार पर बोर्ड द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं/कार्यवाही की गयी है।

(i) मजरा देहरादून स्थित अनुसंधान उप केन्द्र का दर्जा बढ़ाकर क्षेत्रीय रेशम उद्योग अनुसंधान केन्द्र कर दिया गया है। इसके अलावा बहराइच में अनुसंधान विस्तार केन्द्र की स्थापना भी की गयी है।

(ii) किसानों के सामने रेशम उत्पादन के आर्थिक पहलू प्रदर्शित करने तथा रेशम उत्पादन आरम्भ करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने की दृष्टि से सरकार ने उत्तर प्रदेश के चार जिलों अर्थात् देहरादून, बहराइच, हरदोई तथा उन्नाव में 15 प्रगतिशील फार्मों को कवर करते हुए 15 प्रदर्शन शहतूत फार्मों को स्थापित करने के लिए कार्यवाही आरम्भ कर दी है।

(iii) केन्द्रीय रेशम बोर्ड का रीलिंग के लिए देहरादून में एक प्रशिक्षण सह-प्रदर्शन केन्द्र

खोलने का प्रस्ताव है । इस केन्द्र को प्रारम्भ करने के लिए किराए के आधार पर एक भवन निश्चित किया गया है ।

(iv) बोर्ड ने 5 वर्षों की अवधि में 317.54 लाख रु० की अनुमानित लागत पर उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में कार्यान्वयन रेशम उत्पादन परियोजना तैयार की है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

[अनुवाद]

भारत, त्रिनिडाड और टोबागों के बीच संयुक्त आर्थिक आयोग

7964. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत, त्रिनिडाड और टोबागो के बीच आपसी सम्बन्धों को सुदृढ़ बनाने के लिए एक संयुक्त आर्थिक आयोग स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी, हां ।

(ख) भारत सरकार और त्रिनिडाड और टोबागो की सरकार में सिद्धांत रूप में इस बात पर सहमति हुई है कि व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी सहयोग के लिए एक संयुक्त आयोग स्थापित किया जाए ताकि इन क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा करने और उसका विस्तार करने के लिए एक संस्थागत ढांचे की व्यवस्था की जा सके ।

वस्त्रों के निर्यात के सम्बन्ध में कनाडा के साथ द्विपक्षीय समझौता

7966. **श्री जी०एस० बसवराजू** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनाडा के साथ वस्त्रों के निर्यात के सम्बन्ध में पांच वर्ष (1987-91) तक के लिए कोई नया द्विपक्षीय समझौता किया गया है;

(ख) यदि हां, तो समझौतों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे वस्त्रों के निर्यात में किस सीमा तक सहायता मिलेगी और इस समझौते के कब तक कार्यान्वित किये जाने की सम्भावना है?

वस्त्र मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां ।

(ख) नए करार के ब्यौरे नीचे बताए गए अनुसार हैं :—

(i) यह करार 1987 से 1991 तक की पांच वर्ष की अवधि के लिए वैध है ।

(ii) विशिष्ट प्रतिबंधों के अन्तर्गत केवल चार उत्पाद हैं अर्थात् टेलर्ड कालर्ड शर्ट, ट्राउजर्स, जैकेट तथा वर्सटेड फैब्रिक्स/ब्लाउज तथा ड्रेसिंग एक ग्रुप सीमा में रहेंगे । दो उत्पाद अर्थात् टैरी टावल और वर्क गल्व पर से नए करार में प्रतिबंध हटा दिया गया है ।

(iii) 1987 के लिए परिधानों के सम्बन्ध में आधारस्तर वृद्धि लगभग 10% है ।

(iv) सभी श्रेणियों के लिए 15% तक कुल लोचशीलताएं प्रदान की गई हैं ।

(v) विशिष्ट प्रतिबंध के अन्तर्गत सभी उत्पादों के लिए वृद्धि दरें 6% प्रति वर्ष होंगी तथा वसेटेंट फैबरिक के लिए 4.5% प्रति वर्ष होंगी ।

(vi) टेलर्ड कालर्ड शर्टों को छोड़कर सभी श्रेणियों के हथकरघा परिधान प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे । टेलर्ड कालर्ड शर्टों के लिए कोटा स्तर को 4.02 लाख अदद से बढ़ाकर 16 लाख अदद कर दिया गया है ।

(vii) यह प्रावधान शामिल किया गया है कि कनाडा सरकार करार के अन्तर्गत हमारे प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने के सम्बन्ध में कोई एक तरफा व्यापार उपाय नहीं करेंगी ।

(viii) इस करार में 3 व्यस्क परिधानों के बदले में 5 बच्चों के परिधानों के अनुपात में व्यस्कों के परिधानों को बच्चे के परिधानों में बदलने की व्यवस्था है ।

(ix) "भारतीय मदें" तथा अन्य हथकरघा उत्पाद छूट स्थिति का लाभ उठाते रहेंगे ।

(ग) इस करार में 1986 अर्थात् पहले वाले करार के पिछले वर्ष में प्रचलित व्यापार/प्रतिबंध स्तरों की तुलना में 1987 में बाजार प्रवेश में 15 प्रतिशत की वृद्धि की व्यवस्था है ।

चकमा शरणार्थियों के बारे में बंगलादेश के साथ बातचीत

7968. **प्रो० रामकृष्ण मोरे :**

श्री एच०बी० पाटिल :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में शिविरों में रह रहे चकमा शरणार्थियों की समस्याओं को हल करने के लिए हाल ही में बंगलादेश के साथ सरकारी स्तर पर बातचीत हुई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो बातचीत के कब तक होने की सम्भावना है ?

विदेश मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) इस वक्त त्रिपुरा में मौजूद चकमा शरणार्थियों की बंगलादेश में अपने घरों को वापसी के सवाल पर हाल ही में कई अवसरों पर बंगलादेश की सरकार से चर्चा की गई थी । बंगलादेश से यह कहा गया है कि वह चिटगांव पर्वतीय क्षेत्रों में ऐसी परिस्थितियां बनाए कि जिससे इन शरणार्थियों को अपने घर खुद-ब-खुद लौटने में सुविधा हो । दुर्भाग्य से अभी तक शरणार्थियों ने यह कहकर बंगलादेश वापस जाने से इन्कार कर दिया है कि इन्हें इस बात का भरोसा नहीं है कि वे अपने घर को लौट कर सुरक्षित रह सकेंगे ।

(ग) इस महीने के अन्त में विदेश सचिव की बंगलादेश की यात्रा के समय जिन मुद्दों पर बातचीत की जाएगी उनमें से यह भी एक हो सकता है ।

अंगोला के राष्ट्रपति की यात्रा

7969. **श्री सुभाष यादव** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंगोला के राष्ट्रपति ने अप्रैल, 1987 के प्रथम सप्ताह के दौरान भारत का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो उनके साथ किस प्रकार की बातचीत हुई;

(ग) क्या कोई समझौता किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी, हां।

(ख) अंगोला के राष्ट्रपति और उनके प्रतिनिधिमण्डल के साथ जो बैठकें हुईं उनमें विविध द्विपक्षीय प्रश्नों पर व्यापक चर्चा हुई और इससे दोनों देशों के बीच राजनैतिक सद्भाव और आर्थिक एवं वाणिज्यिक सम्बन्धों को मजबूत करने का आधार तैयार हुआ। दोनों पक्षों ने सामान्य रूप से अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर और विशेष रूप से दक्षिण अफ्रीका से संबद्ध मसलों पर विचारों का आदान-प्रदान भी किया।

(क) और (घ) जी, नहीं। लेकिन इस यात्रा के दौरान दो प्रोतोकोलों पर हस्ताक्षर किए गए जो निम्नलिखित हैं :—

(1) अंगोला लोक गणराज्य में भारतीय कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति से सम्बद्ध प्रोतोकोल।

(2) भारत गणराज्य की सरकार और अंगोला लोक गणराज्य की सरकार के बीच आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी एवं सांस्कृतिक सहयोग सम्बन्धी करार के सम्बन्ध में संचार के क्षेत्र में एक अतिरिक्त प्रोतोकोल।

नियंत्रित मूल्य के कपड़े का उत्पादन

7970. **श्री राम भगत पासवान** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में नियंत्रित मूल्य के कपड़े का कुल वार्षिक उत्पादन कितना है; और

(ख) विभिन्न क्षेत्रों में नियंत्रित मूल्य के कपड़े का उत्पादन करने वाले यूनिटों की संख्या कितनी है ?

वस्त्र मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) 1986-87 के दौरान देश में कन्ट्रोल के कपड़े का कुल उत्पादन 152.00 मिलियन वर्ग मीटर सूती कपड़े का तथा 37.00 मिलियन मीटर पालिएस्टर काटन ब्लैंडिड शर्टिंग का हुआ था।

(ख) इस समय राष्ट्रीय वस्त्र निगम की 59 मिलों द्वारा कन्ट्रोल के कपड़े का उत्पादन किया जा रहा है।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम के प्रधान कार्यालय का विस्तार

7971. **श्री राम भगत पासवान** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कपड़ा निगम के नई दिल्ली स्थित प्रधान कार्यालय में कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं;

(ख) उन पर प्रतिमाह कितनी धनराशि व्यय की जाती है;

(ग) क्या सरकार इस कार्यालय के विस्तार करने से संबंधित किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) इस समय बोर्ड स्तर की नियुक्तियों को छोड़कर 325 कर्मचारी एन०टी०सी० के मुख्यालय में कार्य कर रहे हैं।

(ख) इन कर्मचारियों पर होने वाला कुल मासिक व्यय लगभग 9.58 लाख रु० है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

केन्द्रीय टसर अनुसंधान केन्द्र, रांची के कार्यकलाप

7972. **श्री राम भक्त पासवान** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय रेशम बोर्ड में कर्मचारियों की संख्या क्या है;

(ख) पूरे भारत में कितने केन्द्र/कार्यालय खोले गए हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय टसर अनुसंधान केन्द्र, रांची ने बिहार में आदिवासी वन क्षेत्रों में अपने कार्यकलापों का विस्तार करने की योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में आदिवासी लोगों/रेशम कपड़ा बुनकरों के उत्थान के लिए केन्द्र द्वारा दी जा रही सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) 3047 (31-3-87 का यथा-स्थिति)।

(ख) 200।

(ग) से (ङ) रांची स्थित केन्द्रीय टसर अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान (सी०टी०आर० एण्ड टी०आई०) देश में टसर उद्योग के विकास के लिए आर० एण्ड डी० सहायता प्रदान करता है। बिहार में टसर उद्योग के विस्तार तथा विकास के लिए राज्य में निम्नलिखित एकक स्थापित किए गए हैं :—

(1) 4 मूल बीज गुणन तथा प्रशिक्षण केन्द्र जो कि मूल बीज का उत्पादन तथा सप्लाई करते हैं तथा टसर कीटपालकों के लाभ के लिए प्रशिक्षण देते हैं।

(2) आदिवासी टसर कीटपालकों को टसर रेशम कीट पालने की उन्नत तकनीकों के प्रदर्शन के लिए हथगामड़िया में 1 विस्तार केन्द्र।

(3) टसर उद्योग की क्षेत्रीय समस्याओं को देखने के लिए सेंधाल परगना जिले में 1 अनुसंधान उप-स्टेशन।

(4) टसर कीटपालकों से उनको उचित आर्थिक प्रतिफल सुनिश्चित करने के लिए टसर कोयों की खरीद के लिए छैबासा स्थित 1 कच्चा माल बैंक तथा भागलपुर स्थित एक उप-डिपो।

1987-88 से दौरान बिहार सहित देश में इसकी गतिविधियों को मजबूत बनाने तथा उनका विस्तार करने के लिए सी०टी०आर० एण्ड टी०आई० रांची के लिए अधिक वित्तीय आबंटन निर्धारित किया गया है।

(ङ) केन्द्रीय सरकार रेशम, हथकरघा बुनकरों सहित हथकरघा बुनकरों के उत्थान के लिए कई योजनाएं कार्यान्वित कर रही है। इन योजनाओं से महत्वपूर्ण योजनाएं, जिन्हें अधिकांशत: राज्य

सरकारों से बराबर सहायता से कार्यान्वित किया जाता है, निम्नोक्त प्रकार है :—

(1) प्राथमिक हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों को शेयर पूंजी सहायता;

(2) एपेक्स बुनकर सहकारी समितियों और राज्य हथकरघा विकास निगमों को उनसे विपणन कार्यों के लिए शेयर पूंजी सहायता;

(3) प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों को प्रबन्धकीय सहायता;

(4) करघों के आधुनिकीकरण और अधिक उत्पादक करघे लगाने के लिए सहायता;

(5) करघा-पूर्व और करघा-पश्चात प्रोसेसिंग सुविधाओं की स्थापना के लिए सहायता;

(6) हथकरघा बुनकर सहकारी कताई मिलों की स्थापना के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की मार्फत राज्य सरकारों को सहायता;

(7) जनता कपड़ा योजना;

(8) हथकरघा कपड़े के जमा स्टाकों के निपटान तथा मांग के सृजन के लिए विशेष छूट; और

(9) हथकरघा उत्पादों को लोकप्रिय बनाने तथा हथकरघा क्षेत्र में हुए प्रौद्योगिकीय सुधारों से लोगों को अवगत कराने के लिए देश के विभिन्न भागों में हथकरघा प्रदर्शनियों का आयोजन।

रेशम के निर्यात का लक्ष्य

7973. **श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंहराज वाडियर**: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष 1986-87 के दौरान रेशम के निर्यात का कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(ख) उपर्युक्त वित्तीय वर्ष के दौरान रेशम का कितना निर्यात होने का अनुमान है; और

(ग) वर्ष 1987-88 के लिए रेशम के निर्यात का कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

वस्त्र मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार): (क) 180 करोड़ रु०।

(ख) 190 करोड़ रु०।

(ग) 190 करोड़ रु०।

ट्रेवल एजेंटों, टूर-आपरेटरों और होटल मालिकों को प्रोत्साहन देना

7974. **श्री दिग्विजय सिंह**: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986 में पर्यटन के क्षेत्र में कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है;

(ख) सरकार, मान्यताप्राप्त ट्रेवल एजेंटों और टूर-आपरेटरों तथा होटल मालिकों ने अपनी बिक्री बढ़ाने और विपणन प्रयासों पर कुल कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की है;

(ग) क्या पर्यटन क्षेत्र से सम्बद्ध व्यक्तियों के लिए कोई प्रोत्साहन सुविधाओं, जैसा कि 1986-87 के आर्थिक सर्वेक्षण में सिफारिश की गई थी, की व्यवस्था की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन मंत्री (मुक्ती मोहम्मद सईद) : (क) वर्ष 1986-87 के दौरान पर्यटन से अनन्तिम रूप से 1780 करोड़ रु० विदेशी मुद्रा आय होने का अनुमान है ।

(ख) 1986-87 के दौरान सरकार ने विदेशों में प्रचार, संवर्धन और विपणन पर लगभग 8.1 करोड़ रुपए विदेशी मुद्रा के रूप में खर्च किए । 1986-87 के दौरान प्रोत्साहन कोटा में से होटलों और यात्रा अभिकर्ताओं/यात्रा प्रचालकों को बिक्री संवर्धन तथा विपणन संबंधी प्रयासों के लिए क्रमश: 2.1 करोड़ रुपए और 3.6 करोड़ रुपए विदेशी मुद्रा रूप में रिलीज करने की सिफारिश की गई ।

(ग) और (घ) देश में पर्यटन आधार-संरचना का सुधार करने के लिए होटल उद्योग को जो प्रोत्साहन उपलब्ध कराए गए हैं उनमें शामिल हैं—नई परियोजनाओं और मौजूदा होटलों के विस्तार के मामले में एम०आर०टी०पी० एक्ट से छूट, नए होटलों को आयकर से छूट, उच्चतर मूल्यह्रास भत्ता, विनिर्दिष्ट पिछड़े क्षेत्रों में नए होटलों का निर्माण करने के लिए इमदाद, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा दिए गए ऋणों पर ब्याज इमदाद, विदेशों में विज्ञापन/प्रचार और संवर्धनात्मक यात्राओं के लिए विदेशी मुद्रा प्रोत्साहन कोटा, होटलो द्वारा वास्तविक प्रयोग के लिए आयात की गई अनेक मदों पर रियायती सीमा-शुल्क, आदि ।

फलों और सब्जियों का निर्यात

7975. **श्री कमल चौधरी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनसामान्य की आवश्यकता की वस्तुओं के निर्यात पर निर्णय करते समय किन-किन तथ्यों को ध्यान में रखा जाता है;

(ख) क्या यह सच है कि फलों और सब्जियों का निर्यात किया जा रहा है जिससे इनकी कीमतों में वृद्धि हो रही है;

(ग) क्या सरकार ने हमारे बाजार मूल्यों तथा निर्यात मूल्यों को ध्यान में रखते हुए निर्यात सूची में संशोधन करने के लिए कभी कोई अध्ययन किया है;

(घ) यदि हां, तो कब और इससे क्या निष्कर्ष निकले; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का ऐसा कोई अध्ययन करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) और (ख) जन साधारण द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली ताजा फल और सब्जियों जैसी कृषि मदों के निर्यात की अनुमति केवल निर्यातयोग्य वेशी वस्तुओं की उपलब्धता का मूल्यांकन करने के बाद दी जाती है। ताजा फलों और सब्जियों के भारत के निर्यात घरेलू उत्पादन के एक प्रतिशत से भी कम हैं और इसीलिए ये घरेलू कीमतों को प्रभावित नहीं करते ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ङ) ताजा फलों और सब्जियों के सीमित निर्यात को दृष्टि में रखते हुए इस समय निर्यात सूची में संशोधन करने के लिए ऐसा कोई अध्ययन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । तथापि, उपलब्धता और कीमतों के संबंध में घरेलू बाजार में किसी प्रकार का परिवर्तन करने के लिए निर्यात नीति में समय-समय पर संशोधन किया जाता है ।

मिलों और विद्युत करघा उद्योग के हितों की रक्षा करने के लिए कदम

7976. **श्री कमल चौधरी** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने मिलों और विद्युत उद्योग में धोतियों, साड़ियों तथा कमीजों के कपड़े सहित कतिपय किस्मों के कपड़े के उत्पादन पर प्रतिबंध लगा दिया है और उसका उत्पादन हथकरघा उद्योग के लिए आरक्षित कर दिया है;

(ख) क्या इस समय हथकरघा क्षेत्र में इन कपड़ों का मुश्किल से एक तिहाई मात्रा में उत्पादन किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो मिलों और विद्युत करघा उद्योग के हितों की रक्षा तथा साथ ही हथकरघा वस्त्रों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए जिसके लिए इस समय कोई व्यवस्था नहीं है क्या कदम उठाने का विचार है; और

(घ) हथकरघा उद्योग विस्तार कर अच्छी किस्म के कपड़ों का उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वस्त्र मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) रुई, रेशम तथा ऊन उद्भव की बाइस मदों को पूरी तरह हथकरघा, क्षेत्र में उत्पादन के लिए आरक्षित कर दिया गया है इनमें विशेष विनिर्दिष्टयों के साथ धोतियों, साड़ियों तथा कमीज के कपड़े, की कतिपय किस्में शामिल हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) हथकरघा उद्योग के आधुनीकरण की एक योजना 1980-81 से कार्यान्वित की जा रही है। यह योजना क्वालिटी तथा साथ ही साथ हथकरघा क्षेत्र की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए बनाई गई है। इसके अतिरिक्त, बुनाई, प्रोसेसिंग, डिजाइन विकास आदि की तकनीकों में सुधार लाने की दृष्टि से बुनकर सेवा केन्द्रों तथा भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान में नियमित रूप से अनुसंधान किया जा रहा है।

चाय निर्यात में कमी

7977. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1986 के दौरान चाय का निर्यात निर्धारित लक्ष्यों से बहुत कम हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके कौन से कारण हैं;

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चाय की कितनी मात्रा का निर्यात किए जाने का अनुमान है; और

(घ) निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कौन से कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) यद्यपि 1986 के लिए कोई विशेष लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था, फिर भी 1985 की तुलना में निर्यातों में गिरावट आयी है।

(ख) प्रतिकूल मौसम परिस्थतियों की वजह से उत्पादन में तथा निर्यात योग्य वेशी माल में कमी आयी है।

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक निर्यात के लिए लक्ष्य लगभग 280 एम० किग्रा० रखा गया है।

(घ) हाल ही में चाय के निर्यात को बढ़ाने के लिए किए गए उपायों में शामिल हैं : मूल्य वर्धित चायों पर उच्च नगद मुआवजा सहायता, बल्क चाय के निर्यात पर 50 पैसा प्रति किलोग्राम उत्पाद शुल्क की छूट, पैकेट चाय निर्यात पर उत्पाद शुल्क की पूरी छूट, चाय की थैलियों पर उत्पाद शुल्क की छूट; चाय की थैलियों आदि को बनाने में प्रयोग किए जाने वाले फिल्टर कागज पर सीमा शुल्क से छूट।

दिल्ली में पर्यटक "लॉज"

7978. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दिल्ली में कुछ पर्यटक लॉज बनाने का विचार था;

(ख) यदि हां, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में दिल्ली/नई दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर कितने पर्यटक लॉज बनाए गए हैं अथवा बनाने का विचार है; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन मंत्री (मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली पर्यटन विकास निगम की दिल्ली/नई दिल्ली में 11 अलग-अलग स्थानों पर, रियायती दरों पर भूमि की उपलब्धता पर निर्भर रहते हुए, 11 पर्यटक गृह/मितव्ययी श्रेणी के होटल बनाने की योजनाएं हैं।

(ग) निगम ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्यटक गृहों/मितव्ययी श्रेणी के होटलों का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित स्थान अभिनिर्धारित किए हैं :—

1. मोतिया खान।
2. आसफ अली रोड।
3. नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास।
4. निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पास।
5. धौला कुआं के गोल-चक्कर के पास।
6. आई० एस० बी० टी० के पास।
7. प्रगति मैदान के पास।
8. राजा गार्डन में नजफगढ़ रोड और रिंग रोड के चौराहे पर शिवाजी प्लेस के पास।
9. रिंग रोड पर आश्रम के पास।
10. अरविंदो मार्ग पर कुतब मिनार के पास।
11. रामकृष्ण पुरम में भीकाजी कामा मार्केट के पास।

तिहाड़ जेल दिल्ली में नशीली दवाइयों के सेवन छुड़ाने के लिए क्लिनिक

7979. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तिहाड़ जेल, दिल्ली में कितने कैदी नशीली दवाओं के आदी हैं;

(ख) नशीली दवाइयों के आदी कैदियों के लिए तिहाड़ जेल में हर महीने लगभग कितनी मात्रा में नशीली दवाइयां चोरी-छिपे पहुंचाई जाती हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार तिहाड़ जेल में नशीली दवाइयों के सेवन को छुड़ाने के लिए एक क्लिनिक खोलने का विचार है; और

(घ) तिहाड़ जेल में नशीली दवाइयों के सेवन को छुड़ाने के लिए क्लीनिक कब तक खोले जाने की संभावना है और उस पर कितनी धनराशि व्यय की जाएगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) नशीली दवाइयों के आदी कैदियों की संख्या निर्धारित करना कठिन है। इस समय तिहाड़ जेल में 500 से अधिक कैदी हैं जिन्हें स्वापक औषध और मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम के अधीन मामलों के सम्बन्ध में रखा गया है और उनमें से कई नशीली दवाइयों के आदी हैं।

(ख) कड़ी सुरक्षा जांच के लिए जेल प्रशासन द्वारा कैदियों और साक्षात्कार करने वालों की गहन व्यक्तिगत तलाशी को ध्यान में रखते हुए तिहाड़ जेल में चोरी छिपे लाई जा रही नशीली दवाइयों की मात्रा में कमी आयी है यद्यपि बड़ी संख्या में मुलाकातों और कैदियों को न्यायालयों में ले जाने के कारण चोरी छिपे कुछ मात्रा अभी भी ले जाई जा सकती है।

(ग) और (घ) तिहाड़ जेल में नशीली दवाइयों के सेवन को छुड़ाने के लिए क्लिनिक खोलने की योजना आरम्भिक अवस्था में है। इसलिए, होने वाले व्यय की धनराशि अथवा क्लिनिक के खोले जाने की सही तारीख बताना सम्भव नहीं है।

दिल्ली पुलिस द्वारा विशेष पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति

7980. **श्री स्वामी प्रसाद सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस ने हाल में विशेष पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति की है;

(ख) इन नियुक्तियों के लिए व्यक्तियों के नामों के चयन की क्या प्रक्रिया है; और

(ग) वर्ष 1984 से 31 मार्च, 1987 तक वर्ष वार कितने व्यक्तियों को विशेष पुलिस अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) प्रतिष्ठित नागरिकों को जिनकी आयु 18 वर्ष से कम न हो, दिल्ली पुलिस अधिनियम के अधीन विशेष पुलिस अधिकारियों के रूप में उनके पड़ौस में नियुक्त किया जाता है।

(ग) अपेक्षित आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

वर्ष	नियुक्त किए गए विशेष पुलिस अधिकारियों की संख्या
1984	शून्य
1985	43
1986	530
1987 (31-3-87)	140

विभिन्न राज्यों से निर्यात की जाने वाली वस्तुएं

7981. **श्री स्वामी प्रसाद सिंह** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1986-87 और 1987-88 के दौरान प्रत्येक राज्य से निर्यात किए जाने के लिए कतिपय वस्तुओं का चयन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1986-87 के दौरान निर्यात की गई इन वस्तुओं के नामों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1987-88 के दौरान उत्तर प्रदेश से निर्यात किए जाने के लिए चुनी गई अन्य वस्तुएं क्या हैं;

(घ) वर्ष 1987-88 के दौरान उत्तर प्रदेश की कौन-कौन सी नकदी फलों को निर्यात के लिए चुना गया है और इनमें से प्रत्येक फसल किन-किन स्थानों पर होती हैं; और

(ङ) सरकार का वर्ष 1988-89 और 1989-90 के दौरान उत्तर प्रदेश से इन मदों के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) से (ङ) निर्यात के लिए मदों की कोई चयन सूची राज्यवार अभिज्ञात नहीं की गई है तथापि, सरकार ने विदेशी बाजारों में विशेष थ्रस्ट बनाने के लिए अन्य क्षेत्रों से निर्यात बढ़ाने की महत्ता को कम किए बिना 14 विस्तृत क्षेत्रों को अभिज्ञात किया है । मोटे तौर पर इसका उद्देश्य ऐसे उत्पादों, क्षेत्रों और उद्योगों को, जिनमें हमारे निर्यात की अच्छी संभाव्यता है, अभिज्ञात करना तथा इनके लिए राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात बढ़ाने के लिए सहायक नीति ढांचा प्रदान करना रहा है । विशेष थ्रस्ट प्रयास के लिए निम्नलिखित चौदह क्षेत्रों को अभिज्ञात किया गया है :—

1. चाय, विशेषतया पैकेज किए गए तथा मूल्य वर्धित रूप में;
2. अनाज विशेषतया गेहूं के रूप में;
3. संसाधित खाद्य पदार्थ जिनमें शामिल हैं, फल तथा रस, मांस और मांस के उत्पाद तथा ताजा फल और सब्जियां;
4. समुद्री उत्पाद विशेषतया मूल्य वर्धित रूप में;
4. लौह अयस्क;
6. चमड़ा और चमड़े के उत्पाद विशेषतया चमड़े के उत्पादों पर बल सहित;
7. हस्तशिल्प की वस्तुएं तथा आभूषण;
8. पूंजी माल और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं;
9. इलैक्ट्रोनिक माल और कम्प्यूटर साफ्टवेयर;
10. मूल रसायन;
11. फैब्रिक्स, थान तथा मेड अप्स;
12. सिले सिलाए परिधान;
13. ऊनी फैब्रिक्स और निटवियर; तथा

14. परियोजनाएं तथा सेवाएं ।

हथकरघों के आधुनिकीकरण के लिए आवंटित धनराशि

7982. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आधुनिकीकरण वर्ष में हथकरघों के आधुनिकीकरण कार्यक्रम के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) इस वर्ष के दौरान कार्यान्वित की जाने वाली आधुनिकीकरण योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन योजनाओं के लिए आवंटित राशि का अलग-अलग ब्यौरा क्या है; और

(घ) राज्यों को दी गई राशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है और सम्बन्धित राज्यों द्वारा कितना व्यय किए जाने का अनुमान है ?

वस्त्र मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) वर्ष 1986-87 में करघों की खरीद/आधुनिकीकरण/नवीकरण के लिए केन्द्रीय सहायता हेतु योजना के लिए 175·00 लाख रु० की राशि की व्यवस्था की गई है ।

(ख) तथा (ग) इस योजना में साधारण करघे की खरीद के लिए 2000/- रु० जैक्वार्ड/अर्ध-स्वचालित/पैडल करघों की खरीद के लिए 4000/- रु० तथा अनुषंगी सामान की खरीद के लिए 1000/- रु० की दर से सहायता प्रदान करने की व्यवस्था है जिसे $\frac{2}{3}$ ऋण के रूप में और $\frac{1}{3}$ अनुदान के रूप में केन्द्र तथा राज्यों के बीच 50 : 50 आधार पर बांटा जाता है । प्रत्येक संघटक के लिए पृथक आवंटन नहीं किया जाता है ।

(घ) 1986-87 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों को रिलीज की गई निधियों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ऐसी संभावना है कि राज्य केन्द्रीय सरकार के अंशदान के बराबर योगदान करेंगे तथा इसे योजना पर खर्च करेंगे ।

विवरण

क्र० सं०	राज्य	रिलीज की गई राशि (लाख रु० में)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	18.844
2.	असम	28.351
3.	बिहार	11.000
4.	गुजरात	2.00
5.	जम्मू तथा कश्मीर	2.76
6.	कर्नाटक	5.00
7.	केरल	4.56
8.	मध्य प्रदेश	8.00
9.	मनीपुर	12.50

1 2	3
10. उड़ीसा	16.50
11. राजस्थान	6.00
12. तमिलनाडु	28.70
13. उत्तर प्रदेश	26.50
14. पश्चिम बंगाल	16.00
15. हिमाचल प्रदेश	3.75
योग :	180.465

भारतीय पाकिस्तानी कान्सुलर प्राधिकारियों को बन्दियों को मिलने की अनुमति

7983. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तानी प्राधिकारी पाकिस्तान में भारतीय काउन्सलर प्राधिकारियों को पाकिस्तान की जेलों में बंद भारतीय नागरिकों और विचाराधीन बन्दियों से मिलने की अनुमति देते हैं;

(ख) क्या भारत में पाकिस्तानी कान्सुलर प्राधिकारियों को भी इस प्रकार की अनुमति दी जाती है;

(ग) क्या दोनों सरकारें आम तौर पर एक-दूसरे के राष्ट्रिकों की गिरफ्तारी या नजरबन्दी के के बारे में एक-दूसरे को सूचित करती हैं; और

(घ) क्या दोनों के बीच अन्तर्राष्ट्रीय समझौता पर आधारित कोई द्विपक्षीय समझौता है ?

विदेश मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) सामान्य नियमानुसार, जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) पाकिस्तानी राष्ट्रिकों की गिरफ्तारी अथवा उनकी हिरासत के बारे में उनके प्राधिकारियों से प्राप्त छानबीन का उत्तर पुष्टि करने के बाद दिया जाता है। इस सम्बन्ध में हम जो पूछताछ करते हैं उसका पाकिस्तान सरकार सामान्यत: जवाब नहीं देती।

(घ) जी हां।

विकलांग जवानों के लिए कृत्रिम अंग

7984. **श्री के० प्रधानी** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986-87 के दौरान कितने विकलांग जवानों को कृत्रिम अंग उपलब्ध कराए गए;

(ख) इस पर कितना व्यय किया गया;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में वर्तमान सुविधाएं पर्याप्त हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या मांग पूरी करने के लिए वर्तमान सुविधाओं का विस्तार करने का प्रस्ताव है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) और (ख) कृत्रिम अंग केन्द्र, पुणे अपंग जवानों को कृतिम अंग देता है। 1986-87 के दौरान 1458 जवानों को इस तरह के अंग दिए गए। इसमें 7,38,384 रु० खर्च हुए।

(ग) और (घ) जबकि उपलब्ध सुविधाओं को विकसित करने के सतत् प्रयास किए जाते रहे हैं, इस समय कृत्रिम अंगों की व्यवस्था करने के लिए सेवारत/भूतपूर्व सैनिकों की कोई प्रतीक्षा सूची नहीं है।

तुर्की के साथ व्यापार की संभावनाएं

7985. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तुर्की के साथ व्यापार बढ़ाने की संभावनाओं के बारे में अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे सम्बन्धित उद्योगों और क्षेत्रों का पता लगा लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी): (क) से (ग) भारत-तुर्की द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य से भारत से निर्यात के लिए विभिन्न मदों को अभिज्ञात किया गया है जिनमें शामिल हैं :—लौह, अयस्क, वस्त्र मशीनरी सहित इंजीनियरी उत्पाद, चाय प्रोसेसिंग मशीनरी, पावर जैनेरेटिंग उपस्कर एवं संघटक, तथा रासायनिक उत्पाद। तुर्की से आयात के लिए कैल्सियम बोरेट कुछ इस्पाती उत्पादों तथा स्टैण्डर्ड अखबारी कागज के अतिरिक्त चिक पीज तथा मसूर महत्वपूर्ण मदें हैं।

चाय उद्योग के लिए केन्द्र-राज्य समन्वय समिति की स्थापना

7986. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में चाय उद्योग की समस्याओं के समाधान के लिए केन्द्र-राज्य समन्वय समिति स्थापित की गई है; और

(ख) यदि हां, तो चाय उद्योग को वर्तमान संकटपूर्ण स्थिति से उबारने के लिए इस समिति ने क्या विभिन्न सुझाव दिए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) ऐसी कोई समिति नियुक्त नहीं की गई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सोवियत संघ में होटल और अन्य परियोजनाओं के लिए प्रस्ताव

7987. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत अधिकारियों ने सोवियत संघ में होटल बनाने के गैर-सरकारी क्षेत्र की तीन भारतीय कम्पनियों के प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इन तीन कंपनियों में प्रत्येक द्वारा इक्विटी शेयर और तकनीकी जानकारी तथा अन्य आवश्यक आधारभूत सुविधाओं के रूप में कितना निवेश किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या इन प्रस्तावों के अलावा सोवियत संघ में कोई अन्य परियोजनाएं शुरू की जानी है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या इनमें कोई सोवियत सहयोग भी शामिल है और यदि हां, तो किस तरीके से सहयोग किया जाएगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) तथा (ख) कुछ भारतीय कंपनियों ने सोवियत संघ में होटल निर्माण हेतु आफरें प्रस्तुत की हैं। ये आफरें सोवियत प्राधिकारियों के विचाराधीन हैं।

(ग) से (ङ) अब तक किसी परियोजना को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

बर्मा से कच्ची चावल-भूसी का आयात

7988. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल निष्कासन उद्योग बर्मा से कच्ची चावल भूसी का भारी मात्रा में आयात करने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो आयात पर कितना व्यय किया जाएगा;

(ग) इस चावल भूसी का किस कार्य में उपयोग किया जाएगा; और

(घ) क्या आयात का अग्रिम लाइसेंसिंग योजना के अन्तर्गत दायित्व पूरा कर सकेंगे ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) से (घ) 53,04,390 रु० के सी० आई० एफ० मूल्य के लिए चावल की भूसी के 7000 मे० टन के आयात के लिए अग्रिम लाइसेंस प्रदान करने के लिए एक आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ था। आवेदन ने उस देश का नाम निर्दिष्ट नहीं किया था जिससे आयात करने का प्रस्ताव था। इस आवेदन पत्र को अस्वीकार कर दिया गया है।

नवम्बर, 84 के दंगा पीड़ितों को अनुग्रह राशि का भुगतान

7989. **डा० नुघीर राय** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र आयोग ने यह निर्णय किया है कि जिन दंगा पीड़ितों की दुकानों/कारोबार/वाहनों की बीमा पालिसियां नहीं है उन्हें उचित और पर्याप्त मुआवजे का भुगतान किया जाएगा;

(ख) क्या सरकार से दंगा पीड़ितों को कथित मुआवजे के बजाय उचित अनुग्रह राशि का भुगतान करने का निर्णय किया है;

(ग) यदि हां, तो मिश्र आयोग की सिफारिशों के अनुसार मुआवजे का भुगतान न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या इन दंगा पीड़ितों को उचित अनुग्रह राशि का भुगतान करने के लिए उचित प्रक्रिया निर्धारित की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) से (घ) तक उचित मुआवजे के बारे में न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र जांच आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार इस बात पर सहमत है कि उचित मुआवजे के बजाय उचित अनुग्रह राशि दी जानी चाहिए। सम्पत्तियों का बीमा नहीं हुआ था और जो हानि हुई उसका सही मूल्यांकन करना व्यवहार्य नहीं होगा। संबंधित राज्यों/

संघ शासित क्षेत्रों से परामर्श करके अनुग्रह राशि का भुगतान करने की प्रक्रिया तीन महीने की अवधि में निर्धारित कर ली जाएगी ।

साम्प्रदायिक दंगों को रोकने के लिए दिशानिर्देश

7990. **श्री एस० एम० गुरड्डी :**

श्री लक्ष्मण मलिक :

श्री एच० बी० पाटिल :

श्री जगन्नाथ पटनायक :

श्री आर० एम० भोये :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को त्यौहारों तथा अन्य संवेदनशील समय में धार्मिक जलूसों को नियन्त्रित करने या सीमित करने के लिए हाल ही में दिशानिर्देश जारी किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) धार्मिक जलूसों को विनियमित करने के बारे में दिशा-निदेश, राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों में परिचालित किए गए हैं । इन दिशा-निदेशों में, मौटे तौर पर प्रस्तावित धार्मिक जलूसों के मामले में किए जाने वाले आसूचना एकत्र करने संबंधी उपाय, निवारक और प्रशासनिक उपाय शामिल हैं ।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम के कार्यकारी निदेशकों के कार्य निष्पादन की समीक्षा करने के लिए समिति

7991. **श्री नारायण चौबे** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम की कंपनियों और उनकी सहायक कंपनियों के कार्यकारी निदेशकों के कार्य निष्पादन की समीक्षा करने के लिए श्री के० श्रीनिवासन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) जी हां ।

(ग) विभिन्न निदेशकों के कार्य करते रहने/नियुक्ति इत्यादि से सम्बन्धित मामलों पर कार्यवाही करते समय इन रिपोर्टों पर ध्यान दिया जाता रहा है ।

उड़ीसा में बालेश्वर में रक्षा परियोजना के लिए भूमि/मकानों का अधिग्रहण

7992. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के बालेश्वर जिले में प्रस्तावित रक्षा परियोजना के लिए सरकार द्वारा कितने परिवारों को भूमि का अधिग्रहण तो किया जाएगा किन्तु उनके मकानों का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा तथा ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनके मकानों का अधिग्रहण किया जाएगा;

(ख) इससे कुल कितने परिवारों के प्रभावित होने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार ने विस्थापित परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार देने के बारे में निर्णय लिया है;

(घ) प्रभावित व्यक्तियों को दी जाने वाली भूमि पर स्थापित किए जाने वाले उद्योगों का ब्यौरा क्या है और वहां पर कितने व्यक्तियों को रोजगार दिए जाने की संभावना है;

(ङ) शेष व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं; और

(च) क्या विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए आदर्श गांवों का निर्माण आरम्भ हो गया है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं तथा निर्माण कार्य कब आरम्भ होगा और कब पूरा होगा ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) और **(ख) बालासोर** जिले के बालियापाल/भोगरई में रहने वाले लगभग 6500 परिवारों के प्रभावित होने का अनुमान है उनकी भूमि तथा मकानों सहित अन्य सम्पत्तियों का अधिग्रहण किया जाएगा। इन परिवारों को आस-पास क्षेत्र के उन आदर्श ग्रामों में बसाया जाएगा जिनमें आवश्यक नागरिक सुविधाएं तथा सामाजिक सांस्कृतिक मूलभूत आवश्यकताएं भी स्थापित की जाएंगी। अन्य स्थानों में भी कुछ छोटे भूखण्डों की आवश्यकता है। इन स्थानों में घरेलू सामान/मकान का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। इन क्षेत्रों में निश्चित स्थानों का पता लगाया जा रहा है।

(ग) से (ङ) प्रत्येक विस्थापित परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए पुनर्वास योजना के भाग के रूप में कई औद्योगिक एवं अन्य परियोजनाएं स्थापित की जा रही हैं। इनमें ये योजनाएं शामिल हैं—टैक्सटाइल कम्पलैक्स, वनस्पति प्लांट, लैदर काम्पलैक्स, कृषि औजार फैक्टरी, मछली उद्योग, डेयरी, छोटे-छोटे व्यापार तथा गांव में परिवहन संबंधी कार्य, आदि। इस क्षेत्र में एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भी स्थापित किया जा रहा है। ये योजनाएं पुनर्वास के स्थानों के नजदीक के उपयुक्त स्थानों पर स्थापित की जाएंगी। राष्ट्रीय रेंज परियोजना में भी रोजगार के कुछ अवसर उपलब्ध होंगे।

(च) राज्य सरकार ने आदर्श गांव स्थापित करने का कार्य आरम्भ कर दिया है। इस वर्ष के अंत तक प्रथम आदर्श गांव के पूरा होने की संभावना है।

उड़ीसा में बालेश्वर में नेशनल टैस्टिंग रेंज के कारण विस्थापित हुए व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करना

7993. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बालेश्वर जिले में नेशनल टेस्टिंग रेंज की स्थापना के कारण विस्थापित होने वाले प्रत्येक परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार देने के लिए उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा स्थापित किए जाने वाले उद्योगों में मुश्किल से एक हजार व्यक्तियों को रोजगार मिल सकता है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक विस्थापित परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार देने के लिए अन्य कौनसा कार्यक्रम है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने उनके मंत्रालय से ऐसा उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव किया है, जिसमें रोजगार के अधिक अवसर हों; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस स्थिति का समाधान करने के लिए केन्द्र द्वारा कौनसा उद्योग स्थापित किया जाएगा ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) जी, नहीं। पुनर्वास योजनाओं के भाग के रूप में औद्योगिक एवं अन्य परियोजनाएं स्थापित की जा रही हैं और राष्ट्रीय रेंज परियोजना प्रत्येक विस्थापित परिवार के एक व्यक्ति को सीधे तथा स्व:-रोजगार का पर्याप्त अवसर प्रदान करेगी।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) राज्य सरकार अपने औद्योगिकीकरण कार्यक्रम के भाग के रूप में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए केन्द्र सरकार के साथ विचार-विमर्श करती रही है। यह राष्ट्रीय रेंज परियोजना से सम्बद्ध नहीं है।

पाकिस्तान को विमान चेतावनी और नियंत्रण प्रणाली (ए०डब्ल्यू०ए०सी०एस०) की सप्लाई के बारे में भारतीय दूतावास द्वारा अमरीका में प्रचार

7994. **श्री के० प्रधानी** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय दूतावास ने अमरीका सरकार द्वारा पाकिस्तान को विमान चेतावनी और नियंत्रण प्रणाली तथा अत्याधुनिक रक्षा उपकरणों की सप्लाई से भारत की सुरक्षा के लिए उत्पन्न खतरे के बारे में वाशिंगटन में कोई प्रचार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां।

(ख) वाशिंगटन स्थित भारत के राजदूतावास ने अमरीका की सरकार को और अमरीकी कांग्रेस को भारत सरकार की चिंता से अवगत करा दिया है तथा पाकिस्तान को अधुनातन रक्षा उपकरण तथा वैमानिक चेतावनी और नियंत्रण पद्धति मुहैया कराने के अन्जामों से अमरीका के बहुत से पत्रकारों, संचारदाताओं, शिक्षा शास्त्रियों, रक्षा विशेषज्ञों आदि को विस्तारपूर्वक समझाया है। साथ ही, हमारे राजदूतावास ने भारत से आने वाले रक्षा विशेषज्ञों और विशिष्ट व्यक्तियों की यात्राओं का लाभ उठाकर इस संबंध में और अतिरिक्त पक्षसार भी प्रस्तुत किया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली में जुलाई, 1986 में हुए दंगों की जांच की रिपोर्ट

7995. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम दिल्ली में जुलाई 1986 में हुए दंगों की जांच करने वाली समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो जांच समिति के निष्कर्ष और सुझाव क्या हैं; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या अनुवर्ती कार्यवाही की है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) मजिस्ट्रेट द्वारा की गई जांच रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ तिलक नगर और जनकपुरी थानों के क्षेत्रों में स्थिति को कारगर ढंग से संभालने में स्थानीय पुलिस की असफलता के मामलों का उल्लेख किया गया है। जांच अधिकारी ने कुछ उपचारी उपायों खासतौर पर सेना यूनिटों के साथ सम्पर्क अधिकारी की नियुक्ति, संचार व्यवस्था को सुदृढ़ करना. नई पुलिस चौकियां स्थापित करना इत्यादि का सुझाव दिया है।

(ग) दिल्ली प्रशासन ने रिपोर्ट के निष्कर्षों को दृष्टि में रखकर व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारित करने तथा उचित कार्यवाही करने के लिए जांच रिपोर्ट पुलिस आयुक्त को भेजी है।

कोइल्हों समिति की सिफारिशें

7996. **श्री के० राममूर्ति :**

श्री एल० अडईकलराज :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री कोइल्हों की अध्यक्षता में यह जांच करने के लिए एक अध्ययन दल की नियुक्ति की गई थी कि क्या अनुरक्षण अपेक्षाएं और ढांचा एयरोनाटिकल इंजीनियरिंग शाखा का ढांचा अधिकतम कार्य संचालन कुशलता प्राप्त करने में सक्षम है;

(ख) क्या अध्ययन दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और यदि हां, तो उसमें क्या सिफारिशें की गई हैं; और

(ग) इन सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) अध्ययन दल ने 1984 में वायुसेना मुख्यालय को अपनी रिपोर्ट पेश की। ये सिफारिशें काडर गठन, भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति, नियुक्ति, पारिश्रमिक के मानदण्डों एवं भारतीय वायुसेना की एयरोनाटिकल इंजीनियरिंग शाखा की पुन: संरचना के संबंध में हैं।

(ग) वायुसेना मुख्यालय ने रिपोर्ट पर यथाविधि विचार किया। इसकी सिशारिशों को जहां भी व्यवहार्य था, काडर समीक्षा के प्रस्तावों में शामिल कर दिया गया है।

हिन्द महासागर पर निगरानी रखना

7997. **श्री जी० एस० बसवराजू** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्द महासागर पर निगरानी में कमी और दक्षिण गुजरात तट पर आधुनिक मत्स्य पत्तनों का न होना गत दो महीनों के दौरान पाकिस्तान द्वारा भारतीय मछुआरों और उनकी नावों को रोके रखने के दो मुख्य कारण हैं, जैसा कि दिनांक 26 मार्च, 1987 के "टाइम्स आफ इण्डिया" में "लैक आफ विजिल ओन इंडियन वाटर्स" शीर्षक से समाचार प्रकाशित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

77 देशों के एशियाई ग्रुप की घोषणा का प्रारूप

7998. **श्री जी० एस० बसवराजू :**

श्री एस० एम० गुरुडी :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 77 देशों के एशियाई ग्रुप की चार दिवसीय औपचारिक बैठक के घोषणा प्रारूप की मार्च, 1987 में घोषणा कर दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त प्रारूप से वर्तमान आर्थिक संकट के एशियाई पहलू का पता चलता है; और

(ग) उक्त बैठक में चर्चा के मुख्य विषय क्या थे और किन विषयों पर सहमति हुई ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) से (ग) जुलाई, 1987 में जेनेवा में आयोजित किए जाने वाले अंकटाड-VII के लिए अपनी तैयारी के समन्वय के लिए 77 के ग्रुप में एशियाई ग्रुप की मंत्री स्तर पर एक बैठक 14-16 मार्च, 1987 को ढाका में हुई इस बैठक से पहले वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक 9-12 मार्च, 1987 को हुई थी। ढाका की मंत्री स्तरीय बैठक में विश्व व्यापार और आर्थिक स्थिति पर एक घोषणा अंकटाड-VII की अनन्तिम कार्यसूची में शामिल किए गए विषयों पर ग्रुप की स्थितियों को दर्शाने वाली विषय वस्तु तथा विकासशील देशों के बीच आर्थिक सहयोग पर एक विवरण पारित किए गए इस घोषणा में इस बात पर गहरी चिन्ता प्रकट की गई कि विश्व अर्थव्यवस्था अत्यधिक गंभीर संकट का सामना कर रही है तथा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अव्यवस्थित हैं। इनमें निष्पक्षता, समन्वय तथा विश्वजनीनता पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों को पुनः स्थापित करने के लिए सुविचारित और सहकारी प्रयास की आवश्यकता बताई गई है तथा इसका उद्देश्य विकास के लक्ष्यों को पूरा करना है। इसमें विकसित देशों से भी आग्रह किया गया है कि वे अंकटाड-VII में वार्ताओं में भाग ले ताकि वस्तुओं, व्यापार, धन और वित्त जिसमें विशेषकर विकासशील देशों की उन्नति व विकास को पुनः स्थापित्व देने के उद्देश्य से विदेशी ऋण शामिल है, के अंतर-संबंधित क्षेत्रों में ठोस तथा सुसंगत नीति उपायों से विश्व आर्थिक संकट पर काबू पाया जा सके। अंकटाड-VII की कार्यसूची में शामिल किए गए विषयों की विषय वस्तु विकास, वस्तुओं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विभिन्न आर्थिक व सामाजिक प्रणाली वाले देशों के बीच व्यापार संबंधों तथा अल्पतम विकसित देशों की समस्याओं से संबंधित है। अंकटाड-VII में पारित करने के लिए इनमें से प्रत्येक विषय पर नीति उपायों के संबंध में सुझाव दिए गए हैं।

77 के ग्रुप के अफ्रीकी और लेटिन अमरीकी ग्रुपों की भी बैठक हुई है और अब 20-24 अप्रैल, 1987 को हवाना में आयोजित की जा रही 77 के ग्रुप की मंत्री स्तरीय बैठक में इन तीनो क्षेत्रीय ग्रुपों की स्थितियों के बारे में सामंजस्य स्थापित किया जाएगा।

जवानों और उनके परिवारों की सहायता के लिए दी गई धनराशि

7999. **श्री के० प्रधानी** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जवानों और उनके परिवारों की सहायता के लिए विभिन्न कल्याण निधियों में से वर्ष 1985-86 और 1986-87 के दौरान कितनी धनराशि दी गयी; और

(ख) इन निधियों में इस समय कितनी-कितनी धनराशि जमा है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) और (ख) थलसेना, नौसेना तथा वायु सेना के तीनों सेना मुख्यालयों में विभिन्नक ल्याण निधियां गैर सरकारी निधियां हैं और इन निधियों का संग्रह सेवारत अफसरों/जवानों/नाविकों/वायु कर्मियों से मासिक चन्दों सशस्त्र सेना कल्याण निधि से अनुदान, झंडा दिवस निधि, निवेश एवं दान यदि कोई हो, से प्राप्त राशि से किया जाता है। 1985-86 और 1986-86 के दौरान सेवारत कार्मिकों, भूतपूर्व सैनिकों, उनके परिवारों तथा विधवाओं की सहायता के लिए इन निधियों में से दी गई राशि और 31-3-87 को सभी निधियों के संग्रह में अनुमानत: बकाया राशि नीचे दी गई है—

(लाख रुपयों में)

	1985-86 के दौरान दी गई राशि	1986-87 के दौरान दी गई राशि	31-3-1987 को संग्रह में अनुमानत: बकाया राशि
थल सेना मुख्यालय	66·67	79·65	1471.31
नौ सेना मुख्यालय	44·45	60·12	270·00
वायु सेना मुख्यालय	86·61	79·16	782·98

केन्द्रीय सैनिक बोर्ड पूर्णतया भूतपूर्व सैनिकों, युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों की पत्नियों, अपंग भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए नौ कल्याण निधियों का संचालन करता है। इन निधियों से किए गए व्यय के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं—

	(लाख रुपयों में)
1985-86 के दौरान	112·93
1986-87 के दौरान	101·01
31-3-87 को जमा	2153·16

नवम्बर, 1984 के दंगों पीड़ित व्यक्तियों द्वारा ज्ञापन

8000. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर, 1984 के दंगों में मारे गए व्यक्तियों की अनेक विधवाओं ने सरकार को ज्ञापन दिया है;

(ख) यदि हां, तो ज्ञापन में उल्लिखित मुख्य मांगे क्या हैं; और

(ग) उन मांगों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) नवम्बर, 1984 के दंगों में मारे गए व्यक्तियों की विधवाओं से और उनकी ओर से अनेक ज्ञापन/अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) तथा (ग) मुख्य मांग विधवाओं का शीघ्र पुनर्वास करने की रही है जिसमें उनके लिए रोजगार/स्वरोजगार शामिल हैं। कई राहत उपायों के अतिरिक्त दिल्ली प्रशासन ने इन विधवाओं को दिल्ली विकास प्राधिकरण के 942 मकानों का आवंटन किया है। इसके अलावा दिल्ली प्रशासन ने विधवाओं से सरकारी/अर्ध-सरकारी संगठनों में रोजगार की पेशकश की है। 290 विधवाओं ने कार्यभार संभाल लिया है। विधवाओं को विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में रोजगार देने के प्रयास किए जा रहे हैं।

केरल में पोन्नुडी एस्टेट द्वारा उचित रूप से कार्य करना

8001. **श्री टी० बशीर** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल में पोन्नुडी एस्टेट के ठीक तरह से कार्य न करने के संबंध में कोई ज्ञापन मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस एस्टेट का अधिग्रहण करने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार का एस्टेट तथा कर्मचारियों की सुरक्षा के संबंध में कौन-से कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) तथा (ख) केरल में पोन्नुडी चाय बागान की वर्तमान परिस्थितियों के संबंध में, जो कि चाय बागान के मालिकों की ओर से रुचि न दिखाये जाने, लम्बी मुकदमेबाजी तथा चाय बागान के लगातार दायित्वों की वजह से समस्याओं का सामना करता रहा है । समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ।

(ग) से (च) केन्द्रीय सरकार ने केरल सरकार से चाय बागान के पुनरुद्धार के लिए विभिन्न विकल्पों पर विचार करने का अनुरोध किया था जिनमें से एक विकल्प नए उद्यमी को उसकी वित्तीय स्थिति तथा अन्य संसाधनों को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा नए पट्टे का दिया जाना हो सकता है ।

[हिन्दी]

भारतीय उत्पादों का अधिक मूल्य

8002. **श्री शांति धारीवाल** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय निर्माताओं को अपने उत्पादों का अधिक मूल्य होने के कारण अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अपने उत्पादों की बिक्री करने में कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो सरकार अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा का सामना करने में निर्माताओं को सहायता करने के लिए क्या कदम उठा रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) से (ग) निर्यातों की प्रतियोगी क्षमता को प्रभावित करने वाले कारणों में से एक कारण उत्पादन की ऊंची लागत है । कुछ क्षेत्रों में निर्यातों के लिए अप्रतियोगी क्षमता का मुख्य स्रोत विदेशों में उत्पादकों द्वारा सामना की जा रही कच्चे माल की कीमतों की तुलना में कीमतों का अधिक होना है । अत: इस्पात, रबड़ तथा कतिपय रासायनिक पदार्थों के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर कच्चे माल की सप्लाई करने की एक योजना चल रही है ।

[अनुवाद]

भारत और नीदरलैंड के बीच व्यापारिक संतुलन पर चर्चा

8003. **श्रीमती ऊषा चौधरी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में हाल में भारतीय व्यापारियों और नीदरलैंड के शिष्टमंडल के बीच निर्यात संवर्धन तथा व्यापारिक संतुलन की आवश्यकता पर चर्चा की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) तथा (ख) भारत तथा नीदरलैंड के बीच निर्यात संवर्धन तथा व्यापार शेष से संबंधित मामलों पर भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल परिसंघ और मार्च, 1987 में नीदरलैंड के प्रधान मंत्री की भारत यात्रा के दौरान उनके साथ आए नीदरलैंड के प्रतिनिधिमंडल के बीच विचार-विमर्श किया गया । दोनों पक्ष इस बात से सहमत थे कि द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने की पर्याप्त गुंजाइश है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में जिला अल्मोड़ा में कौसानी में रक्षा कर्मचारियों के लिए पेय जल योजना

8004. **श्री हरीश रावत** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय का कौसानी (जिला अल्मोड़ा, उत्तर प्रदेश) के रक्षा कर्मचारियों को पेय जल सुलभ कराने हेतु कोई योजना तैयार करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) और (ख) पानी की सप्लाई की किसी योजना के लिए कोई और प्रस्ताव नहीं है क्योंकि विद्यमान प्रबंध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है ।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले एककों में हड़ताल पर प्रतिबन्ध लगाना

8005. **श्री पी० एम० सईद** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के ऐसे कुछ एककों में हड़ताल पर प्रतिबन्ध लगाया है, जो आवश्यक सेवाएं प्रदान करते हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे एककों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चिकित्सा सेवा को आवश्यक सेवा माना गया है और क्या आवश्यक सेवाएं बनाए रखना अधिनियम सरकारी अस्पतालों पर लागू होता है; और

(घ) यदि हां, तो डाक्टरों और नर्सों द्वारा की गई हड़तालों को गैर-कानूनी घोषित न करने के क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) तथा (ख) जी हां, श्रीमान् । आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम 1981 के अधीन उपलब्ध शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार द्वारा नवम्बर, 1986 से निम्नलिखित सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में प्रत्येक के अधीन किसी सेवा में हड़तालों में प्रतिबन्ध लगाने के लिए

आदेश जारी किए गए हैं :—

(1) सिंगरेनी कोलीरीज कम्पनी लिमिटेड ।

(2) भारतीय खाद्य निगम ।

(ग) अधिनियम के अधीन किसी संघ शासित क्षेत्र, छावनी क्षेत्र अथवा केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में अथवा उसके द्वारा नियंत्रित उपक्रमों में किसी अस्पताल अथवा औषधालय में कोई सेवा आवश्यक सेवा है ।

(घ) अनिवार्य सेवा अनुरक्षण अधिनियम 1981 के अन्तर्गत उपलब्ध शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली प्रशासन ने, संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में अस्पतालों या डिस्पेन्सिरियों के संचालन में या इससे सम्बन्धित किसी सेवा में हड़तालों पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए 10 नवम्बर, 1986 को एक अधिसूचना जारी की थी । यह अधिसूचना 9 फरवरी, 1987 तक वैध थी ।

भारतीय फिल्मों और कैसेटों के निर्यात की संभावना

8006. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय फिल्मों और कैसेटों के निर्यात की संभावना के बारे में कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे अध्ययन के क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) विदेशों में भारतीय फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) तथा (ख) जी नहीं । तथापि, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान इस समय फिल्मों और ओडियों विसुअल की निर्यात संभावनाएं पर एक अध्ययन कर रहा है ।

(ग) फीचर फिल्मों के निर्यात के लिए, जिनमें वीडियों अधिकारों की बिक्री भी शामिल है सरणीकरण अभिकरण के रूप में राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एन० एफ० डी० सी०) ने भारतीय फिल्मों के निर्यात संवर्धन के लिए विभिन्न उपाय किए हैं जिसमें अन्य उपायों के साथ-साथ निम्नोक्त उपाय भी शामिल हैं :—

(1) फिल्म मेलों/विदेशी फिल्म बाजारों में भाग लेना, भारत में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म मेलों और अन्य देशों में भारतीय फिल्मों के मेलों को आयोजित करने के लिए भावी खरीदारों को आमंत्रित करना;

(2) प्रिंट सामग्री आदि को तैयार करने के लिए निर्यातकों को अग्रिम/ऋण प्रदान करने के साथ-साथ सबटाइटिल प्रिंटों, वीडियों कैसेट तथा प्रचार सामग्री तैयार करना; और

(3) निर्यात संवर्धन के लिए फिल्म उद्योग के साथ मिलकर मद्रास, कलकत्ता और बम्बई में फिल्म निर्यात सलाहकार समितियों की स्थापना करना ।

तांबे का मूल्य

8007. **श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च, 1987 से तांबे के मूल्य में वृद्धि की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) जी, हां ।

(ख) फरवरी, 1987 के लिए निर्धारित कीमत की अपेक्षा कीमत में 1500 रु० प्रति मे० टन की वृद्धि की गई ।

(ग) धातु की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि होने के फलस्वरूप कीमत में वृद्धि करनी पड़ी ।

स्वयं सेवी ग्रामीण विकास एजेंसी संघ को पश्चिमी जर्मनी से प्राप्त हुई धनराशि

8008. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वयंसेवी ग्रामीण विकास एजेंसी संघ तथा उड़ीसा में इसके सदस्य संगठनों को पिछले पांच वर्षों के दौरान पश्चिमी जर्मनी से कुछ धनराशि प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी वर्षवार ब्योरा क्या है; और

(ग) सहायता किस प्रयोजन के लिए ली गई थी इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) एसोसिएशन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार इसने पश्चिमी जर्मनी से केवल 1982, 1983 और 1984 के दौरान ही कतिपय धनराशि प्राप्त की है । एसोसिएशन द्वारा 1985 में किसी धनराशि को प्राप्त करने की कोई सूचना नहीं दी गयी है । इस एसोसिएशन के 1986 के विवरणों से संकेत मिलता है कि इसने पश्चिमी जर्मनी से कोई धनराशि प्राप्त नहीं की है । क्योंकि हमें उड़ीसा में इसके सदस्य संगठनों के नामों की जानकारी नहीं है, इसलिए उनके बारे में कोई सूचना नहीं दी जा सकती ।

(ख) और (ग) विवरण संलग्न है ।

विवरण

ग्रामीण विकास के लिए स्वयंसेवी एजेंसियों की एसोसिएशन द्वारा वर्ष 1982 से 1986 तक प्राप्त की गयी सूचित धनराशि का विवरण

क्र० सं०	वर्ष	रुपयों में धनराशि (पश्चिमी जर्मनी से प्राप्त)	उद्देश्य	उपयोग
1	2	3	4	5
1.	1982	3,93,986	बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में पुर्ननिर्माण और पुनर्वास अधौरा और परतापुर (बिहार) में काम के बदले अनाज कार्यक्रम कला केन्द्र के लिए कार्य शैड का निर्माण ।	एसोसिएशन द्वारा प्रस्तुत की गयी रिपोर्ट के अनुसार उपयोग किया गया ।

1	2	3	4	5
2.	1983	8,23,763	एवार्ड की अनुसंधान और विकास इकाई की स्थापना	
3.	1984	6,71,014	ग्रामीण विकास (मुसाहारी और जमुई परियोजना)	
4.	1985	सूचित नहीं किया गया।		
5.	1986	पश्चिम जर्मनी से कोई धनराशि प्राप्त होने की कोई सूचना नहीं।		

12.00 मध्याह्न

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : पत्र सभा पटल पर, रखे जाएंगे—श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद।

एक माननीय सदस्य : कोई शून्य काल नहीं ?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं ही कहना शुरू कर दूं।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : कम से कम उनको कुछ कहने दीजिए। (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री भागवत आजाद (भागलपुर) : आज आप ही कुछ बोलिए।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : यदि वे कोई प्रश्न नहीं उठाते तो यह बहुत नीरस हो जाएगा। महोदय, कृपया उन्हें कुछ भी उठाने के लिए बोलिए।

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूब नगर) : एक लम्बी व्यस्तता के पश्चात हमें कुछ आराम चाहिए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : रिकूपेरेशन तो होना चाहिए। मुझ पर आपने कैसी कृपा की, क्या भगवान आपकी कृपा है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : एक रोज की छुट्टी दी है, मन्डे से नहीं (**व्यवधान**)।

श्री बालकवि बैरागी (मंदसौर) : आज दण्डवते जी चुप हैं, दाल में कुछ काला है।

(व्यवधान)

12.01 म० प०

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

पर्यटन मंत्रालय की वर्ष 1987-88 की अनुदानों की विस्तृत मांगें

पर्यटन मंत्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : मैं पर्यटन मंत्रालय की वर्ष 1987-88 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 4269/87]

अखिल भारतीय हथकरघा वस्त्र विपणन सहकारी सोसाइटी सीमित, बम्बई के वर्ष 1985-86 के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा परीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात निर्धारित अवधि के भीतर सभा-पटल पर न रखने के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : मैं अखिल भारतीय हथकरघा वस्त्र विपणन सहकारी सोसाइटी सीमित, बम्बई के वर्ष 1985-86 के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा-परीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखने के कारण को स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4270/87]

दिल्ली अग्नि शमन और अग्नि सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : मैं दिल्ली अग्नि शमन और अग्नि सुरक्षा अधिनियम, 1986 की धारा 16 की उपधारा (3) के अन्तर्गत दिल्ली अग्नि शमन और अग्नि सुरक्षा नियम, 1987, जो 31 मार्च, 1987 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 10/29/86/एचपी/II में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 4271/87]

सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना में संशोधन

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त) : महोदय, मैं श्री जनार्दन पुजारी की ओर से सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 407 (अ), जो 16 अप्रैल, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 17 अप्रैल, 1980 की अधिसूचना संख्या 77/80-सी० शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि सिले-सिलाए वस्त्रों के विनिर्माण के दौरान बचने वाले चिथड़ों, कत्तनों और सिलाई कतनों को, उन पर उद्ग्रहणीय सीमा-शुल्क के भुगतान से उस समय छूट

दी जा सके जब उनकी निकासी कांडला मुक्त व्यापार जोन से की जाए, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 4272/87]

नागरिकता अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : मैं नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 18 की उपधारा (4) के अन्तर्गत नागरिकता (दूसरा संशोधन), नियम, 1987, जो 13 अप्रैल, 1987 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 392 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 4273/87]

आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : मैं आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 की धारा 3 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या का० आ० 281 (अ) से 298(अ) तक, जो 1 अप्रैल, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो अनुज्ञापन वर्ष 1987-88 के दौरान विभिन्न श्रेणियों द्वारा पूंजीगतमाल, कच्चे माल, संघटकों और फालतू पुर्जों के आयात की सामान्य अनुमति देने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 4274/87]

पटसन विनिर्मिति विकास परिषद, कलकत्ता के वर्ष 1985-86 के वार्षिक प्रतिवेदन आदि को निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखने के कारणों को स्पष्ट करने वाला विवरण

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : मैं पटसन विनिर्मिति विकास परिषद, कलकत्ता के वर्ष 1985-86 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर सभापटल पर न रखने के कारणों को स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 4275/87]

———

12.02 म० प०

लोक लेखा समिति

81वां, 84वां तथा 85वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री ई० अय्यपू रेड्डी (कुरनूल) : महोदय, मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :—

1. सिंचाई परियोजनाओं के संदर्भ में आयोजना प्रक्रिया और निगरानी तंत्र के सम्बन्ध में

समिति के 141वें प्रतिवेदन (सातवीं लोक सभा) पर की गई कार्यवाही के बारे में 81वां प्रतिवेदन ।

2. प्रतिकर दावों सम्बन्धी समीक्षा के बारे में 84वां प्रतिवेदन ।

3. समस्या-ग्रस्त गांवों को पेयजल की आपूर्ति के बारे में 85वां प्रतिवेदन ।

12.03 म० प०

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

24वां तथा 26वां प्रतिवेदन और कार्यवाही-सारांश

[अनुवाद]

श्री के० राममूर्ति (कृष्णागिरि) : महोदय, मैं सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन और कार्यवाही-सारांश प्रस्तुत करता हूं :—

(एक) एयर इण्डिया-अभिकरण प्रणाली और यात्री सेवाओं के सम्बन्ध में 24वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा समिति की तत्सम्बन्धी बैठकों के कार्यवाही-सारांश ।

(दो) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के सम्बन्ध में 26वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा समिति की तत्सम्बन्धी बैठकों के कार्यवाही-सारांश ।

12.03½ म० प०

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति

स्थल-पर-अध्ययन दौरे का प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री के० डी० सुल्तानपुरी (शिमला) : महोदय, मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के फरवरी, 1987 के दौरान इण्डियन एयर लाइन्स के प्रधान कार्यालय के स्थल-पर-अध्ययन दौरे के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं ।

12.04 म० प०

राज्यपाल (परिलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) संशोधन विधेयक*

[अनुवाद]

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : महोदय, मैं राज्यपाल (उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार)

*दिनांक 24-4-1987 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग दो, खण्ड 2, में प्रकाशित ।

अधिनियम, 1982 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है .

"कि राज्यपाल (उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) अधिनियम, 1982 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सरदार बूटा सिंह : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

12.04 ½ बजे अ० प०

नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

(एक) रिक्शा चालकों की स्थिति में सुधार करने के लिए कदम उठाने की मांग

श्री अजहिं चरण दास (जाजपुर) : देश में रिक्शा चालक अपनी जिन्दगी बहुत कठिनाई से गुजार रहे हैं । रिक्शा चालक, जो स्वयं आदमी होकर अपनी रिक्शाओं में अन्य व्यक्तियों को बैठाकर रिक्शा चलाता है और अपना पसीना बहाकर मामूली सी रोजी-रोटी प्राप्त करता है । यह वास्तव में बहुत दयनीय और क्रूर स्थिति है । गरीब व्यक्तियों को बस जिन्दा भर रहने के लिए ही रिक्शा खिचनी पड़ती है । हम पूरे देश में यह दयनीय स्थिति देखते हैं । इस व्यवसाय के माध्यम से ये गरीब व्यक्ति जिन्दगी में कभी ऊपर नहीं उठ सकते क्योंकि कड़े शारीरिक श्रम के बावजूद वे प्रतिदिन दो वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पाते । दूसरी ओर, उनकी स्थिति दिन-प्रति-दिन बिगड़ती जा रही है तथा वे विभिन्न रोगों के शिकार हो रहे हैं और इस प्रकार असामयिक मृत्यु का ग्रास बन रहे हैं ।

इसलिए, मैं भारत सरकार से प्रार्थना करता हूं कि वह रिक्शा चालकों की वर्तमान स्थिति का उचित अध्ययन करे और उनकी स्थिति में सुधार करने के लिए समुचित कदम उठाए ।

(दो) महाराष्ट्र में उल्हासनगर और ठाणे के आयुध कारखाना क्षेत्र को 'नामित शहर' घोषित करने की मांग जिससे कि सरकारी कर्मचारियों को वहां मकान किराया भत्ता और नगर प्रतिपूर्ति भत्ता मिल सके

श्री एस० जी० घोलप (ठाणे) : महोदय, केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों के मकान किराया भत्ता और शहर प्रतिपूर्ति भत्ता नियमों के अनुसार जिन कर्मचारियों का रोजगार स्थल शहरी क्षेत्र के नामित शहर में पड़ता है वे मकान किराया भत्ता और शहर प्रतिपूर्ति भत्ता, दोनों को प्राप्त करने के अधिकारी होंगे चाहे भले ही उनका आवास स्थल इस प्रकार की सीमाओं के भीतर हो अथवा बाहर ।

यह सच है कि राजीतिक अथवा अन्य कारणों से कभी-कभी कोई क्षेत्र अथवा भाग, जो बिल्कुल सीमा पर होता है, को नामित नगर निगम अथवा नगरपालिका की निश्चित सीमा में शामिल नहीं किया जाता और इस प्रकार वहां सेवारत व्यक्तियों को मकान किराया भत्ता और शहर प्रतिपूर्ति भत्ता नहीं मिलता, उदाहरण के लिए महाराष्ट्र को ठाणे जिले को उल्हासनगर और आयुद्ध कारखाना

क्षेत्र हैं जहां 3 लाख से भी अधिक की जनसंख्या है और सामान्यतः दूध, सब्जियों जैसी आवश्यक वस्तुओं और रेलगाड़ियों के लिए नामित शहर पर निर्भर हैं और फिर भी उन्हें उक्त सुविधा से वंचित किया गया है।

इसलिए, शहरी विकास मंत्री से यह अनुरोध है कि महाराष्ट्र के ठाणे जिले के उल्हासनगर और आयुद्ध कारखाना क्षेत्र को नामित क्षेत्र घोषित किया जाए ताकि उस क्षेत्र में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों को सम्बद्ध शहर, कल्याण नगर पालिका में मिलने वाले भत्तों के अनुसार मकान किराया भत्ता और शहर प्रतिपूर्ति भत्ता प्राप्त हो सके।

(तीन) उड़ीसा में तालचेर में सुपर तापीय बिजलीघर की स्थापना के परिणाम स्वरूप विस्थापित हुए लोगों को पुनः बसाना

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : महोदय, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के माध्यम से उड़ीसा में तालचेर में सुपर ताप विद्युत केन्द्र स्थापित करने का निर्णय किया गया है। इस संयंत्र से बड़ी संख्या में ग्रामवासी प्रभावित होंगे जिसमें हजारों व्यक्ति विस्थापित हो जाएंगे। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि इन व्यक्तियों का उचित पुनर्वास किया जाए तथा जहां तक संभव हो सके उन्हें संयंत्र में प्राथमिकता के आधार पर रोजगार प्रदान किया जाए। परन्तु राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा भुवनेश्वर में अपना मुख्यालय बनाकर अपना कार्य आरम्भ करके पूरे देश से तृतीय और चतुर्थ श्रेणियों की भर्ती के लिए हाल ही में जारी किए गए विज्ञापन इस सामान्य धारणा और आकांक्षा के विपरीत हैं कि विस्थापित व्यक्तियों को संयंत्र में रोजगार दिया जाएगा और इस प्रकार लोगों में असंतोष और अप्रसन्नता पैदा हुई है।

अतः, सरकार से मेरा अनुरोध है कि तालचेर सुपर ताप विद्युत संयंत्र के लिए राष्ट्रीय ताप विद्युत संयंत्र का मुख्यालय तुरन्त तालचेर में स्थानांतरित किया जाए तथा संयंत्र के कारण प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार के कार्य अर्थात संयंत्र में किसी कार्य अथवा निर्माण कार्य आदि में लगाया जाए।

12.07 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

(चार) केरल के सम्पूर्ण तटीय क्षेत्र को समुद्री कटाव से बचाने के लिए उपाय करने की मांग

प्रो० के० वी० थामस (एरनाकुलम) : महोदय, केरल की 590 कि० मी० लम्बी तट रेखा है जो त्रिवेन्द्रम से कासरगोड़ु तक फैली हुई है। प्रत्येक बार मौनसून के दौरान अरब सागर विकराल रूप धारण कर लेता है और समुद्र से उठती भारी लहरें तटीय क्षेत्र को अपनी लपेट में ले लेती हैं तथा बड़ी संख्या में घरों को बहा ले जाती हैं और नारियल के हजारों पेड़ों को उखाड़ देती हैं। केरल जैसा एक छोटा राज्य सम्पूर्ण तटीय रेखा की रक्षा का वित्तीय भार वहन नहीं कर सकता। भारत सरकार को समुद्री कटाव को प्राकृतिक आपदा के रूप में मानना चाहिए तथा तटीय क्षेत्र की रक्षा की सम्पूर्ण जिम्मेदारी लेनी चाहिए।

(पांच) आन्ध्र प्रदेश में रामगुंडम में एक दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित करने की मांग

श्री जी० भूपति (पेद्दापल्ली) : महोदय, आंध्र प्रदेश में रामगुंडम एक ऐसा स्थान है जहां अनेक उद्योग स्थित हैं, जैसे राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, सिंगरेनी कोयला खानें, भारतीय उर्वरक निगम

आदि। इन कारखानों में काम करने वाले लगभग एक लाख श्रमिक रामगुंडम में तथा मंडामार्री, बेल्लामपल्ली, रामकृष्णपुरम जैसे समीप के स्थानों तथा अन्य स्थानों पर रहते हैं। श्रमिकों के लिए मनोरंजन सुविधाएं प्रदान करना बहुत आवश्यक है। वहा 200 कि० मी० के परिधि क्षेत्र में कोई टी० वी० रिले केन्द्र नहीं है। इसलिए, आवश्यक है कि रामगुंडम में टी० वी० रिले केन्द्र शुरू किया जाए।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, सिंगरेनी कोयला खान और भारतीय खाद्य निगम रामगुंडम में टी० वी० रिले केन्द्र की लागत का कुछ भाग वहन करने के इच्छुक हैं। इसलिए, भारत सरकार से अनुरोध है कि वह आंध्र प्रदेश में रामगुंडम में शीघ्र ही एक टी वी० रिले केन्द्र खोले।

(छह) बंगलौर और बम्बई के बीच एक और सीधी रेलगाड़ी चलाने की मांग

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर (बंगलौर दक्षिण) : महोदय, बंगलौर और बम्बई के बीच चलने वाली एकमात्र सीधी रेलगाड़ी उद्यन एक्सप्रेस में आरक्षण के लिए भारी भीड़ है। हाज ही में कोचीन-बम्बई ट्रेन को मार्ग बदलकर कृष्ण राज पुरम से गुंटाकल तक चलाया गया है जो बंगलौर शहर नहीं जाती। इसलिए बंगलौर शहर के यात्रियों के लिए कोचीन-बम्बई ट्रेन का कोई उपभोग नहीं है।

बंगलौर और बम्बई के बीच प्रतिदिन सैंकड़ों यात्री यात्रा करते हैं। यदि यात्री उद्यन एक्सप्रेस से अपनी यात्रा के दिन से एक अथवा दो महीने पहले भी आरक्षण के लिए जाएं तब भी आरक्षण नहीं मिलता। इसलिए, बंगलौर और बम्बई के बीच एक अन्य सीधी रेलगाड़ी चलाने की बड़ी मांग है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस मांग को पूरा करने के लिए बंगलौर और बम्बई के बीच तुरन्त एक अन्य सीधी रेलगाड़ी शुरू करे और अधिक राजस्व अर्जित करे क्योंकि यह मार्ग वाणिज्यिक दृष्टि से काफी लाभप्रद है।

(सात) उड़ीसा राज्य के सम्पूर्ण विकास के लिए राज्य में रेलवे/संचार प्रणाली को विकसित करने की आवश्यकता

श्री जगन्नाथ पटनायक (कालाहान्डी) : भारतीय रेल ने हमारे देश के सामाजिक-आर्थिक जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और निभा रही हैं। रेलों को केवल वाणिज्यिक दृष्टि से ही अपना कार्य नहीं करना चाहिए। उनका मूलदर्शन तो अनेकता में एकता, राष्ट्रीय एकीकरण और क्षेत्रीय असंतुलन दूर करना है। प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों, बंदरगाह, निर्यात के लिए महत्त्वपूर्ण खनिज पदार्थों के होते हुए भी उड़ीसा एक बहुत ही पिछड़ा और अविकसित राज्य है। इसका मुख्य कारण रेल व्यवस्था, जो इस क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए अपरिहार्य है, का अपर्याप्त विकास होना है। राज्य-वार, क्षेत्र-वार, जनसंख्या-वार, मार्ग किलोमीटर के हिसाब से उड़ीसा बहुत पीछे है। बजट का बहुत ही कम प्रतिशत भाग उड़ीसा पर खर्च किया जाता है। रोजगार के मामले में भी उड़ीसा के लोगों की अपेक्षा होती है। यद्यपि उड़ीसा में सभी महत्वपूर्ण मार्ग हैं और दक्षिण-पूर्व रेलवे के कार्यालय भी उड़ीसा में स्थित हैं, परन्तु फिर भी मुख्य कार्यालय राज्य से बाहर स्थित हैं। मुख्य कार्यालयों को राज्य में स्थापित करना हर प्रकार से न्यायोचित है। इन सभी बातों को देखते हुए उड़ीसा के लोगों में गुस्सा और मनोव्यथा ठीक ही है। काफी समय से राज्य को रेलों के विकास के उसके वैध दावे से वंचित रखा गया है। राज्य के आर्थिक विकास के लिए आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करने के कार्य पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

दक्षिण पूर्व रेलवे के शताब्दी समारोह को उड़ीसा राज्य में भी पूरे उत्साह के साथ मनाया जाना चाहिए।

(आठ) देश में देवदासी प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाने की मांग

***श्री वी० कृष्ण राव** (चिकबल्लापुर) : यह बड़े दुःख और चिंता की बात है कि लगभग 10,000 लड़कियों को देवदासियां बना दिया जाता है जिन्हें देश के कुछ भागों में विशेष रूप से आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के सीमावर्ती क्षेत्रों में 'जोगिन' के नाम से भी पुकारा जाता है।

सरकार की नीति यह है कि समाज के निम्न वर्ग की महिलाओं का उद्धार किया जाए। आन्ध्र प्रदेश ने हाल में विधान सभा में देवदासी प्रथा समाप्त करने के लिए एक विधेयक पेश किया है। कर्नाटक सरकार ने भी इस घृणित प्रथा को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए कुछ कदम उठाए हैं। लेकिन ये प्रयास काफी नहीं है क्योंकि यह समस्या बहुत व्यापक है। यह उचित समय है कि केन्द्र सरकार को देश में देवदासी प्रथा पर रोक लगाने के लिए एक विधान बनाना चाहिए तथा देश में देवदासी प्रथा को अपनाने के लिए मजबूर की जा रहीं हजारों बदकिस्मत लड़कियों की रक्षा की जाए।

अतः मैं भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह एक व्यापक विधान लाए और इस बुराई को अविलम्ब समाप्त किया जाए।

12.14 म० प०

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1987-88

रक्षा मंत्रालय—[जारी]

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम अगली मद लेंगे। रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर आगे चर्चा होगी। अब श्री इन्द्रजीत गुप्त बोलेंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : रक्षा मंत्रालय के लिए इस वर्ष इतनी भारी राशि स्वीकार करने के लिए हमसे जो कहा जा रहा है उसका उल्लेख अनेक वक्ता पहले ही कर चुके हैं। मैं समझता हूं कि इस वृद्धि का एक बड़ा हिस्सा वेतन आयोग के निर्णय के अनुसार वेतन तथा भत्तों पर खर्च होगा। लेकिन इसके अतिरिक्त शेष राशि, विशेष रूप से अमेरीका द्वारा नवीनतम प्रौद्योगिकी और अत्याधुनिक हथियारों के रूप में पाकिस्तानी सैनिक शासन को दी गई सहायता से उत्पन्न बढ़े हुए खतरे के प्रति सरकार की चिन्ता दर्शाती है। महोदय, हमें रक्षा पर अधिक धन खर्च किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हम इस बात का आश्वासन चाहते हैं कि इसका उचित उपयोग हो। हम इस बात का भी आश्वासन चाहते हैं कि एक-एक पैसे का सही इस्तेमाल हो क्योंकि हमारे राष्ट्रीय संसाधन सीमित होने के कारण इतनी बड़ी धनराशि को अनिवार्य रूप से इस देश में जरूरी विकास संबंधी आवश्यकताओं तथा लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खर्च न करके इस दिशा में खर्च करना पड़ रहा है। अतः यह आश्वासन न केवल कथनी द्वारा अपितु करनी द्वारा भी पूरा किया जाना चाहिए।

---

*मूलतः कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

रक्षा मंत्रालय के इस प्रतिवेदन में कहा गया है कि अमेरीका ने पाकिस्तान को विमानवाहित पूर्व सूचना प्रणाली 'एवेक्स' देने का जो वचन दिया है—यद्यपि (ए०डब्लू०ए०सी०एस०) विमान अभी पाकिस्तान को दिए नहीं गए हैं लेकिन इनको देने का वचन दिया गया है—इन विमानों को केवल एक अन्य शस्त्र के रूप में ही वर्णित नहीं किया गया है अपितु इसे आकाश में आदेश देने वाली चौकी भी माना है। यह जो विमान पाकिस्तान को दिए जाने वाले हैं, उनसे पाकिस्तान की स्थिति हमारी तुलना में काफी मजबूत हो जाएगी। समाचार पत्रों से मुझे पता चला है कि रक्षा मंत्री ने हाल ही में एयर कमान्डरों मानों को सम्बोधित करते हुए पाकिस्तान द्वारा इन विमानों के प्राप्त होने से उत्पन्न हुए नए खतरे का उल्लेख किया था और उन्होंने यह भी बताया था कि हमें भी इसके प्रत्युत्तर में इसी प्रकार की प्रणाली प्राप्त करनी होगी। मैं नहीं जानता कि प्रेस में जो 'इसी प्रकार की प्रणाली' का उल्लेख किया गया है इसका क्या मतलब है। क्या इसका मतलब यह है कि सरकार भी अब एवेक्स की किसी अन्य किस्म की तलाश कर रही है—जो अमेरीका से नहीं अपितु किसी अन्य स्रोत से प्राप्त किए जायेंगे? यदि हां, तो इन पर कितना खर्च होगा? मैं नहीं जानता कि अगले वर्ष रक्षा बजट कितना होगा यदि हम अमेरीका द्वारा पाकिस्तान को दी जाने वाली शस्त्र प्रणाली के अनुरूप वह सभी कुछ खरीदते हैं जिनका हम इस समय निर्माण करने की स्थिति में नहीं हैं। परन्तु मैं उनसे यह स्पष्टीकरण चाहूंगा कि वह बताएं के 'इसी प्रकार की प्रणाली' से उनका क्या तात्पर्य है?

महोदय, इस प्रतिवेदन के पृष्ठ 7 पर एक सुन्दर और अस्पष्ट विवरण दिया गया है जिसमें कहा गया है कि: "रक्षा सेवाओं के लिए अपेक्षित शस्त्र और उपकरण पद्धतियों का उत्तरोत्तर स्वदेशीकरण करने के हमारे दीर्घकालीन उद्देश्य को भी ध्यान में रखा गया है।" उत्तरोत्तर सम्पूर्ण स्वदेशीकरण को भी ध्यान में रखागया है। मैं तो कहूंगा कि यह संसद के विवेक के लिये अपमान-जनक है क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि इस वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक क्रांति ने शस्त्र प्रणाली में भी क्रांति ला दी है। अत: हम असमंजस की स्थिति में हैं। मान लो एक तरफ यदि आप हमारी उसी प्रकार की शस्त्र प्रणाली के प्रतिकूल शस्त्र प्रणाली की बराबरी करने के लिए किसी प्रकार की नीति अपनाते हैं तो शायद हम साधनों के ऐसे संकट में फंसने जा रहे हैं जिसका कोई समाधान नहीं है। हमारे जैसे विकसित देशों की यही नियति है। मैं कहूंगा कि हम पर दबाव डाला जा रहा है। अन्य विकसित देशों के साथ हमें भी एक तरह से हथियारों की छोटी-मोटी होड़ में शामिल करने के लिए बाध्य किया जा रहा है जो हमारे संसाधनों के बस से बाहर है। दूसरी ओर, हम इस बात को भी नजर-अंदाज नहीं कर सकते कि सीमा के पार किन शस्त्रों का जमाव हो रहा है। मेरे कहने का मतलब यह है कि असीम बाधाओं के बावजूद भी स्वदेशीकरण पर जोर देना बहुत जरूरी और अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इसीलिए मैं रक्षा बजट के आंकड़ों को देखकर थोड़ा हैरान हूं क्योंकि शीर्ष के अन्तर्गत जहां सम्पूर्ण बजट 8,000 करोड़ से बढ़कर 12,000 करोड़ रुपए हो गया है, वहां रक्षा उत्पादन के नियतन में वास्तविक रूप में कटौती की गई; रक्षा उत्पादन तथा पूर्ति के नियतन में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 589 करोड़ रुपये की कमी की गई है। यह प्रतिवेदन में छपे आंकड़ों के अनुसार है। यह सच है कि रक्षा अनुसंधान और विकास कार्य पर राशि बढ़ी है लेकिन यह वृद्धि केवल 233 करोड़ रुपए की है। कुल मिलाकर रक्षा उत्पादन और पूर्ति तथा अनुसंधान और विकास पर लगभग 356 करोड़ रुपए की शुद्ध कमी की गई है। परन्तु मैं रक्षा उत्पादन के नियतन में की गई कटौती के बारे में ज्यादा चिंतित हूं और मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि वह यह स्पष्ट करें कि किस कारण ऐसा किया गया है और इसके क्या प्रभाव होंगे। ऐसा लगता है कि हम विदेशों से अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र से अधिक से अधिक वस्तुएं प्राप्त करने के लिए निर्भर होंगे। लेकिन इससे पूर्ण रूप से मांग पूरी नहीं

होगी। मैं इस दृष्टिकोण से टिप्पणी कर रहा हूं क्योंकि संसद तथा प्रेस और सारे देश में पिछले कुछ सप्ताह से उत्तेजित रहे हैं···

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : ऐसा लगता है कि आप इस बात को बड़े विस्तार से बता रहे हैं। रक्षा उत्पादन बजट में कमी नहीं की गई है अपितु इसमें 12.5 प्रतिशत से 15.5 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है। इस बार थोड़ा सा अन्तर किया गया है, पहले राजस्व बजट और पूंजीगत बजट को रक्षा उत्पादन बजट के अन्तर्गत दिखाया गया था लेकिन इस बार केवल पूंजीगत बजट दिखाया गया है। राजस्व बजट को नहीं दिखाया गया है। अत: रक्षा उत्पादन बजट मे किसी प्रकार की कमी नहीं की गई है अपितु वस्तुत: बजट में वृद्धि हुई है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं समझता हूं कि इस प्रकार के भ्रामक आंकड़े प्रस्तुत करने के लिए आपको सभा से क्षमा मांगनी चाहिए। ये मेरे आंकड़े नहीं हैं। आप इस शानदार और चमकीले प्रकाशन के पृष्ठ 8 पर देखिए। वहां पर एक चार्ट है और इस चार्ट से आपको यही पता चलेगा। महोदय, इन सब बातों से मेरा समय नष्ट हो रहा है, यदि माननीय मंत्री महोदय ने हस्तक्षेप न किया होता तो मैं इस संबंध में ज्यादा विस्तार में नहीं गया होता। **(व्यवधान)** 1986-87 में रक्षा उत्पादन के लिए 1,356 करोड़ रुपए की धनराशि आबंटित की गई थी जो 13.30 प्रतिशत थी और इस वर्ष यह राशि 767 करोड़ रुपए दिखाई गई है जो 6.13 प्रतिशत है। निस्संदेह मेरे जैसा सीधा-सादा इन्सान यही समझेगा कि ये आंकड़े सही हैं और इनके पीछे कुछ भी नहीं छिपाया गया है।

रक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : क्या ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जब समय आए तभी इसे स्पष्ट कीजिए। मेरे पास इतना अधिक समय नहीं है।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : मैं केवल आपकी इस बात पर आपत्ति कर रहा हूं कि आप बिल्कुल बुद्धू हैं।

श्री इन्द्र जीत गुप्त : मैं इस मामले में रुचि रखता हूं। मैं चाहूंगा कि आप इस बारे में विस्तार से बताएं।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : वह इस बारे में बाद में बोलेंगे। वह इसे स्पष्ट करेंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं यह कह रहा था कि पिछले कुछ सप्ताह से जो गर्मागर्म तथा तूफानी चर्चा, वाद-विवाद और विवाद जो जहां तक प्रेस का संबंध है अभी समाप्त नहीं हुए हैं, के पश्चात···

एक माननीय सदस्य : संसद भी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कुछ प्रश्नचिह्न बने रहते हैं और अब समय है जब रक्षा मंत्री को यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि इन प्रश्नचिह्नों को दूर कर दिया जाए।

सबसे पहले मैंने 20 अप्रैल को इस सभा में श्री कृष्ण चन्द्र पंत द्वारा बोफोर्स तोपें प्राप्त करने के सम्बन्ध में दिए गए वक्तव्य को ध्यानपूर्वक पढ़ा। इस वक्तव्य के पृष्ठ 2 पर उन्होंने यह कहा है। वह उस समय की बात कर रहे हैं जब सरकार विभिन्न निर्माताओं ने बातचीत के लिए उनसे

सम्पर्क कर रहे थे—मैं उद्धत कर रहा हूं :—

"····प्रस्तावित तोप प्रणाली प्राप्त करने और भारत में उनके लाइसेंसशुदा निर्माण करने के विचार से···"

मेरा विश्वास है कि भारत सरकार की रक्षा सम्बन्धी मामलों में हमेशा यह नीति रही है कि जब कभी हम कुछ नए हथियारों या कुछ नई हथियार निर्माण प्रक्रिया के सम्बन्ध में विदेशी आपूर्तिकताओं से सौदा करते हैं तब हम इस बात पर जोर देते हैं कि सौदे में प्रौद्योगिकी की बिक्री के उपबंध भी शामिल किए जाएं ताकि हम बाद में किसी विशिष्ट स्थिति में अपने रक्षा उद्योग में ही उन हथियारों का उत्पादन कर सकें। यही नीति जुगआर, मिराज, मिग विमानों और अन्य मामलों में अपनायी जा रही हैं। इस वक्तव्य के अन्त में अपनी बात समाप्त करते हुए रक्षा मंत्री कहते हैं "बोफोर्स एफ० एच०-77 बी टाण्ड 5 हॉवीटजर ला करके भारत सरकार को तीन उपलब्धियां हुई हैं। महोदय, परन्तु भारत में लाइसेंसशुदा उत्पादन के सम्बन्ध में एक भी शब्द नहीं कहा गया है। अतः मैं यह जानना चाहता हूं फिर क्या इस बोफोर्स सौदे में, जब भी सम्भव हो, भारत में तोपों का निर्माण करने के लिए प्रौद्योगिकी प्राप्त करने के उपबंधों को शामिल किया गया है अथवा नहीं, अथवा भविष्य में इसके लिए बोफोर्स से इस प्रौद्योगिकी को प्राप्त करने के लिए वाणिज्यिक समझौते के लिए भविष्य में अलग बातचीत की जानी है ?

यदि हां, तो 1,400 करोड़ से अधिक रुपए अथवा 1·5 बिलियन डालर तोपों या तोपों के पुर्जों आदि के लिए हैं। तब केवल दो विकल्प हैं—पहला यह कि सरकार को नया समझौता करे और प्रौद्योगिकी प्राप्त करने के लिए वाणिज्यिक सौदे के संबंध में एक अलग समझौता करे। जो हमें तोपों का निर्माण करने में समर्थ बनाएगा। या क्या हमने उसके उस भाग में छोड़ने के लिए फैसला किया है। मेरे विचार से इस संबंध में स्पष्टीकरण आवश्यक है। ऐसा न हो कि हमें अपने देश में तोपों का निर्माण करने के लिए अतिरिक्त भारी रकम खर्च करनी पड़े। मैं यह जानना चाहता हूं कि स्थिति क्या है ?

दूसरी बात पंडुब्बियों अर्थात् एस० एस० के पंडुब्बियों के बारे में है। मुझे यहां भी संदेह है क्योंकि मैं अब यह समझ पाया हूं कि चार पंडुब्बियां प्राप्त की जानी है। इनमें से दो पंडुब्बियां जर्मनी की पोत निर्माण कार्यशाला से चलाकर लायी जानी हैं और दो पंडुब्बियां हमारी मजगांव गोदी में सज्जीकरण करके तैयार की जानी थी। इस तरह चार पंडुब्बियां हैं। उस मामले में मैं यह जानना चाहूंगा कि जब जर्मन कम्पनी के प्रतिनिधि बाद में यहां आए और मूल्य में और वृद्धि करने के संबंध में तर्क देने शुरू किए, वह किस आधार पर ? पहले हमें यह बताया गया था कि कुल मिलाकर छः पंडुब्बियां होंगी। तो क्या वे प्रतिनिधि शेष दो पंडुब्बियों का मूल्य बढ़वाने का प्रयास कर रहे थे ? यदि हां, तो क्या हमने इसे स्वीकार कर लिया है ? यदि हमने इसे स्वीकार नहीं किया है तो क्या हम इन दो पंडुब्बियों को छोड़ देंगें और क्या हम केवल चार पंडुब्बियां ही खरीदेंगे ? उस मामले में मजगांव गोदी जहां कुछ निवेश इन पंडुब्बियों का सज्जीकरण करके तैयार करने के लिए किया जाना चाहिए वह उस मामले में केवल दो ही पंडुब्बियों तक ही सीमित होना चाहिए। मुझे यह पता नहीं है कि निवेश कितना होना है। क्या वह व्यवहार्य है ? क्या मजगांव गोदी पर स्वदेशी सज्जीकरण की सुविधा उपलब्ध करने के लिए अधिक धनराशि का निवेश करना व्यवहार्य है ? यदि सम्पूर्ण सौदे को केवल दो पंडुब्बियों तक ही सीमित रखा जाना है क्योंकि मैं समझता हूं कि हमने शेष दो पंडुब्बियों को छोड़ दिया है। जिनके लिए यह कम्पनी अधिक मूल्य मांग रही थी और वे इसके कि अधिक मूल्य कैसे मांग रहे हैं। क्या मूल समझौते में कोई मूल्य वृद्धि का उपबन्ध था ?

मेरी समझ में नहीं आता है। यहां बताया गया है कि समझौते में मूल्य वृद्धि का उपबंध था। यदि मूल्य वृद्धि का उपबंध था तो इस कम्पनी को और अधिक मूल्य के लिए सौदा करने का कोई अधिकार नहीं है। वस्तुत: यह आरोप लगाया गया है कि यह किसी दलाल को 30 करोड़ रुपए दिए जाने के लिए था। मुझे पता नहीं है। यह तो मंत्री महोदय को बताना है। लेकिन अब पूरा सौदा घटा कर चार पंडुब्बियां कर दिया गया है। दो पंडुब्बियां तैयार हालत में और दो पंडुब्बियों को मजगांव गोदी में पुर्जे जोड़ कर तैयार किया जाना था और शेष दो को छोड़ा जाना था। फिर केवल दो पंडुब्बियों के सज्जीकरण के लिए मजगांव गोदी में कितनी धनराशि का निवेश किया गया है? मैं यह जानना चाहता हूं क्योंकि इस सबका सम्बन्ध उस तरीके से है जिससे हम इस धनराशि को खर्च करने जा रहे हैं। मेरे यही दो प्रश्न हैं।

अब चूंकि मेरे पास अधिक समय नहीं है मैं जल्दी-जल्दी दो-तीन बातें कह कर समाप्त करूंगा। मुझे व्यक्तिगत रूप से यह जानकर अत्यन्त खुशी हुई है कि जिस बात के लिए मैंने कुछ कहा था और जिसके लिए मैं वर्ष 1980-81 के रक्षा बजट पर चर्चा के दौरान वकालत करता रहा था और जिस पर कुछ सदस्य जिनमें श्री सी० पी० एन० सिंह और अमरिन्दर सिंह शामिल थे मुझ पर काफी रुष्ट हो गए थे और शायद अल्प सेवा कमीशन प्राप्त करने के कारण वह मेरी अपेक्षा अपने को अधिक सेना विशेषज्ञ मानते हैं—वह मामला टैंकों की रेट्रोफिटिंग से सम्बन्धित है। मैंने उस बजट वाद-विवाद में उसके लिए इसलिए बहुत जोर डाला था क्योंकि हमें अपने सामर्थ्य के अनुसार ही खर्च करना चाहिए। रेट्रोफिटिंग···एक तरीका है जो बहुत से देशों में व्यवहार में है जिससे पुराने टैंक भी नए हो जाते हैं और उनका जीवनकाल बढ़ जाता है। यह एक नए लड़ाई के टैंक की कीमत की आधी से भी कम कीमत में एक सक्षम आदर्श लड़ाकू वाहन उपलब्ध कराता है। बहुत से देशों ने ऐसा किया है।

उस समय सेंचूरियन टैंक काफी संख्या में बेचे गए थे क्योंकि यदि आपको याद है कि अब वे पुराने पड़ गए हैं। वर्ष 1972 में सेना मुख्यालय ने 300 सेंचूरियन टैंकों के लिए रेट्रोफिटिंग का प्रस्ताव रखा था। इस प्रस्ताव को इस कारण रद्द कर दिया था कि इसकी लागत नए टैंक की लागत से अधिक होगी। मेरे विचार से यह तर्क खोखला है लेकिन फिर भी ऐसा हुआ। सेंचूरियन बेचे गए और इसके पुर्जों को रद्दी के तौर पर बेचा गया। यह कहना अब असंभव है कि कुछ सेंचूरियन टैंक दक्षिण अफ्रीका में दिखाई देते हैं। अधिकांश रेट्रोफिटिंग कार्य जैसाकि मैंने उस समय कहा था और मैं अपने उन नोटों से बता रहा हूं जिन्हें मैंने उस समय अपने भाषण के लिए इस्तेमाल किया था और उन्हें संभाल कर रखा है, वह हमारी बेस कार्यशालाओं में किया जा सकता है। बदली जाने वाली—या नवीकरण किए जाने वाली अधिकांश मदों का यहां निर्माण किया जा सकता है अथवा वे पहले से ही विकासाधीन है जैसे नॉइट विजन, उपकरण, लेसर रेंज फाइंडिंग साइट, डीजल पावर पैक, कमांडर कुपोला विद रिवाइज्ड आर्म्टक्स, न्यू वेंटीलेशन एण्ड कूलिंग सिस्टम, ट्रांजिस्टराइज्ड गन कंट्रील ईक्वपमेंट, सेमी ऑटोमेटिक गीयर बॉक्स और 105 एम० एम० गन से अपगर्निम आदि का विकास किया जा रहा है। ये सभी कार्य हमारी बेस कार्यशालाओं में किए जा सकते हैं। लेकिन अब मैं देखता हूं कि इस रिपोर्ट के पृष्ठ 9 पर इतने वर्षों के पश्चात् यह कहा गया है कि वर्तमान टैंकों में रेट्रोफिटिंग करना आधुनिक पद्धति में सुधार करना संभव है।

मैं आशा करता हूं कि ऐसा किया जाएगा। हां, हमें नए टैंक भी प्राप्त करने पड़ेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन रेट्रोफिटिंग से पर्याप्त धनराशि बचायी जा सकती है जिसका उस समय विरोध किया गया था।

इस सबके अलावा अब मुझे अन्य दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं के बारे में पूछना पड़ेगा जो

वर्षों से लंबित पड़ी हुई है। एक चेतक है जिसे 80-81 में मुख्य लड़ाई का टैंक समझा जाता है। अब 1987 चल रहा है। कुछ कारणों से हम इस टैंक के लिए समुचित इंजिन बनाने में असमर्थ हैं। हम इसके लिए अन्य बहुत से इंजिनों का परीक्षण कर रहे हैं। वस्तुतः एक पश्चिमी जर्मनी का इंजिन या जिसका परीक्षण किया गया था।

कल मेरे मित्र श्री पटेल यह शिकायत कर रहे थे कि इस क्षेत्र में आने के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र को समुचित अवसर नहीं दिया जा रहा है। मेरे विचार से उनका कहना बिल्कुल सच नहीं है। वस्तुतः रक्षा के क्षेत्र में गैर-सरकारीकरण को समुचित अवसर दिया गया है। एम० वी० टी०-के मामले में किर्लोस्कर को चेतक के लिए उपयुक्त इंजिन का विकास करने के लिए पर्याप्त समय दिया गया था। लेकिन वे असफल रहे। हमारा अपना अनुसंधान और विकास विभाग भी असफल हो गया है। मैं नहीं जानता कि मुख्य लड़ाई के टैंक के सम्बन्ध में हमारी स्थिति क्या है? यदि इसके लिए आयातित इंजिन पर निर्भर रहना पड़ेगा तब हमें कम से कम सावधान रहना पड़ेगा कि इंजिन का उस देश से आयात नहीं करना चाहिए जिससे हमें पाकिस्तान से लड़ाई होने पर धोखे की सम्भावना हो।

दूसरी बात यह है कि हलके लड़ाकू विमानों के बारे में हमारी क्या स्थिति है? ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार ने फिलहाल इसमें अमरीका के इंजिन लगाने का निर्णय किया है। हमें अपने जी० टी० एक्स इंजिनों का विकास करना था। जी० टी० एक्स परियोजना, बी० वेरियेंट के बारे में मुझे यह बताया गया है कि इसके पूरा होने में और 9 वर्ष लगेंगे। इस संकटकालीन स्थिति में जब हमारी सीमाओं पर और उनके पास सभी प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, पता नहीं क्या हम अपने जी० टी० एक्स इंजिनों का विकास करने के लिए 9 वर्षों तक प्रतीक्षा कर सकते हैं और साथ ही साथ इन वर्षों में अमरीका से आयातित इंजिनों पर निर्भर रह सकते हैं अथवा नहीं?

तो वे कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो हमें परेशान कर रहे हैं क्योंकि बिचौलियों को हटाने के सरकार के चाहे कितने ही ईमानदारीपूर्ण इरादे क्यों न हों—मैं उन्हें संदेह का लाभ दे रहा हूं—उन सबके बावजूद क्या ऐसा किया जा सकता है? ये लोग किस तरह अपना काम करते हैं उसके जटिल स्वरूप वस्तुतः गहराई से जांच किए बिना ऐसा किया जा सकता है? मुझे इस बात की जरा भी उम्मीद नहीं है कि कोई भी बिचौलिया अपने आप आकर रक्षा मंत्रालय का दरवाजा खटखटाएगा। वे अपनी तरह से ही काम करते हैं। ये चोरी-छिपे काम करते हैं। उनके मुख्यालय फाइव स्टार होटल हो सकते हैं या नई दिल्ली की धनाढ्य बस्तियों में आलीशान बंगले हो सकते हैं जहां मेरा विश्वास है कि पिछले कुछ दिनों में तलाशी ली गई है छापे मारे गए हैं। किन्तु केवल सदाशयता की भावना मात्र जता कर ऐसी चोरी-छिपे की जाने वाली कार्यवाहियां रोकी नहीं जा सकती हैं। श्री ज्योतिर्मय बसु की अध्यक्षता में कार्यरत लोक लेखा समिति के 1979 के प्रतिवेदन में केवल रक्षा के क्षेत्र में ही नहीं वरन् अन्य विभिन्न क्षेत्रों में भी ये एजेंट और बिचौलिए किस तरह काम करते हैं उसके बारे में एक पूरा प्रतिवेदन पेश किया गया है। आप फिर से उस प्रतिवेदन का अध्ययन करें, आपको लाभ ही होगा। और आप देखेंगे यह कोई सीधा-सादा मामला नहीं है। यही कारण है कि मैंने इस बात पर जोर दिया है कि एजेंटों और बिचौलियों के कार्यकरण के स्वरूप वाले पहलू, जिसे कुछ उच्च सदस्य रक्षा अधिकारियों द्वारा विभागीय जांच के लिए सौंपा गया है, कम-से-कम इस प्रश्न को संसद द्वारा जांच की जानी चाहिए। इसका सभी मंत्रालयों के लिए खरीदी जाने वाली सभी प्रकार की पूर्तियों, जो हम विदेशों या स्वदेशी पूर्तिकर्ताओं से लेते हैं, पर प्रभाव पड़ता है। मुझे यह नहीं मालूम कि बजट नियतन का कितना अंश इन बिचौलियों की जेब में जाता है। अतः महोदय,

मेरी ये निश्चित राय है कि इस पहलू के बारे में संसदीय समिति का अवश्य गठन किया जाना चाहिए।

कल या परसों लोक लेखा समिति ने अथवा 76वां प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा था। मैं इसे इस समय तो नहीं पढ़ सकता किन्तु यह बता सकता हूं कि उसमें जो छवि प्रस्तुत की गई है वह अत्यंत क्षोभजनक है। यदि ऐसी असफलताएं प्रमाणित हो जाती हैं तो सरकार उसकी जिम्मेदारी से कैसे बच सकती है और आप इस संदेह को दूर कैसे कर सकते हैं कि सम्बन्धित व्यक्तियों की दक्षता और ईमानदारी कम है। लोक लेखा समिति के इस प्रतिवेदन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपस्कर का उल्लेख किया गया है जिसकी भारतीय वायु सेना को मार्च, 1987 में ही जरूरत थी। लेकिन 19 वर्ष के बाद भी इसकी व्यवस्था नहीं की गई है, हालांकि 2 करोड़ रुपए की परियोजना के लिए मंजूरी दे दी गई थी। लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन के अनुसार इस उपस्कर की व्यवस्था न हो पाने के कारण वायु सेना अत्यन्त असुरक्षित हो गई है और इसे 1971 की लड़ाई में महसूस भी किया गया था, और अब हम 45.6 करोड़ रुपए मूल्य के ऐसे आठ उपस्करों का आयात करेंगे, जिसमें से प्रत्येक का 5.7 करोड़ रुपए मूल्य है। यह निश्चित रूप से अत्यंत मूल्यवान है। बोफोर्स बंदूकों में से प्रत्येक पर 3.5 करोड़ रुपए खर्च होंगे जबकि यह उपस्कर जो 19 वर्ष में कभी दिखाई नहीं पड़ा उसे अब 5.7 करोड़ रुपए प्रति नग की दर से बाहर से खरीदा जाएगा। क्या इनके बारे में हल्के-फुल्के ढंग से विचार किया जा सकता है? क्या हमें और अधिक विस्तृत रूप से जांच नहीं करनी चाहिए और ऐसे गलत कामों के लिए खर्च का वहन हम क्यों करें?

अन्त में मैं इस बात का जोरदार समर्थन करता हूं कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए बेहतर सुविधाएं दी जानी चाहिए। हमें भूतपूर्व सैनिकों से भारी संख्या में पत्र और अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं। वे अपनी पेंशन के बारे में खासतौर से चिंतित रहते हैं। इस समय न्यूनतम पेंशन 375 रुपए निश्चित की गई है किन्तु मंत्रालय मे मेरा निवेदन है कि भूतपूर्व सैनिकों के बारे में जो सभी की राय है उसको ध्यान में रखते हुए इस न्यूनतम पेंशन को बढ़ा कर लगभग 450 रुपए या 500 रुपए कर दिया जाना चाहिए। निष्कर्ष यह है कि उन्हें बेहतर पेंशन अदा की जानी चाहिए। उनके लिए निश्चित स्वरोजगार के अवसरों में और अधिक विस्तार किया जाना चाहिए। मैं रक्षा-कारखानों और आयुध कारखानों के कामगारों के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं किन्तु विस्तार से चर्चा करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। मंत्री महोदय जिन्होंने ही अभी हाल में जिम्मेदारी सम्भाली है, से मेरा अनुरोध है कि वे इस पर फिर से सहानुभूतिपूर्वक विचार करें। मैं निजीकरण के विरुद्ध नहीं हूं। किन्तु ऐसा रक्षा कामगारों के जोखिम पर नहीं किया जाना चाहिए कि उन्हें तो कहा जाए कि कोई काम नहीं है और उनका काम निजी क्षेत्रों को दे दिया जाए। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूं। ऐसे आयुध कारखाने हैं जहां के कामगार खाली बैठे हैं क्योंकि उन्हें बताया जाता है कि कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ इसलिए कोई काम नहीं है। ऐसे मामले में अपनी क्षमताओं का भरपूर उपयोग किए बिना तथा अपने कामगारों को पूर्ण रोजगार दिए बिना वे काम निजी क्षेत्रों को नहीं सौंपे जाने चाहिए।

[हिन्दी]

श्री श्रीपति मिश्र (मछलीशहर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं रक्षा मंत्रालय की इस डिमांड के सम्बन्ध में बोलने के इस अवसर पर उन बातों को दोहराना नहीं चाहूंगा जो कि अब तक यहां कही जा चुकी हैं। मैं उन बातों को भी नहीं कहना चाहूंगा जो बहुत तकनीकी हैं या जिसके लिए बहुत इस सम्बन्ध में विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है। लेकिन मैं कुछ उन मोटी बातों की तरफ जरूर

ध्यान दिलाना चाहूंगा जो देश का एक साधारण नागरिक चाहता है और उसी साधारण नागरिक की सोच को मैं आपके द्वारा इस सदन के समक्ष रखना चाहूंगा। अभी कल से आज तक जो बहस हुई उसमें दो तरह की बातें कही गई। एक तो रक्षा पर जो व्यय किया जा रहा है उसके समर्थन में ही बातें सबने कहीं लेकिन साथ-साथ यह आशंका भी व्यक्त की कि विकास के कामों पर प्रभाव पड़ेगा, इसलिए इसको संभालने की और इसको और देखने की आवश्यकता है। मैं यहीं से प्रारम्भ करना चाहता हूं कि देश की सुरक्षा सर्वोपरि है, देश का अस्तित्व सर्वोपरि है। देश रहे, उसकी सुरक्षा रहे इसके बाद ही कोई और कार्य विकास का या कोई और हो सकता है। इस एक लक्ष्य और इस बात को मान कर तब हमें आगे कदम बढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी।

जब यह सर्वोपरि है तब हम को यह देखना पड़ेगा, मैं इस विषय को कुछ और आगे ले जाना चाहता हूं क्योंकि हमारी विदेश नीति हमारी रक्षा से बहुत अधिक सम्बन्ध रखती है। हमारी विदेश नीति और रक्षा ये दोनों जुड़े हुए हैं। आज तक की हमारी विदेश नीति जो चलती चली आई है उसका समर्थन विरोधी पक्ष और सत्ता पक्ष दोनों पक्ष बहुत से मसलों पर करते आए हैं। मैं उस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि विदेश नीति और रक्षा दोनों को ध्यान में रखते हुए हमको वास्तविक जानकारी इस बात की रखनी होगी कि हमारे सही दोस्त कौन हैं और हमारे दुश्मन कौन हैं और इसका आधार क्या है? आधार जानने के लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि उनके राष्ट्रीय स्वार्थ क्या हैं और उस राष्ट्रीय स्वार्थ के नाते से कौन हमारा दोस्त हो सकता है और किसके साथ हमारी दोस्ती नहीं हो सकती है। इस बात को अगर हम देखेंगे तो दुनिया में न्याय और अन्याय भी बहुत जगह हो रहे हैं। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना शाबाशी की बात है और न्याय की बात बोलना भी शाबाशी की बात है और उचित भी है। लेकिन साथ ही साथ अपने राष्ट्रीय स्वार्थ और अपनी शक्ति देखकर हमको आवाज कितने जोर से उठानी चाहिए, कितना सम्भलकर उठानी चाहिए, कब और कैसे उठानी चाहिए—यह भी ध्यान में रखने की बात है। इन सब बातों के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि दोस्ती करने के लिए भी यह जानना जरूरी है कि आज हमारी सीमा पर पाकिस्तान है, चाइना है, बंगलादेश है, श्रीलंका है और किसी से भी हमारे सम्बन्ध अच्छे नहीं हैं, उस मायने में कि हम उनसे महसूस करें कि हमें कोई खतरा नहीं है। इसमें हम अगर अच्छे सम्बन्ध रखने की बात पाकिस्तान से करते जाएं और करते रहें तो क्या हम सफल हो सकते हैं—इसको देखने की आवश्यकता है। इसलिए कि उनके राष्ट्रीय स्वार्थ कुछ इस तरह के हैं और साथ ही साथ उनके राष्ट्रीय स्वार्थ का उपयोग कर रहे हैं वे देश, जोकि हमारे विरोधी हैं, और जो उसको सबसे अग्रिम पंक्ति में रखकर राजनीति करना चाहते हैं। उनसे हमारे अच्छे सम्बन्ध दिखावे के भले ही बन सकते हों, वास्तविक सम्बन्ध बन सकते हैं या नहीं—इसमें बहुत बड़ा सन्देह है। और अगर इसमें सन्देह है तो व्यावहारिक दृष्टि से हमें देखना चाहिए कि हम अपने सम्बन्ध किससे सुधार सकते हैं? यह कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए मगर हमारे राष्ट्रीय स्वार्थ हमारे सैद्धान्तिक भेद, मतभेद जो हैं उस बड़ी शक्ति से जो उत्तर में है, चीन उससे भिन्न नहीं हैं और उसके तथा रूस के जो आपसी सम्बन्ध हैं, जो एक बिगड़े हुए सम्बन्ध हैं लेकिन वह भी एक इस तरह के सम्बन्ध हैं जो सुधर सकते हैं। रूस हमारे साथ जिस तरह से शुरू से आखीर तक रहा है वह ऐसी स्थिति में रहा है कि उसको हम दोस्त की हैसियत से प्रयोग कर सकते हैं। मैं कहना चाहूंगा और मैं इसके लिए रक्षा मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि जैसे ही उन्होंने चार सम्भावना वे चीन गए, किन्हीं परिस्थितियों में गए लेकिन मैं

समझता हूं वह एक अच्छी बात हुई। हमको इस बात का अधिक से अधिक प्रयास करना चाहिए कि चीन के और हमारे सम्बन्ध बनाने में रूस का बड़ा उपयोग किया जाए। रूस की ताकत का, रूस के सहयोग का और सद्भाव का एक यह इम्तहान होना चाहिए कि हमारे और चीन के बीच में एक ऐसी स्थिति स्थापित कराए जिससे हमारे और उनके बीच में झगड़े की बात खत्म हो। आज अगर दुनिया में यह बात फैल जाए कि चाइना और भारत के बीच में कोई झगड़ा नहीं है, कोई लड़ाई की बात नहीं है तो हमारे आस-पास के जो छोटे-मोटे देश हैं जिनको तरह-तरह के हथियार और तरह-तरह के अस्त्र-शस्त्र दिए जा रहे हैं वह उनको देना भी बन्द हो जाएगा और वह पाने के बाद भी उनका यह साहस नहीं होगा कि आपके खिलाफ उनका वह दुरुपयोग कर सकें। इसलिए मैं उस बात के सम्बन्ध में निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि हमारी नीति में विशेष रूप से इस पर जोर दिया जाना चाहिए कि हमारे और चीन के सम्बन्ध ठीक ढंग से और अच्छे रूप में स्थापित हो सकें।

एक दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि हमारे विरोधी दल के लोगों ने रक्षा के सम्बन्ध में कुछ जो बातें आई उनकी जांच-पड़ताल के लिए आज भी कहा कि संसदीय कमेटी की बात होनी चाहिए। ठीक है, भ्रष्टाचार कहीं भी अगर आपको नजर आता हो तो उसकी जांच-पड़ताल जरूर होनी चाहिए और उस ढंग से होनी चाहिए जिससे निश्चित रूप से साबित हो सके कि भ्रष्टाचार का उन्मूलन हो रहा है या भ्रष्टाचार करने वाले जो लोग हैं उनका उन्मूलन किया जा रहा है। लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से यह भी आपको देखना होगा कि सरकार के कार्य करने के बहुत से क्षेत्र और बहुत सी जगहें हैं और सारे क्षेत्र में जहां सरकार कार्य कर रही है वहां सरकार के कारबार की जांच जितनी भी आप कर सकते हैं, जितने खुले तरीके से कर सकते हैं आप करें तो उसके करने से भ्रष्टाचारियों पर प्रभाव पड़ेगा लेकिन उसका देश की सुरक्षा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप जांच या भ्रष्टाचार को ही जांचने के लिए केवल सुरक्षा विभाग में सारी जांच करके और उस बात को नजरअंदाज कर देंगे, चाहे सुरक्षा रहे या न रहे मगर आपकी जांच पूरी हो जाए, तो आप ऐसी जगह कदम रख रहे हैं जहां पर आपको देखना पड़ेगा कि आप इस कदम को उतनी जगह तक न बढ़ाएं जहां आपके देश की सुरक्षा पर भी इसका असर पड़ सकता हो। आज जिस माहौल में ये सारी बातें धीरे-धीरे आई हैं और जिस तरह एक ही क्षण में कई तरह के वाद-विवाद पैदा हुए हैं, ये वाद-विवाद हमारे मित्रों की समझ में आने चाहिए कि एकाएक आपके ये दुश्मन जो इतने सतर्क हुए हैं, तो उसके सामने कोई लक्ष्य है। वह लक्ष्य यह है कि जब उन्होंने आपके दुश्मनों को अच्छी तरह से हथियारों से लैस कर दिया है, तो आपके देश की जनता को, आपकी सरकार के खिलाफ कुछ इस तरह से उसका स्तर बनाना चाहते हैं कि आपकी सरकार कुछ ऐसी स्थिति में हो जब उसकी मनःस्थिति गड़बड़ हो और साथ-ही-साथ आपके यहां की जनता विभाजित रूप में हो। मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह के सवालात उस दृष्टि में रखकर उठाएं। किसी दल या किसी नेता की बात उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, जितनी महत्वपूर्ण देश की सुरक्षा की बात है। अगर देश की सुरक्षा की बात महत्वपूर्ण है, तो चाहे इधर के बैठने वाले हों या उधर के बैठने वाले हों, उनको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि वह देश की सुरक्षा के सम्बन्ध में कोई बात करने से पहले उसकी कोई बात देश की सुरक्षा पर आंच आने के लिए नुकसानदेह बात न साबित न हो सके।

12.52 म०प०

[श्री वक्कम पुरुषोत्तमन पीठासीन हुए]

इन शब्दों के साथ मैं एक बात फिर कहना चाहता हूं। मैंने कहा था, न्याय और अन्याय दुनिया में बहुत हो रहा है। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना बहुत आवश्यक है और न्याय का समर्थन करना भी बहुत आयश्यक है। लेकिन इसके साथ-साथ हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम अन्याय के खिलाफ आवाज वहीं तक उठाएं जहां तक हमारे राष्ट्रीय स्वार्थ का हनन न हो या हमारी शक्ति या सामर्थ्य ऐसी हो कि हम उस आवाज को उठाकर संभाल सकें। अन्यथा उतनी आवाज न उठाएं जिससे आवाज रिबाउण्ड करे और उससे हमारा नुकसान हो। मैं यह महसूस करता हूं कि ऐसा कहीं-न-कहीं हुआ है और इस होने के कारण मैं फिर इस बात को रेखांकित करता हूं कि इस बात का ध्यान रखना चाहिए।

श्री श्याम लाल यादव (वाराणसी) : सभापति महोदय, रक्षा मंत्रालय की अनुदान की मांगों पर विचार करते हुए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि किसी भी देश की प्रगति दो बातों पर मुनस्सर करती है। पहली देश के अन्दर शांति-व्यवस्था हो और उस देश की सीमाएं सुरक्षित हों। अगर हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है, इससे जो संकट उत्पन्न होता है, उससे राष्ट्र पर प्रभाव पड़ता है। इसीलिए देश की रक्षा के सम्बन्ध में देश में आम सहमति होती है और कोई भी नागरिक किसी भी प्रकार से रक्षा पर शंका नहीं देखना चाहता है और कोई प्रश्नचिह्न नहीं लगाना चाहता है और सरकार की नीति का रक्षा के सम्बन्ध में अधिकांश लोग समर्थन करते हैं। यही कारण है कि रक्षा के बारे में जब भी हम चर्चा करते हैं, तो हम सतर्कता के साथ, सावधानी के साथ बात करते हैं और रक्षा विभाग को उसकी कार्य प्रणाली को कहते हैं कि जैसे यह एक पवित्र गाय है और इसी दृष्टि से देश इसको देखता है। मैं समझता हूं कि इसी दृष्टि से रक्षा की नीति हमारी चलाई जा रही है।

अभी हमारे विपक्ष के एक माननीय सदस्य ने कहा कि रक्षा व्यय बढ़ता जा रहा है। मैं समझता हूं कि आज दुनिया में जो स्थिति पैदा है, विशेषकर हमारे चारों तरफ, उससे विषाक्त वातावरण उत्पन्न हो रहा है या एक प्रकार से रणनीति तैयार की जा रही है। उसको देखते हुए हमारे रक्षा व्यय में वृद्धि होना अवश्यम्भावी है और हम चाहते हुए भी उसको रोक नहीं सकते। रक्षा तैयारी में दो बातों का महत्व है। पहली बात तो यह है कि हम अपने जवानों को, सैनिकों को चाहे वे आर्मी में हों, चाहे नेवी में हों और चाहे एयर-फोर्स में हों, उनको सुसज्जित करके और ट्रैनिंग देकर उपयुक्त तरीके से तैयार करें, उनको संतुष्ट रखें और उनके मनोबल को ऊंचा रखें, यह बहुत जरूरी है। इस क्षेत्र में सरकार ने चौथे वेतन आयोग के फलस्वरूप जो कदम उठाया है, वह अवश्य ही सराहनीय है। सेना के तीनों अंगों के अधिकारियों और अन्य जवानों की सेवा शर्तों में, उनकी पेंशन में, उनकी सुविधाओं में काफी संतोषजनक सुधार किया है और वहीं पर जो भूतपूर्व सैनिक हैं, उनके लिए भी काफी कुछ किया है। यह तो उनके मनोबल को बढ़ाने का एक अच्छा काम है और इस कारण से भी हमारा बजट बढ़ा है और इस कारण से जो बजट में वृद्धि होती है, मैं समझता हूं उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। यहां पर भूतपूर्व सैनिकों के बारे में जो बातें कही गई हैं, उनके सम्बन्ध में एक ही बात कहना चाहता हूं कि जो अर्द्ध-सैनिक बल हैं, जो पुलिस है, जो सुरक्षा के और विभाग हैं सेना के अलावा, उनमें उन जवानों को विशेष तौर पर भर्ती किया जा सकता है उम्र में छूट देकर। बहुत से जवान 40 वर्ष की उम्र में रिटायर हो जाते हैं। उनको इन सेवाओं में रखा जा सकता है और अगर इन सेवाओं में उनको रख दिया जाए, तो बहुत सारी समस्या हल हो जाएगी। वहां से लौटकर जब वे आते हैं, तो चिंतनीय परिस्थिति उनकी हो जाती है और वे दर-दर भटकते रहते हैं।

दूसरी जो रक्षा नीति की बात आती है, तो वह हथियारों की है। आज हथियारों की दुनिया में जो होड़ लगी है, वह कल्पनातीत है। हमको उस होड़ में भी आगे बढ़ना है। आज दुनिया में हथियारों का रोजगार सबसे अधिक लाभदायक है और इसमें सबसे अधिक षड्यंत्र भी हो रहे हैं और यही दुनिया के देशों के बीच में सम्बन्ध बनाते भी हैं और बिगाड़ते भी हैं। हम अपने देश में सब हथियारों को नहीं बना सकते और न बना पा रहे हैं। चाहते हुए भी हम उतनी क्षमता नहीं पैदा कर सके और इसलिए हम को बाहर से उनको खरीदना पड़ता है।

एक बात और कहना चाहता हूं कि स्वीडन में जो नोबल प्राइज दिया जाता है, वह सब हथियारों की बिक्री से इकट्ठा किया हुआ धन है, कोई शांति के प्रयासों से वह धन एकत्र नहीं हुआ बल्कि दुनिया को युद्ध में झौंक कर, दुनिया को तहस-नहस करके वह सम्पत्ति इकट्ठी की गई है और उससे दुनिया के लोगों को पुरस्कार दिया जाता है। आज दुनिया में सबसे अधिक लाभदायक, सबसे अधिक षड्यंत्रकारी यह व्यवस्था रही है और इससे हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है और यह बात मैं सदन के सामने और सरकार के सामने रखना चाहता हूं कि हथियारों की खरीद हम कहां से करें, किन देशों से इसको मंगाएं और किन व्यक्तियों से इसको लें, इसके बारे में सौदा करने से पहले हमको सतर्कता के साथ और सावधानी के साथ विचार करना चाहिए और मैं इस मत का हूं कि यदि संभव हो, तो मित्र देशों से ये सौदे करने चाहिए। आज दुनिया में दो सुपर पावर्स हैं। पश्चिमी देश और मध्य एशिया के अधिकांश देश पश्चिमी सुपर पावर के साथ हैं और उसके छाते के अन्दर एक तरह से आते हैं। यूरोप के बहुत से देशों में, जो अपने को स्वतन्त्र कहते हैं, जो यह कहते हैं कि हमारी स्वतंत्र नीति है, अमेरिका के इंटरमीडियेट मिसाइल लगे हुए हैं, उस देश की धरती पर और आज भी कई देशों में अमेरिका के सैनिक रहते हैं और जब किसी एक देश में दूसरे देश के सैनिक रहते हैं, तो वह देश कितना स्वतंत्र है, इसको आप समझ सकते हैं। अपने हथियार दूसरे देशों के अन्दर रखे हुए हैं और विनाशकारी हथियार रखे हुए हैं, जो अग्निबाण की तरह काम करते हैं।

1.00 म० प०

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब तो 1.00 बज गया है। क्या हम भोजनावकाश करें ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला दीक्षित) : हम भोजनावकाश छोड़ देंगे।

सभापति महोदय : जी हां, मेरा ख्याल है कि सभा इसे स्वीकार करेगी।

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

[हिन्दी]

श्री श्याम लाल यादव : वे देश कहां तक स्वतंत्र हैं, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इस तरह से मैं समझता हूं कि योरोप के देश आजकल खतरे में हैं क्योंकि उन्होंने अपने देश में अस्त्र-शस्त्र जमा करके, संहारक अस्त्र रखकर, दूसरे देश की सेनाएं रख कर अपनी स्वतंत्रता की बात की है। वे नाटो संधि के सदस्य हैं। वे उस प्रकार से स्वतंत्र नहीं हैं जिस प्रकार से होने चाहिएं।

इसलिए उन देशों से जब भी हम हथियार लें तो पूरी सतर्कता बरत कर लें। नहीं तो हमारे ऊपर किसी प्रकार के भी प्रश्न उठ सकते हैं।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि हम अपने देश को जितना मजबूत कर सकेंगे उतना ही

हमारी सुरक्षा मजबूत होगी । हमारी सीमाओं पर जो देश हैं, उन्हीं से हमें संघर्ष का खतरा हो सकता है । पीछे भी उन्हीं से हमारा संघर्ष हुआ और आगे भी हो सकता है ।

चीन की बात अभी हमारे मित्र कर रहे थे । एक जमाना था जब हमने हिन्दी-चीनी भाई-भाई का नारा लगाया और उस नारे के बाद बेशर्मी के साथ चीन ने हमारे देश पर आक्रमण किया और हमारी धरती पर कब्जा भी कर लिया । मैं ऐसा मानता हूं कि चीन के साथ हमारी सीमाएं उतनी सुरक्षित नहीं है जितना कि हम बातचीत करते हैं । हम चीन के साथ चाहे जितनी भी बात करें लेकिन शक्ति का मुकाबला शक्ति से करना पड़ेगा । उसके लिए हमें अपनी सेनाओं को पर्याप्त रूप से संगठित करना होगा, अपने जवानों को शिक्षित और प्रशिक्षित करना होगा ताकि हमारी जो सीमाएं पहाड़ों और बर्फीली मैदानों में मिलती हैं जहां कि कठिन परिस्थितियां हैं, वहां हम उसका मुकाबला कर सकें । हमने अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया तो चीन ने आपत्ति की । इन बातों से स्पष्ट है कि चीन की नीयत साफ नहीं है । यह ठीक है कि हम प्रयास करते रहे, उससे बातचीत करते रहें लेकिन हमारी तैयारी में किसी तरीके से कोई ढील नहीं होनी चाहिए । हमारी क्षमता उसका मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से बनी रहनी चाहिए । मुझे विश्वास है कि भारत के रक्षा मंत्री इस बात को अवश्य ध्यान में रखेंगे ।

हमारे देश की सीमाएं इतनी सुरक्षित हों कि बाहर के लोग हमारे देश के अन्दर न आने पावें । आज हम देख रहे हैं कि चाहे चकमा लोग हों, चाहे श्रीलंका के लोग हों, वे हमारे देश में आ गए हैं । अब खतरा पैदा हो गया है कि पाकिस्तान से भी लोग यहां आने वाले हैं । जो विषम परिस्थिति इस समय पाकिस्तान में पैदा हुई है उससे यह चीज पैदा हो सकती है । अगर हमारे यहां इसी प्रकार से विदेशी लोग आते रहेंगे तो हमारी रक्षा की क्या स्थिति होगी, हमारे देश की आर्थिक स्थिति पर जो बोझ पड़ेगा उसका हम कैसे मुकाबला कर सकेंगे । इन सब बातों को हमें देखना है ।

तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि हमें अनुसंधान और खोज पर भी बल देना है जिससे कि हम पूर्ण रूप से अपने हथियारों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए सक्षम हो सकें और उनके लिए हम विदेशों पर निर्भर न रहें । हमारी जो आर्म्ड फैक्ट्रीज हैं, उनको अगर हम सिविलियन डिसिप्लीन से आर्मी डिसिप्लीन में ला कर उनमें उत्पादन करें तो ज्यादा उपयुक्त होगा ।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री पी० नामग्याल (लद्दाख) : सभापति महोदय, मैं रक्षा मंत्रालय की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । सारे बजट में 12,512 करोड़ रुपये का डिफेंस के लिए आउट ले रखा गया है । जो कि साल 86-87 से 22.7 परसेंट ज्यादा बनता है और पूरे यूनियन बजट का 19.8 परसेंट बनता है । यह कोई ज्यादा रकम नहीं है, बल्कि मैं समझता हूं कि कम है । क्योंकि पाकिस्तान को अमेरिका से जो आर्म्स और इकोनोमिक एड मिल रही है वह बहुत ज्यादा है । 1982-87 के दौरान में उसको 3.2 बिलियन डालर और 1987-93 के लिए 4.2 बिलियन डालर की एड पाकिस्तान को आ रही है । उसके अलावा उनके बजट में जो अपने मुल्क का एलोकेशन होता है, उसमें से 40 परसेंट डिफेंस पर खर्च किया जा रहा है । इस लिहाज से मौजूदा एलोकेशन हमारे लिए कई गुना ज्यादा होना चाहिए । 1984 के एक रिकार्ड के मुताबिक भारत का जो पर-कैपिटा डिफेंस एक्सपेंडीचर है, वह सिर्फ 9 डालर है जबकि पाकिस्तान का 22 डालर बनता है । मौजूदा बजट में बढ़ोत्तरी डिफेंस प्रोडक्शन, डिफेंस रिसर्च आरगेनाइजेशन के अलावा पे-कमीशन की सिफारिशों की वजह से भी हुई है इसलिए मैं समझता हूं, यह रकम ज्यादा नहीं है और पाकिस्तान, अमेरिका तथा चाहना तीनों मुल्कों की मिलीभगत

हमारे लिए खतरा बन रहे हैं। जो अमेरिकी लेटेस्ट वेपन सिस्टम है, वह पाकिस्तान में आ रहा है तो इनको मैच करने के लिए हमारे पास कुछ-न-कुछ होना जरूरी है इसलिए बढ़ोत्तरी जरूरी हो गई है। एक तरफ पाकिस्तान न्युक्लिअर वेपन बनाने की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान अमेरिका से मुख्तलिफ रेंज के वेपन सिस्टम के अलावा अवाक्स वगैरह मंगवाने की हर मुमकिन कोशिश में है। पाकिस्तान, अमेरिका और चाइना की मिलीभगत है। अमेरिका के अलावा चाइना भी पाकिस्तान को आर्म्स एण्ड एम्युनिशन्स सप्लाई कर रहा है। अमेरिका ने पाकिस्तान को चालीस एफ-16 एयरक्राफ्ट दिए हैं। इसके अलावा आप कहते है कि एफ-16 "सी" सीरिज भी इनके पास आ चुके हैं। इन एफ-16 पर लेटेस्ट डिवाइस जैसे लेजर गाइडेड डिवाइसेज, फ्रैंच मेड थामसन एटलिस बाम्बींग सिस्टम जो कि दुनिया में सबसे सोफिस्टीकेटेड बाम्बींग सिस्टम और फायर सिस्टम माना जाता है जिनको एफ-16 पर फिट किया जा रहा है। ऐसी एक्यूरेसी के साथ टारगेट पर मारता है कि इसको चलाने के लिए दूसरे पायलट की भी जरूरत नहीं पड़ती है बल्कि एक ही पायलट सारे सिस्टम को कंट्रोल कर सकता है। इस सिस्टम के साथ आटोमेटिक टी०वी० ट्रैकर लेजर डेजीगनेटर्स और रेंजर वगैरह लगा रहता है। अवाक्स के बारे में मैं नही कहना चाहता हूं क्योंकि बहुत सारे मुअज्जिज मैम्बर बोल चुके हैं। उसके अलावा सरफेस टू एयर मिसाइल, आर्टीलरी और राडार्स, लाइट हैलिकाप्टर्स, एंटी आरमर, एंटी सबमेरिन, हारपून मिसाइल, अबरन टैंक्स वगैरह हैं जो हमें रोज अखबारों में पढ़ने को मिलता है। ये सारे खतरनाक हथियार तेजी से पाकिस्तान में आ रहे हैं। हाल ही में हमारी सरकार ने आर०टी० 155 एम०एम० बोफोर गन मंगवाई। उसके बारे में यहां पर कुछ लोगों ने शोर काफी मचाया। कहा जाता है कि पाकिस्तान के पास जो आर०टी० गन आई हैं उनकी रेंज 40-42 किलोमीटर तक है जब कि हमारे पास जो गन हैं उनकी रेंज सिर्फ 30-32 किलोमीटर तक ही है। हमें भी इन वीपंस को मैच करने के लिए दूसरे कहीं से भी मिलें तो उनको मंगाने के लिए तवज्जोह देनी चाहिए जो कि इन गंस का मैच कर सके। अगर यह बात सही है तो, सरकार को चाहिए कि हम किसी भी तरह ऐसे वीपंस खरीदने के लिए ध्यान देना चाहिए। पाकिस्तान की मौजूदा लीडरशिप ने भुट्टो को तो फांसी पर लटका दिया, लेकिन भुट्टो की जो थ्योरी है कि हम न्यूक्लियर बम हासिल करने के लिए घास खाकर जी लेंगे और भारत के साथ एक हजार साल तक जंग लड़ने वाली जो थ्योरी है, उसको अपना रखा है। पाकिस्तान की चीन के साथ मिलीभगत से सिआचन में दखलअन्दाजी गिलगिट-सिआचन रोड और अकसाई चिन के साथ जो लिंक है और समूदगंदू में जो चीन ने हमारे एरिया में इंट्रूजन किए, यह भी अब कहा जाता है कि जो सिआचन सेक्टर है उसकी बैक साइड में जो श्याकरतगाम वैली है उसमें भी लिंक रोड बनाने का कार्यक्रम है और उसकी गतिविधियां इस तरफ बहुत बढ़ गई हैं। अगर यह बात सही है तो यह हमारे लिए बहुत ही खतरनाक स्थिति बन सकती है। हम जानना चाहेंगे सरकार से कि यह कहां तक दुरुस्त है।

जहां तक चीन के साथ सीमा विवाद का सवाल है, इस मामले में चीन के साथ सात राउण्ड डिसकशन हो चुका है, छठे राउण्ड तक की बातचीत में उनका एटीट्यूड ठीक रहा है, लेकिन सातवें राउण्ड में उनका एटीट्यूड स्टिफड हो गया है। अगर हमें ईस्टर्न सेक्टर में मैक मोहन लाइन में कुछ माइनर एडजस्टमेंट करने हों तो करना चाहिए। जैसा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने पिछले साल अगस्त में कहा था। उन्होंने मैक मोहन लाइन के बारे में कहा था।

[अनुवाद]

"छोटे पैमाने के मानचित्र पर काफी मोटी रेखा खींची जाती है और इस बात पर विवाद किया जा सकता है कि वस्तुतः रेखा कहां से जाती है।"

[हिन्दी]

यही स्थिति हमारी लद्दाख सेक्टर में भी है। खब जो लाइन आफ सेक्टर में जिसे हम रूकाक जूग कबजूंग कहते हैं दैमचूक उस सेक्टर में लाइन आफ एक्चुअल कन्ट्रोल पहले काफी दूर पहाड़ी के ऊपर था। लेकिन पिछले दो साल में इस्ट वैस्ट आफ इंडस रिवर है वहां पर उनकी गतिविधियां शुरू हो गई और आप कुछ नहीं कर रहे हैं। जो लाइन आफ एक्चुअल कंट्रोल है वह इस सेक्टर में पीछे कई सालों से हमारी तरफ धकेलते आ रहे हैं। इसलिए जो भी बार्डर डिस्प्यूट है उस पर आपको बात करनी चाहिए और जहां कहीं माइनर एड जस्टमेंट हो वह करना चाहिए।

जहां तक जम्मू-कश्मीर में लद्दाख सेक्टर का सवाल है। आपको पता है कि अक्साई चीन में सैंतीस हजार पांच सौ पचपन (37,555) स्क्वेअर किलोमीटर पर नाजायज तौर पर चीन के कब्जे में है। लेकिन मेरा जाती खयाल है कि चीन इलाके को छोड़ने वाला नहीं है, क्यों यह उनके लिए बहुत स्ट्रेटिजिकली महत्वपूर्ण है, हमारे लिए भी है। अगर इस इश्यू पर बातचीत चल सकती है तो वह उतना एरिया दैमचूक में लेकर वैस्ट आफ इंडस रिवर से लेकर डेंगचू तक जो हमारी साइड में पड़ता है वहां से लेकर कैलाश होते हुए मानसरोवर से होते हुए इण्डो-तिब्बत, नेपाल ट्राई बक्शन हैं वहां तक उस एरिया के बदले करने के लिए चीन के साथ बातचीत करके सरकार को इस तरह की पोसिबिलिटी देख लेनी चाहिए, क्योंकि वह एरिया, मेरे ख्याल से उतना ही बनता है जितना कि अक्साई चीन में हमारा एरिया उनके नाजाइज कब्जे में है। मैं समझता हूं ऐसी पासिबिलिटीज एक्सप्लोर करनी चाहिए। कुछ देकर, कुछ ले सकें। जो हमारी एरिया उनके पास हैं उनके बदले में अगर नया एरिया, मैं अगर की बात करता हूं, मुमकिन हो, हमें मिलता है तो जम्मू-कश्मीर के लद्दाख जिले का हिस्सा होना चाहिए। आपको पता ही है कि जम्मू-कश्मीर का अपना अलग कान्सटीट्यूशन है, वह कान्सटीट्यूशनली अलग है। यह लद्दाख डिस्ट्रिक्ट का पार्ट बनना चाहिए, उस एरिया को किसी दूसरे सैक्टर के साथ आपको बारगेनिंग नहीं करनी चाहिए।

अन्त में, मैं आपका ध्यान बोर्डर रोड्स की ओर दिलाना चाहता हूं। बोर्डर रोड्स आर्गेनाइजेशन की वैसे तो कई रोड्स बन रही है, लेकिन लद्दाख सेक्टर में लेह-मनाली रोड बन रही है। वह रोड़ कई दृष्टियों से इम्पोर्टेन्ट है, हमारे लद्दाख की इकोनौमी और डिफैंस प्वाइंट ऑफ व्यू यानी सिविल एज वैल एज आर्मी दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेन्ट रोड़ है परन्तु उसकी प्रोग्रैस, उसकी कन्सट्रक्शन का काम इस वक्त बहुत ही ढीला चल रहा है। मेरी गुजारिश है कि आप उस रोड़ को तरजीह देकर बनायें क्योंकि उस रोड़ के बन जाने से सप्लाई बेस और लद्दाख के बीच का डिस्टैंस 300 किलोमीटर कम पड़ता है, अन्दाजा लगाइए आपका पी०एल०ओ० का कितना खर्च बच जाएगा, वीयर-टीयर का कितना खर्च बच जाएगा, वह बात अलग है कि वह 4-5 महीने जितने समय तक रोड़ चले, फिर भी वह हमारे लिए बहुत फायदेमन्द साबित हो सकती है। इसलिए आप उसको जल्दी से पूरा करवाने की तरफ ध्यान दें।

इन शब्दों के साथ मैं सदन में लाई गयीं डिफैंस की मिनिस्ट्री अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं और रक्षा मंत्री जी को मुबारकबाद देता हूं कि आपने देश की रक्षा के लिए डिफैंस को कम्पैरेटिवली ज्यादा इम्पोर्टेंस दी है।

[شری پی۔ نام گیال (لداخ) : سبھاپتی مہودے میں رکشا منترالے کی مانگوں کا سمرتھن کرنے کے لئے کھڑا ہوا ہوں۔ ہمارے بجٹ میں ۱۲۵۱۲ کروڑ روپے کا ڈیفنس کے لئے آؤٹلے (outlay) رکھا گیا ہے، جو کہ سال ۸۷-۸۸ سے ۷ء۲۲ پرسینٹ زیادہ بنتا ہے اور پورے یونین بجٹ کا ۸ء۱۹ پرسینٹ بنتا ہے۔ یہ کوئی زیادہ نہیں ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ کم ہے۔ کیونکہ پاکستان کو امریکہ سے جو آرمس اور اکنامک ایڈ مل رہی ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ ۸۷-۱۹۸۲ کے دوران میں اسکو ۲ء۳ بلین ڈالر اور ۹۳-۱۹۸۷ کے لئے ۲ء۴ بلین ڈالر کی ایڈ پاکستان کو آرہی ہے۔ اس کے علاوہ ان کے بجٹ میں جو اپنے ملک کا ایلوکیشن ہوتا ہے اسمیں سے ۴۰ پرسینٹ ڈیفنس پر خرچ کیا جارہا ہے۔ اِس لحاظ سے موجودہ ایلوکیشن ہمارے لئے کئی گنا زیادہ ہونا چاہئے۔ ۱۹۸۴ کے ایک ریکارڈ کے مطابق بھارت کا جو پر کیپیٹا ڈیفنس ایکسپنڈیچر ہے وہ صرف ۹ ڈالر ہے جبکہ پاکستان کا ۲۲ ڈالر بنتا ہے۔ موجودہ بجٹ میں بڑھوتری ڈیفنس پروڈکشن ڈیفنس ریسرچ آرگنائزیشن کے علاوہ پے کمیشن کی سفارشوں کی وجہ سے بھی ہوئی ہے اس لئے میں سمجھتا ہوں یہ رقم زیادہ نہیں ہے، اور پاکستان امریکہ تتھا چائنا تینوں ملکوں کی ملی بھگت ہمارے لئے خطرہ بن رہے ہیں۔ جو امریکی لیٹیسٹ ویپن سسٹم ہے وہ پاکستان میں آرہا ہے تو انکو میچ کرنے کے لئے ہمارے پاس کچھ نہ کچھ ہونا ضروری ہے اس لئے بڑھوتری ہونی ضروری ہوگئی ہے۔ ایک طرف پاکستان نیوکلیئر ویپن بنانے کی اور بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے اور دوسری طرف پاکستان امریکہ سے مختلف رینج کے ویپن سسٹم کے علاوہ اواکس وغیرہ منگوانے کی ہر ممکن کوشش میں ہے۔ پاکستان امریکہ اور چائنا کی ملی بھگت ہے۔ امریکہ کے علاوہ چائنا بھی پاکستان کو آرمز اینڈ ایمونیشن سپلائی کررہا ہے۔ امریکہ نے پاکستان کو چالیس ایف-۱۶ ایئرکرافٹ دئے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کہتے ہیں کہ ایف-۱۶ "سی" سیریز بھی ان کے پاس آچکے ہیں۔ ان ایف-۱۶ پر لیٹیسٹ ڈیوائس جیسے لیزر گائیڈیڈ ڈیوائسز فرینچ میڈ تھامسن ایٹلس بامبنگ سسٹم جوکہ دنیا میں سب سے سوفسٹیکیٹیڈ بامبنگ سسٹم اور فائر سسٹم مانا جاتا ہے جنکو ایف-۱۶ پر فٹ کیا جارہا ہے۔

اور ایسے ایکوریسی کے ساتھ ٹارگیٹ پر مارتا ہے کہ اس کو چلانے کے لئے دوسرے پائلٹ کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے بلکہ ایک ہی پائلٹ سارے سسٹم کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ اس سسٹم کے ساتھ آٹومیٹک ٹی وی ٹریکر ریز ڈیزیگنیٹرس اور رینجر وغیرہ لگا رہتا ہے۔ اور اس کے بارے میں میں نہیں کہنا چاہتا ہوں کیونکہ بہت سارے معزز ممبر بول چکے ہیں۔ اس کے علاوہ سرفیس ٹو ایئر میزائل آرٹیلری اور راڈارس لائٹ ہیلی کاپٹرس اینٹی آرمر اینٹی سب میرین۔ ہارپون میزائل۔ ابرن ٹینکس وغیرہ ہیں جو ہمیں روز اخباروں میں پڑھنے کو ملتا ہے۔ یہ سارے خطرناک ہتھیار تیزی سے پاکستان میں آ رہے ہیں۔ حال ہی میں ہماری سرکار نے آرٹی ۱۵۵۔ ایم ایم بوفور گن منگوائی ہے۔ اس کے بارے میں یہاں تو کچھ لوگوں نے کافی شور مچایا۔ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے پاس جو آرٹی گن آئی ہیں اُن کی رینج ۴۲۔ ۴۰ کلومیٹر تک ہے جبکہ ہمارے پاس جو گن ہیں انکی رینج صرف ۳۲۔ ۳۰ کلومیٹر تک ہی ہے۔ ہمیں بھی ان ڈیفنس کو میچ کرنے کے لئے دوسرے کہیں سے بھی ملیں تو انکو منگانے کے لئے توجہ دینی چاہئیے جو کہ ان گنس کو میچ کر سکیں۔ اگر یہ بات صحیح ہے تو سرکار کو چاہئیے کہ ہم کسی بھی طرح ایسے ڈیفنس خریدنے کے لئے دھیان دینا چاہئیے۔ پاکستان کی موجودہ لیڈرشپ نے بھٹو کو پھانسی پر لٹکا دیا لیکن بھٹو کی جو تھیوری ہے کہ ہم نیوکلیئر بم حاصل کرنے کے لئے گھاس کھا کر جی لیں گے اور بھارت کے ساتھ ایک ہزار سال تک جنگ لڑنے والی جو تھیوری ہے اس کو اپنا رکھا ہے۔ پاکستان کی چین نے ساتھ ملی بھگت سے سیاچن میں دخل اندازی، گلگت سیاچن روڈ، اور اکسائی چن کے ساتھ جو لنک ہے اور سمدورونگ چھو میں جو چین نے ہمارے ایریا میں انٹروژن کئے یہ بھی اب کہا جاتا ہے کہ جو سیاچن سیکٹر ہے اس کی بیک سائڈ میں نوشیا لگام ویلی ہے اس میں بھی لنک روڈ بنانے کا کاریہ کرم ہے اور اسکی گتی و دھیان اس طرف بہت بڑھ گئی ہیں۔ اگر یہ بات صحیح ہے تو یہ ہمارے لئے بہت ہی خطرناک استھتی بن سکتی ہے۔ ہم جاننا چاہیں گے سرکار سے کہ یہ کہاں تک درست ہے؟

جہاں تک چین کے ساتھ سیما دیواد کا سوال ہے اس معاملے میں چین کے ساتھ سات راؤنڈ ڈسکشن ہو چکا ہے ۔ چھٹے راؤنڈ تک کی بات چیت میں اُنکا ایٹیٹیوڈ ٹھیک رہا ہے لیکن ساتویں راؤنڈ میں اُن کا ایٹیٹیوڈ اِسٹیفنڈ ہو گیا ہے ۔ اگر ہمیں ایسٹرن سیکٹر میں میک موہن لائن میں کچھ مائنر ایڈجسٹمینٹ کرنے ہوں تو کرنا چاہئیے ۔ جیسا کہ ہمارے پرائم منسٹر جی نے پچھلے سال اگست میں کہا تھا ۔ انہوں نے میک موہن لائن کے بارے میں کہا تھا

"Fairly thick line runs on a small scale map and it could be contestested where the line actually lies."

یہی اسٹتھی ہماری لداخ سیکٹر میں بھی ہے ۔ دیچوک سیکٹر میں جسے ہم سکا کجونگ کہتے ہیں اس سیکٹر میں لائن آف کنٹرول پہلے کافی دور پہاڑوں کے اوپر تھا لیکن پچھلے دو سال میں ایسٹ (east) آف انڈس ریور ہے وہاں پر ان کی گشتی دھیان شروع ہو گئی ہے اور آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں ۔ جو لائن آف ایکچول کنٹرول ہے وہ اس سیکٹر میں پچھلے کئی سالوں سے ہماری طرف دھکیلتے آرہے ہیں ۔ اس لئے جو بھی بارڈر ڈسپیوٹ ہے اُسپر آپکو بات کرنی چاہئیے اور جہاں کہیں مائنر ایڈجسٹمینٹ کرنے کی ضرورت ہو وہ کرنا چاہئیے ۔

جہاں تک جموں کشمیر میں لداخ (سیکٹر) کا سوال ہے آپ کو پتہ ہے کہ اکسائی چین میں سینتیس ہزار پانچ سو پچپن (37,555) اسکیئر کلومیٹر پر ناجائز طور پر چین کے قبضے میں ہے ۔ لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ چین اس علاقے کو چھوڑنے والا نہیں ہے ۔ کیونکہ یہ ان کے لئے بہت اسٹریٹیجکلی مہتوپورن ہے ہمارے لئے بھی ہے ۔ اگر اس ایشو پر بات چیت چل سکتی ہے تو وہ اتنا ایریا دیچوک سے لیکر ویسٹ آف انڈس ریور جو ہماری سائڈ میں پڑتا ہے وہاں سے لیکر کیلاش سے ہوتے ہوئے مان سرووور جھیل سے ہوتے ہوئے انڈو تبت نیپال لڑائی جنکشن ہے وہاں تک اس ایریا کے بدلے کرنے کے لئے چین کے ساتھ بات چیت کر کے سرکار کو

پاسیبلٹی دیکھ لینی چاہیئے کیونکہ وہ ایریا میرے خیال سے اتنا ہی بنتا ہے جتنا کہ اکسائی چین میں ہمارا ایریا ان کے ناجائز قبضے میں ہے ۔ میں سمجھتا ہوں ایسی پاسیبلٹیز (possibilities) ایکسپلور کرنی چاہیئے ۔ کچھ دے کر کچھ لا سکیں ۔ جو پرانا ایریا ان کے پاس ہے اس کے بدلے میں اگر نیا ایریا ممکن ہو ہمیں ملتا ہے تو جموں کشمیر کے لداخ ضلع کا حصّہ ہونا چاہیئے ۔ آپکو پتہ ہی ہے کہ جموں کشمیر کا اپنا الگ کانسٹی ٹیوشن ہے ۔ یہ لداخ ڈسٹرکٹ کا پارٹ بننا چاہیئے ۔ اس ایریا کی کسی دوسرے سیکٹر کے ساتھ آپ کو بارگیننگ نہیں کرنی چاہیئے ۔

انت میں آپ کا دھیان بارڈر روڈس کی اور دلانا چاہتا ہوں ۔ بارڈر روڈس آرگنائزیشن کی ویسے تو کئی روڈس بن رہی ہیں لیکن لداخ سیکٹر میں لیہ منالی روڈ بن رہی ہے ۔ وہ روڈ کئی درشٹیوں سے امپارٹینٹ ہے ۔ ہمارے لداخ کی اکنامی اور ڈیفنس پائنٹ آف ویو یعنی سول ایز ویل ایز آرمی دونوں کے لئے بہت ہی امپارٹینٹ روڈ ہے ۔ پرنتو اس کی پروگریس اس کی کنسٹرکشن کا کام اس وقت بہت ہی ڈھیلا چل رہا ہے ۔ میری گذارش ہے کہ آپ اس روڈ کو ترجیح دیکر بنائیں کیونکہ اس روڈ کے بن جانے سے سپلائی بیس اور لداخ کے بیچ کا ڈسٹینس ۳۰۰ کلومیٹر کم پڑتا ہے اندازہ لگائیے آپ کا پی او ایل کا کتنا خرچ بچ جائے گا ۔ ڈیزل کا کتنا خرچ بچ جائے گا ۔ وہ بات الگ ہے کہ وہ ۵ - ۴ مہینے جتنے سمے تک روڈ چلے پھر بھی وہ ہمارے لئے بہت فائدے مند ثابت ہو سکتی ہے ۔ اس لئے آپ اس کو جلدی سے پورا کروانے کی طرف دھیان دیں ۔

اِن شبدوں کے ساتھ میں سدن میں لائی گئی ڈیفنس منسٹری کی اَنودان مانگوں کا سمرتھن کرتا ہوں اور رکشا منتری جی کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے دیش کی رکشا کے لئے ڈیفنس کو کیپیبلٹی زیادہ اِمپارٹینس دی ہے ۔]

[अनुवाद]

श्री मेवा सिंह गिल (लुधियाना) : सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से अपने दल की ओर से रक्षा मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान मांगों का भारी दिल से विरोध करता हूं।

मैं इन मांगों का इसलिए विरोध नहीं कर रहा हूं कि मुझे यह मालूम नहीं है कि जवानों की सेवा शर्तें कैसी हैं या वे कैसी कठिनाइयों का सामना करते हैं जब वे बर्फीले हिमालय पर हों और सिआचिन गलेशियर के जोखिम भरे शून्य से कम तापमान वाली निष्ठुर जलवायु में देश की सीमा की रक्षा करते हैं और दूसरी ओर जब वे पश्चिमी सीमा पर अत्यंत प्राणघातक और संहारक शस्त्र प्रणाली का सामना करते हैं जिनकी इस संसार की उपनिवेशवादी ताकतों ने पूर्ति की है।

मैं इन बातों, उनकी समस्याओं, कठिनाइयों के बारे में जानता हूं और मैं उन तनावों और दबावों के बारे में भी जानता हूं जिन्हें जवानों को तब झेलना पड़ता है जब वे झुलसा देने वाली गर्मी में इस देश की सीमा की रक्षा करते हैं, और कभी-कभी खाइयों में आधे बाहर और आधे अन्दर छिपे रहते हैं जहां टीलों की रेत उन पर आ-आकर पड़ती रहती है। इस प्रकार जून महीने के मध्य की झुलसा देने वाली गर्मी में अंदर खाइयों में पड़े रह कर उन्हें अपने कर्त्तव्य का निर्वाह करना पड़ता है। ये सभी बातें मेरे दिमाग में हैं। तथापि कुछ कारणों से मैं इनका विरोध कर रहा हूं। और वे कारण स्पष्ट हैं :—परिस्थितियों की, अभी बिल्कुल हाल की परिस्थितियों की मार, जो इतना मजबूर करने वाली हैं, पिछली घटनाओं की तर्कसंगति —मुझे कहना चाहिए कि—पिछले दो माह की घटनाएं इस बात के लिए आश्वस्त करती हैं और मेरी तरह लोगों के मन में डर बैठ गया है कि और वह भय बढ़कर आशंका की सीमा तक पहुंच गया है, और वह आशंका तर्कसंगत भी है कि प्रत्यक्ष या परोक्ष करों के माध्यम से गरीब किसानों, मजदूरों और खेतिहर मजदूरों से जो भी धन प्राप्त किया जा रहा है उसका कहीं दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है। यह उस देश के अधिकांश लोगों को है। इसीलिए इन मांगों के कारण जो धनराशि उन्हें दी जानी है उसके बारे में विचार करते हुए हमें बहुत सजग रहना है और इसीलिए उन्हे सचेत करना है।

हमें पिछले कुछ दिनों से चिंताजनक समाचार मिल रहे हैं। कभी पश्चिम जर्मनी से कि कुछ हथियारों का सौदा करने वाले किसी एजेंट को 30 करोड़ रुपए दिए जाने की व्यवस्था की जा रही है। कभी स्वीडन रेडियो से यह वक्तव्य जारी किया जाता है कि 155 एम० एम० फील्डगनों के रूप में बताए गए हथियारों के सौदे करवाने के लिए भारत के कुछ अधिकारियों या राजनीतिज्ञों को 40 करोड़ रुपए की कुल धनराशि अदा की जा रही है। ये वस्तुतः चिंताजनक समाचार हैं और इन समाचारों से सामान्य बुद्धि वाली आम जनता को कुछ आशंका हो सकती है। इसीलिए मंत्रालय को अत्यंत सचेत और सजग करने के लिए हमें इन मांगों का विरोध करना पड़ रहा है।

हाल के विगत इतिहास की एक दुःखद घटना की मुझे याद आ रही है। जब पिछली शताब्दी में अंग्रेजों और सिक्खों की लड़ाई में खालसा दरबार की फौजें सतलज नदी के तट पर ब्रिटिश सेना से लड़ाई कर रहीं थीं और हमारे सिपाही देश की अखंडता और एकता की रक्षा के लिए, अपनी जनता की आजादी और सम्मान की रक्षा के लिए अपने खून की आखिरी बूंद तक बड़ी बहादुरी और दिलेरी से लड़ रहे थे, लाहौर के खालसा दरबार के एक कवि शाह मोहम्मद, जो उन लड़ाइयों का साक्षी रहा है, उसने एक ही वाक्य में युद्ध का ब्यौरा दे दिया है; "शाह मोहम्मदां सिंहा ने गोरयां दे लहू निबुआं वांग निचोड़ दित्ते" अर्थात् हे शाह मोहम्मद सिक्ख सिपाहियों ने ब्रिटिश सेना के सिपाहियों में से नींबू के रस की तरह खून निचोड़ लिया।

तो स्थिति इस प्रकार थी। किन्तु कुछ समय बाद उसी कवि ने जो कि उस सब का साक्षी था, यह दुःखद पद्य की: "शाह मोहम्मदां इक सरकार थाजों फौजां जित्त के अन्त नूं हारियां।"

इतिहास बताता है कि उसका कारण यह था कि जब ये सिपाही नदी तट पर भीषण संग्राम कर रहे थे तो उनके सेनापति ने अपने मुख्यालय से बारूद की मांग की। और इतिहास बताता है कि उन सिपाहियों को बारूद की जगह तारामीरा और सरसों के बोरे भेजे गए। उसके परिणामस्वरूप तोपों के पीछे खड़े सिपाही और सिक्ख फौजें बारूद से उड़ा दी गई उनके परखचे उड़ा दिए गए और वही फौज हार गई और उस लड़ाई में उसे मुंह की खानी पड़ी। इतिहास की ये बातें हमें कुछ सबक सिखाती हैं कि जहां तक रक्षा तैयारी का सम्बन्ध है, जहां तक हथियारों का संबंध है तथा जहां तक हथियार के चुनाव का संबंध है, हमें बहुत सावधान रहना होगा। इन एजेंटों की तथा कमीशन एजेंटों की एवं सभी प्रकार की चीजों को हर हालत में समाप्त करना है। हम इन बातों को सहन नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमको अपनी स्वतन्त्रता, देश की अखण्डता तथा सम्मान की अपेक्षा कोई भी चीज ज्यादा प्रिय नहीं है। लेकिन इसको केवल इसलिए बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है कि कुछ लोगों की पहुंच कुछ तबकों तक है तथा वे यहां और देश के भीतर एवं बाहर कुछ राजनीतिज्ञों की आवभगंत करते हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जांच के निष्कर्षों को बहुत गंभीरता से समझा जाए तथा लोगों को विश्वास में लिया जाए तथा इन बातों की बहुत सावधानीपूर्वक जांच होनी चाहिए। केवल लोगों को ही विश्वास में नहीं बल्कि इस संसद को भी विश्वास में लिया जाना चाहिए। इसको करने में कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, जैसा कि सरकार कहती है कि कोई विशेष बात नहीं है—मैं केवल प्रार्थना करता हूं कि कुछ न हो तथा मैं यह कामना करता हूं कि कोई बात न हो, तब मामले की जांच करने के लिए संसद की एक उप-समिति बनाने में कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। यदि कोई भी तकनीकी बात है, उस बात को संसद सदस्यों से दूर रखा जा सकता है लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि दोनों पक्ष के संसद सदस्य सत्ता पक्ष के भी तथा इस पक्ष के भी इस देश की स्वतन्त्रता के लिए उतने ही जिम्मेदार एवं चिन्तित हैं जितना कि दूसरा अन्य कोई। इसलिए यदि इन परिस्थितियों में एक समिति गठित की जाती है तो इससे कोई नुकसान नहीं है।

सभापति महोदय : अब कृपया अपना भाषण समाप्त करिए।

श्री मेवा सिंह गिल : कुछ ऐसी बातें है जिनको मैं इस गरिमापूर्ण सभा के समक्ष कहना चाहता हूं। इस तथ्य के बावजूद कि इन सैनिकों, जिन्हें अपनी सीमाओं पर लगा दिया जाता है, को कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं लेकिन कुछ बातें ऐसी है जिन पर रक्षा विभाग द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उदाहरण के लिए, पहले कुछ व्यक्ति हथियारों का धन्धा करते थे और हम देखते हैं कि राजधानी की आलीशान कालोनियों में उनके लाखों रुपयों के मूल्य के तथा कभी-कभी यहां तक कि करोड़ों रुपयों के मूल्य के मकान हैं। इसके विपरीत एक अधिकारी सेना में अच्छी सेवा करने के पश्चात तथा लेफ्टीनेंट कर्नल या कमोडोर या यहां तक एक एयर चीफ के रूप में सेवा-निवृत्त होने के पश्चात सरकार से ऋण लिए बगैर एक तीन कमरों वाले घर का निर्माण करने में संक्षम नहीं होता है। यह स्थिति है। इसलिए इन लोगों पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। रक्षा मंत्रालय से मैं अनुरोध करूंगा कि यदि सम्भव हो तो इन व्यक्तियों को आयकर से मुक्त किया जाना चाहिए। अधिकारियों को मुफ्त राशन देकर के मंत्रालय ने पहले ही अच्छा काम किया है तथा यह हमारी योद्धा सेनाओं के और भी हित में होगा यदि वर्दियां तथा इसी प्रकार की अन्य सुविधाएं

भी उनको मुफ्त प्रदान की जाएं। जब वे सेना की सेवा करने के पश्चात् वापस आयें, तब उनके पुर्नवास के लिए एक बहुत अच्छी योजना होनी चाहिए। 20 वर्षों की सेवा के बाद वे वापस आते हैं। वे नौजवान होते हैं, वे प्रशिक्षित होते हैं तथा वे समर्थ शरीर-वाले व्यक्ति होते हैं। जैसे ही वे सेवा-निवृत्त हों, उनकी सिविल सेवा में प्राथमिकता देकर समायोजित किया जाना चाहिए। एक इस तरह की परिधि (सर्किल) बनाई जानी चाहिए कि वे नौजवान जो नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें सर्वप्रथम सेना में भर्ती होना चाहिए, सेना से अपने के पश्चात् सिविल सेवा में भर्ती होना चाहिए। यह तरीका सैनिकों की दशा में सुधारने में सहायक होगा।

निम्न पदों के जवानों के लिए अभी भी बहुत कुछ किया जाना है। रक्षा मंत्रालय से उन्हें तथा उनके परिवारों को बहुत अधिक सहायता दिए जाने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय : अब कृपया अपना भाषण समाप्त करिये।

श्री मेवा सिंह गिल : मैं अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं। जब कभी उनको छुट्टी पर जाना होता है तथा यदि उन्हें देश के एक कोने से चलकर दूसरे कोने तक जाना होता है, तब पांच दिन गन्तव्य स्थान तक पहुंचने तथा अन्य पांच दिन वहां से वापस अपनी यूनिट तक आने में लग जाते हैं। यदि छुट्टी 20 दिनों के लिए है या एक महीने के लिए है। 10 दिन इस प्रकार चले जाते हैं। इसलिए उनकी छुट्टी उनके गन्तव्य स्थान पर पहुंचने के दिन से शुरू हुई मानी जानी चाहिए। रास्ते में रेलवे जक्शनों पर उनके रात के समय ठहरने के लिए उनको कुछ सुविधाएं दी जानी चाहिए। आपने सिपाहियों को प्लेटफार्मों पर पड़े हुए तथा अपने सिर पर सामान ले जाते हुए देखा होगा।

सभापति महोदय : श्री अजीज कुरेशी।

श्री मेवा सिंह गिल : उनको उचित सुविधायें नहीं मिलती हैं। इन शब्दों के साथ रक्षा मंत्रालय की मांगों का मैं विरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री अजीज कुरेशी (सतना) : सभापति महोदय, मैं डिफेंस मिनिस्ट्री की मांगों का समर्थन करने खड़ा हुआ हूं। किसी भी डिफेंस के बजट को देखने और अध्ययन करने से पहले कुछ मोटी-मोटी बातों को देखना जरूरी होता है। और वह यह है कि हमारे डिफेंस बजट में देश की सेनाओं के माडर्नाइजेशन की कितनी गुंजाइश रखी गई है, सेल्फ रिलायंस के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, इन्डक्शन आफ ए न्यू वैपन सिस्टम के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है व रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए कितनी राशि इस बजट में रखी गई है ? इन तमाम मुद्दों को देखते हुए यह बजट एक नयी दिशा का प्रतीक है।

मैं इस मौके पर अपने नए डिफेंस मिनिस्टर का तहेदिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा सौभाग्य रहा है कि 1972 और 1977 के बीच जब आज के रक्षा मंत्री उस समय केन्द्र में और पावर मंत्रालय में मंत्री थे तो मुझे भी उन दिनों मध्य प्रदेश में उसी मंत्रालय का एक मंत्री होने का सौभाग्य मिला था। मैंने देखा है कि उनकी क्षमता को, उनकी एफीशैंसी, उनके ग्रिप की, उनकी इंटेग्रिटी की, उनके डायनेमिज्स की जिसकी सभी प्रशंसा करते आए हैं। इसके साथ ही इन्होंने सारे देश के पिछड़े क्षेत्रों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मैं ऐसा समझता हूं कि प्रधान मंत्री का इस देश पर एहसान है कि उन्होंने ऐसे कठिन समय में इतना योग्य डिफेंस मिनिस्टर हमको दिया।

ऐसा हमें विश्वास है कि उनके हाथों में हमारी सीमाएं और हमारा देश सुरक्षित रहेगा, हमारे देश की सेनाएं और हमारा रक्षा विभाग आगे तरक्की करेगा व अधिक से अधिक उनका भला होगा।

एक बात मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए उन्होंने 420.40 करोड़ रुपए रखे हैं जो कि कुल बजट का 4.12 परसेंट होता है। यही राशि, यही रकम अमेरिका में करीब 30 परसेंट, यू०के० में करीब 21 परसेंट और फ्रांस में करीब 18 परसेंट है। 4.12 परसेंट जो आपने रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए रखा है उससे यह अन्दाजा नहीं हो पाता है कि इसमें से कितनी रकम रिसर्च पर और कितनी डेवलपमेंट पर खर्च होगी। जहां तक मैं समझता हूं अभी तक की तारीख यह रही है कि डेवलपमेंट पर अधिक धन खर्च किया गया है और रिसर्च पर कम। मैं आशा करता हूं आपके आने के बाद डिफेंस मंत्रालय के काम का तरीका बदल जाएगा और रिसर्च पर अधिक धन खर्च किया जाएगा।

आज आप जब भारत की सीमाओं के चारों ओर निगाह डालेंगे तो पायेंगे कि न्यूक्लियर बम को लेकर पाकिस्तान हमारी सीमाओं के दरवाजे खटखटा रहा है। चीन अरुणाचल प्रदेश में अपनी सेनाओं को इकट्ठा करके हमारे देश की अखंडता को ललकार रहा है, हिन्द महासागर साम्राज्यवादी ताकतों का अड्डा बना हुआ है और सिलोन में भी हालात चिन्ताजनक हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि ऐसे हालात में जबकि दुनिया में ट्रांसवर आफ टेक्नॉलजी बहुत तेजी से हो रहा है, उस ओर आपका ध्यान जाना चाहिए। आज रूस ने जो हथियार अफगानिस्तान में अफगान फौजियों को दिए हैं उन हथियारों को अफगान के विद्रोहियों ने पाकिस्तान के पास भेज दिया है और कोई भी सिक्रेट बाकी नहीं रहा है। पाकिस्तान के जरिए वह हथियार अमेरिका तक पहुंच गए हैं। आज अमेरिका ने जो हथियार ईरान को दिए ईराक की सेनाओं ने उन हथियारों को कैप्चर करके उसे रूस तक पहुंचा दिया है। इससे भी कोई सिक्रेट बाकी नहीं रहा है। इस जमाने में ट्रांसवर आफ टैक्नॉलजी कहीं आफ्स की म्युचुअल एग्रीमेंट से और कहीं हथियारों की छीना-झपटी से हो रहा है। मैं ऐसा समझता हूं कि जब तक हम अपने देश में एक इंडिजिनस वैपन सिस्टम स्थापित नहीं करेंगे और खुद अपने ही द्वारा बनाए गए हथियारों को नहीं अपनाएंगे तब तक हम अपने इस क्षेत्र में देश की सीमाओं की रक्षा नहीं कर पाएंगे।

अध्यक्ष जी, इस सिलसिले में मैं माननीय मंत्री जी से एक सवाल बड़े अदब से करना चाहूंगा कि हम 12 साल से यह सुनते आ रहे हैं कि भारत एल 60 का इण्डिजिनस इंजन विजेयता टैंक के लिए डेवलप कर रहा है। लेकिन अब कभी-कभी यह सुनने में आया है कि कुछ लोग, कुछ ताकतें, कुछ व्यक्ति ऐसे होने देना नहीं चाहते हैं और वह इस प्लान को सैबोटेज कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी हमें बताएं कि यह एल-60 इंजन विजेयता टैंक में लगाने के लिए बनाए जाने में क्या दुविधा और क्या रुकावट है ? किस कारण से वह आज तक नहीं बन पाया है ? मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी सेनाओं के विशेषज्ञ हमारे विद्वान इंजीनियर्स और जनरल मिल कर जल्दी इंजन का निर्माण करेंगे।

दूसरी बात—जब हम देखते हैं कि आज अमेरिका ने पाकिस्तान को हथियारों से लाद दिया है, जहां तक पहले 30 मिलियन डालर या लगभग चार अरब की नदद उनको दिया करते ऐसा लगता है कि इस साल तकरीबन 42 मिलियन डालर तक की मदद उनको पहुंचेगी। उन्होंने उनको हर तरह के आधुनिक विमान, एफ-16, हारपूंस, ऐडवांस मिजाइल और एडवांस वार्निंग सिस्टम, यह

सब कुछ उनके पास पहुंचा दिया है । तो मैं समझता हूं कि हमारे डिफेंस मंत्रालय के जो लोग हैं, जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने भी अपनी स्ट्रेटेजी में, अपनी प्लानिंग में एक क्वालिटेटिव चेंज जरूरी की होगी । मैं नहीं समझता कि उसकी घोषणा करना जरूरी है या पार्लियामेंट में उसको लाना जरूरी है । लेकिन इस बात को देखते हुए जब तक आप अपनी प्लानिंग और डिफेंस स्ट्रेटेजी में एक क्वालिटेटिव चेंज नहीं लाएंगे उस वक्त तक देश की सुरक्षा पूरी तरह करना सम्भव नहीं हो पाएगा ।

मैं आज के रक्षा मंत्री को याद दिलाना चाहूंगा कि जब वह विद्युत और सिंचाई मंत्री थे उस समय उनके नेतृत्व में पावर मिनिस्टर की एक अखिल भारतीय एक कांफ्रेंस बुलायी गई थी, उसमें मैंने यह बात उठाई थी कि तमाम राज्यों में बिजली बोर्डों के अध्यक्ष और सेक्रेटरी टेक्नोक्रेट होने चाहिए, ब्यूरोक्रेट नहीं । आज मैं उनसे कहता हूं कि डिफेंस मंत्रालय में बेटर कोआर्डिनेशन के लिए और एक अच्छे माहौल के लिए, अच्छा काम करने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि कोई आइ०ए०एस० या दूसरा ब्यूरोक्रेट डिफेंस सेक्रेटरी की जगह बैठे । उसकी जगह आप लाइए किसी सीनियर-मोस्ट जनरल को, सीनियर-मोस्ट ऐडमिरल को, सीनियर-मोस्ट एयर मार्शल को और उसको डिफेंस सेक्रेटरी बनाइए । आप देखेंगे कि इससे मौरेल बढ़ेगा, लोगों की क्षमता बढ़ेगी और हमारे डिफेंस के जो वर्कर्स हैं, जो फौजी हैं उनकी आरजुएं बढ़ेंगी, उम्मीदें बढ़ेंगी और अच्छा काम हो पाएगा । मैं जानता हूं, मेरी बात डिफेंस के बहुत सीनियर लोगों से हुई है, बड़े-बड़े जनरल, एयर मार्शल, ऐडमिरल के प्रस्ताव आते हैं और एक डेपुटी सेक्रेटरी के लेवेल पर या ज्वाइंट सेक्रेटरी के लेवेल पर उनके प्रस्ताव नामंजूर कर दिए जाते हैं । मैं समझता हूं इससे बड़ी नाइंसाफी डिफेंस के लोगों के साथ नहीं हो सकती है । मैं समझता हूं आज के इस नए माहौल में रक्षा मंत्री इस ओर ध्यान देंगे और हमारा अगला डिफेंस सेक्रेटरी जो होगा वह सीनियर-मोस्ट जनरल होगा या ऐडमिरल होगा या एयर मार्शल होगा । इस तरह से वह हमारे देश की रक्षा व्यवस्था अच्छी तरह से कर पाएंगे ।

मैं एक्स-सर्विस मैन के बारे में कहना चाहूंगा । मैंने पहले भी आवाज उठाई है और आज फिर कहना चाहूंगा कि आज फौजों में जो रिटायरमेंट एज है, पेंशन की एज है वह 35 से 45 साल तक की है । एक सर्विसमैन को 35 से 45 तक रिटायर कर दिया जाता है । मैं समझता हूं आज जब एवरेज एज भारत की बढ़ चुकी है, लोगों की सेहत अच्छी है तो इस 45 की एज को 50 तक बढ़ा दीजिए । 45 से 50 तक एक सर्विसमैन को रिटायर कीजिए ताकि आपकी समस्या भी हल हो सके और लोगों को अधिक सेवा करने का मौका मिल सके । आप इस बात को देखें कि उसकी क्षमता है, हैल्थ है, सेहत है और वह इस काबिल है कि सेवा कर सके तो उसको आप मौका दीजिए कि 50 साल तक काम कर सके ।

आपकी इस ऐन्युअल रिपोर्ट में कहा गया है कि माइनारिटीज के लिए, शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्ज के लिए आपके मंत्रालय के कुछ विभागों में उचित नुमाइन्दगी, नामजदगी की गई हैं और कोशिश की जाती है कि इनके अधिक लोग इसमें रेक्रूट किए जाएं । मैं समझता हूं जहां तक सवाल है माइनारिटीज का उनका ऐक्टिव रिक्रूटमेंट एक्टिव डिफेंस फोर्सेज में उतना नहीं है जितना होना चाहिए । आज के माहौल में जब पाकिस्तान आपकी सीमा पर हमला करने की बात करता है तो आप रेक्रूट कीजिए माइनारिटीज के लोगों को और भेजिए इनको देश की सीमाओं पर अपनी अखंडता की रक्षा करने के लिए ताकि पाकिस्तान की फौजों का मुंह मोड़ दें और पाकिस्तान का नामोनिशां मिटा दें अगर मोका आए क्योंकि उन लोगों की भी तमन्ना है, आरजू है वह कहते हैं कि देश की सीमा पर अगर हमला हो पाकिस्तान का या और किसी मुल्क का तो जहां एक तरफ नारे लगें हर हर महादेव के, सत श्री अकाल के तो उसी के साथ-साथ अल्लाहो अकबर के नारों से भी मैदान जंग गूंज उठे और

उसी के साथ-साथ पाकिस्तान का मटियामेट कर दें ऐसी तमन्ना उनके दिल में है, ऐसा जज्ब उनके खून में है, उसको बहाने का मौका दीजिए। उनको साबित करने दीजिए कि इस देश के चप्पे-चप्पे की हिफाजत वे अपने खून की आखिरी बूंद से भी करेंगे लेकिन इस देश की सुरक्षा पर कोई हर्फ नहीं आने देंगे।

दूसरी बात मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि आज के हालात में जो हमारी फौजें हैं उनके सिपाही हजारों फीट की ऊंचाइयों पर अपनी जान की बाजी लगाकर हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, हर सिपाही के दिल में ख्याल होता है कि अपनी जान की आहुति देकर, अपनी जान की बाजी लगाकर वह इस देश की हिफाजत कर रहा है, इसलिए कि देश की करोड़ों माताओं का सुहाग सुरक्षित रहे, करोड़ों माताओं की गोदें खाली न होने पाएं, उनके बच्चे यतीम न होने पाएं और इस देश का गौरव हमेशा ऊंचा रहे, लेकिन वे हमारी फौज के सिपाही, हमारे सैनिक जब सुनते होंगे अखबारों में, यहां के भाषणों में कि यहां के लोगों के द्वारा इस देश के रक्षा मंत्रालय पर किस प्रकार के आरोप लगाए जाते हैं तो मैं समझता हूं उससे उनका मारल डाउन होता होगा, उनके दिल में एक अविश्वास पैदा होता होगा और उनके काम करने में वह एफिशिएन्सी नहीं आ सकती होगी जिसके कि वे आदी हैं। इसलिए मैं बड़े अदब से आपसे दरख्वास्त करूंगा, इस हाउस के तमाम वर्गों के लोगों से, कि कोई भी बात कहने से पहले या कोई आलोचना करने से पहले जोकि केवल आलोचना के लिए हो, वे इस बात को जरूर सोचें कि उनकी कही हुई बात देश की सेनाओं का मारल डाउन करने के लिए तो नहीं कही जा रही है, कहीं उससे सेनाओं के मारल पर तो असर नहीं पड़ रहा है ताकि हमारी सेनाओं के काम में कोई रुकावट न पैदा होने पाए।

सभापति महोदय, मैं अपनी ओर से अपने देश के अजीम महान् सैनिकों, फौजियों, जेनरल्स की सराहना करते हुए, जिन्होंने देश की हिफाजत की है, देश की सुरक्षा के लिए अपनी जानें बलिदान की हैं, इन मांगों का समर्थना करता हूं और यकीन करता हूं कि मैंने यहां पर जो बातें कही हैं, उन पर हमारे नए सुरक्षा मंत्री पूरा ध्यान देंगे और देश को एक नयी दिशा प्रदान करेंगे।

श्री मदन पांडे (गोरखपुर) : सभापति महोदय, प्रश्न जो है वह हमारे देश की सुरक्षा का है और देश की रक्षा का बजट हमारे सामने प्रस्तुत है। 12,512 करोड़ रुपए का जो यह बजट है, कुछ लोगों ने इसको ज्यादा बताया है और कुछ लोगों ने इसकी दूसरी तरह से आलोचना की है लेकिन सही स्थिति यह है कि आज हम जिस तरह के वातावरण से घिर गए हैं, उसमें 12,512 करोड़ की इस रकम को हमें सप्लीमेंट करना पड़ेगा, इस देश की जनता से अपील करके और उसका पूरा सहयोग प्राप्त करके।

स्थिति क्या है ? हमारे देश के दक्षिण में हिन्द महासागर है जोकि साढ़े 6 हजार मील लम्बा और 6 हजार मील चौड़ा है। एक बहुत बड़े अरसे से मांग चल रही है, जो लोग निष्पक्ष हैं, नान-एलाइंड हैं उनकी ओर से, कि हिन्द महासागर को एक सुरक्षित जोन रखा जाए। जो सुपर पावर्स हैं वे इस जोन को बरी कर दें लेकिन इस मांग पर कोई अमल करने के बजाए, उनकी अपील पर कोई ध्यान देने के बजाए, डिएगो-गार्शिया में सैनिक अड्डे कायम किए गए हैं तथा वे इस प्रकार के अड्डे हैं जहां से किसी के ऊपर भी हमला करने की स्थिति आ सकती है। इस सन्दर्भ में मैं 12,512 करोड़ के प्रावधान को देखते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी थल सेना, नभ सेना और जल सेना जो हैं, इन तीनों ही सेनाओं को हमें पूरी तरह से तैयार करना पड़ेगा। एक बार तो सातवें बेड़े की गीदड़-भभकी से न डर करके हमने उसे वापिस होने के लिए मजबूर कर दिया था, लेकिन एक समय ऐसा भी आ सकता है जब सातवां बेड़ा इन्टरवेन्शन के लिए मजबूर हो जाए। इसी तरह से

थल सेना का मामला हो तब भी, नभ सेना का मामला हो तब भी, हमें इसी दृष्टिकोण से विचार करना होगा। आज की दुनिया में कुछ मुल्क जो केवल हथियारों की बिक्री पर जिन्दा रहते हैं, जोकि दार-मांगर्स हैं वे आज चाहते हैं कि हिन्द महासागर का क्षेत्र अखाड़ा बने और उससे उनको लाभ उठाने का मौका मिले। एक इजराइल को पैदा करके उन्होंने सारे मिडिल ईस्ट को ऐसी स्थिति में डाल दिया है कि उनके पास अपार पैसा होते हुए भी अपने देश का विकास नहीं कर पा रहे हैं। आज नया इजराइल खोजा जा रहा है। मैं रक्षा मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि इस बात का ध्यान रखिए कि हमारी फौजों की तैयारी, चाहे जल सेना हो, चाहे नौ-सेना हो और चाहे थल सेना हो, पूरी होनी चाहिए, ताकि हमारे मामलों में यदि कोई इजराइल बनाकर हमारे अन्दर घुसने की चेष्टा करेगा, तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। इस पर सरकार को, हमको और विपक्ष के लोगों को भी सोचना पड़ेगा। हमारे और आपके मतभेद और मामले मिट सकते हैं, लेकिन ये सारी चीजें तब होंगी जब हम अपने देश को बचा सकेंगे। देश हमारा अपनी जगह पर रहेगा, तो इसके भीतर जो मतभेद हैं उनको निपटा लेंगे।

आज स्थिति ऐसी है कि पाकिस्तान को 4.37 बिलियन डॉलर की मदद दी जा रही है। यह एक उकसावा है और कोई दूसरी बात नहीं है। उनके हथियारों की बिक्री के साथ उन्होंने दोहरा तीर मारने की कोशिश की है। एक तरफ जो भारतवर्ष का विकास है, हम उसको भी प्रभावित करेंगे और दूसरी तरफ उसको कमजोर करेंगे। यदि यह 12,512 करोड़ की रकम हमारे देश को मिल जाती, तो हमारा देश विकास के मामले में कहीं-का-कहीं पहुंच जाता। लेकिन इस 4.37 बिलियन डालर की पाकिस्तान को मदद देने से हमको भी इतनी बड़ी रकम खर्च करनी पड़ रही है। हमारे जैसा एक अदना आदमी भी इस बात को सोचने के लिए मजबूर है कि ब्लिट्सक्रिग मूवमेंट, जो इजराइल का कभी हो सकता है, उसका मुकाबला करने के लिए हमको सोचना चाहिए।

इतिहास सब पढ़ते हैं, लेकिन सबक कोई नहीं लेता है। अमरीका ने इस मामले में इतिहास से कोई सबक नहीं लिया है। इंडो-चाइना प्रायद्वीप है, उस जगह करारी मात खाने के बाद अब एशिया में पांव रखने की दूसरी जगह नहीं मिली है। इसलिए जियाउलहक को 4·37 बिलियन डॉलर की जो एड दी जा रही है, उसको वह इस प्रकार से व्यय कर रहा है कि चाहे वह सिंध मारे और उस सिंध से घायल होने वाले लोग चाहे घायल न भी हों, तब भी डर के मारे अपने जो विकास के कार्य हैं, उनको खत्म करके दूसरी तरफ रक्षा के साधनों को जुटाने की बात करे।

अब मैं एक बात रक्षा मंत्री जी से नहीं अपितु प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा देश एक संकटपूर्ण वातावरण से घिर गया है, चाहे उत्तर में चीन हो, पश्चिम में पाकिस्तान हो, दक्षिण में सातवां-आठवां-नौवां बेड़ा हो और चाहे पूर्व में चीन का अतिक्रमण हो। इन सब चीजों ने हमें एक बात पर विश्वास दिलाया है कि हम देश के हर जर्रे को महत्वपूर्ण समझें और हमें उसको उसी प्रकार से विकसित करना पड़ेगा। यदि किसी तरफ से हमारे ऊपर आक्रमण होता है, तो उस तरफ से देश की जनता उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हो। हमारी पूरी योजनाएं अब डिफैंस ओरियेंटेड होनी चाहिए। आप भूगोल उठा कर देखें, तो आपको मालूम पड़ेगा कि किसी जमाने में रन-आफ-कच्छ इम्पैसिबल था, पैदल फौजें नहीं आ जा सकती थीं, लेकिन अब वह असुरक्षित हो चुका है। ठीक इसी तरह से हिमालय को दुर्गम माना जाता था, लेकिन अब ऐसे अनेक स्थान बन गए हैं, जहां से फौजें आ रही हैं और जा रही हैं। इस लिए हमें उन जगहों पर अपना सारी की सारी व्यवस्था को दूसरी तरफ से बदल कर करना पड़ेगा। तिब्बत और हिब्बते के साथ जो हमारी सीमा मिलती थी,

जो अब चीन के साथ लगनी शुरू हुई हैं, हमारी सड़कें और हमारे विकास के जो कार्य हैं, हमारे डिफैंस इन्स्टालेशन्स और औद्योगिक विकास के जो इंस्टालेशन्स हैं, पावर हाउसेस हैं, वे अब डिफैंस ओरियेंटेड प्वाइंट आफ व्यू से बनाए जाने चाहिए।

मान्यवर, मैं गैंगटॉक गया था। इस सदन में मैंने एक बार, जो भूतपूर्व रक्षा मंत्री थे, उनका ध्यान आकर्षित किया था, जब सिलिगुड़ी से चलते हैं, तो केवल एक ही रास्ता है, एक ही सड़क है और वह भी थोड़ा पानी बरसने के बाद लैंडस्लाइड के कारण बंद हो जाती हैं। यह वह रास्ता है, जिस रास्ते से दलाई लामा नाथू ला पास के मार्ग से आए थे। गंगटोक से बोर्डर तक हमारी फौजों ने सारे वर्ष तक चलने लायक इसको बना रखा है लेकिन सिलीगुड़ी से गंगटोक जाना चाहें, तो उसके लिए एक ही सड़क है और तीस्ता नदी का पुल है। उसके लिए आल्टरनेटिव रास्ता बनाया जाए ताकि आवश्यकता पड़ने पर अगर एक रास्ता गड़बड़ हो, तो दूसरे का इस्तेमाल किया जा सके। इस तरह की व्यवस्था अगर आप हर जगह नहीं रखेंगे, तो हमारे सामने दिक्कत आ सकती है। इतिहास से हम को सबक लेना चाहिए। हम जो नेपाल की तराई के रहने वाले लोग हैं, वह इस स्थिति को अच्छी तरह से जानते हैं। अंग्रेजों ने लड़ाई लड़कर एक तजुर्बा किया था। आपको याद होगा कि 1814 में अंग्रेजों ने काठमांडू पर चढ़ाई की थी और 1814 में सगौली में एक समझौता हुआ था। उन्होंने इस महत्व को समझा था कि बड़ी गंडक को अगर हम किसी तरह नहीं बांधेंगे और कोई दूसरा आल्टरनेटिव रास्ता नहीं रखेंगे, तो न ही इस क्षेत्र का विकास होगा और अगर कभी भी हमको सामरिक दृष्टि से आवश्यकता होगी, तो हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। बड़ी गंडक पर जो एक पुल है, जिस पर रोड भी है और जिसके ऊपर रेल भी है, वह सोनपुर में है। वह पुल अगर किसी वजह से बेकार हो जाए, तो दूसरा पुल जो अंग्रेजों ने बनाया था, 1924 में उसके टूटने के बाद किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। मैं चाहता हूं कि जो स्थिति हमारे सामने है, उस स्थिति को देखते हुए हमारे लिए आवश्यक है कि दूसरा आल्टरनेटिव रूट जो है छतौनी, बगहा का, उसको डिफैंस मिनिस्ट्री अपनी तरफ से इनिशियेटिव लेकर बनाए। यह सामरिक दृष्टि से बहुत महत्व का है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हथियारों के अलावा अगर कोई चीज है, तो वह आवाज है। हमारे जो रेडियो स्टेशन बनाए गए हैं, मैं रक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, आप सूची मंगा कर देख लीजिए, 10, 10 किलोवाट के छोटे-छोटे स्टेशन हैं। 150, 200 किलोमीटर दूरी पर चीन का बोर्डर है। चीन का रेडिया लासा से बोलता है, तो हमारे यहां सुनाई पड़ता है, लेकिन हमारा उनको नहीं सुनाई पड़ता है। इसलिए मेरा कहना यह है कि हमारी तरफ आल इण्डिया रेडियो और टेलीविजन का नेटवर्क होना चाहिए और वह इतना शक्तिशाली होना चाहिए कि लासा, अक्साई चीन और उधर के जो हिस्से हैं और नेपाल को वह पूरी तरह से कवर कर सके। इसके अलावा एनाउन्समेंट का ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए जो लोगों में निर्भीकता भरने वाला हो और नेपाल और भूटान जैसे देशों की, जो फ्रैन्डली कंट्रीज हैं, जनता को कवर करने वाला हो।

मान्यवर, मैंने ये थोड़ी सी बातें आपके सामने रखी हैं। हमको एक सुयोग्य रक्षा मंत्री मिला है, जिन्होंने देखा है कि चीन के साथ हमारे कैसे सम्बन्ध हैं और तिब्बत के साथ कैसे सम्बन्ध हैं। आप उस इलाके के रहने वाले हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप एक नई चीज यह करें कि डिफैंस-ओरियेन्टेड हमारी प्लानिंग होनी चाहिए और भारत का कोई हिस्सा असुरक्षित नहीं रहना चाहिए और दुश्मन हम पर हमला करे, तभी हम आगे कदम बढ़ावें, ऐसा इन्तजार हमको नहीं करना चाहिए। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान के जो पिल बौक्स बने हुए थे, उसी तरह के पिल बौक्स के

मुकाबले की तैयारी हमको करनी चाहिए और रन आफ कच्छ से काश्मीर तक हमारी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए, जिससे दुश्मन से आंख से आंख मिलाने की हिम्मत हममें हो।

इन शब्दों के साथ रक्षा मंत्री जी ने जो इतना बढ़िया बजट पेश किया है, उसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं और अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं। इसके अलावा जो मांगें, वे रखेंगे, उनका भी हम समर्थन करेंगे।

[अनुवाद]

*श्री आर० जौवरत्नम (आर्कोनम) : माननीय सभापति महोदय, मैं रक्षा मंत्रालय की 1987-88 की अनुदानों की मांगों के समर्थन में अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं।

पिछले एक सप्ताह में विरोधी पक्ष के बहुत से सदस्यों ने विदेशी सरकारों के साथ कुछ रक्षा सौदों के बारे में सरकार की आलोचना की है। मैं नहीं समझता कि उनके विचार किसी भी तरह से देश के प्रति प्रेम दर्शाते हों। मैं समझता हूं कि इस प्रकार से खुले रूप में रक्षा सौदों के सम्बन्ध में चर्चा करना उचित नहीं है, जिससे समाचार-पत्रों को व्यापक प्रचार का अवसर मिले।

माननीय प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी को भारत के 75 करोड़ लोगों का भारी समर्थन प्राप्त है। उन्होंने सभा को आश्वासन दिया है कि यदि आरोप सिद्ध हो गए तो वे अपराधियों को सजा देंगे। विपक्ष उनके शब्दों में आस्था प्रकट करने की बजाय स्विस रेडियो के समाचारों पर विश्वास कर रहा है। इसलिए, विभिन्न मतों के विपक्ष के लोगों से मैं अपील करता हूं कि वे इस तरह से कीचड़ उछालना बन्द करें तथा हमारे प्रधान मंत्री तथा उनकी सरकार को रचनात्मक सहयोग दें। उन्हें यह सिद्ध कर दिखाना चाहिए कि वे भी इसी जन्म भूमि के लाल हैं।

महोदय, रक्षा के लिए 12,512 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 75 करोड़ लोगों के एक देश के लिए यह अपर्याप्त है। नौसेना के लिए 1,536 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। भारत अरब सागर, बंगाल की खाड़ी तथा हिन्द महासागर से घिरा हुआ है। हमारे क्षेत्रीय जल के समीप बहुत से विदेशी पोत तैरते रहते हैं। इसीलिए, हमारी नौसेना को सुदृढ़ बनाने के लिए हमें अधिक धनराशि आवंटित करनी चाहिए विशेष रूपसे उस समय जबकि श्रीलंका में अमरीकी अड्डे स्थापित किए जा रहे हों।

पाकिस्तान के साथ हमारे सम्बन्ध अच्छे नहीं हैं। अफगानिस्तान स्थिति की आड़ लेकर वे भारी अमरीकी सैनिक सहायता प्राप्त कर रहे हैं। वे परिष्कृत लड़ाकू विमान तथा अन्य सैनिक सामान प्राप्त कर रहे हैं। हमने अमेरिका को चेतावनी दी है कि इनका प्रयोग हमारे विरुद्ध किया जाना है परन्तु पाकिस्तान को अमरीकी सैनिक सहायता अभी भी जारी है। इसीलिए हमें अपनी रक्षा पंक्ति मजबूत करनी चाहिए। इसीलिए इस सन्दर्भ में वायुसेना के लिए 2,775 करोड़ रुपए की धनराशि बहुत अपर्याप्त है। हमें वायुसेना के लिए आवंटन में वृद्धि करनी चाहिए।

पाकिस्तान परमाणु बम बनाने की स्थिति में है। चीन के पास पहले से ही परमाणु बम तथा बहुत सी अन्तरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। चीन ने तिब्बत में तथा अरुणाचल प्रदेश राज्य की सीमा पर अपनी सैनिक टुकड़ियां तैनात कर दी हैं।

महोदय, पाकिस्तान कश्मीर में हमारे क्षेत्र पर अबैध कब्जा किए हुए है। हाल ही में उसने

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

पश्चिमी सीमा पर अपनी बख्तरबन्द सेना तैनात की है। हमारे प्रधान मंत्री तथा हमारे रक्षा बल ने तुरन्त तथा प्रभावी कदम उठाए और हम पाकिस्तानी सेना को खदेड़ने में सफल हो गए।

माननीय मंत्री जी यह बात नोट करें कि बंगलादेश में ऐसे बहुत से सैनिक तथा राजनीतिक नेता हैं जो हमारे खिलाफ हैं।

महोदय, अमेरिका ने 1982 से 1987 तक पाकिस्तान को 3.2 बिलियन अमरीकी डालर के मूल्य के हथियार सप्लाई किए हैं। 1987-93 के दौरान उसने 4.02 बिलियन अमरीकी डालर मूल्य के हथियार पाकिस्तान को सप्लाई करने की योजना बनाई है।

पाकिस्तान और चीन मिल गए हैं। उन्होंने अधिकृत कश्मीर में काराकोरम राजमार्ग बना दिया है। इसीलिए, मैं प्रधान मंत्री जी से तथा रक्षा मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि हमारे मित्रों से मित्रता को बढ़ाए तथा हमारी रक्षा तैयारियों में भी वृद्धि करें।

आवडी में टैंक निर्माण के कारखाने का विस्तार किया जाए। हमें टैंकों के उत्पादन में वृद्धि करनी चाहिए तथा उन्हें अफ्रीका तथा अरब देशों को निर्यात करने की संभावनाओं का पता लगाना चाहिए।

तमिलनाडु के जवान अधिकांशत: उत्तरी आर्कोट से है। उनके बच्चों को रोजगार देने की दृष्टि से मैं अनुरोध करता हूं कि आर्कोनम में तोप का एक कारखाना स्थापित किया जाए। यहां तक कि हमारे वर्तमान सेनाध्यक्ष जनरल सुन्दरजी भी उत्तरी आर्कोट जिले के हैं। मुझे यह कहते हुए गर्व है कि वे मेरे निर्वाचन क्षेत्र आर्कोनम से हैं।

2.00 म०प०

अन्त में, मैं अमरीका से अपील करता हूं कि वे पाकिस्तान को हथियारों से लैस करने की अपनी नीति पर पुन: विचार करे। हमारा देश गुट-निरपेक्ष तथा लोकतंत्रीय देश है। दूसरे महायुद्ध के दौरान अमेरिका शुरू के युद्ध में नहीं कूदा था? जब उसने यह महसूस किया कि समस्त विश्व में स्वतंत्रता खतरे में है तो वह रणक्षेत्र में कूद गया। राष्ट्रपति रूजवैल्ट ने उस समय यह उद्घोषणा की कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है तथा लोकतंत्र को बचाने के लिए अमरीका युद्ध करेगा। अमरीका का ऐसा गौरवपूर्ण इतिहास है। राष्ट्रपति रीगन को एक ऐसे देश को जिसने लोकतंत्रीय आधार पर निर्वाचित नेता श्री भुट्टो को सूली पर चढ़ा दिया, पूरी तरह से हथियारों से लैस करने के अपने प्रस्ताव पर पुन: विचार करना चाहिए। क्या पाकिस्तान को भारी मात्रा में हथियार देने की सहायता, लोकतंत्र को बचाएगी अथवा इसे समाप्त करेगी? राष्ट्रपति रीगन को इस पर विचार करना चाहिए।

इसके साथ ही मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री के०पी० उन्नीकृष्णन (बडागरा) : माननीय, सभापति महोदय संसद के माध्यम से जनता के प्रति जवाबदेही ही हमारे संवैधानिक प्रासाद तथा लोकतंत्र का सार है। ऐसी जवाबदेही को प्रभावी बनाने के लिए सरकारी खर्च की जांच करनी पड़ती है विशेष रूप से रक्षा जैसे क्षेत्र में जहां भारी खर्च होता है। इसीलिए, हम में से कुछ का यह विचार है कि केवल इतना ही काफी नहीं है कि हम इन मांगों पर वाद-विवाद जैसी औपचारिकता ही निभाएं जो हमें हर वर्ष निभानी ही पड़ती है किन्तु रक्षा सम्बन्धी एक ऐसी स्थायी समिति गठित की जानी चाहिए जो आज की स्थिति में केवल नीतियों की ही जांच न करे बल्कि हथियारों की खरीद तथा नीतियों,

सामरिक लक्ष्यों और विदेशी नीतियों तथा सुरक्षा के बीच परस्पर सम्बन्धों पर गहराई से विचार कर सके। इसीलिए हमारे लिए यह कहना ही पर्याप्त नहीं है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद की दृष्टि से भारतीय रक्षा व्यय अभी भी कम है। 1972-72 में, जब हमारे सामने 120 लाख शरणार्थियों की समस्या थी तथा हमारी सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया था जो एक युद्ध में समाप्त हुआ, रक्षा व्यय केवल 1,411 करोड़ रु० था। 1981 तक अर्थात् एक दशक के पश्चात् यह तीन गुणा होकर 4,600 करोड़ रु० हो गया और इसके पश्चात् यह तेजी से बढ़ ही रहा है। 1986-87 के लिए बजट अनुमान 8,728 करोड़ रुपए था, वास्तविक खर्च इससे अधिक है तथा 1987-88 जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, के लिए अनुमान 11,900 करोड़ रुपए का है। किन्तु मेरा अनुमान यह है कि यह 13,000 करोड़ रुपए के लगभग हो सकता है। हमारे लिए यह भी कहना सही नहीं है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में यह सब सहन करने की शक्ति है। हमारे लिए महत्व की बात यह है कि हम अपनी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं तथा सामाजिक प्राथमिकताओं को दिमाग में रखें जिससे हमारे समाज, राजनैतिक ढांचे तथा अर्थ-व्यवस्था के स्नायु मजबूत हो सकें तथा हम आज की अत्यंत जटिल अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में अपनी अन्तर्राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय-भूमिकाएं अदा करने में सफल हो सकें।

भौगोलिक दृष्टि से हमारे देश का इस क्षेत्र में एक विशेष स्थान है तथा हमें अपनी भूमिका अथवा अपनी उपस्थिति अथवा इस उपस्थिति का उल्लेख करने में झिझक नहीं करनी चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम प्रभुत्व जमाना चाहते हैं अथवा आक्रमण करना चाहते हैं किन्तु हमें अपने आपको बचाना है तथा राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करना है तथा हमारी अपनी क्षेत्रीय उपस्थिति को पूर्ण रूप से तथा पर्याप्त रूप से दर्शाना है।

2.05 म०प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

अंग्रेजी भारत अर्थात् 1947 तक का भारत अंग्रेजी साम्राज्यवाद द्वारा बनाया गया एक भौगोलिक-रणनीतिक क्षेत्र था और अब यह अधिकांशतः विश्व में तथा हमारी विशेष रुचि के क्षेत्र में और विश्व में कार्य कर रही ताकतों के बारे में हमारे अपने सामरिक तौर तरीके पर निर्भर करेगा। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारी रक्षा नीतियां भी, शान्ति तथा निरस्त्रीकरण के हमारे अपने अन्तर्राष्ट्रीय लक्ष्यों से करीबी से परस्पर-सम्बन्धित है। गुट-निरपेक्षता नीति जो हमने अपनाई है तथा गुट-निरपेक्षता देश के रूप में जो नीति हमने अपनाई है वह तथा हमारी विदेशी नीति हमारे सामरिक दृष्टिकोण को प्रभावित करती है तथा राष्ट्रीय सुरक्षा की हमारी विचारधारा का हमारी राष्ट्रीय नीति की रूपरेखा पर भी प्रभाव पड़ता है।

महोदय, मैं अनुरोध करूंगा कि संयुक्त राज्य अमेरीका अथवा सोवियत संघ अथवा चीन अथवा हमारे पड़ौसियों से हमारे सम्बन्धों को इसी सन्दर्भ में समझा जाए? क्योंकि हमारी विश्वव्यापी अनुभूति में, संयुक्त राज्य अमरीका के साथ हमारे मूल विचार विपरीत हैं किन्तु इससे भी अधिक चिन्ता की बात अब यह है कि संयुक्त राज्य अमरीका हमारे पड़ौसी देश को भारी सैनिक सहायता दे रहा है। ताकि उसके आक्रमण कभी इरादों को प्रोत्साहन देने मिल सके तथा उसकी परमाणु बम बनाने की क्षमता में भी वृद्धि हो सके। महोदय, इसके विपरीत सोवियत संघ हमारे दिल में बस गया है इसीलिए नहीं कि कोई सैद्धान्तिक वचनबद्धता है अथवा हमारी और सोवियत संघ की सामाजिक विचारधारा एक है परन्तु ऐसा इसलिए है कि हमारे कुछ सामान्य हित हैं।

महोदय, चर्चाधीन वर्ष की एक मुख्य घटना यह भी है कि इस वर्ष सोवियत संघ के नेता मिखाइल गोर्बाचोव भारत आये थे तथा उनके भारत भ्रमण के पश्चात् उन्होंने एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी की जिसमें एशिया की सामूहिक सुरक्षा के बारे में कहा गया था। अब महीनों बीत गए हैं तथा इस सरकार से, विशेष रूप से रक्षा मन्त्री से मैं एक बात जानना चाहूंगा कि क्या इस सरकार ने एशिया में सामूहिक सुरक्षा के निश्चित अर्थ को तथा इसकी पेचीदिगियों के बारे में कभी बताया है। हमारे सामाजिक दृष्टिकोण इससे किस प्रकार मजबूत होता है? क्या यह केवल हमारे महत्वपूर्ण तथा प्रतिष्ठित मेहमान को सन्तुष्ट करने के लिए था अथवा क्या हम यह समझ लें कि इससे कुछ अर्थ निकालने के लिए था अथवा किसी मतलब के लिए ऐसा किया गया था? इससे हमें सौंपी गई भूमिका क्या है? हमारे प्रधान मन्त्री तथा मंत्री परिषद के लिए ही यह जानना काफी नहीं है कि इसमें क्या बातचीत हुई बल्कि हमारी संसद तथा देश के लिए भी यह जानना आवश्यक है। महोदय, इस समय चिन्ता का विषय है हमारा अपना राष्ट्रीय सुरक्षा पर्यावरण। अफगानिस्तान में भी अभी शांति के कोई आसार नजर नहीं आते तथा पाकिस्तान अभी भी अमेरीका से हथियार प्राप्त कर रहा है। जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है कि हमारे दक्षिणी पड़ौसी श्रीलंका में जातीय समस्या की आग अभी जारी है जिससे हमें भारी चिन्ता है। उसे हम अपने आपको खतरे में डालकर भी नजर-अन्दाज नहीं कर सकते। जबकि तमिल जनसंख्या पर योजनाबद्ध तरीके से नरसंहार किया जा रहा हो हम शांति से नहीं बैठ सकते। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात है अमेरीका का जयवर्धन सरकार को पुन: प्रोत्साहन दिया जाना। हिन्द महासागर की घटनाओं के समग्र संदर्भ में, जातीय समस्या से इसका कहीं अधिक महत्व है। इसे हम अपने आपको खतरे में डालकर ही नजर-अन्दाज कर सकते हैं। शान्ति अच्छी बात हो सकती है परन्तु हम उस समय शान्त नहीं रह सकते जब श्रीलंका में योजनाबद्ध तरीके से नरसंहार जारी रहे? यह एक बहुत खेद की बात है कि चीन के साथ वार्ता में हमें कोई सफलता नहीं मिली है। हमारी विचारधारा एवं दृष्टिकोण अलग-अलग हो सकते हैं और हमारी कुछ समस्याएं भी हो सकती हैं। इस संदर्भ में मैं रक्षा मंत्री द्वारा उनके दौरे के दौरान की गई शुरूआत का स्वागत करता हूं। किन्तु कोई भी इस बात से मुंह नहीं मोड़ सकता कि हम पड़ोसी हैं, दो महान पड़ोसी और जो हजारों साल तक पड़ोसी रहेंगे। किन्तु परस्पर वार्तालाप और राजनयिक संबंधों में धैर्यपूर्वक सुधार का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ऐसा केवल 1962 के कड़वे अनुभव से पता नहीं चलता, मैं एक सुविख्यात सिपाही के शब्दों को याद करता हूं। हमारे एक बहुत महान थल सेनाध्यक्ष हुए हैं जनरल थिमैया जिन्होंने उस युद्ध के तुरन्त बाद एक सेमिनार में कहा था कि "युद्ध केवल हमारे जोखिम पर लड़े जा सकते हैं।" चीन के संदर्भ में राजनयिक संबंधों में धैर्यपूर्वक सुधार के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

महोदय, इसीलिए हमें भावनाओं में नहीं बहना चाहिए और हम जो भी करें वह इसी संदर्भ में करें। मेरा अपना ख्याल है कि हालांकि अरूणाचल की जनता जो वैध लोकतांत्रिक आकांक्षा थी जिसे पूरा किया जाना था फिर भी निस्संदेह अरूणाचल को राज्य का दर्जा देने के लिए समय ठीक नहीं चुना गया।

महोदय, सुरक्षा की दृष्टि से परिस्थितियां युद्धगत अनुभवों के परिणामस्वरूप निर्धारित होती हैं जो जनशक्ति, सामग्री और अस्त्र-शस्त्र प्रणाली की दृष्टि से हमारी रक्षा अपेक्षाओं के तालमेल से बनती हैं। महोदय, हमारे पास इस समय 1·1 मिलियम जवान अर्थात् 135 ब्रिगेड हैं, जबकि पाकिस्तान की सेना में 5,00,000 सैनिक या 105 ब्रिगेड हैं। हमारे पास 2,800 टैंक हैं जबकि उनके पास 1,600 टैंक हैं। अर्थात् हम एक ब्रिगेड के गठन में यह मानते हुए कि वे

5 लाख का इस्तेमाल कर रहे हैं, 8 हजार आदमी तैनात करते हैं जबकि पाकिस्तान 4 हजार।

मैं अब सभा और मंत्रालय से अनुरोध करूंगा कि वे हमारी सेना के ढांचे को युक्तिसंगत बनाने पर ध्यान दें। उसे केवल प्राचीन रेजीमेंट प्रणाली जिसे कि विकसित किया गया है बनाया गया है और इसके ऐसे होने का ऐतिहासिक कारण भी है किन्तु इसे जनशक्ति और अधिक व्यापक परिचालनगत संबद्धता को ध्यान में रखते हुए युक्तिसंगत बनाना ही पड़ेगा।

तीनों सेनाओं के एक संयुक्त सेनाध्यक्ष बनाने के बारे में चर्चा की जा रही है। हमारे संविधान में राष्ट्रपति को हमारे बलों का उच्चतम कमांडर माना गया है। जिसके अधीन प्रधान मन्त्री और मन्त्रिमण्डल होता है और ये सेनायें सिविल प्राधिकरण के अधीन रहती हैं और रक्षा मन्त्री, प्रधान मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसीलिए परिवर्तन जरूरी नहीं है और यही कारण है कि उच्चतम कमांडर के रूप में सशस्त्र बल के प्रधान अधिकारी के पद पर विचार नहीं किया गया। यदि आप संविधान सभा के वाद-विवादों का अध्ययन करें तो आपको पता लगेगा कि उसे उसी कारण से छोड़ दिया गया था और उस पर नये सिरे से चर्चा का कोई कारण नहीं है। यह केवल अस्थाई राजनीतिक कठिनाइयों का प्रश्न नहीं है।

हम ऐसे संसार में रह रहे हैं जहां प्रौद्योगिकी में उन्नति के कारण अस्त्रों की उपयोगिता अवधि कम होती जा रही है। खासतौर से माइक्रो इलेक्ट्रोनिक्स जैसी प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहा है। यही कारण है कि लौंग रेंज के तोपखाने की अपेक्षाओं की दृष्टि हमारे संचार तन्त्र ने सही युक्ति बताई है क्योंकि इरान और इराक युद्ध से यह सिद्ध हो गया है कि लौंग रेंज के तोपखाने अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। मूलतः जब हम इस प्रश्न पर ध्यान देते हैं तो लौंग रेंज के तोपखाने का मूल विशेषताएं हैं—उसकी मारकता, फायरिंग की दर तथा उसकी गतिशीलता।

श्री अरूण सिंह, जिनके प्रति मेरे मन में बहुत आदर भाव है, ने संसद में एक-दो दिन पहले कहा था कि बेहतर किस्म सुनिश्चित करने के लिए बड़ी सख्त प्रक्रिया अपनायी गई है और मैं रक्षा मंत्रालय द्वारा खरीदे गए उपस्करों के तकनीकी मानदंड शब्द पर बल देता हूं। मैं आपसे यही प्रश्न पूछना चाहता हूं—क्या इसका पालन किया गया है ? बोफोर्स के लौंग रेंज तोपखानों का ही चयन क्यों किया गया ? हमें मालूम है कि चार प्रतियोगी थे—फ्रांसीसी, स्वीडिश, ऑस्ट्रेयाई और ब्रिटिश सेना की जो आम मांग थी उसके अनुरूप 30 हजार मीटर या 30 किलोमीटर तक मार करने वाली तोप की जरूरत थी। क्या यह सही नहीं है कि पोखरन और बबीना में परीक्षण के समय ही मालूम हो गया था कि वह 18 किलोमीटर अथवा 18000 मीटर तक की ही मार करती है और उसकी अधिकतम मार सीमा 21 किलोमीटर ही थी ? केवल यही नहीं सबसे अधिक चिन्ताजनक बात तो यह है कि उसमें शैल फीडर जैसी प्रणाली है और फायर करने के दौरान फायर करने वाला तन्त्र बुरी तरह टूट-फूट गया। यह बड़ी चिंताजनक गंभीर बात है।

मैं अपने हथियारों के तुलनात्मक गुणों की चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि हमने इसी का ही चयन किया है। बोफोर्स को अवसर दिया गया था। मुझे बताया गया है कि उन्होंने इस उपस्कर से काम लेने में हमारी तकनीकी अदक्षता पर ही आरोप लगाया है। यही कुछ प्रश्न उठ खड़े होते हैं। पहला प्रश्न यह कि 'ब्रीच ब्लाक' और 'बोर' के 'कोपरिंग' के सम्बन्ध में यह एक गंभीर समस्या है जिसके परिणाम-स्वरूप वह काम नहीं करता है। वस्तुतः इसका अभिप्राय यह है कि 'चार्ज' में रिसाव आएगा और

उससे अपेक्षित रेंज तक मार नहीं हो पाएगी। क्या ऐसा है कि उसकी प्रणाली के अन्तर्निहित दोष के कारण वह काम नहीं कर पाया या उसका कारण हमारी अदक्षता थी? संसद और जनता को इस बारे में जानने का हक है। इसका अभिप्राय तो यह हुआ कि यह प्रणाली निष्प्रभावी है।

क्या यह सही नहीं है कि इसके हाड्रोलिक सिस्टम में बहुत गंभीर दोष उत्पन्न हो गए थे और उसका पता लग गया था? यदि ऐसा था तो आपने उसे कैसे चुन लिया? जहां तक प्रौद्योगिकी के अंतरण का प्रश्न है संघटक के संदर्भ में अग्नि-नियंत्रण उपकरण तथा कम्प्यूटर प्रणाली को ब्रिटेन के मारकोनी द्वारा पूर्ति की गई थी जो कि अमरीका के मारकोनी की अनुषंगी कम्पनी है क्या उसमें प्रौद्योगिकी के अन्तरण के प्रति सहमति जतायी थी? क्या अमरीका ने प्रौद्योगिकी के अन्तरण के लिए सहमति जताई थी 'सोआनिया' (एस० ओ० ए० एन० एन० आई० ए०) ने तोपकर्षक वाहन के लिए प्रौद्योगिकी के अन्तरण के प्रति सहमति जताई थी?

सबसे अधिक चिंताजनक बात गोला-बारूद से सम्बन्धित है क्योंकि वह एकमुश्त है। ऐसा नहीं है कि हमने बन्दूक एक से खरीदी और गोला-बारूद किसी और से। क्योंकि मितव्ययता पर भी ध्यान दिया जाना था और हमने सोचा कि हम सौदेबाजी कर सकते हैं और एकमुश्त से हमें फायदा होगा। क्या यह सही है? हमने लगभग 5 लाख या लगभग हजार डालर और कुछ इसी तरह से प्रति नग के लिए क्रयादेश बदले लेकिन क्या उन्होंने प्रौद्योगिकी के अन्तरण के लिए व्यवस्था की? क्या वे अपने निर्धारित समय के अनुसार चले हैं? इन चिंताजनक प्रश्नों का उत्तर दिया जाना ही है। इतना ही काफी नहीं है कि आप खड़े हो जायें और बोलें कि हमें तकनीकी मानदण्डों की पूरी जनकारी है। आपको संसद और देश को आश्वस्त करना होगा, नहीं तो हमारे लिए यही सही होगा कि हम यह मान लें कि यह निर्णय तकनीकी गुणवत्ता पर ध्यान न देकर, सम्भवतया गैर-तकनीकी बातों को ध्यान में रखते हुए लिया गया था जिसके परिणामस्वरूप भारी शंकाएं होती हैं कि ये शर्तें अति विशिष्ट व्यक्तियों के लिए मुनाफे पर मिलने वाला 'रिबेट' होतीं। आपके लिए भारतीय एजेंट की बात करके इस प्रश्न पर पर्दा गिराना काफी नहीं है। उन गैर-भारतीय विदेशियों के बारे में आपकी क्या राय है जो इस सौदे में भागीदार थे? क्या आप जांच के लिए तैयार हैं? अस्थिरता के बारे में कहना आपके लिए काफी नहीं है।

हम जानते हैं कि अस्थिरता क्या है। ऐसी सरकार जो बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को पिछले दरवाजे और अगले दरवाजे से घुसने देती है जो आत्मनिर्भरता पर आक्रमण करती है, जो अपने वैज्ञानिक समुदाय को निरूत्साहित करती है, ऐसी सरकार को अस्थिरता की बात करने का कोई नैतिक अधिकार प्राप्त नहीं है। तोपों या गोला-बारूद या पनडुब्बी का ही उदाहरण लें जिसके बारे में बहुत सालों तक विचार करने के बाद निर्णय लिया गया। यदि वह अपेक्षित ढंग से काम न करें या बिल्कुल काम ही न करें या इसकी डिलीवरी में विलम्ब हो तो कौन जिम्मेदार है? मैं जानना चाहता हूं कि इस बोफोर्स गन प्रणाली के बारे में भण्डारकर समिति की क्या रिपोर्ट है। क्या सरकार उसे सभा पटल पर रखने के लिए तैयार है?

इसीलिए हमारे सामने प्रश्न यह है कि क्या हम आत्मनिर्भरता के विषय पर वापस आना चाहते हैं? क्या हम ऐसे आयात पर निर्भर रहना चाहते हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण हिस्सों को प्रभावित कर रहा है, हमारी सामाजिक प्राथमिकताओं को प्रभावित कर रहा है, हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को प्रभावित कर रहा है और जैसा कि मैंने पहले कहा हमारे रक्षा वैज्ञानिक समुदाय के प्रयासों को भी प्रभावित कर रहा है? किसी भी अन्य सरकार ने इस तरह से अपने देश के वैज्ञानिक समुदाय को निरूत्साहित नहीं किया जितना कि इस सरकार ने किया है। इसकी जवाहर लाल

नेहरू या इन्दिरा गांधी की सरकार से कोई तुलना नहीं है। बड़े शर्म की बात है जब मैं किसी युव वैज्ञानिक से बात करता हूं तो वे बड़े गर्व से कहते हैं कि कहीं और जा सकते हैं और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों में काम कर 5 गुनी तनख्वाह प्राप्त कर सकते हैं इसके बावजूद वे यहां रह रहे हैं। वे व्यवस्था को सशक्त बना रहे हैं जबकि आप प्रौद्योगिकी का आयात करना चाहते हैं और उन्हें निरूत्साहित करना चाहते हैं। किसलिए ? प्रौद्योगिकी के आयात का कोई अर्थ और सार होना चाहिए। प्रौद्योगिकी के आयात से हमें और बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए सामर्थ्य प्राप्त करनी चाहिए, उसे केवल अनुपूरक होना चाहिए न कि प्रतिस्थापक।

महोदय, इसलिए अंतिम रूप से किए गए विश्लेषण में इस देश के लिए मजबूत समाज के अलावा कोई विकल्प नहीं है, ऐसा समाज जो हमारे सुरक्षा पर्यावरण की चुनौती को स्वीकार कर सके। वह समाज ऐसे समान-स्तर के लोगों का समाज होगा जो आत्मनिर्भरता, दक्षता, संकल्प और इच्छा शक्ति पर आधारित होगा। इसके लिए कोई और विकल्प नहीं है। इन प्रश्नों का उत्तर जरूर दिया जाए, नहीं तो यह बने रहेंगे; अन्यथा इनसे परेशानी बनी रहेगी और स्वीडिश रेडियो या इस रेडियो या उस समाचार-पत्र के बारे में बात करने से कोई फायदा नहीं होगा। इसे भूल जाइए। आप सिर्फ जवाब दीजिए।

[हिन्दी]

श्री महाबीर प्रसाद यादव (माधीपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी मैं बड़ी शान्ति से उन्नीकृष्णन् साहब को सुन रहा था। उनकी फिगर देखकर कोई बहुत बड़ी बात मुझे नहीं लगी। अगर भारत देश तैयारी न करे तो भी पीछे वह कहेंगे कि तैयार नहीं थे और जब तैयारी कर रहे हैं तो उन्नीकृष्णन् साहब कह रहे हैं कि तैयारी कर रहे हो और सोशल सिस्टम को वैल्यू नहीं दे रहे हो। भारत की ऐसी परिस्थिति है, जिसमें डिफेन्स विभाग को पूरी तैयारी करनी है। श्री कैनेडी, यूनाइटेड अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा था—

[अनुवाद]

युद्ध से बचने का सर्वश्रेष्ठ तरीका यही है कि युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहा जाए।

[हिन्दी]

अगर किसी तरह से देश पर खतरा है तो आज डिफेन्स को सबसे ज्यादा मजबूत होना है और डिफेन्स की ग्रान्ट्स के लिए देश को सभी तरह की कुर्बानी करनी होगी। जब तक कुर्बानी नहीं होगी, तब तक यह डिफेन्स मजबूत नहीं होगी।

सभी तरफ से लोग जानते हैं कि चारों तरफ देश आज दुश्मन से घिरा हुआ है। किसी भी साइड में देश पर खतरा कम नहीं है। लोग बोलते हैं कि लंका से भी खतरा है। उन्नीकृष्णन् साहब कहते हैं कि चाइना से डिप्लोमेटिकली सौल्यूशन होगा। डिप्लोमेसी से सारी बातें नहीं होंगी। चाइना बुद्धिस्ट कन्ट्री है और उससे भी खतरा रहा है। ऐसी हालत में देश को तैयार न रखना विशेषत: रक्षा के दृष्टीकोण से गलत होगा।

खर्च बहुत बढ़ गया है। आज का जो वैल्यू है, जिन परिस्थितियों में चौथे पे-कमीशन ने जितना वेतन पर रुपया दिया है, देश का खर्चा उतना बढ़ गया है। डिफेन्स के खर्च को बढ़ते हुए किसी से ज्यादा इसे कैसे कहा जाएगा ? ऐसी बात नहीं है। डिफेन्स के मैटीरियल्स पर भले ही

उनको न मिला हो लेकिन डिफेन्स के मैटीरियल को खरीदने के लिए उसमें जो कीमत ज्यादा बढ़ी है, उसके लिए ज्यादा देना होगा।

सबसे बड़ी बात यह है कि आज देश में सिर्फ बाहर से ही खतरा नहीं है। आज पुलिस और दूसरी चीजों पर भी खर्चा करना पड़ता है। नए वैपन्स की जरूरत होती है, शस्त्र की जरूरत होती है। इन बातों को देखते हुए आज भारत की ऐसी परिस्थिति है जिसमें डिफेन्स को मजबूत करना होगा।

एक बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। देश का पौपूलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है और उसके कारण सारे का सारा खर्चा बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में डिफेन्स का खर्चा क्यों नहीं बढ़ेगा? यह लोग खुद कहते हैं कि मह फैक्टरी एस्टैब्लिश करो, डिफेन्स प्रोडक्शन की भी बात करो और डिफेन्स प्रोडक्शन में लोगों को लगाना है। यही सब बोलते हैं। जब यह सारी कार्यवाही नहीं होगी तो ये लोग कहेंगे कि भारत के लोग तैयार नहीं हैं, डिफेन्स वाले तैयार नहीं हैं। इन सारी बातों को कहते हुए मैं डिफेन्स मिनिस्ट्री की मांगों का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

***श्री ए०सी० षण्मुखम (वेल्लोर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं** वर्ष 1987-88 की रक्षा मंत्रालय को अनुदानों की मांगों के समर्थन में अपने विचार व्यक्त करता हूं।

वर्ष 1987-88 के लिए रक्षा मंत्रालय के नियतनों में वर्ष 1983-84 के नियतनों की तुलना में 100 प्रतिशत वृद्धि की गई है। वर्षवार नियतन इस प्रकार थे—वर्ष, 1983-84 में 6,309 करोड़ रुपए, वर्ष 1984-85 में 7,175 करोड़ रुपए, वर्ष 1985-86 में 8,389 करोड़ रुपए और 1986-87 के लिए 10,000 करोड़ रुपए। इस वर्ष के लिए 12,512 करोड़ रुपए का नियतन किया गया है। मैं इस 100 प्रतिशत वृद्धि का स्वागत करता हूं। इसमें से 50 प्रतिशत थल सेना के लिए, 12 प्रतिशत नौसेना के लिए, 23 प्रतिशत वायुसेना के लिए और शेष अनुसंधान और विकास तथा प्रशासनिक खर्चों के लिए नियतन किए गए हैं।

भारत एक शान्ति-प्रिय देश है। हमने इस बात को कई बार साबित कर दिया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो एशिया की ज्योति थे, शान्ति पुरस्कार विजेता थे।

हमारा राष्ट्र शान्त है। यद्यपि हमें अपनी रक्षा की ओर भी समुचित ध्यान देना चाहिए। भारत को मजबूत बनाया जाना चाहिए। हमारे जवानों में पर्याप्त मनोबल है। उन्होंने पाकिस्तान और चीन की लड़ाइयों में अच्छी तरह से अपनी बहादुरी का परिचय दिया है। हमें अपनी रक्षा बलों का आधुनीकीकरण करना चाहिए। हमें अपने इलैक्ट्रानिक उपकरणों की संख्या में भी वृद्धि करनी चाहिए। हमें इनका अपने देश में ही उत्पादन करना चाहिए और जरूरत होने पर इनका आयात करना चाहिए। यह कोई गलत बात नहीं है। वर्तमान सुरक्षा के सम्बन्ध में आधुनिक इलैक्ट्रानिक हथियारों का होना आवश्यक है।

बोफोर्स रक्षा सौदा एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। बहुत-से निहित स्वार्थों तथा विदेशी तत्वों ने हमारे देश की भारी प्रगति से जलन है। हमारे माननीय प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी की महत्ता दिन प्रति दिन बढ़ रही है। हम सभी क्षेत्रों में तेजी से प्रगति कर रहे हैं। इसलिए मैं इस सभा को यह बताना चाहता हूं कि सौदा कुछ नहीं है बल्कि यह राष्ट्र-विरोधी और लोकतंत्र विरोधी तत्वों

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

द्वारा हमारे देश की शान्ति को भंग करने का एक प्रयास है। इन तत्वों को इस प्रकार के वे निराधार आरोप नहीं लगाने दिया जाना चाहिए। हमें उनका दृढ़तापूर्वक खंडन करना चाहिए और देश को सच्चाई से अवगत कराना चाहिए।

जैसाकि मुझ से पहले एक माननीय सदस्य ने कहा था कि पाकिस्तान अपने कुल खर्च का 60-70 प्रतिशत रक्षा पर खर्च कर रहा है। चीन की सैनिक शक्ति खतरनाक ढंग से बढ़ रही है। चीन ने बहुत से परमाणु परीक्षण किए हैं। पाकिस्तान भी परमाणु बम बना रहा है।

श्रीलंका निरंतर इस बात की पुष्टि करता रहा है कि वह भारत का दोस्त है। लेकिन वास्तविकता यह है कि वह ऐसी गतिविधियों में फंसा है जिनका उद्देश्य भारत के साथ सम्बन्धों को क्षति पहुंचाना है। वस्तुतः यह साबित हो गया है कि वह भारत का दोस्त नहीं है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वह बांग्लादेश युद्ध के दौरान, लंका किसके पक्ष में था। श्रीलंका ने पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया था और उसने पाकिस्तान के विमानों और पोतों को उतरने के लिए स्थान तथा अपने बंदरगाह दिए। उन्होंने पाकिस्तान के विमानों तथा पोतों के लिए ईंधन भी दिया। उन्होंने हाल ही में अमरीका के साथ यह समझौता किया है कि वह अमरीका को अपने समुद्रतटों पर उनके अड्डे बनाने देगा। उसका कहना है कि यह केवल वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय समझौता है। वास्तविकता यह है कि यह एक सैनिक समझौता है।

श्रीलंका ने त्रिकोनामलाई में अमरीकी अड्डे स्थापित करने की सुविधाएं उपलब्ध की है। उसने ऐसे अमरीकी विमानों तथा पोतों के उपयोग के लिए अमरीका को 108 तेल कुओं की पेशकश की है श्रीलंका की भूमि पर तथा समुद्र में अभ्यास करेंगे। श्रीलंका ने एक उच्च शक्ति प्राप्त ट्रांसमिशन टावर भी स्थापित की है जो हिन्द महासागर में हमारे सभी पोतों के क्रियाकलापों की जानकारी चोरी-छिपे प्राप्त करेगी। इस प्रकार श्रीलंका ने अमरीका की सहायता से हमारे सुरक्षा श्रेत्र में घुसपैठ की है।

सैनिक कौशलविदों का विश्वास है कि यदि तीसरा विश्वयुद्ध होता है तो यह हिन्द महासागर से शुरू होगा। अतः मुझे यह घिनौनी बात बताने में खेद है कि श्रीलंका अमरीका का एजेन्ट हो गया है।

अतः हमें उस खतरे का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहने हेतु अपनी नौसैनिक सुरक्षा को मजबूत करना चाहिए जो हिन्द महासागर से उत्पन्न हो सकता है।

महोदय, जो पोत कलकत्ता से बम्बई आते हैं, पश्चिम से पूर्वी तट पर आते हैं या कलकत्ता से कोचीन आते हैं उन्हें त्रिकोनामलाई का चक्कर लगा कर जाना पड़ता है जो अमरीकी अड्डा है। उन्हें खतरनाक समुद्री मार्ग से होकर जाना पड़ेगा। दक्षिण नौसेना कमान के कमांडर इन चीफ ने कहा है कि यदि हम सेवु समुद्र परियोजना को पूरा कर लें तो इसे टाला जा सकता है। यही एकमात्र परियोजना है जो दक्षिणी समुद्र में हमारे पोतों की सुरक्षा को सुनिश्चित करेगी। यहां तक कि भूतपूर्व रक्षा मंत्री ने भी कहा है कि इस परियोजना को एक रक्षा परियोजना के रूप में लिया जाएगा और इसे प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित किया जाएगा। यह शीघ्रता से किया जाना चाहिए जिससे भारत के सुदूर दक्षिण का चक्कर लगाकर आने वाले हमारे पोतों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

यह दुर्भाग्य था कि हमने कच्चाथीव श्रीलंका को दे दिया। हमें इसे विशेष रूप से ऐसे समय में पुनः प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए जबकि कच्चाथीव के पास की द्वीपिकाएं अमरीकी अड्डों में बदल रही है।

हमें पिछले 38 वर्षों में अपनी नौसेना के विकास पर विचार करना चाहिए। वर्ष 1985-86 में हमने रक्षा व्यय का 4 प्रतिशत नौसेना के लिए आबंटित किया। वर्ष 1986-87 के दौरान यह बढ़ कर 8 प्रतिशत हो गया और वर्ष 1987-88 के दौरान यह बढ़कर 12 प्रतिशत हो गया है। यह अपर्याप्त है। यह बढ़ कर कम से कम दो गुना होना चाहिए। व्यय केवल मरम्मत और नवीकरण के ऊपर ही नहीं किया जाना चाहिए बल्कि यह आधुनिक युद्धपोत खरीदने के लिए किया जाना चाहिए।

आजादी मिलने के बाद से ही हम्ने 40,000 से 45,000 करोड़ रुपए की कीमत के सैनिक साज-सामान (मिलिटरी वेयर) आयात किए हैं। तथापि हम 100 रुपये से 500 रुपये प्रति टन के हिसाब से कच्चा लोहा निर्यात करते हैं। जब हम तैयार उत्पाद, आयात करते है हमें उतनी ही मात्रा के लिए 4,000 से 5,000 रुपए देने पड़ते हैं। मैं सैनिक उपकरणों के आयात का विरोध नहीं करता हूं। लेकिन हमें अपने देश में भी उत्पादन करना चाहिए। हमें आत्मनिर्भरता प्राप्त करनी चाहिए।

सरकारी क्षेत्र की अनेक कम्पनियां हथियारों का निर्माण करने में लगी हुई हैं। 34 आयुध फैक्ट्रियां हैं। इनकी संख्या में वृद्धि होनी चाहिए। हमारे देश में उन्नत उपकरणों का निर्माण किया जाना चाहिए।

हमें उन सभी युवकों को इस प्रकार की अनिवार्य जिनकी 18 वर्ष की उम्र हो गयी है उनको अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण भी देना चाहिए जैसाकि अनेक यूरोपीय देशों में दिया जाता है। ताकि युवक होने पर हमारे युवक खतरे के समय अपने देश की सुरक्षा के लिए तैयार रह सके।

अवाडी भारी वाहन कारखाने का विस्तार करने के लिए आवश्यक अनुमति दी जानी चाहिए। उस कारखाने में लगभग 3,000 कुशल श्रमिक हैं और मेरा विचार है कि कारखाने की क्षमता का विस्तार करके उनकी मानव शक्ति को काम में लाना चाहिए।

बहुत से सैनिक 35 से 40 वर्ष की उम्र होने पर सेवानिवृत्ति ले लेते हैं। यदि वे अधिकारी होते हैं तो वे सेवानिवृत्त होने के पश्चात् भी कोई रोजगार ढूंढ़ लेते हैं अथवा भारतीय प्रशासनिक सेवा और अन्य संवर्ग सेवाएं प्राप्त कर लेते हैं। साधारण सिपाही कहीं नहीं जा सकते। इन भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार तथा बिना किसी जटिल प्रक्रिया तथा जायदाद गिरवी रखने जैसी शर्तों के बैंक ऋण उपलब्ध किये जाने चाहिए उन भूतपूर्व सैनिकों को बैंक ऋण उपलब्ध किये जाने चाहिए जो अनुशासित सिपाही थे और जो राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने जीवन को भी देने के लिए तैयार थे।

मैं श्रीलंका के बारे में भी कुछ शब्द कहूंगा। श्री के० पी० उन्नीकृष्णन ने यह ठीक ही बताया है कि श्रीलंका सरकार तमिलों, निर्दोष नागरिकों का नरसंहार कर रही है। भारत के शरणार्थियों का आना एक स्थायी समस्या है। पिछले एक सप्ताह से श्रीलंका में अशांति है, सम्पूर्ण वातावरण तनाव-पूर्ण हो गया है। सरकार निर्दोष तमिलों पर घृणित जुर्म करने में अन्य राष्ट्रों का समर्थन प्राप्त कर रही है। यहां तक कि माननीय मुख्य मंत्री श्री एम० जी० रामचन्द्रन श्री राजीव गांधी से बातचीत करने के लिए यहां आये हैं। हम श्री राजीव गांधी द्वारा इस समस्या को सच्चाई से सुलझाने की सराहना करते हैं। श्रीलंका की तमिल समस्या किसी अन्य राष्ट्र से सम्बन्धों का मामला नहीं है लेकिन यह एक ऐसी समस्या है जिसका हमारे देश की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

मुझे जो बोलने के लिए समय दिया गया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : महोदय, मैं केवल वाद-विवाद में हस्तक्षेप कर रहा हूं। माननीय रक्षा मंत्री सोमवार को अन्तिम रूप से वाद-विवाद का उत्तर देंगे। मेरा अपनी उन टिप्पणियों को प्रश्नों तक ही सीमित करने का विचार है जो रक्षा उत्पादन तथा पूर्ति से सम्बन्धित हैं। माननीय रक्षा मंत्री बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करेंगे जो इस सभा में सुरक्षा पर्यावरण, खतरे की आशंका, रक्षा मंत्रालय के लिए नियतन तथा ऐसे ही अन्य बहुत से पहलुओं के सम्बन्ध में उठाये गये हैं।

मांगों के सम्बन्ध में वाद-विवाद मेरे विचार से बहुत अच्छा तथा प्रोत्साहक रहा है। जितने भी सदस्य यहां बोले, उनमें से एक या दो को छोड़कर सभी ने रक्षा के बजट में उपलब्ध कराए गए नियतनों का समर्थन किया है। कुछ सदस्यों ने यह भी कहा है कि कुछ अधिक धनराशि उपलब्ध की जानी चाहिए थी। माननीय सदस्यों द्वारा की गई आलोचना का स्वागत है। वस्तुतः यह हमें जो मंत्रालय/विभाग में कार्य करते हैं आलोचनात्मक ढंग से यह मूल्यांकन करने का अवसर प्रदान करता है कि हम किस प्रकार कार्य करते आ रहे हैं और यदि कोई गलती है तो हम उसका सुधार कैसे कर सकते हैं। सदस्यों द्वारा दी गई सलाह का भी स्वागत है और हमें निश्चित रूप से उन कुछ अच्छी बातों का उपयोग करना चाहिए जो माननीय सदस्यों द्वारा बतायी गयी हैं।

कुछ सदस्यों ने रक्षा मंत्रालय के मजदूरों, सिपाहियों तथा अधिकारियों की सराहना की है। उन्होंने उनकी प्रशंसा में जो शब्द कहें हैं वे हम सभी के लिए बहुत ही प्रेरणादायक होंगे और सदस्यों ने उनके प्रति जो सहानुभूति दिखाई है हम उसके लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहेंगे।

महोदय, रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग उत्पादन, पूर्ति, निरीक्षण और मानवीकरण तथा कुछ अन्य बातों से सम्बन्धित कार्य करता है। इन सभी मामलों पर विस्तार से बोलना आवश्यक नहीं होगा। लेकिन मैं इस बात पर कुछ प्रकाश डालना चाहूंगा कि रक्षा उत्पादन तथा पूर्ति विभाग किस प्रकार कार्य करता आ रहा है।

निरीक्षण महानिदेशक उस सामान-वस्तुओं तथा उपकरणों का निरीक्षण करने के लिए जिम्मेदार है जो आयुध कारखानों तथा सरकारी उपक्रमों में खरीदे जाते हैं और उत्पादित किए जाते हैं। वे यह सुनिश्चित करते हैं कि अच्छी किस्म का माल खरीदा जाये, उत्पादित किया जाए और रक्षा बलों को सप्लाई किया जाए। यह संगठन स्क्रयू लाइफ और तकनीकी कर्मचारी-प्रधान तथा अधिकारी-प्रधान हैं। इसमें लगभग 20,000 कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। यह लगभग 2,600 करोड़ रुपये की लागत के सामान का निरीक्षण करता है।

पूर्ति विंग सिविल क्षेत्र से सामान, उपकरण तथा यंत्र प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार है। उनकी यह देखने की भी जिम्मेदारी है कि उपकरण, सामान, पुर्जे जोड़ने और संघटकों का उत्पादन करने के लिए सिविल क्षेत्र में स्रोत स्थापित किए जाएं। यह एक अलग विंग है। लेकिन अब इसे रक्षा उत्पादन में मिला दिया गया है। मेरे विचार से इसे जनवरी, 1975 में मिलाया गया है। उत्पादन आयुध फैक्ट्रियों तथा सरकारी उपक्रमों में किया जाता है। हमारी 34 आयुध फैक्ट्रियां हैं। पहली फैक्ट्री, वर्ष 1801 में स्थापित की गयी थी। हमारी चार या पांच फैक्ट्रियां ऐसी हैं जो 100 से अधिक वर्ष पहले स्थापित की गई थी। इन फैक्ट्रियों में हम टैंक, बंदूकें, रॉकेट, बम, गोला-बारूद, छोटे-छोटे हथियार, वर्दी सामान, तम्बू और अन्य बहुत सी वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं। इन कारखानों में लगभग 1,86,000 लोग काम कर रहे हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में इनके उत्पादन का समग्र मूल्य 1500 करोड़ रुपये के आस-पास रहा है।

आज सुबह एक प्रश्न का उत्तर देते हुए मुझे कहने का मौका मिला था कि इस कारखाने में स्थापित क्षमता का उपयोग किया जा रहा है। क्षमता का यह उपयोग 70 से लेकर 90 प्रतिशत के बीच है और कुछ मामलों में तो यह इससे भी आगे बढ़ गया है। इन कारखानों में सुरक्षा सेनाओं के लिए उपकरण और सामान तैयार किया जा रहा है। ये लाभ नहीं कमाते। इनमें जो कुछ भी सामान बनाया जाता है वह सब लागत मूल्य आधार पर सुरक्षा सेनाओं को दे दिया जाता है। इसलिए आयुध कारखानों में लाभ अर्जन का प्रश्न पैदा नहीं होता। छः और आयुध कारखाने स्थापित करने का भी हमारा प्रस्ताव है। आज सुबह मैंने इस माननीय सदन को सूचित किया था कि हम इन नए कारखानों पर लगभग 1800 करोड़ रुपये खर्च करेंगे।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : हम चाहते हैं कि एक कारखाना केरल में हो।

श्री शिवराज वी० पाटिल : अवाडी में हम टी-72 टैंक और बी० एम० पी० के इंजन बनाने के लिए कारखाना स्थापित कर रहे हैं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : मेडक के बारे में क्या हुआ ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : मेडक में भी हम एक कारखाना स्थापित कर रहे हैं जिसमें बी० एम० पी० का उत्पादन होगा और मुझे इस सदन में यह घोषणा करते हुए अत्यन्त हर्ष हो रहा है कि इस वर्ष कुछ ही माह की अवधि में ही कुछ टी-72 टैंक और बी० एम० पी० तथा पैदल सेना द्वारा युद्ध में इस्तेमाल किए जाने वाले वाहन इन कारखानों में तैयार हो जाएंगे और उन्हें सुरक्षा सेनाओं को सौंप दिया जायेगा।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : वास्तव में यह खुशी की बात है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : यह उत्तर किस के प्रश्न के बारे में था। आप इस मुद्दे को भूल गए।

श्री शिवराज वी० पाटिल : हम ऑप्ट्रो-इलेक्ट्रोनिक कारखाने स्थापित करने जा रहे हैं जिनमें ऑप्ट्रो-इलेक्ट्रोनिक उपकरण तैयार किए जाएंगे जिन्हें टैंकों और बी० एम० पी० तथा अन्य ऐसे वाहनों में लगाया जाएगा जिनका उपयोग कई अन्य क्षेत्रों में किया जाएगा। बारूद भरने का एक कारखाना बोलनगीर में बनाया जा रहा है। इसके बाद तोप बनाने का कारखाना भी एक ऐसे स्थान पर स्थापित किए जाने की संभावना है जिसके बारे में इस प्रयोजन के लिए गठित समिति द्वारा सुझाव प्रस्तुत किया जाएगा।

155 एम० एम० तोपों के बारे में चर्चा करते हुए एक प्रश्न पूछा गया था कि क्या हम इन्हें इस देश में तैयार करेंगे या नहीं; क्या इन तोपों के लिए अपेक्षित गोला बारूद भी इस देश में तैयार किया जाएगा अथवा नहीं। इस प्रश्न का उत्तर हां में है। हम इन तोपों को अपने देश में बनाना चाहते हैं। हम व्यापक परियोजना रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं और जब यह रिपोर्ट तैयार हो जाएगी तब हम यह देखेंगे कि इस तरह का कारखाना अवश्य स्थापित हो जाए और हम उसमें इन तोपों का उत्पादन करने लगें।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : उत्पादन सम्बन्धी कार्यक्रम क्या है ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : यह तो तभी बताया जा सकता है जब व्यापक परियोजना रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। **(व्यवधान)**

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : नीयत तो साफ है ।

श्री शिवराज वी० पाटिल : सरकारी क्षेत्र के कारखाने अत्यन्त आधुनिक किस्म की चीजें तैयार कर रहे हैं । यह सरकारी क्षेत्र के कारखाने वायुयान और हैलीकाप्टर बना रहे हैं । उनमें पंडुब्बियों, फ्रिगेटों और कारवेट शिपों का उत्पादन हो रहा है । तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के लिए कुछ कारखाने प्लेटफार्म, रिगें, और सप्लाई जहाज तैयार कर रहे हैं; और भी कई चीजें इन कारखानों में तैयार हो रही हैं । सरकारी क्षेत्र के एक कारखाने में सुपर-एलाय तैयार किए जा रहे हैं । और ऐसे एलाय तैयार किए जा रहे हैं जो रक्षा प्रयोजनों के लिए आवश्यक हैं । इस सरकारी क्षेत्र के कारखाने में न केवल रक्षा प्रयोजनों के लिए अपेक्षित एलाय का उत्पादन हो रहा है बल्कि ऐसे एलाय भी तैयार किए जा रहे हैं जिनकी आवश्यकता आन्तरिक्ष विभाग और अन्य विभागों को भी है । इसलिए हमारे पास इस तरह की व्यवस्था भी मौजूद है । इसके बाद हम प्रक्षेपास्त्र जैसी चीजें भी तैयार कर रहे हैं । पिछले वित्तिय वर्ष अर्थात् 1986-87 में उत्पादन का मूल्य 1800 करोड़ रुपये के आस पास रहा है । और मुझे इस सदन को यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इन कारखानों द्वारा अर्जित किया गया लाभ 1985-86 में 74 करोड़ रुपये रहा । लेकिन 1986-87 में इन कारखानों द्वारा अर्जित किया गया लाभ 111 करोड़ रु० रहा । उन्होंने लाभांश भी दिया है जो 1985 में 16 करोड़ रु० के आस-पास रहा और 1986 में 18 करोड़ रुपये के आस-पास रहा । इनमें लगभग 1,06,000 अधिकारी और कर्मचारी काम करते हैं । इनमें क्षमता उपयोग 72 प्रतिशत से लेकर 100 प्रतिशत तक रहा है ।

मैं यह जानकारी इसलिए दे रहा हूं क्योंकि यही एक ऐसा मौका है जब हम पूरी तरह से अपने आयुध कारखानों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा कर सकते हैं । यदि आप मुझ से यह पूछें कि ये आयुध कारखाने और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने कैसा काम किया या इनका कार्य-निष्पादन कैसा रहा है तो मैं यही कहूंगा कि इनका कार्य संतोषजनक रहा है । उन्होंने वह सारा सामान तैयार किया है जो तैयार किया जा सकता था और जिसकी जरूरत सुरक्षा सेनाओं को थी । और इन कारखानों में तैयार किये गये माल की गुणवत्ता भी उपभोक्ताओं द्वारा स्वीकार्य रही है लेकिन हम केवल इतने से ही संतुष्ट नहीं हैं और हम निश्चय ही यह देखना चाहेंगे कि उनका कार्य-निष्पादन और बेहतर हो । इस विभाग तथा आयुध कारखानों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के पास कई प्रस्ताव हैं और हम उन्हें कार्यान्वित करना चाहते हैं और हम यह चाहते हैं कि इन कारखानों का कार्य-निष्पादन और भी बढ़िया हो । एक और चीज है जो हम करना चाहते है वह हैं इनका आधुनिकीकरण । इस विभाग की मांगों पर चर्चा करते समय अनेक सदस्यों की यह राय थी कि आधुनिकीकरण प्रगति एवं सफलता की कुंजी है ।

हम अपने प्रशासन को आधुनिक बनाना चाहते हैं । हम नई तकनीक अपनाना चाहते हैं । नई प्रक्रियाएं अपनाना चाहते हैं । हम अपने कारखानों में प्रयोग करने के लिए नवीनतम मशीनें और संयंत्र रखना चाहते हैं और हम यह देखना चाहते हैं कि इन कारखानों में उत्पादन तथा कार्यकुशलता बढ़े और साथ ही इनकी उत्पादकता भी बढ़े । तकनीक प्राप्त करने के उद्देश्य से हम दो या तीन बातों पर मुख्यत: निर्भर कर रहे हैं । एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि रक्षा विभाग अथवा अनुसंधान और विकास विभाग के अधीन हमारी अपनी प्रयोगशालाओं में विकसित की जा रही तकनीकों को ही, इन कारखानों में इस्तेमाल किया जा रहा है । मैं इनके ब्यौरे में नहीं जाना चाहता कि किस तरह से इन तकनीकों को विकसित किया जाता है और उन्हें रक्षा उत्पादन में किस तरह इस्तेमाल किया जाता है । लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाओं द्वारा बनाई गई

कुछ चीजें वास्तव में बहुत ही अच्छी हैं और रक्षा अनुसंधान और विकास की यूनिटों में जो चीजें बनाई जा रही हैं हमें उन पर बहुत गर्व है। कुछ राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं हैं जो तकनीकों का उत्पादन कर रही हैं। मुझे निकटवर्ती सूत्रों से जानकारी प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि यह राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं जिनके लिए अनेक अन्य विभाग और मंत्रालय कार्य कर रहे हैं, इस काम को कर रही हैं। हम उनके द्वारा विकसित की गई तकनीकों पर भरोसा कर रहे हैं और हम उनकी सहायता भी कर रहे हैं। हम यह भी अनुभव करते हैं कि आधुनिकीकरण के लिए आवश्यक सभी तकनीकें और सभी उपकरण अकेले हमारे देश में ही नहीं विकसित किये जा सकते; इसलिए हमारे लिए यह जरूरी है कि हम बाहरी तकनीक भी प्राप्त करें, अगर यह तकनीक कहीं उपलब्ध होती है तो। बाहर से तकनीक प्राप्त करने और उसका इस्तेमाल करने में हमें कोई झिझक नहीं है। वास्तव में भारत में तकनीकों के विकास का एक विशेष क्रम रहा है। सबसे पहले हम किसी तकनीक की जानकारी प्राप्त करते हैं तब हम इसे प्राप्त करते हैं और इसको समझते हैं। इसके बाद हम इसका विश्लेषण करते हैं और फिर हम इसमें सुधार करते हैं और तब कहीं हम इसकी वास्तविक क्षमता का विकास करते हैं। हमने अपने आप भी तकनीकों का विकास किया है और उनका इस्तेमाल भी किया है। यह ऐसा रास्ता है जो अन्य कई क्षेत्रों में भी अपनाया जाता है। कृषि के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, अति आधुनिक क्षेत्रों में जैसे अन्तरिक्ष, प्रौद्योगिकी और परमाणु ऊर्जा तकनीक में भी और तथा सुरक्षा तकनीक में भी इनको अपनाया जाता है। कुल मिलाकर यही रास्ता है जिस पर हम चल रहे हैं। परन्तु इस सबके बावजूद हमारा जो एक लक्ष्य है जिसे हम कभी नहीं भूल सकते वह लक्ष्य है आत्म-निर्भर होना। ज्ञान मानव की सामान्य विरासत है यदि यह भारत में ही उपलब्ध हो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। बशर्ते कि इसका इस्तेमाल किया जा सकता हो। यदि यह दूसरों को दिया जा सकता है तो हम इसे दूसरों को भी देंगे। यदि यह देश से बाहर उपलब्ध है तो हम इसे अपने लिए भी लेना चाहेंगे।

तीसरी बात यह है जिसके बारे में हम सोच रहे हैं वह यह है कि हम स्वयं ही योजना बनाएं। राष्ट्रीय योजना बनाई जाएगी और सुरक्षा योजना राष्ट्रीय योजना के अनुरूप ढाली जाएगी। तथा यह स्वाभाविक है कि रक्षा उत्पादन और आपूर्ति योजना उस योजना के अनुरूप होगी जो रक्षा मंत्रालय द्वारा सम्पूर्ण सुरक्षा के लिए बनाई गई है। एक और विषय है जिसके बारे में हम बहुत ही सतर्क हैं वह यह है कि योजना एकदम सही होनी चाहिए। इस योजना को अत्यन्त सावधानीपूर्वक तैयार किया जाना चाहिए ताकि इसमें निर्धारित समय से अधिक समय और निर्धारित लागत से अधिक लागत न लगने पाए। यदि दृष्टिकोण ही गलत है, यदि योजना ही सही नहीं है तो परिणाम भी अच्छे नहीं हो सकते और हम बेहतर स्तर की बेहतर चीज कम खर्च में नहीं बना सकते। अतः हम इस बात पर जोर देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिले। हम योजना बनाने के आधुनिक तरीके का इस्तेमाल कर सकें। आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर सकें और यदि आवश्यक हो तो जानकारी और ज्ञान हासिल कर सकें और इस तरीके से योजना बना सकें जिससे हमें सभी ओर से वास्तविक सहायता प्राप्त हो सके। विगत दो या तीन वर्षों में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण चीज जो सम्पूर्ण देश को प्रदान की गई है वह है योजनाओं के वास्तविक कार्यान्वयन पर जोर दिया जाना। यदि कोई योजना सही और ठीक-ठीक है लेकिन उसका कार्यान्वयन अच्छा नहीं है तो उसके परिणाम भी स्वीकार्य नहीं हो सकते। इसलिए निगरानी पर जोर, कार्यान्वयन पर जोर जरूर दिया जाना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री सही तरीके से योजना बनाने पर आधुनिकीकरण पर और साथ ही साथ कार्यान्वयन पर भी जोर दे रहे हैं। हर स्तर पर हमने निगरानी की व्यवस्था लागू की है हम

कारखाने स्तर पर, बोर्ड के स्तर पर मंत्रालय में और सभी स्तरों पर मंत्री के स्तर पर राज्य मंत्री के स्तर पर, सचिव के स्तर पर, प्रबंधक के स्तर पर निगरानी रख रहे हैं। यह निगरानी पूरी सतर्कता के साथ रखी जाती है और इसके परिणाम भी निश्चित रूप से अच्छे निकले हैं। आयुध कारखानों की उत्पादकता भी बढ़ गई है। आयुध कारखानों में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष उत्पादकता का मूल्य 35,000 रुपये के आस-पास था। यह बढ़कर 75,000 रुपये हो गया है। यह सही योजना बनाने का परिणाम है और साथ ही साथ निरन्तर निगरानी रखने का भी।

प्रशिक्षण भी बहुत महत्वपूर्ण है और हम कामगारों, पर्यवेक्षकों और अधिकारियों को कारखानों तथा संस्थाओं में प्रशिक्षण देने का प्रयास कर रहे हैं और हम देश के बाहर भी उन्हें प्रशिक्षित करने में सहायता दे रहे हैं।

गुणवत्ता नियंत्रण भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है और हम इस पर भी बहुत अधिक ध्यान दे रहे हैं।

कर्मचारियों और अधिकारियों के कल्याण की ओर भी हम काफी ध्यान दे रहे हैं। मेरे विचार से मशीन पर काम करने वाला व्यक्ति अधिक महत्वपूर्ण है। मेरे मतानुसार व्यक्ति किसी भी अत्याधुनिक मशीन से अधिक दक्ष है। एक वैज्ञानिक ने मुझे बताया है कि जानकारी प्राप्त करने और जानकारी देने के सम्बन्ध में कोई भी अत्याधुनिक कंप्यूटर इतना कुशल नहीं है जितना कि मानव शरीर का एक जीवित सेल। जब मानव शरीर के एक सेल में इतनी कुशलता है तो पूरे मानव शरीर की दक्षता और कुशलता का हम भली-भांति अनुमान लगा सकते हैं। इसीलिए, व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण है और हम यह देखना चाहते हैं कि वह केवल इसलिए कार्य नहीं करे कि उसे कार्य करना ही है बल्कि वह उस कार्य को करने का इच्छुक भी हो। उसकी आत्मा भी कार्य करने के लिए तैयार हो और वह आत्मा की इच्छा से कार्य करे। इस प्रकार की स्थिति पैदा करने के लिए हमने यह करने का प्रयास किया है कि स्कूल, आवास, अन्य सुविधाओं की तरह मनोरंजन की सुविधाएं भी तथा पदोन्नति के अवसर, लाभप्रद परिलब्धियां तथा इसी प्रकार की अन्य सुविधाएं उपलब्ध हों जो ऐसी स्थिति पैदा करने के लिए आवश्यक हैं।

इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में जिन बातों पर हम बल दे रहे हैं उनमें से एक है पर्यावरण का संरक्षण। उद्योगों के माल का उत्पादत होता है परन्तु इसके साथ ही यह भी देखा गया है कि उद्योगों के कारण पर्यावरण पर भी कुप्रभाव पड़ता है। जल प्रदूषित हो जाता है, वायु प्रदूषित हो जाती है और यहां तक कि भूमि भी प्रदूषित हो जाती है और उनसे अनेक समस्याएं पैदा हो जाती हैं। यह सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों, आयुध कारखानों और सरकार द्वारा चलाए जा रहे कारखानों की जिम्मेदारी है कि वे इस बात का ध्यान रखें कि जीवन और सम्पदा का एकमात्र स्रोत, पर्यावरण दूषित न हो। अतः, यह देखना हमारी जिम्मेदारी है कि जल, वायु और भूमि प्रदूषित न होने पाए। हमने यह प्रयास किया है कि वहां प्रदूषण न हो। परन्तु हम केवल इस प्रकार के दृष्टिकोण से ही संतुष्ट नहीं हैं। हम इससे भी कुछ अधिक करना चाहेंगे। हमारा विचार केवल प्रदूषण से रक्षा करना नहीं है बल्कि हमारा प्रस्ताव तो अधिक पेड़ लगाकर तथा इसी प्रकार के अन्य कार्य करके पर्यावरण को और अधिक बेहतर बनाना है।

मुझे सभा को यह सूचित करते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है एक सरकारी प्रतिष्ठान एच०ए०एल० ने 32 लाख पौधे लगाए हैं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : क्या यह सच है ? बहुत अच्छा किया।

श्री शिवराज वी० पाटिल : कारखानों और हमारे सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के सम्बन्ध में हम इसी प्रकार का दृष्टिकोण बनाना चाहेंगे ।

इतना कहने के बाद मैं कुछ माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर बोलना चाहूंगा । मैं कहूंगा कि उन्होंने कम से कम इस चर्चा में तो सम्पूर्ण रक्षा मंत्रालय के प्रति बड़ा सहयोगी और अच्छा रुख अपनाया है । और रक्षा उत्पादन, रक्षा पूर्ति विभागों के बारे में उन्होंने जो कुछ भी कहा है हम उसके आभारी हैं ।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : वे केवल विशेष प्रस्तावों के प्रति ही प्रतिकूल रुख अपनाते हैं ।

30.00 म०प०

श्री शिवराज वी० पाटिल : सदन में कुछ माननीय सदस्यों द्वारा उठाया गया एक मुद्दा यह भी है कि असैनिक क्षेत्रों अथवा गैर-सरकारी क्षेत्रों में क्षमताओं का प्रयोग कैसे किया जाए । एक सदस्य ने कहा है कि क्षमता है, उसका उपभोग कीजिए; यदि आप उसका उपभोग नहीं करते हैं तो आप राष्ट्रीय क्षमता का सर्वश्रेष्ठ ढंग से उपभोग नहीं कर रहे हैं । और एक सुझाव दिया गया है कि यदि आवश्यक हो तो रक्षा सेवाओं की आवश्यकता के उत्पादों के निर्माण के लिए गैर-सरकारी उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाए । और एक अन्य माननीय सदस्य ने यह बात स्पष्ट रूप से कही कि ऐसा करना आवश्यक नहीं है । दो सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए इन दो विपरीत दृष्टिकोणों को छोड़कर, एक अन्य सदस्य द्वारा व्यक्त किया गया विचार वास्तव में सरकार के दृष्टिकोण से मिलता है । हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था के सिद्धान्त को स्वीकार किया है । हम सरकारी क्षेत्र में उत्पादन करना चाहते हैं । हम यह भी चाहते हैं कि गैर-सरकारी क्षेत्र विकसित हों । संयुक्त क्षेत्र भी हमें स्वीकार्य है । इस प्रकार के सिद्धान्त को हमने इस देश में स्वीकार किया है । अभी तक असैनिक क्षेत्र में पर्याप्त क्षमता नहीं थी । अतः, वर्दी सीने और जूते और इसी प्रकार की अन्य चीजों के निर्माण के लिए भी अलग से कारखाने स्थापित करने पड़े थे । ये कारखाने अभी भी हैं । परन्तु जब हम यह देखते हैं कि गैर-सरकारी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र तथा सरकारी क्षेत्र भी अन्य इकाइयों में जो रक्षा मंत्रालय के साथ जुड़ी हुई नहीं हैं, इस प्रकार की क्षमताएं विकसित हुई हैं, तो क्या हमारे लिए उस प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग करना आवश्यक अथवा लाअप्रद नहीं है ? और सरकार द्वारा स्वीकार्य सिद्धान्त तथा नीति यह है कि हम देश में सभी क्षेत्रों में स्थापित की गई सम्पूर्ण बुनियादी सुविधाओं और क्षमताओं का रक्षा कार्यों के लिए भी प्रयोग करेंगे ।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : सरकारी क्षेत्र को भूखा मार कर ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है । मैं इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताने जा रहा हूं । हम यह नहीं चाहेंगे कि सरकारी क्षेत्र भूखा मरे । इतना आश्वासन आप मुझसे ले सकते हैं । दूसरा आश्वासन जो भूतपूर्व मंत्री महोदय ने इस सभा में दिया है वह यह है कि कोई छंटनी नहीं की जाएगी । हम अपने सरकारी क्षेत्र से किसी कर्मचारी को केवल इसलिए नहीं निकाल देंगे कि हम असैनिक क्षेत्र का प्रयोग कर रहे हैं । मैं आपको सूचित करता हूं कि कुछ चीजों का निर्माण हमने असैनिक क्षेत्र को सौंप दिया है । वर्दियां बनाने का कार्य हमने असैनिक क्षेत्र को दे दिया है । परन्तु दो वर्ष पहले, हमारे आयुध कारखाने में कपड़े के उत्पादन का मूल्य 120 करोड़ रुपए के आस-पास था । इस कार्य को असैनिक क्षेत्र को सौंपने के बावजूद विगत वित्तीय वर्षों में उत्पादन लागत, बढ़कर 175 करोड़ रुपए हो गई है ।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : ऐसा मुद्रास्फीति के कारण हुआ है ।

श्री शिवराज वी० पाटिल : मुद्रास्फीति के कारश नहीं। कपड़े की कीमतों में अधिक वृद्धि नहीं हुई है। यह केवल मूल्य वृद्धि के कारण ही नही है। बल्कि हम अधिक वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं। हम भारी मात्रा में सामान का उत्पादन कर रहे हैं और इस सामान को हम अपनी सेनाओं को दे रहे हैं। मैं बहुत साफ-साफ बताना चाहता हूं कि इस प्रकार की नीति अपनाकर हम मानव संसाधनों का निश्चय ही अधिकतम प्रयोग करेंगे। हम अपने देश के श्रमिक भाइयों और साथियों की क्षमता को बेकार करना नहीं चाहते, परन्तु हम उन्हें बाहर भी नहीं निकालना चाहते। न्यायोचित बनाना एक बिल्कुल अलग बात है, परन्तु हम आयुध कारखानों से उनकी छंटनी नहीं करेंगे। यह आश्वासन मैं आपको दे सकता हूं। और हम ऐसा करना भी नहीं चाहते ।

श्री नारायण चौबे : क्या आप कारखाने में पदों की संख्या के बारे में कुछ बताएंगे। किसी व्यक्ति के सेवा निवृत्त होने पर, क्या आप उस पद को भरेंगे ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : इस मुद्दे पर मैं बाद में चर्चा करूंगा। आज सुबह मुझसे किए गए एक बड़े तीखे प्रश्न के उत्तर में मैंने यह बात स्पष्ट कर दी थी और ये मुद्दे वास्तव में माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए थे और इसलिए मुझे उनका उत्तर देने का अवसर मिला था। हमारा दृष्टिकोण यह है कि यदि कुछ छोटी चीजों का उत्पादन लघु क्षेत्र की इकाइयों द्वारा किया जा सकता है तो क्या हमें यह कार्य लघु क्षेत्र की इकाइयों को नहीं सौंप देना चाहिए; क्या हमें यह कार्य गैर-सरकारी क्षेत्र को नहीं सौंप देना चाहिए ? मानलो कि मुझे कुछ बकलों, पेटियों और बैजों की आवश्यकता है। उनका निर्माण किसी के द्वारा भी किया जा सकता है। यहां तक कि एक अकेला व्यक्ति भी मशीन से इन चीजों को बना सकता है। क्या हमें यह कार्य उसे नहीं सौंपना चाहिए ?

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम) : तो फिर उस समय यह नीति क्यों बनाई गई कि गैर-सरकारी क्षेत्र को रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में प्रवेश नहीं करना चाहिए ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : मैं उसी के बारे में बताने जा रहा हूं। इस बारे में बताते हुए मैंने कहा था कि एक ऐसा समय था जब देश में औद्योगिक बुनियादी ढांचा उपलब्ध नहीं था, परन्तु आज ऐसी स्थिति नहीं है ।

श्री सुरेश कुरूप : बकल ।

श्री शिवराज वी० पाटिल : क्या आप यह चाहेंगे कि कर्मचारी केवल जूते और बकल ही बनाते रहे ? (**व्यवधान**)

श्री शिवराज वी० पाटिल : इस मुद्दे के बारे में मेरी बात पूरा होने के बाद यदि आपको कोई संदेह है, तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं और मैं उत्तर दूंगा । यदि वर्दियां बनवानी हैं तो क्या यह आवश्यक है कि इन्हें आयुध कारखानों में बनाया जाए ? मैं तो आयुध कारखानों के बजाए इन्हें गैर-सरकारी क्षेत्र में ही बनवाना पंसद करूंगा।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : जेवें बनाते समय कम से कम उनकी लाइनिंग आदि तो ठीक प्रकार से करनी चाहिए।

श्री शिवराज वी० पाटिल : जी हां, वह किसी और की वर्दी की जेबें होंगी, सैन्य कर्मियों की नहीं। ठीक है, यदि वर्दियां बनवानी हैं तो आयुध कारखानों में हम किस प्रकार की वर्दियां बनवाना चाहेंगे ? हम···बनवाना चाहेंगे ।

श्री सुरेश कुरूप : यह शस्त्र और गोला-बारूद का मामला है।

श्री शिवराज वी० पाटिल : मुझे बताने दीजिए। उसके बाद यदि आप संतुष्ट नहीं होते हैं तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं और मैं उत्तर दूंगा। मैं यह कहने का प्रयास कर रहा था कि यदि वर्दियां बनवानी हैं तो क्या आप यह चाहेंगे कि मैं ये वर्दियां आयुध कारखानों में बनवाऊं ? अन्य प्रकार की वर्दियां भी हैं जिनका निर्माण किए जाने की जरूरत है। यदि कोई वर्दी परमाणु धूल (फाल आउट), रसायनिक हथियारों और अग्नि से हमारे सैनिकों को संरक्षण देती है और इस प्रकार की वर्दी का निर्माण किया जाता है, तो हम साधारण वर्दी के बदले इस प्रकार की वर्दी का निर्माण करेंगे और हम गांवों तथा नगरों और अन्य स्थानों पर रह रहे छोटे से छोटे लोगों के पास जाएंगे जो नमूने के अनुसार इन वर्दियों का निर्माण करेंगे। आप मुझसे यह कहें कि गोला बारूद और हथियारों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए इन संदूकों का निर्माण करा जाए। क्या आप चाहेंगे कि आयुध कारखाने इन संदूकों का निर्माण करें ? मैं स्वयं गोला-बारूद बनाना चाहूंगा, एक उन्नत तथा अत्याधुनिक किस्म का गोला-बारूद और हथियार तथा जो मानव शक्ति हमारे पास उपलब्ध है उसे हम इस कार्य में निपुण करेंगे। हम इस कला का आयात करेंगे। हम उन्हें जानकारी देंगे और इस कार्य में उन्हें प्रशिक्षित करेंगे तथा यह देखेंगे कि आधुनिक चीजों का निर्माण करें और प्रक्रिया के माध्यम से वे अधिक अर्जित कर सकेंगे और उन्हें इस बात का गर्व होगा कि वे इस कार्य को कर रहे हैं। यदि आप मुझ से यह पूछें कि यदि आयुध कारखाने तथा सरकार टैंकों और बी०एम०पी० वाहनों का निर्माण करने में रुचि रखती है तो मैं कहूंगा कि यह ठीक है और हमें ऐसा करना चाहिए तथा मैंने यह भी स्पष्ट किया है कि हम इन सब चीजों के लिए नए कारखानों की स्थापना कर रहे हैं। सुबह बोलते हुए मुझे यह कहने का मौका मिला था कि ऐसा करने से रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त होंगे। यदि हम 1000 अथवा 2000 लोगों को एक ही प्रकार के कार्य पर न लगाते तो इतनी ही राशि की बचत करके हम अन्य क्षेत्रों में लोगों को रोजगार प्रदान कर सकते; कभी-कभी तो इससे भी ज्यादा। सभी मामलों में नहीं लेकिन कभी-कभी इससे भी ज्यादा। हम नए कारखाने लगा रहे हैं—छः नए कारखाने लग रहे हैं—मैं इस संबंध में आपसे कहना चाहूंगा कि इन छः कारखानों में 15000 से भी ज्यादा श्रमिकों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। क्या आप वर्दी की सिलाई और जूतों के बनाने में पैसा खर्च करना चाहेंगे और क्या आप यह काम नहीं करना चाहेंगे ? यदि हम विदेशी फर्मों पर भरोसा करते हैं और इन चीजों को विदेशों से मंगाते हैं, तो क्या हमें अपने लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए जो इन चीजों को बनाने में समर्थ हैं ? इसी दृष्टिकोण से हमने इस दर्शन को अपनाया है।

श्री नारायण चौबे : आपने बताया है कि छंटनी नहीं होगी; आपने इस बात को स्वीकार किया है किसी भी प्रकार की छंटनी नहीं होगी; क्या इससे कर्मचारियों की संख्या में किसी प्रकार की कमी आएगी ? कारखाने में 1000 व्यक्ति कार्यरत हैं। 200 व्यक्ति सेवा-निवृत हो जाते हैं अथवा छोड़कर चले जाते हैं, तो क्या आप इन रिक्तियों को भरेंगे ? आप छंटनी नहीं कर रहे हैं। बिना छंटनी किए आप इन पदों को खाली रख सकते हैं।

श्री सुरेश कुरूप : क्या अपने गैर-सरकारी क्षेत्र को दी जाने वाली मदों के बारे में विशेष रूप से कोई निर्णय लिया है ? यह एक बात है। बटन, ठीक है।

श्री शिवराज वी० पाटिल : आपके प्रश्न का उत्तर यह है कि यदि आप कर्मचारियों की कुल संख्या, जिसके साथ आयुध कारखानों का सम्बन्ध है, को लेते हैं तो इसमें कोई कमी नहीं आएगी।

लेकिन यदि आप यह समझते हैं कि वहां पर कोई छोटा कारखाना वहां कोई ऐसा काम कर रहा है.....

श्री नारायण चौबे : क्या आपको ये सब चीजें आपकी विशिष्टियों के अनुसार मिलेंगी ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : यह सम्भाव नहीं है। हम उनको बार-बार प्रशिक्षण देंगे। माननीय सदस्य ने दूसरा प्रश्न यह पूछा है कि आप असैनिक क्षेत्र को कौन सी मदद दे रहे हैं। असैनिक क्षेत्र को जिस कोटि का माल देना है वह, असम्बद्ध ढंग से, श्रमिकों की कठिनाइयों को जाने बिना, यह विचार किए बिना कि इनकी लगातार पूर्ति होगी अथवा नहीं और यह भी विचार किए बिना कि क्या बढ़िया माल की पूर्ति होगी अथवा नहीं, नहीं दिया जाएगा। इस सम्बन्ध में निर्णय लेते समय सभी कारणों को ध्यान में रखा जाएगा और हम इस कार्य को सम्बद्ध ढंग से चरणों में करना चाहते हैं अर्थात् प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, आदि। असैनिक क्षेत्र को हम जो चीजें देने जा रहे हैं वह इस प्रकार हैं। मैं उनको पढ़कर सुनाता हूं। लेकिन मैं समझता हूं कि आप नहीं चाहेंगे कि मैं इन सब चीजों को पढ़कर सुनाऊं। मैं कुछ चीजें पढ़कर सुनाता हूं जिससे आप कुछ विचार लगा सकेंगे। ये चीजें निम्न प्रकार हैं।

जैकेट कम्बैट डिसरप्टिव ट्राउजर्स कम्बैट डिसरप्टिव बिटकिट, एन्क्लिट बैरिट निटिड कोट कम्बैट डिसरप्टिव वेस्ट काटन, शर्ट-अंगोला मच्छरदानियां तथा इसी प्रकार की अन्य चीजें।

क्या आपको इस प्रकार की चीजों पर किसी प्रकार की कोई आपत्ति है ? अब जब हम टैंक तथा बी०एम०पी० के निर्माण के लिए कारखाने स्थापित कर रहे हैं तो उसके लिए भी छोटे-छोटे नट और बोल्ट निर्मित करने पड़ेंगे। अब छोटे-छोटे केबल तथा उस प्रकार की वस्तुएं बनानी पड़ेंगी— और यदि आप यह चाहें कि वे सभी छोटी-छोटी वस्तुएं कारखाने में ही बनाई जाएं तो जो निवेश करना पड़ेगा वह काफी अधिक होगा तथा यदि हम उस कारखाने के निकट क्षमता विकसित करें तो हम इस प्रकार का कार्य उन कारखानों को देना चाहेंगे जो आस-पास विद्यमान हैं। सरकार ने निर्णय लिया है कि वह बी०एम०पी० तथा टैंकों के उत्पादन में आवश्यक सामग्री, संघटकों, हिस्से पुर्जे जोड़ने की सुविधाओं तथा अन्य आवश्यक सामग्री का 40 प्रतिशत गैर-सरकारी क्षेत्र को प्रदान करेगी। यहां तक कि इन सभी सुविधाओं को स्थापित करने में भी काफी अधिक धनराशि खर्च की जाएगी। दृष्टिकोण देश में उपलब्ध क्षमता का पूरा प्रयोग करना है जिससे छोटी तथा बड़ी वस्तुओं के लिए आयुध कारखानों में अलग से क्षमता का विकास न करना पड़े ? यही दृष्टिकोण अपनाया गया है, और मैं नहीं समझता, कि इस पर किसी प्रकार की आपत्ति की गई है। इस सभा में मैं माननीय सदस्यों को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि कोई छंटनी नहीं होगी।

दूसरी बात यह है कि इससे हम अधिक उत्पादन करेंगे तथा इस नीति को लागू करने के बावजूद भी कार्य करने वालों की कुल संख्या अधिक होगी। क्योंकि हम इन वस्तुओं को स्थापित कर रहे हैं, किन्तु कुछ कारखानों में संगतिकरण करना आवश्यक होगा, कुछ प्रशिक्षण तथा पुनः प्रशिक्षण देना आवश्यक होगा, कुछ मामलों में तो कार्य करने वाले लोगों को एक स्थान से हटाकर दूसरी जगह ले जाना आवश्यक होगा। उसे दृष्टिगत रखते हुए इस तरह का रास्ता अपनाना होगा। मैं समझता हूं कि किसी भी माननीय सदस्य से इस पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती। मैं वास्तव में अति प्रसन्न हूं कि मैं इन बातों को आपके समक्ष उस तरीके से रखने में सफल रहा जिससे मेरे मित्र श्री चौबे तथा अन्य माननीय सदस्यों को सही प्रतीत होता है।

महोदय, एक बात जो श्री इन्द्रजीत गुप्त ने उठाई वह यह है कि क्या हमने रक्षा उत्पादन तथा

सप्लाई विभाग के आवंटन में कटौती की है । उत्तर यह है कि हमने तरीका बदल दिया है। इस वर्ष, रक्षा उत्पादन तथा आयुध कारखाना महानिदेशालय को गत वर्ष दिए गए 1283 करोड़ रुपए की तुलना में 1893 करोड़ रुपए मिलेगा । परन्तु इन आंकड़ों को देने में कोई अन्य तरीका स्वीकार किया जाता है । पहले पूंजी व्यय तथा राजस्व व्यय को एक जगह मिलाया हुआ था तथा पूंजी व्यय और राजस्व व्यय सेना के शीर्षक के अन्तर्गत थे । अब, राजस्व व्यय आयुध कारखाना महानिदेशालय के लिए आवंटन में शामिल है। पहले सप्लाई मुफ्त थी । अब की गई सप्लाई के लिए सेना को आयुध कारखानों को कुछ कीमत अदा करनी पड़ेगी । इस प्रकार से हमने एक अलग किस्म की लेखा प्रणाली अपनाने का प्रयास किया है । परन्तु आवंटन में कटौती नहीं की गई है । गत वर्ष मन्त्रालय को आवंटित की गई राशि में से आयुध कारखाना महानिदेशालय से 12.59 प्रतिशत राशि उपलब्ध की गई थी परन्तु इस वर्ष उन्हें आवंटन का 15-10 प्रतिशत उपलब्ध कराया गया है । इसका अर्थ यह है कि गत वर्ष से यह लगभग 3 प्रतिशत ज्यादा है । इससे यह प्रतीत होता है कि हथियारों का आयात करने की बजाय हम स्वदेशीकरण पर बल दे रहे हैं तथा आत्मनिर्भरता पर बल दे रहे हैं ।

आयुध कारखानों में प्रशासन के बारे में एक माननीय सदस्य द्वारा बात उठाई गई है । मैं सभा में इस पर विस्तार से चर्चा नहीं करना चाहता । मैंने यह बात नोट कर ली है तथा इससे सम्बन्धित मदों पर विचार करने के पश्चात ही इस सम्बन्ध में जो भी कार्यवाही आवश्यक होगी कर दी जाएगी ।

जो मद उठाए गए हैं उसमें एक यह भी था कि हम स्वदेशीकरण करना चाहते हैं तथा आत्मनिर्भरता लाना चाहते हैं । ठीक है, माफ करना, श्री उन्नीकृष्णन इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि हमने वैज्ञानिक समुदाय का हौंसला तोड़ दिया है । बात ऐसी नहीं है । मुझे वैज्ञानिक मन्त्रालय में लम्बे समय तक, 3 से 4 वर्ष तक कार्य करने का अवसर मिल चुका है, मैं वहां मंत्रालय में ही था और मैं वहां कार्य करके वास्तव में ही प्रसन्न रहा तथा वहीं मैंने यह समझा कि समस्त विश्व में क्या हो रहा है। मैं आपको कह रहा हूं कि भारत में वैज्ञानिक समुदाय को अपनी योग्यता सिद्ध करने के और अधिक अवसर मिलेंगे । वैज्ञानिक अनुसंधान तथा विकास में निवेश में वृद्धि हो रही है, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन में तथा अन्य संगठनों में भी वैज्ञानिकों को हम अधिक धनराशि प्रदान कर रहे हैं ।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : उनके वेतन और भत्तों के बारे में क्या हो रहा है ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : उनमें भी वृद्धि की जा रही है । वेतन और भत्तों में भी वृद्धि की जा रही है । हम उन्हें बेहतर वेतन दे रहे हैं । इससे भी अधिक बात यह है कि हम उन्हें बेहतर उपकरण दे रहे हैं, बेहतर अवसर दे रहे हैं अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी में कार्य करने का अवसर दे रहे हैं, आनुवंशिकी विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने का अवसर दे रहे हैं तथा बहुत से अन्य अत्यधिक उन्नत क्षेत्रों में कार्य करने का अवसर दे रहे हैं और सरकार द्वारा एक बार यह निर्णय लिए जाने पर कि उन्नत क्षेत्रों में निवेश किया जाए तो मुझे विश्वास है कि वैज्ञानिक बहुत प्रसन्न होंगे । यदि उनको हम यह कह रहे हैं कि परियोजना को समय पर पूरा करें तथा यदि उन्हें हम यह कह रहे हैं कि समस्त देश को नतीजे शीघ्र दिए जाएं तो मैं नहीं समझता कि ऐसे वैज्ञानिक जो हमारे समाज की आवश्यकताओं को समझते हैं तथा देखते हैं तथा जिन्हें यह पता है कि देश में किस चीज की आवश्यकता है उन्हें इसमें कोई आपत्ति होगी ।

एक बात जो मैं कहना चाहूंगा वह यह है कि जहां तक रक्षा उत्पादन का प्रश्न है, यदि रक्षा

अनुसंधान 'आल्फा' है और रक्षा बल 'ओमेगा' है तो यह दोनों के बीच एक कड़ी है। हम वहां से शुरू करते हैं तथा अन्तिम उत्पाद रक्षा बलों को दे दिया जाता है। रक्षा उत्पादन का कार्य अनुसंधान प्रयोगशालाओं में विकसित की गई प्रौद्योगिकियों को इस्तेमाल करना है तथा उस अन्तिम माल का उत्पादन करना है जिसकी आवश्यकता हमारी रक्षा बलों को होगी और हमें यह कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि रक्षा प्रयोगशालाओं में विकसित ऐसी बहुत सी प्रौद्योगिकियों का प्रयोग रक्षा उत्पादन में किया जा रहा है तथा रक्षा प्रयोगशालाएं उस प्रतिभा का भी प्रयोग कर रही हैं, जो रक्षा कारखानों में उपलब्ध है। यदि एक परियोजना शुरू की जाती है तो अनुसंधान तथा विकास के चरण पर उत्पादन एकक के अधिकारी तथा वैज्ञानिक विकास से सम्बद्ध रहते हैं तथा इससे हमें प्रौद्योगिकियों के उत्पादन में सहायता मिली है, उन्हें अलमारी में रखकर नहीं बल्कि उत्कृष्ट सम्भव तरीके से उन प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करके।

एक माननीय सदस्य ने रडार तथा उन सभी वस्तुओं के बारे में एक वक्तव्य दिया था। मुझे एक पेपर दिया गया है तथा यदि आप उसके बारे में अनुमति दें तो मैं उसे पढ़कर सुनाता हूं तथा यदि और स्पष्टीकरण की आवश्यकता है तो यह बाद में माननीय रक्षा मन्त्री द्वारा दे दिया जाएगा।

"लो लेवल रडार इन्द्रा के मामले में प्रौद्योगिकी अन्तरण की स्थिति के बारे में कुछ आशंका व्यक्त की गयी थी। मैं सभा को साफ शब्दों में आश्वासन देना चाहता हूं कि इस मामले में अनुसंधान तथा विकास विभाग और रक्षा उत्पादन विभाग के बीच उच्चतर स्तर का तालमेल बना हुआ है।"

"वास्तव में मूल्यांकन तथा प्रतिग्रहण के तुरन्त पश्चात लो लेवल रडार के प्रयोक्ता द्वारा भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, गाजियाबाद को उत्पादन आर्डर पहले ही भेजा जा चुका है। इन्द्रा I उपकरण के लिए प्रोद्योगिकी अन्तरण पहले से ही पूरी की जा चुकी है तथा भारत इलेक्ट्रोनिक्स रडार का क्रमबद्ध निर्माण करने जा रहा है। इन्द्रा I के क्वांटिटी के 3 निर्माण की आशा वर्ष 1988 के अन्त में होने की है तथा इन्द्रा I तथा इन्द्रा II की मात्रा के विद्यमान आदेश वर्ष 1991 के अन्त तक पूरे हो जाएंगे।"

"एफ० एस० ए० पी० डी० एस० के बारूद के निर्माण के लिए एक अन्य परियोजना है जिसमें रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग और रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा संयुक्त कारखाना लगाया जा रहा है। कारखाना लगाए जाने के पश्चात् तथा शुरू की उत्पादन सफलता के पश्चात् इस कारखाने को भविष्य के अविरल उत्पादन के लिए रक्षा उत्पादन विभाग को दे दिया जाएगा।"

यह मैं आपके समक्ष इसलिए रख रहा हूं क्योंकि मैं यह कहना चाहूंगा कि प्रौद्योगिकी तथा उपकरण का विकास दोनों साथ-साथ चल रहे हैं। प्रौद्योगिकी का ही विकास करना पर्याप्त नहीं है बल्कि उस प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके इसे माल निर्माण में बदला जाना चाहिए। यदि उन लोगों को जो उत्पादन एककों में कार्य कर रहे हैं, प्रौद्योगिकी विकास के शुरू की अवस्था में सम्बद्ध किया जाए तो इससे सहायता मिलती है तथा इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाया गया है और वह बहुत सहायक भी रहा है।

अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि जब भी हम रक्षा मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा करते हैं तो हम बहुत ठीक ही यह कहते हैं कि हम रक्षा बलों में अपने जवानों और अधिकारियों को सलाम करते हैं किन्तु इस वाद-विवाद में हस्तक्षेप करते हुए मैं यह कहना चाहूंगा कि कारखानों में

कार्य करने वाले कर्मकार तथा कारखानों तथा विभागों में कार्य करने वाले अधिकारी भी देश की अखण्डता और प्रभुसता को बचाने में हमारे जवानों और अधिकारियों की सहायता कर रहे हैं इसीलिए उनको भी सलाम करना चाहिए। मैं सार्वजनिक क्षेत्र की एककों में, आयुद्ध कारखानों में, निरीक्षण शाखा तथा विभाग में कार्य करने वाले कर्मकारों तथा अधिकारियों को भी सलाम करना चाहता हूं जब मैं हमारे देश की अखण्डता और प्रभुसत्ता की रक्षा करने के लिए तैयार अधिकारियों और जवानों को सलाम कर रहा हूं तो·····

श्री अजीज कुरेशी (सतना) : हम सभी आपका समर्थन करते हैं।

श्री शिवराज वी० पाटिल : मैं अति प्रसन्न हूं कि आप सभी ऐसा करने में मेरे साथ हैं।

यदि आप मेरे से यह पूछें कि क्या मैं जो कुछ रक्षा मन्त्रालय में हो रहा है, जो कुछ रक्षा उत्पादन तथा सप्लाई विभाग में हो रहा है, उससे सन्तुष्ट हूं तो मैं बिना किसी संकोच के, किन्तु बड़े ही विनम्र तरीके से, यह कहना चाहूंगा कि कारखानों तथा कार्यालयों में कार्य करने वाले कर्मकारों तथा अधिकारियों ने हमारे देश की रक्षा करने तथा हमारे जवानों और अधिकारियों को सहायता देने में अपना अधिकतम सहयोग देने में उन्होंने हर संभव प्रयास किया है। हम उन्हें बधाई देना चाहेंगे तथा हम उन्हें धन्यवाद देना चाहेंगे। अन्ततः, मैं आप सभी को शान्ति से बात सुनने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : हम कुछ स्पष्टीकरण मांगना चाहते हैं·····

उपाध्यक्ष महोदय : आप सोमवार को मांग सकते हैं। श्री भद्रेश्वर तांती।

श्री भद्रेश्वर तांती (कलियाबोर) : महोदय, यह विषय चर्चा के लिए नहीं उठाया जाता यदि यह कल-परसों सभा में एक सदस्य द्वारा नहीं उठाया गया होता तो। चर्चा के लिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। सभा में चर्चा करने के लिए इस मामले को लाने हेतु कदम उठाने के लिए मैं माननीय मंत्री को धन्यवाद देता हूं।

हाल के समय में उप-महाद्वीप के पड़ोसी देशों में हथियारों की सौदेबाजी की रफ्तार बहुत तेज हो गई है तथा बड़ी और महाशक्तियों के इशारे से हमारा देश शिकार का निशाना बन गया है। इससे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा पर्यावरण को सीधा खतरा उत्पन्न हो गया है तथा देश का प्रत्येक नागरिक इसके बारे में अत्यधिक चिन्तित है। देश की सुरक्षा की रक्षा करना किसी अन्य वस्तु से अधिक महत्वपूर्ण है जैसाकि हमारी गीता में लिखा है कि "जननी जन्मभूमिश्च स्वादिपि गरीयसी।"

महोदय, मेरी आशंका यह है कि जब सुरक्षा खतरे में है तो सरकार एक मूक दर्शक क्यों बनी हुई है ? उदाहरण के तौर पर चीन 1962 से ही पूर्वोत्तर राज्यों को बार-बार धमकी दे रहा है तथा हाल का अरुणाचल में उनका अतिक्रमण, उन्होंने एक हैलीपैड बना लिया है, स्थानीय लोगों से उन्होंने कर वसूल किए हैं तथा अरुणाचल प्रदेश से उन्होंने कुछ भारतीय नागरिकों का अपहरण कर लिया है और सिवाय खाली विरोध प्रकट करने के सिवाय हमने कुछ कार्यवाही नहीं की। हमारे देश में विरोध एक नियम बन गया है तथा विरोध हमारी सुरक्षा का बल तथा शक्ति बन गया है। दूसरी ओर, पाकिस्तान ने अमरीका से और अधिक आधुनिकतम हथियार ले लिए हैं और वह परमाणु हथियारों की भी तैयारी कर रहा है। इसके अलावा वे भारत में आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। बांगलादेश ने सीमा-बाड़ मार्ग के निर्माण कार्य को रोक दिया है तथा प्रत्येक क्षण बांगलादेशी नागरिक अवैध रूप से हमारे देश में आ रहे हैं और इसे रोकने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है।

हमारा रक्षा आसूचना विभाग उपयुक्त समय पर कार्यवाही करने के लिए सरकार को सतर्क करने में बुरी तरह विफल हो गया है। हमें यह पता है कि टी० एन० वी०, एम० एन० एफ०, यू० एल० एफ० ए०, एन० एस० सी०, खालिस्तान उग्रवादी जैसे अवैध संगठन तथा अन्य संगठन सदैव सीमा पार करते हैं। वह समाचार सरकार के पास प्रचार माध्यमों के जरिये तथा समाचारपत्रों के जरिये से आता है न कि हमारे रक्षा आसूचना विभाग के जरिए से। जब वे बर्मा, मणिपुर तथा अन्य क्षेत्रों की सीमा पार करते हैं तो आप उन्हें पकड़ने में कैसे विफल हो सकते हैं ?

दूसरे, इस सभा का एक संसद सदस्य वायुसेना के विमान द्वारा अनिर्धारित दौरे पर बर्मा गया है। यह बहुत गलत है तथा उन्होंने सभा में कोई वक्तव्य नहीं दिया।

डा० गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : इसका उल्लेख करने से क्या लाभ है ?

श्री भद्रेश्वर तांती : हां, यह बहुत ही आवश्यक है। जब एक अप्रधिकृत व्यक्ति द्वारा एक वायुसेना विमान का प्रयोग किया गया है तो इस देश के लोगों का इससे बड़ा गहरा सम्बन्ध है।

डा० गौरी शंकर राजहंस : इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

(व्यवधान)

श्री भद्रेश्वर तांती : क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि किस काम के लिए वे वायुसेना विमान की सेवा प्राप्त करने में सफल रहे और बर्मा में ईंधन के लिए उतरे ?

तीसरे, 155 एम० एम० तोपों की खरीद, बोफोर्स (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बात समाप्त कीजिए।

श्री भद्रेश्वर तांती : आप लोकतन्त्र तथा संसदीय लोकतन्त्र को नहीं दबा सकते। हम, विपक्ष के सदस्य एक स्थायी सरकार चाहते हैं परन्तु आप चुप्पी साधे हुए हैं। न्यायिक जांच कराने की बजाय इस सभा के सदस्यों की एक संसदीय जांच समिति द्वारा जांच कराए जाने से आपको किसने रोका ? देश की सुरक्षा खतरे में है तथा प्रत्येक नागरिक को इससे सरोकार है। इसीलिए सरकार अधिक दिन तक नहीं चलेगी। लोगों को इससे बहुत अधिक सरोकार है। याद रखिए कि सन् 77 दोबारा आ जाएगा।

रक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : महोदय, इससे एक गलत धारणा बैठ सकती है। मैं इसे स्पष्ट करना चाहूंगा कि कोई भी अप्रधिकृत व्यक्ति वायु सेना के विमान में बर्मा नहीं गया।

श्री भद्रेश्वर तांती : महोदय, प्रचार माध्यमों के समाचारों से ऐसा लगता है।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : यहां जो अधिकारी बैठे हैं उन्हीं से मैंने अभी पूछताछ की है तथा उसी आधार पर मैं आपको बता रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : जब वो ऐसा कह रहे हैं तो आपको उनकी बात पर विश्वास करना पड़ेगा।

एक माननीय सदस्य : इस प्रकार की चीजों पर रोक लगनी चाहिए। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है.....(व्यवधान)

श्री भद्रेश्वर तांती : सच्चाई की विजय होगी। हम भगवान में विश्वास करते हैं तथा हम सच्चाई में विश्वास करते हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बात समाप्त कीजिए। आप 2 से 3 मिनट तक बोल सकते हैं। सोमवार को मन्त्री जी ने जवाब देना है। हमने कृषि मन्त्रालय को भी लेना है। मैं आपको अधिक समय नहीं दे सकता।

एक माननीय सदस्य : बर्मा मत जाइए।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : आप स्वीडन जा सकते हैं।

श्री भद्रेश्वर तांती : महोदय, मैं स्वीडन नहीं जाना चाहता।

पूर्वोत्तर क्षेत्र की बुरी तरह से उपेक्षा की गई है। यदि आप पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में जाएं तो वहां आप को सरकारी क्षेत्र की एक भी रक्षा एकक नहीं मिलेगी। वहां ऐसी कोई स्थापना नहीं है। यहां तक कि आपको सेना में भी इस क्षेत्र का कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा। सेना में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों की प्रतिशतता क्या है, कृपया हमें बताइए।

सेना में भ्रष्टाचार के बारे में आपको यह जानकर भारी आश्चर्य होगा कि हमें सबसे अधिक घाटा हुआ है। जब बाढ़ आती है तो सिविल अधिकारियों द्वारा सेना बुला ली जाती है। **...... **(व्यवधान)**......1983 में जब मणिपुर तथा मिजोरम में चुनाव थे तथा जब आतंकवादी गतिविधियां हो रही थी ** तथा सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया...... **(व्यवधान)**......आप इसे नहीं समझ पाएंगे क्योंकि आप इसे समझने का प्रयास नहीं कर रहे। हम इसे जानते हैं कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में क्या हो रहा है तथा सेना लोगों के साथ कैसा व्यवहार करती है। **(व्यवधान)**

श्री शान्ताराम नायक (पणजी) : महोदय, ये सेना पर आक्षेप लगा रहे हैं। वे शब्द कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिए जाएं। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रकार की चीजें आप मन्त्री जी को लिख सकते हैं। ऐसे शब्द मत कहिए। आप कृपया वो शब्द वापस ले लीजिए। इस प्रकार के शब्द मत कहिए। यदि कोई बात है भी आप मन्त्री जी को लिखिए। वो शब्द वापस ले लीजिए। मुझे आशा है आपने वो शब्द वापस ले लिए हैं। इसीलिए, वह......

श्री भद्रेश्वर तांती : नहीं महोदय, इसे कार्यवाही-वृत्तान्त में शामिल किया ही जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप इसे वापस नहीं ले रहे हैं तो मैं इसे कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल रहा हूं। मैं इसे कार्यवाही-वृत्तान्त में शामिल करने की अनुमति नहीं दे रहा। आप मन्त्री जी को लिखिए तथा वे इस पर विचार करेंगे। **(व्यवधान)**

श्री भद्रेश्वर तांती : महोदय, आप मेरा लोकतांत्रिक अधिकार नहीं छीन सकते।

उपाध्यक्ष महोदय : सेना के सम्बन्ध में इस प्रकार के कथन की मैं अनुमति नही दूंगा।

श्री भद्रेश्वर तांती : किन्तु मन्त्री जी स्वीकार करेंगे कि सरकार को पता है कि 1983 में असम में क्या हुआ है, मिजोरम में क्या हुआ है तथा मणिपुर में क्या हुआ है...... **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही-वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)

**अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

श्री भद्रेश्वर तांती : मेरे पास मेरी अखबार की कतरनें हैं तथा मैं इसे दे दूंगा·····

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपया भाषण समाप्त कीजिए ।

श्री भद्रेश्वर तांती : भारत के लोग रक्षा कार्मिकों का सम्मान करते हैं किन्तु सरकार को इसे नोट करना चाहिए तथा इस पर उचित कार्यवाही की जानी चाहिए ।

3·35 म० प०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

चौतीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री शांताराम पोतदुखे (चन्द्रपुर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 22 अप्रैल, 1987 को सभा में पेश किये गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के चौतीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 22 अप्रैल, 1987 को सभा में पेश किये गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 34वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

3·35½ म०प०

उपभोक्ता संरक्षण (विज्ञापित उत्पाद के साथ मूल्य का प्रकाशन) विधेयक*

[अनुवाद]

श्रीमती जयन्ती पटनायक (कटक) : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि विज्ञापनों में विज्ञापित उत्पादनों के मूल्य के अनिवार्यतः प्रकाशन की व्यवस्था करने हेतु एक विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विज्ञापनों में विज्ञापित उत्पादों के मूल्य का अनिवार्यतः प्रकाशन की व्यवस्था करने हेतु विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

*दिनांक 24-4-1987 के भारत के असाधारण, राजपत्र भाग दो, खण्ड 2, में प्रकाशित ।

श्रीमती जयन्ती पटनायक : मैं विधेयक पुरःस्थापित करती हूं।

3·36 म०प०

गोवा, दमण और दीव राज्य विधेयक*

श्री शांताराम नायक (पणजी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि गोवा दमण और दीव राज्य की स्थापना करने तथा इससे सम्बन्धित अन्य मामलों की व्यवस्था करने हेतु एक विधेयक को पुरः-स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि गोवा, दमण और दीव राज्य की स्थापना करने तथा इससे सम्बन्धित अन्य मामलों की व्यवस्था करने हेतु विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री शान्ताराम नायक : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूं।

3·37 म० प०

श्री जी० एम० बनातवाला का बेरोजगारी उन्मूलन विधेयक

—[जारी]

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह सभा अब 10 अप्रैल, 1987 को श्री जी० एम० बनातवाला द्वारा प्रस्तुत किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर अब आगे विचार करेगी, अर्थात् :

"कि देश में बेरोजगारी का उन्मूलन करने की योजना के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

अब डा० राजहंस अपना भाषण जारी रखेंगे।

[हिन्दी]

डा० गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पिछली बार कह रहा था कि बनातवाला जी ने एक ही अच्छा काम किया है कि वे यह बिल लाए। इस बिल को मैंने बड़े गौर से पढ़ा है और जो बातें उन्होंने कहीं हैं, सचमुच में वे तारीफ के योग्य हैं और प्रशंसा करने के योग्य हैं। मैं समझता हूं कि आज की तारीख में अपने देश में अनएम्पलायमेंट से बढ़कर कोई समस्या नहीं है।

लोग कहते हैं कि आदमी की तीन जरूरतें होती हैं—रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन ये तीनों जरूरतें तभी पूरी हो सकती हैं, जब आदमी के पास रोजगार हो। आज रोजगार की यह हालत

---

*दिनांक 24-4-1987 के भारत के असाधारण, राजपत्र भाग दो, खण्ड 2, में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

है कि शहर हो या देहात पढ़े-लिखे और कम पढ़े-लिखे लोगों की इतनी बड़ी फौज है कि किसी भी समझदार आदमी के समझ में यह बात नहीं आती है कि इस समस्या का समाधान कैसे होगा।

3·38 म० प०

[श्री एन० वेंकटरत्नम पीठासीन हुए।]

मैं आपको अपना अनुभव बताना चाहता हूं। मेरी कान्स्टीचूयेंसी और उसके आसपास की कान्स्टीचूयेंसी में करीब चार-पांच लाख लोग रोजगार की तलाश में दिल्ली, फरीदाबाद, गाजियाबाद, बल्लभगढ़ और नोएडा में आए हुए हैं। रोज नौकरी की तलाश में भटकते रहते हैं। उनकी हालत इतनी दर्दनाक है कि जो उनकी हालत को देखे, वही समझ सकता है। मैं रोज तीन-चार सौ लोगों से मिलता हूं, जो नौकरी के लिए आते हैं। उनकी हालत देखकर मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं समझ नहीं पाता हूं कि उनको कहां नौकरी दिलाऊं। लोगों के मन में यह गलतफहमी है कि एम०पी० चाहेगा तो उनको नौकरी दिला देगा, रोजगार दिला देगा और एम०पी० ही उन लोगों को रोजगार दिला सकता है। मैं अपनी जान पहचान के लोगों को चिट्ठी लिखता हूं लेकिन उनकी भी लिमिटेशन्स हैं, उनकी भी सीमाएं हैं। वे कहां तक लोगों को रोजगार देंगे। बनातवाला जी ने इस बिल में यह कहा है कि जो लोग बेरोजगार हैं और जिनका नाम एम्पलायमेंट एक्सचेन्ज में लिखा हुआ है, उनको किसी न किसी तरह का एक रिलीफ या डोल या एलाऊन्स दिया जाए। मैंने इस समस्या पर बहुत सोचा है। इस समस्या के दो पहलू हैं। मैंने पश्चिम के देशों में देखा है कि जहां-जहां लोगों को अनएम्पलायमेंट रिलीफ दिया गया है, वहां पर लोग काहिल हो जाते हैं और नौकरी की खोज नहीं करते। अपने देश में भी कुछ स्टेट्स में लोगों को अनएम्पलायमेंट रिलीफ या एलाऊन्स दिया जाता है बहुत नाम-मात्र का। एक बी० ए० पास आदमी है तो उसे महीने में 25 रुपये, 30 रुपये दिये जाते हैं। इन 25, 30 रुपये में क्या हो सकता है। बनातवाला जी ने कहा है कि इस पर कुल खर्च 100 करोड़ रुपए आएगा। तो 100 करोड़ रुपयों में आप कितने लोगों को अनएम्पलायमेंट रिलीफ या एलाऊन्स दे सकेंगे। मेरे कहने का अर्थ है कि जितने लोग बेरोजगार हैं, उनको यदि आप इस तरह का रिलीफ देंगे, तो प्रति व्यक्ति महीने में 10, 20 या 25 रुपये आएगा। अब इस 10, 20 या 25 रुपये से क्या उसका गुजारा चल सकेगा। यह बहुत ही समझने वाली बात है। 100 करोड़ रुपये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। यह दी जा सकती है लेकिन इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। समस्या के समाधान के लिए हमें समस्या की तह में पहुंचना होगा और उसको समझना होगा। किसी न किसी तरह से हम सभी को मिल बैठ कर पूर्वाग्रह को छोड़कर इस समस्या को सोचना होगा कि बढ़ती हुई आबादी को कैसे रोका जाए, जिससे आगे आने वाले वर्षों में बेरोजगारी की समस्या और ज्यादा भयावह न हो। फिर हम यह सोचें कि अभी जितने लोग बेरोजगार हैं, उनको हम गेनफुल एम्पलायमेंट कैसे दे सकते हैं। लाखों, करोड़ों की संख्या में आज देहातों में पढ़े-लिखे नौजवान बेरोजगार हैं। मैंने तो यहां दिल्ली में देखा है कि हमारे बिहार से फर्स्ट क्लास एम० ए० किये हुए लोग यहां आए हुए हैं और छोटे-छोटे होटलों में बर्तन मांजने का काम करते हैं। उनको देखकर आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो इस समस्या का समाधान हम सबको मिलजुल कर करना होगा। बहुत बड़ी डिस्पेरिटी है। एक तरफ फर्स्ट क्लास किया हुआ आदमी बर्तन मांजता है और दूसरी तरफ किसी आर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री में आदमी गलती से या किसी तरह घुस गया, या ब्लैकमेल करके या बड़ी यूनियन का सहारा लेकर या फिर जैसे भी हो, एक मैट्रिक पास आदमी और वह भी उसने मुश्किल से किया है, दिल्ली की आर्गेनाइज्ड सेक्टर में लग गया, आज से 7-8 साल पहले उसे मैंने लगवाया था, उसको 4 हजार रुपया

मिल रहा है और दूसरा एम०ए० पास आदमी बर्तन मांज रहा है। तो यह एक कान्ट्राडिक्शन है और इसका कहां अन्त होगा, यह पता नहीं। जैसे ट्रेन में आपने देखा होगा कि एक आदमी किसी कम्पार्टमेंट में घुसना चाहता है, तो सब लोग उसको डांटकर कहते हैं कि यहां जगह नहीं है अगले कम्पार्टमेंट में जाओ। मिन्नत करके जब वह उस कम्पार्टमेंट में घुस जाता है, तो वह भी अगले स्टेशन पर कहता है कि इसमें जगह नहीं है, अगले कम्पार्टमेंट में जाओ। तो आज जो आर्गेनाइज्ड सैक्टर है, उसकी भी यही हालत है। जो आदमी आर्गेनाइज्ड सैक्टर में घुस गया है, तो वह चाहता है कि उसका **फौर टाइम्स ओवरटाइम्स एलाऊन्स** हो और वह चाहता है कि उसके इमोलूमेंट्स में 5 गुना वृद्धि हो जाए। वह चाहता है कि हर साल वेज बोर्ड बैठे और उसकी तनख्वाह बढ़े। लेकिन वह यह नहीं चाहता है कि हमें जितना मिल गया है उस पर धीरज रखें। एम्पलायर, चाहे वह प्राइवेट सैक्टर का हो, चाहे पब्लिक सैक्टर का हो, को मौका दे कि वह नये लोगों को एम्पलायएमेंट दे सके।

एम्पलायर भी बहुत होशियारी करता है कि वह जब अपना प्रोडक्ट निकालना चाहता है और रोज-रोज के ब्लैकमेल से तंग आ जाता है तो कहता है कि तुम कुछ ओवरटाईम ले लो। वह नए लोगों को परमानेंट बेसिस पर भरती नहीं करता है। वह महीने-दो-महीने के लिए केजुअल बेसिस पर लोगों को भरती करता है। फिर दो महीने में बाद उन्हें निकाल देता है। फिर उस आदमी को चार-पांच साल उस फैक्टरी में, उस इंडस्ट्री में नौकरी नहीं मिलती। कहने का मतलब यह है कि उसे गेनफुल एम्पलाएमेंट नहीं मिल सकता। यह एक स्थिति है जिसको मंत्री जी अच्छी तरह से समझें।

आरगेनाइज्ड सेक्टर में लोग ओवरटाईम ब्लैकमेल करके, जबर्दस्ती करके लेते हैं। उससे नए लोग को एम्पलाएमेंट अपोरचुनिटी नहीं मिलती। बैंकों में जाइये। यहां शायद लोगों को पता नहीं है कि बैंक में फोरस्ड ओवरटाईम, ब्लैकमेल ओवरटाईम लिया जाता है। वहां यूनियन का लीडर मैनेजर से कहता है कि हम आपके काम में बाधा नहीं आने देंगे, आप वर्किंग आवर्स में आठ घण्टे का ओवरटाईम दे दीजिए, हम वर्किंग आवर्स में दो घण्टे में आपकी लेजर लिख देंगे। यानी आठ घण्टे का काम वे केवल दो घण्टे में करेंगे और आठ घण्टे का वे ओवरटाईम लेंगे। आप इस समस्या को समझने की कोशिश कीजिए। मैं यह बात सारे सदन में कहता हूं और चेलेंज देकर कहता हूं। वे लोग उन लोगों की एम्पलाएमेंट को रोक रहे हैं जो देहातों में रोजगार से वंचित हैं, जो रोजगार की खोज में शहरों में आकर रहते हैं। इस समस्या को आपको बहुत ही गम्भीरता से सोचना होगा और यह सोचना होगा कि अधिक से अधिक लोगों को कैसे एम्पलाएमेंट मिले। ऐसा न हो कि हेंडफुल लोग मस्ती करें और बाकी लोग सड़कों पर हों।

मैं दो-एक बातें और कहना चाहूंगा। आई० आर० डी० पी०, एन० आर० ई० पी०, आई० आर० एल० पी० ये सारे प्रोग्राम टवन्टी प्वाएंट प्रोग्राम के अन्तर्गत बनाये गये हैं। क्या कभी भी आपने हृदय पर हाथ रखकर यह सोचा है कि इससे कितने लोगों को फायदा मिला है ? **(व्यवधान)** सिस्टम में गड़बड़ी नहीं है। हर स्टेट में इस प्रोग्राम के इम्पलीमेंटेशन में ढील है। मैं अपने पक्ष के दोस्तों से भी कहता हूं कि कुछ ऐसा करें कि हर स्टेट में यह देखा जाए कि जिनके लिए यह प्रोग्राम बना है, खास करके यह रोजगार देने के सिलसिले में जो प्रोग्राम है, उसके बारे में देखें कि सही अर्थों में लोगों को रोजगार मिल सका है या नहीं या एक खाली खानापूर्ति बनकर तो नहीं रह गया है। खाली खानापूर्ति से कोई काम नहीं होगा।

हमें यह देखना होगा कि इस प्रोग्राम का पैसा किन लोगों के पास जाता है। अगर हम यह भावना लोगों में नहीं पहुंचाएंगे कि यह पैसा आपका है और जबर्दस्ती से दूसरे लोग आपका यह पैसा

लूटते जा रहे हैं तो इसमें कोई सुधार नहीं आएगा और न लोगों को एम्पलाएमेंट मिल पाएगा। आज आम जनता यह सोचती है कि हमें इस आई० आर० डी० पी०, एन० आर० ई० पी० से क्या लेना देना। लेकिन चुने हुए प्रतिनिधियों को उनको यह बताना होगा कि यह पैसा तुम्हारा है, तुम लोगों के फायदे के लिए, कल्याण के लिए सरकार यह पैसा खर्च कर रही है। विजीलैंस का काम भी करना होगा, तुमको देखना है कि यह पैसा सही ढंग से खर्च हो। यदि इन प्रोग्राम्स पर सही ढंग से पैसे खर्च होने लगे तो अनएम्पलायमेंट की प्राबलम बहुत हद तक दूर हो जाएगी। मैं इस सिलसिले में बात करते हुए इकोनोमिक्स के प्रसिद्ध विद्वान कीन्स की ओर जाता हूं जिन्होंने कहा था कि डेफिसिट फाइनेंशिंग कम नहीं हो तो जमीन खुदवाओं और रात को भरवा दो, फिर दिन में जमीन खुदवाओं और रात को भरवा दो। इससे लोगों को एम्पलायमेंट मिल सकेगा। हमारे देश में इतना ज्यादा फूड ग्रेन का स्टाक है कि लोगों को काम पर लगा दिया जाए तो सारा फूड ग्रेन काम में आ सकता है और लोगों को गेनफुल एम्पलायमेंट मिल सकता है और कल्टीवेटर्स को अच्छे पैसे मिल सकते हैं। लोगों को एम्पलायमेंट देने के पचासों तरीके हैं। बनातवाला जी ने कहा कि एम्पलायमेंट अलाऊंस इसलिए दीजिए क्योंकि देश में ब्रेन-ड्रेन हो रहा है, स्कील्ड और अन-स्कील्ड लोगों का। मैं तो कहूंगा कि यह दुख की बात है कि ब्रेन-ड्रेन हो रहा है। एक डाक्टर को तैयार करने में इस देश का तकरीबन एक लाख रुपया लग जाता है, एक इंजीनियर को तैयार करने में साठ-सत्तर हजार रुपया लग जाता है। वह डॉक्टर और इंजीनियर जब विदेश चला जाता है तो इस देश का कितना नुकसान हो जाता है। उसके विपरीत जब वह डॉक्टर और वह इंजीनियर जब सड़कों की धूल फांकता है, फ्रस्ट्रेशन उसके सिर पर सवार होता है तो वह निराश हो जाता है। तो वह उससे भी बड़ा दुख है। मैं कहता हूं कि वह ब्रेन-ड्रेन होता है तो होने दीजिए। उसे पश्चिम के देशों में जाने दीजिए, वह कुछ-न-कुछ कभी-न-कभी वहां से कमाकर ही लायेगा। अपनी मिट्टी का मोह उसे बहुत दिनों तक वहां रहने नहीं देगा। यदि वहां रहेगा तो कुछ-न-कुछ पैसा आपको भेजेगा इसलिए ब्रेन-ड्रेन की वजह से हम लोगों को अन-एम्पलायमेंट अलाऊंस दें, इसमें कोई औचित्य मालूम नहीं होता। मैं अपना उदाहरण देना चाहता हूं। कई साल पहले मैं अमेरिका में था। बड़ी अच्छी नौकरी थी और तकरीबन दो हजार डालर मिलते थे। मैं वहां प्रोफेसर था। जब मैं वहां से चलने लगा तो मुझे हिन्दुस्तानियों ने कहा कि तुम रोओगे हिन्दुस्तान जाकर, तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी। एक मोह था हिन्दुस्तान की जमीन से। यहां आकर मैंने क्या-क्या भुगता वह मैं ही जानता हूं। जब मैं नौकरी के लिए बिहार में गया तो लोगों ने पूछा कौन-सी जात के हो। मैंने कहा कि जाति का नौकरी से क्या मतलब है। उन्होंने कहा कि उससे मतलब है, यहां तो क्वालिफिकेशन में कोई मतलब नहीं है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : इस विषय के लिए दिया गया समय समाप्त हो चुका है।

श्री अनादि चरण दास (जाजपुर) : कृपया इसे दो घण्टे और बढ़ा दीजिए।

सभापति महोदय : यदि यह सभा इस बात पर एकमत है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

अनेक माननीय सदस्य : जी हां, हम सहमत है।

सभापति महोदय : श्री राजहंस, आप अपना भाषण जारी रखें।

[हिन्दी]

डा० गौरी शंकर राजहंस : मैं यह कह रहा था कि मैंने दो सौ रुपये की नौकरी एक प्राइवेट

कालेज में की। उसके बाद मैंने स्ट्रगल किया और मैं सचमुच रोया कि मैं क्यों अमेरिका छोड़कर के चला आया और वहां क्यों इस तरह के हजारों लोग अमेरिका में ही रह जाते हैं। मैंने उन दिनों महसूस किया कि वे ठीक कर रहे हैं। वे कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहां पढ़े-लिखे लोगों की कद्र क्या है। ब्रेन-ड्रेन के बारे में मैं यही कहूंगा कि उनको जाने दीजिए, सैटल होने दीजिए। दो हजार में से पांच सौ या एक हजार डालर अवश्य भेजेगा। आप विदेश भी नहीं जाने देंगे और यहां सड़ने के लिए मजबूर करेंगे और कहेंगे कि तुम सौ रुपये का अलाऊंस लेकर के यहां गुजारा करो। क्या यह उचित है? आपने इसमें कहा है कि एम्प्लायमेंट एक्सचेंज में जिनका नाम दर्ज है उनको यह डोल मिलनी चाहिए या रिलीफ मिलना चाहिए। मेरा अपना अनुभव बहुत ही कटु है। इम्प्लायमेंट एक्सचेंज में नाम लिखाना कितनी टेढ़ी खीर है मैं जानता हूं। रोज मेरे निर्वाचन क्षेत्र के 100-150 आदमी आते हैं और मुझसे कहते हैं कि इम्प्लायमेंट एक्सचेंज में मेरा नाम लिखवाओ वह हमारा नाम नहीं लिख रहे हैं। मैं उन्हें टेलीफोन करता हूं, चिट्ठी लिखता हूं, खूशामद करता हूं कि इनका नाम लिख लीजिये, कई बार मैंने मंत्री जी से भी मदद ली इन लोगों का नाम लिखाने के लिए, पचास खुशामदें कराकर इम्प्लायमेंट एक्सचेंज में उसका नाम लिखा जाता है। जब नाम लिखा जाता है तो पांच-सात बरस तक उसे कोई काल नहीं आती है। एक तो इम्प्लायमेंट एक्सचेंज में नाम लिखाना बड़ी टेढ़ी खीर है, पचास तरह के बहाने किये जाते हैं कि तुम बिहार से आये हो, तुम्हारा प्रमाण-पत्र जाली तो नहीं है, वह कैसे बताये कि यह जाली नहीं है। फिर वह कहते हैं कि तुमने वहां भी अपना नाम रजिस्टर्ड कराया होगा और यहां भी करवा रहे हो, तुम्हें हम रजिस्टर्ड नहीं करेंगे, तुम्हें नौकरी नहीं मिल सकती। वह कहता है कि मैंने अपना नाम वहां रजिस्टर्ड नहीं कराया। इसलिए बनातवाला जी इस बात पर जोर नहीं दें कि जो इम्प्लायमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हैं उन्हीं को यह रिलीफ मिलनी चाहिए, बल्कि रिलीफ पर जोर नहीं देना चाहिए। यह देखना चाहिए कि किस तरह से लोगों को रोजगार मिले। आज मैं देखता हूं, जहां मैं रहता हूं, साउथ दिल्ली में एक दुकान है वहां इलेक्ट्रिशियन रहता है। मामूली से काम के लिए उसे बुलाएं तो तीस रुपये ले लेगा, डाक्टर भी इतनी बड़ी फीस नहीं लेता है। कारपेंटर को बुलाएं तो वह पचास रुपये ले लेता है, पलम्बर की बुलाएं तो वह पच्चीस रुपये लेता है। तो इतनी ज्यादा सो काल्ड टेक्नीकल लोगों की मांग है, जिसमें ज्यादा खर्च की भी जरूरत नहीं है तो बहुत से लोग अगर पलम्बर, कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन का काम सीख लें तो काफी लोगों को रोजगार मिल सकता है। लेकिन बी० ए०, एम० ए० पास करके लोग इतने निकल रहे हैं कि उनको कौन नौकरी देगा। अगर मैं थोड़ी हिम्मत करके यह कहता हूं कि आप इलेक्ट्रिकसिटी का काम सीख लो, आपको नौकरी मिल जायेगी तो वह कहते हैं कि किस तरह हम बी० ए०, एम० एस० पास आदमी यह काम करें। मैं कहता हूं कि भूखे मरने से तो ज्यादा अच्छा है कि तुम इलेक्ट्रिशियन बन जाओ। यह सारा दोष हमारी शिक्षा व्यवस्था में है। भुखमरी, बेरोजगारों की इतनी बड़ी फौज तैयार हो गई है। हम रोज टेलीविजन में देखते हैं कि कम उम्र की लड़की की शादी न करें, यह बहुत अच्छी बात है, हम टेलीविजन में यह भी देखते हैं कि बच्चों को किस तरह से इम्यूनाइज करना चाहिए। टेलीविजन में ही यदि हम लोगों को यह दिखा सकें कि जनरल एजुकेशन से कोई लाभ नहीं है, आप किसी तरह से टेक्नीकल एजुकेशन ले लो तो धीरे-धीरे, पांच बरस में यह मनोवृत्ति दूर हो जाएगी, लोग किसी न किसी तरह का टेक्नीकल ट्रेड ले लेंगे और बेरोजगारी की समस्या काफी हद तक दूर हो जाएगी। यह समस्या बहुत ही गम्भीर है। जितनी आसान यह समस्या ऊपर से दिखाई देती है उतनी आसान नहीं है। मुझको डर लगता है आप बिहार चले जाएं, आप देखेंगे वहां जितना क्राइम हो रहा है उतना पंजाब में नहीं हो रहा है,

यह आंकड़े हैं । लेकिन बिहार की खबर नहीं आती, मैं यह नहीं कहता कि वहां की सरकार फेल्योर है, सरकार ठीक-ठाक काम कर रही है । वहां बेरोजगारों की इतनी बड़ी फौज हो गई है कि उन्होंने क्रोधवश हाथ में कन्ट्री-मेड गन ले ली है क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है और रहने के लिए मकान नहीं है ।

4.00 म० प०

वह करे भी तो क्या करे । पहले कलकत्ता में रोजगार मिल जाया करता था, लेकिन अब तो वह भी सिक हो गया है, अब वहां लोगों को रोजगार नहीं मिलता । इसलिए वह भाग कर दिल्ली की ओर आता है, परन्तु दिल्ली में कॉस्ट ऑफ लिविंग इतना ज्यादा बढ़ गया है कि यहां से भी उसे भाग कर फिर वापस अपने निवास-स्थान की ओर जाना पड़ता है । वहां पहुंचने पर फिर वही क्रम शुरू हो जाता है, मां-बाप के ताने, पड़ोसियों के ताने, रोज सुनने को मिलते हैं । अंत में उसे शस्त्र उठाने को मजबूर होना पड़ता है । इसके पहले कि समाज में जोरों का खून-खराबा फैल जाये, सरकार को इस समस्या के बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए कि देश अनएम्पलायमेंट प्रौब्लम का क्या समाधान हो । सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि इस समस्या को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाये और मिल-बैठकर इस समस्या का समाधान निकालने का प्रयत्न किया जाए ।

[अनुवाद]

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : सभापति महोदय, मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे श्री बनातवाला द्वारा प्रस्तुत किए गए बेरोजगारी उन्मूलन विधेयक; 1985 पर चर्चा में बोलने का अवसर प्रदान किया ।

इस विधेयक के नाम से हर कोई इसका समर्थन करने के लिए लालायित होगा । देखने सुनने से यह विधेयक बहुत ही उत्तम प्रतीत होता है । परन्तु जिस किसी को भी देश की सही स्थिति के बारे में जानकारी है; जिस किसी को भी देश की विभिन्न समस्याओं का एवं उन समस्याओं की गम्भीरता का और देश तथा सरकार के सामने निरन्तर आ रही कठिनाइयों का ज्ञान है और साथ ही साथ व्यावहारिक दृष्टिकोण से भी अगर देखा जाए, तो इस विधेयक के समर्थन करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

मैं एक बार फिर पुरजोर देकर यह कहता हूं कि विधेयक बहुत अच्छा दिखाई तो देता है और हर व्यक्ति इसके समर्थन के लिए उत्सुक हो सकता है लेकिन स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए और व्यावहारिक दृष्टिकोण से मैं इस विधेयक का समर्थन करने के बजाए इसका विरोध करता हूं ।

इस तथ्य से इनकार करने की कोई बात नहीं है कि बेरोजगारी की समस्या अत्यन्त ही भयंकर समस्या है और यह दिन-प्रति-दिन निरन्तर गम्भीर होती जा रही है । लेकिन साथ ही साथ सारे संसार की स्थिति को देखते हुए, मेरा ख्याल है कि हर जगह, यहां तक कि विकसित देशों में भी तथा समाजवादी देशों में भी यह समस्या विभिन्न रूपों में अपना सिर उठा रही है । यहां विकसित देशों से मेरा आशय अमरीका, स्वीडन तथा अन्य देश ।

पिछली गर्मियों में मुझे संसदीय शिष्टमंडल के एक सदस्य के रूप में स्वीडन जाने का अवसर प्राप्त हुआ था । स्वीडन आज संसार का सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला देश है । उस देश में भी हमने यह देखा कि वहां भी बेरोजगार लोग हैं । स्वीडन की कुल आबादी हमारे कलकत्ता शहर की आबादी से भी कम है यह लगभग 85 लाख है लेकिन वह संसार का सबसे धनी देश है । इस स्थिति

में भी उनके यहां बेरोजगारी की समस्या है। हालांकि वहां पर बेरोजगार युवकों को भारतीय मुद्रा में लगभग 3600 रुपए से लेकर 4800 रुपए तक प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। अब यह देखिए कि बेरोजगार स्वीडिश युवक को हर माह 4000 रुपए से 5000 रुपए माह तक बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है और वहां सामान्य आय इससे दोगुनी तो होगी ही। लेकिन क्या हम भारत जैसे देश में ऐसा सोच भी सकते हैं, जहां जनसंख्या में जबरदस्त वृद्धि हो रही है। स्वतंत्रता के समय यह जनसंख्या लगभग 35 करोड़ थी और अब यह इससे दोगुने से भी ज्यादा हो गयी है। यह 70 करोड़ से भी अधिक बढ़ चुकी है। हालांकि हमने विभिन्न देशों में अर्थात् कृषि तथा उद्योग में भारी प्रगति की है। परन्तु इस प्रगति का फल तेजी से बढ़ रही जनसंख्या तथा अन्य कारणों की वजह से निर्धन लोगों तक नहीं पहुंच पाया है। इसलिए यह समस्या कुछ भिन्न है। यदि जनसंख्या की वृद्धि को रोक दिया जाता तो स्वाभाविक है कि इस तरह की निर्धनता हमारे देश में नहीं हो पाती। परन्तु जब यहां गरीबी है तो उसके लिए यह आवश्यक है कि इस गरीबी पर हर तरह से चोट की जानी चाहिए और वास्तव में हमारी सरकार यही कर रही है। लेकिन साथ-ही-साथ मैंने यह देखा है कि भारत में विरोधाभासी समस्याएं हैं। एक समस्या तो यह है कि हमारे यहां असंख्य समस्याएं हैं और दूसरी समस्या यह है कि इन समस्याओं में और नई समस्याएं जुड़ती जा रही हैं। यहां तक कि इस सदन में भी आज ही इसका उल्लेख किया गया है। आज यहां रक्षा बजट पर वाद-विवाद हुआ है। इसके लिए मांग रखी गई है। मैं यह नहीं कहता कि मांग अनुचित है। समर्पण की भावना से तथा अपने जीवन का जोखिम उठाते हुए सेवा करने के बाद तथा 20-20 साल के लम्बे अरसे तक देशभक्ति की भावना से सेवा करने के बाद जब हमारे जवान सेवा-निवृत्त होते हैं तो उनको सिविल सेवाओं में (असैनिक सेवाओं में) समुचित रोजगार दिया जाना चाहिए। यह हमारी मांग रही है। आप एक क्षण के लिए सोचिए; मैं यह नहीं कहता कि यह अनुचित है लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि भारत विरोधाभास की समस्या से जूझ रहा है, यहां और बहुत सी समस्याएं हैं उसी में यह समस्या और जुड़ गयी है। यह समस्या क्या है। हम देख रहे हैं कि बेरोजगारी की समस्या खतरनाक तरीके से बढ़ रही है साथ ही साथ हम यह कहते हैं कि सेवा-निवृत्ति की आयु 58 से 55 और यहां तक कि 50 वर्ष तक घटाने की मांग की जा रही है। दूसरी ओर लोग यह मांग कर रहे हैं कि भारत में लोगों के जीवन काल में वृद्धि हो गई है और अब स्वास्थ्य की दशाएं भी पहले से बहुत अच्छी हो गई हैं और यहां तक कि 60 साल की आयु के बाद भी लोग परिश्रम वाले कार्य करने के योग्य हो गए हैं। ऐसे लोगों के लिए भी कार्य क्यों न उपलब्ध कराया जाए। ऐसे लोग सेवा-निवृत्ति के बाद अपने जीवन की संध्या काल में क्यों परेशान हों।

एक दूसरा विरोधाभास यह है कि हम सरकारी क्षेत्र के विभिन्न संगठनों में, सरकारी नौकरियों में, कारखानों आदि में बेरोजगार लोगों को खपाने के लिए, नियोजन के लिए, भर्ती के लिए बहुत दलीलें देते हैं। दूसरी ओर सरकार का यह कहना है कि मितव्ययता बरती जाए; वित्तीय खर्चों को कम किया जाए और जहां हानि हो रही है वहां लाभ अर्जित किया जाए तथा सभी खाली पदों को न भरा जाए। इसलिए यह विरोधाभास हैं। हर चीज के लिए कोई न कोई कारण है। आप यह नहीं कर सकते कि दोनों ही तर्क सारहीन हैं और इनमें कोई दम नहीं है। वास्तविक समस्या यह है कि हमें इस बढ़ती हुई आबादी को रोकने के हर तरीके अपनाने की कोशिश करनी है। हमें अपने आर्थिक विकास में गति लानी है। हमें इसे इस रूप में करना है कि हम आर्थिक सम्पन्नता प्राप्त कर सकें। हमारी औद्योगिक विकास दर, कृषि विकास दर सकल राष्ट्रीय आय तेजी से बढ़े और साथ ही साथ इसके लाभ समाज के हर वर्ग को बराबर-बराबर मिल सकें। विशेष रूप से यह लाभ उन लोगों को अवश्य मिले जो बेरोजगार हैं या पूरा रोजगार नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोग लाखों की संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि

सम्बन्धी कार्यों में लगे हुए हैं। महोदय, जैसाकि आप जानते हैं भारत मुख्यतः कृषि प्रधान देश है जिसकी 80 प्रतिशत आबादी गांवों में रह रही है और 70 प्रतिशत आबादी प्रत्यक्षतः कृषि पर निर्भर है और इसीलिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने यह टिप्पणी ठीक ही की थी कि भारत गांवों में रहता है। और यदि भारत का विकास करना है तो हमें ग्रामों पर विशेष ध्यान देना होगा। गांधी जी ने इस दिशा में ठोस प्रयास किया और अपनी अंतिम सांसों तक गांधी जी ऐसे ही लोगों के लिए कार्य करते रहे। यही उनका उद्देश्य था। ग्रामों का विकास करना तथा इन ग्रामों को एक इकाई के रूप में विकसित करना, गांवों को मजबूत बनाना यही गांधी जी के उद्देश्य थे। यदि ऐसा किया गया होता, यदि हम ऐसा करने में सफल हो पाते तो बेरोजगारी की यह समस्या बहुत हद तक अपने आप ही सुलझ गई होती और तब श्री बनातवाला को इस प्रकार का विधेयक लाने की आवश्यकता न पड़ती। इसलिए स्वाभाविक है कि किस बात की जरूरत है ? जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि आज भारत को इस बात की आवश्यकता है कि अधिक से अधिक सिंचित क्षेत्रों में दो या तीन फसलें उगाई जाए और यही इस समस्या का सही समाधान हो सकता है।

इसके अलावा हमारे यहां बड़े-बड़े और भारी उद्योग हैं लेकिन बदकिस्मती यह है तथा विरोधाभास यह है कि ऐसे कुछ राज्य हैं जहां बड़े और भारी इस्पात संयंत्रों पर अथवा भारी संयंत्रों पर और प्रमुख उद्योगों पर अधिकतम पूंजी-निवेश किया गया है। परन्तु ऐसे राज्य आज भी निर्धन राज्यों की सूची में शिखर पर हैं। ऐसे राज्यों की निर्धनतावार सूची में बिहार और उड़ीसा सबसे ऊपर आते हैं। इसका क्या आशय है ? जबकि पंजाब जैसे राज्यों में जहां बहुत अधिक भारी उद्योग नहीं, प्रमुख उद्योग नहीं हैं और वहां कृषि का विकास अच्छा किया गया है, कुटीर उद्योगों का विकास किया गया है वहां की प्रति व्यक्ति आय काफी अधिक है। जैसाकि आप जानते ही हैं—मुझे यहां इस बारे में चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है—यह स्वाभाविक है कि हमें कुटीर उद्योगों एवं लघु उद्योगों आदि पर अधिक जोर देना चाहिए। अलबत्ता बड़े उद्योगों के बनने से सहायक उद्योग भी पनपेंगे। हर वर्ष सैंकड़ों की संख्या में कुटीर उद्योग शुरू किए जा सकते हैं। कुटीर उद्योगों तथा लघु उद्योगों का विकास हो सकता है परन्तु साथ ही साथ हमारे लिए अपनी तकनीक और अपनी नीति के बारे में सोचने का यही उचित समय है। हम उच्च तकनीक के आयात की उपेक्षा नहीं कर सकते। क्योंकि हम 21वीं सदी में प्रवेश कर रहे हैं और हमने 21वीं सदी में प्रवेश करने का पक्का इरादा कर लिया है और संसार में प्रमुख स्थान प्राप्त करने के बारे में भी हम कटिबद्ध हैं। हम अलग थलग नहीं रह सकते हैं या अपने परम्परागत तरीकों पर ही निर्भर नहीं रह सकते। परन्तु साथ ही साथ भर्ती किए जाने वालों की बहुत अधिक संख्या को देखते हुए हमें एक ऐसा बीच का रास्ता अपनाना है और यह सुनिश्चित करना है कि हम आधुनिक युग में भी प्रवेश कर जाएं आधुनिक तकनीक भी हमें मिल जाए और हम इसका उपयोग कर सकें तथा हम अपने युवकों की विशाल संख्या को तथा शिक्षित युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करा सकें जो बहुत उत्सुकता से रोजगार के अवसरों की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

इसलिए मेरा कहने का यह आशय है कि सामान्यतः नई तकनीक तथा उच्च तकनीक में पूंजी बहुत अधिक लगती है और श्रमिकों की कम जरूरत होती है। हमें एक ऐसे दृष्टिकोण का विकास करना है जिसमें योजनाएं अच्छी तरह से बनायी जाएं ताकि हम आधुनिक बन सकें और संसार के अन्य देशों से मुकाबला कर सकें तथा अन्तर्राष्ट्रीय नक्शे पर हम उचित स्थान प्राप्त कर सकें। परन्तु साथ ही साथ हम बेरोजगारों तथा अपने उन लाखों निर्धन लोगों का भी ध्यान रख सकें जो भुखमरी एवं निर्धनता की समस्या से जूझ रहे हैं। इस तरह से गांधीवादी अर्थव्यवस्था तथा गांधीवादी दर्शन

को आज के संदर्भ में ध्यान में रखना पड़ेगा। मैं यह नहीं कहता कि जो कुछ गांधी जी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कहा करते थे अक्षरशः उन्हीं बातों को माना जाए। लेकिन इस भावना को ध्यान में रखते हुए हमें थोड़ा बहुत संशोधन तो करना ही पड़ेगा। हमें उसी को अपने खाके के रूप में रखना पड़ेगा और तभी हम अपना विकास कर सकते हैं।

एक और सुझाव है जिसे मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा। हमारे देश में शिक्षित बेरोजगार हैं अशिक्षित बेरोजगार हैं ऐसे भी लोग हैं जिन्हें पूरा रोजगार प्राप्त नहीं है हमारे जैसे कृषि प्रधान देश में 29 प्रतिशत लोग भूमिहीन मजदूर हैं। दूसरे 40 प्रतिशत लोगों के पास थोड़ी बहुत जमीन है—कह लीजिए एक हैक्टेयर या इससे कम। जरा इन 40 प्रतिशत और इन 29 प्रतिशत लोगों के बारे में सोचिए। लगभग 70 प्रतिशत लोग भूमिहीन लोग हैं अथवा सीमान्त किसान हैं। और कहीं-कहीं तो ये किसान भी नहीं हैं—जमीन कुछ ही लोगों के कब्जे है। भूमि सुधार कानूनों को लागू करके भूमि के इस कब्जे को गम्भीरतापूर्वक और सशक्त रूप से समाप्त करना है। भूमि सुधारों को गम्भीरता से लागू करते समय अपने शहरी क्षेत्रों में सम्पत्ति और भूमि के केन्द्रीयकरण की ओर से हम अपनी आंखें बन्द नहीं कर सकते। हमें शहरी भूमि सीमा और सम्पत्ति सीमा की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। अब ऐसा प्रतीत होता है कि वे लोग जो उद्योग स्थापित कर रहे हैं इन सभी कानूनों से ऊपर हैं। ऐसा क्यों हो रहा है ? हमें ऐसी व्यवस्था अपनानी है जिसमें औद्योगिक प्रबंधकों तथा उद्योगों के मालिकों की आय को भी सीमित किया जा सके। अन्यथा इसमें समानता नहीं रह पाएगी और आय में असन्तुलन बढ़ता ही जाएगा। हमारे पास संसद सदस्यों की हैसियत से भी पूरी तस्वीर नहीं है। जब भी कभी कोई समस्या पैदा होती है हम तभी अपना ध्यान उस पर केन्द्रित करते हैं और उसी के अनुसार कार्य करते हैं। हम केवल उसी वर्ग को संतुष्ट करने की द लीलें देते हैं। इस प्रकार से कभी-कभी हम समस्या का पूर्ण समाधान करने और उसका व्यापक समाधान करने के बजाय देश में बढ़ते हुए असन्तुलत को और बढ़ावा देते हैं। यह गम्भीर चिन्ता का विषय है।

रियायतें क्यों दी जाएं। यदि आप रियायतें देते हैं तो इससे प्रोत्साहन को धक्का लगेगा। इसके बावजूद आप कितनी रियायतें दे सकते हैं। जबकि हमारे यहां सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी हैं; सरकारी कर्मचारी हैं जिन्हें अपर्याप्त वेतन मिल रहा है। जनता सरकार के जमाने में "बेयरफुट डाक्टरों" की एक योजना चलाई गई थी। देखिए भाग्य की विडम्बना कि उनको 50 रुपए प्रति माह वेतन दिया जा रहा है। इस थोड़ी सी राशि में आप उनसे क्या काम करा सकते हैं। ये सिवाय बरबादी के और क्या है ? आप उन्हें क्यों रखते हैं ? यदि आप उन्हें रखते हैं तो उन्हें पर्याप्त कार्य दो और उन्हें अच्छा वेतन दो ताकि वे सही तरीके से काम कर सकें और दिए जाने वाले अच्छे वेतन से अपना जीवन सही ढंग से चला सकें। उस तरह लाखों लोगों को कम भुगतान किया जाता है, यहां तक कि उनमें से कुछ सरकारी कर्मचारी भी हैं। जब इस प्रकार की स्थिति है तब आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि हम कितनी धनराशि देंगे ? हम विधवाओं को पेंशन देते हैं और वृद्धावस्था पेंशन देते हैं। ये पेंशन 40 और 50 रुपये के बीच हैं। इससे युवकों की समस्या का हल कैसे होगी ? इसका इससे हल नहीं हो सकता है। हमारे संविधान के निर्माताओं ने उस स्थिति पर अच्छी तरह विचार किया था। इसलिए उन्होंने संभवतया मूल अधिकारों में काम के अधिकार को नहीं जोड़ा था। इसके लिए कार्य-क्षमता, रोजगार-क्षमता पैदा करना आवश्यक है ताकि प्रत्येक व्यक्ति को कार्य करने, अच्छी तरह रहने तथा अच्छी तरह से जीवन निर्वाह करने का अवसर मिल सके। यह हमारा उद्देश्य होना चाहिए। स्वाभाविक रूप से हमारी सरकार एक शालीनता के तरीके से ऐसा करने का प्रयास कर रही है। लेकिन इन प्रयासों को वास्तविक दृष्टिकोण से सम्पूरित तथा बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

अब उस बारे में मेरा एक सुझाव है। विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों में युवकों में असंतोष है क्योंकि उन्हें अपने भविष्य के बारे में निश्चय नहीं है। यहां तक कि डाक्टरेट प्रथम श्रेणी में एम० फिल तथा एम० ए० पास युवकों को भी रोजगार नहीं मिलता है। मुझे बी० ए०, एम० ए० युवक मिले हैं जो कोयले की खानों में लीडरशिप और कुलियों का काम करने के लिए आए हैं। मेरा यह सुझाव है कि महाविद्यालयों से आने के पश्चात रोजगार मिलने तक युवकों को अनेक रचनात्मक कार्यक्रमों में लगाया जाना चाहिए, हमारा पर्याप्त खाद्य भंडार है !

हम उनको भारी संख्या में गांवों में भेज सकते हैं। आपको यह जान कर आश्चार्य होगा कि आजादी के 40 वर्षों बाद आज भी 36 प्रतिशत गांवों को सड़कों से नहीं जोड़ा गया है। इन युवकों की सेवाओं को इन गांवों को सड़कों से जोड़ने के लिए सड़कों के निर्माण के लिए उपयोग किया जा सकता है। चार-पांच महीनों तक आप इनके खर्च को वहन कीजिए। खाने के व्यय के अतिरिक्त उन्हें जेब खर्च दीजिए। उन्हें खाना दीजिए। हम उन्हें सड़कों के निर्माण में लगा सकते हैं इससे दो उद्देश्य पूरे होंगे।

जैसाकि आप यह जानते हैं कि यह कहावत है कि बेकार व्यक्ति का दिमाग शैतान का घर होता है। आप उन्हें रोजगार दीजिए। वे बेकार नहीं रहेंगे। वे कुछ कार्य करेंगे। उनमें श्रम की महत्ता की भावना पैदा होगी। ऐसा हमारे समाज और शैक्षिक पद्धति के लिए बहुत आवश्यक है। इसको ध्यान में रखना चाहिए।

मैं यह भी कहता हूं कि एक उपयोगी चर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करने के विचार से यह एक अच्छा विधेयक है। लेकिन जैसाकि भारत में जैसी स्थिति है उसे उसी रूप में लेकर यह व्यवहारिक दृष्टिकोण से बहुत दूर है। यह व्यवहार्य नहीं है। यह सैद्धांतिक है। गरीबी दूर करने, आर्थिक विकास करने तथा धन का समान वितरण करने को सुनिश्चित करने के लिए यह कांग्रेस सरकार, पंडित नेहरू, इन्दिरा गांधी तथा अब श्री राजीव गांधी के नेतृत्व में कार्य करती आ रही है; इन कार्यों को करने की आवश्यकता है। यह सरकार गरीबी को समाप्त करने, भारत से गरीबी का उन्मूलन करने के इस पवित्र कार्य तथा यह देखने में लगी हुई है कि प्रत्येक व्यक्ति यहां तक कि छोटे से छोटा व्यक्ति निर्धन से निर्धन व्यक्ति के मुख पर भी मुस्कराहट होनी चाहिए।

इन शब्दों के साथ में आपको पुनः धन्यवाद देता हूं तथा अपना भाषणा समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय : श्री ए० जे० वी० बी० महेश्वर राव।

***श्री ए० जे० वी०बी० महेश्वर राव** (अमलापुरम) : सभापति महोदय, मैं श्री बनातवाला द्वारा पुरःस्थापित किए गए बेरोजगारी दिल से उन्मूलन विधेयक 1985 का समर्थन करता हूं। महोदय, हमने छः पंचवर्षीय योजनाओं को पूरा किया है और सातवी पंचवर्षीय योजना को पूरा करने वाले हैं। इन वर्षों के दौरान हमने जो कुछ किया है यह है कि देश में लाखों बेरोजगार युवकों को पैदा किया है। हमारी आयोजना में कहीं दोष है जिसके कारण बेरोजगारी बढ़ रही है। अब बेरोजगारी की समस्या ने विकट रूप धारण कर लिया है। दोषपूर्ण आयोजना के कारण शिक्षा और रोजगार के बीच खाई बढ़ती ही जा रही है। हमारे विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों तथा स्कूलों से निकलने वाले स्नातकों की संख्या देश में उत्पन्न रोजगारों की तुलना में अधिक है। रोजगार के अवसरों के बगैर शिक्षा को प्रोत्साहन देने की यह बेढंगी नीति ही इसका मुख्य कारण है कि बेरोजगारी की समस्या ऐसा गम्भीर

*मूलतः तेलुगु में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

रूप धारण कर रही है। शैक्षिक अवसर उपलब्ध करना अच्छा है। लेकिन साथ ही साथ यह भी आवश्यक है कि हमें उसी अनुपात में रोजगार के अवसर पैदा करना चाहिए। यह सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार को शिक्षा और रोजगार के बीच की खाई को दूर करना चाहिए। महोदय, 10,000 इंजीनियर पैदा करने की क्या आवश्यकता है जब हमें केवल 1,000 इंजीनियर ही चाहिए। हम केवल 1,000 इंजीनियरों के खपाने में ही समर्थ होंगे और शेष बेरोजगार हो जाएंगे। अतः आयोजना उचित होनी चाहिए। शिक्षा और रोजगार के मध्य अन्तर को ठीक प्रकार से रखना चाहिए। वर्तमान आयोजना के दोषों को दूर करने के लिए कदम उठाये जाने चाहिए। और इसे और रोजगारोन्मुखी बनाया जाना चाहिए।

महोदय, सरकार शिक्षा पर करोड़ों रुपये खर्च कर रही है। डाक्टरों, इंजीनियरों, वैज्ञानिकों तथा अकादमीशियनों को तैयार करने पर अधिक खर्च किया जाता है। यद्यपि इन व्यवसायिकों की शिक्षा तथा प्रशिक्षण पर अधिक धनराशि खर्च की जाती है। तथापि उन्हें उपयुक्त रोजगार देकर उनकी सेवाओं का उपयोग करने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। हम उनकी तथा उनके ज्ञान का उपयोग भारत के निर्माण करने में करने की स्थिति में नहीं हैं जिसका हम स्वप्न देखते हैं। चूंकि इस देश में उनके लिए कोई मार्ग खुले हुए नहीं हैं, ये उच्च ज्ञान प्राप्त व्यावसायिक विदेशों के लिए प्रवास करते जा रहे हैं। दूसरे देश इन प्रतिभावान युवकों से अत्यधिक लाभ उठा रहे हैं। महोदय, हमें इन प्रतिभावान युवकों की अन्य युवकों की अपेक्षा अधिक आवश्यकता है। हर कीमत पर प्रतिभापलायन को रोकना पड़ेगा। इस देश में उपयुक्त वातावरण पैदा करना होगा ताकि वे इस देश में वापस आ सकें और उज्ज्वल भविष्य में योगदान दे सके। जो युवक विदेशों में बस गए हैं उनमें से बहुत से युवक अपने देश में आने के बहुत इच्छुक हैं और वे अपने देश की प्रगति के लिए कार्य करना चाहते हैं। सरकार को इन प्रतिभावान सपूतों तथा सुपत्रियों को अपनी मातृभूमि में वापस लाने के तरीकों का पता लगाने के लिए प्रयास करना चाहिए। उनमें से बहुत से युवकों ने विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हमें उनके सम्बन्ध में गौरव महसूस करना चाहिए। अब वे आगे तथा हमारी समृद्धि में योगदान देने के लिए सहमत हैं।

महोदय, बहुत से अनिवासी भारतीय हैं जो विदेशों में बस गए हैं जो अपने देश में धन और सामग्री दोनों का निवेश करना चाहते हैं। ये अनिवासी भारतीय केवल यहां अपना रुपया ही निवेश नहीं करना चाहते हैं बल्कि वे अपने तकनीकी ज्ञान से भी यहां लाभ पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारी प्रक्रिया जटिल है। और उनके निवेश के रास्ते में लालफीताशाही बाधक है। सरकार की वर्तमान नीति अनिवासी भारतीयों को अपने ही देश में अपना रुपये निवेश करने में बाधक है। हम अपने देश में ऐसा वातावरण पैदा करने में असफल रहे हैं जिसमें वे अपनी धनराशि तथा प्रतिभा का सुरक्षापूर्वक निवेश कर सकें। हम इक्कीसवीं शताब्दी में प्रवेश करने का स्वप्न देख रहे हैं। 21वीं शताब्दी में प्रवेश करने के स्वप्न को देश में अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश के सम्बन्ध में उचित वातावरण पैदा करके थोड़े ही समय के भीतर पूरा किया जा सकता है। अनिवासी भारतीय भारत में अपना रुपया निवेश करने के लिए बहुत इच्छुक हैं वे यहां अपने उद्योग स्थापित करना चाहते हैं। वे यहां विभिन्न प्रकार के विकास सम्बन्धी कार्य शुरू करना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए केन्द्रीय सरकार की ओर से कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। सरकार देश में उद्योग स्थापित करने के लिए अनिवासी भारतीयों को सुविधाएं उपलब्ध करने में बिल्कुल असफल हो रही है। अतः मैं अनिवासी भारतीयों के निवेश के लिए उचित वातावरण पैदा करने के लिए सरकार से विनम्र निवेदन करता हूं। महोदय, हमारे प्रिय मुख्य मंत्री श्री एन० टी० रामाराव ने वर्ष 1984 में अपनी मातृ भूमि के औद्योगीकरण के

लिए निवेश करने तथा योगदान देने के लिए वहां बसे हुए आंध्र वासियों तथा भारतीयों के मन को प्यार से जीतने के एक विशेष उद्देश्य से अमरीका की यात्रा की थी। हमारे मुख्य मंत्री की इस देश में विशेष रूप से आंध्र प्रदेश में उनका रुपया निवेश कराने के प्रयास में सफलता मिली है। उन्होंने यहां उद्योग स्थापित करने के सम्बन्ध में अत्यधिक रुचि दिखाई थी। लेकिन अनिवासी भारतीयों के सभी प्रयास तथा रुचि इस सरकार की लालफीताशाही और जटिल तथा असीम प्रक्रियाओं के कारण बेकार हो गयी हैं। अतः आज तत्काल लालफीताशाही और जटिल प्रक्रिया को समाप्त करने की आवश्यकता है। अतः मेरा इस सरकार से अनुरोध है कि वह इस सम्बन्ध में अविलम्ब कदम उठाए। मुझे यह आशा तथा विश्वास है कि यह सरकार अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश करने के सम्बन्ध में उचित वातावरण पैदा करने के लिए कदम उठाएगी। हम देश का तेजी से औद्योगीकरण कर सकते हैं। इससे देश की समृद्धि में योगदान मिलेगा। इस नीति पर चलकर पर्याप्त रोजगार भी पैदा किया जा सकता है। 21वीं शताब्दी में प्रवेश करने का स्वप्न भी सच्चा हो जाएगा।

साथ-ही-साथ हमें कृषि क्षेत्र का और विकास करना पड़ेगा। मैं देश में रोजगार पैदा करने को बढ़ावा दूंगा। हमारी आयोजना इस प्रकार की होनी चाहिए कि जो भी कार्यक्रम शुरू किए जाए उनसे हमारी रोजगार क्षमता में योगदान मिलना चाहिए।

महोदय, इस समय देश में बहुत से व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम हैं। प्रारम्भ में व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रमों में पर्याप्त रुचि दिखाई जाती है। लेकिन यह प्रारम्भिक उत्साह थोड़े समय के भीतर लुप्त हो जाता है। समय-समय पर इन कार्यक्रमों की पुनरीक्षा करने का कोई उचित तंत्र नहीं है। अतः इन सभी कार्यक्रमों ने बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने में कोई योगदान नहीं दिया। वे सभी कार्यक्रम जो रोजगार पैदा करने के लिए थे, बुरी तरह से असफल हो गए हैं।

महोदय, हमारे शैक्षिक संस्थानों से प्रतिवर्ष हजारों व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करके निकल रहे हैं। लेकिन, उनके लिए कोई रोजगार के अवसर नहीं हैं। चूंकि उनके करने के लिए कोई कार्य नहीं है तथा अपनी जीविका कमाने के साधन नहीं हैं, अतः वे असामाजिक तथा राष्ट्र विरोधी तत्वों के हाथों में पड़ जाते हैं। अपनी अत्यधिक निराशा के कारण ये निर्दोष व्यक्ति समाज-विरोधी तथा राष्ट्र-विरोधी हो जाते हैं और सब जगह कानून और व्यवस्था की समस्या पैदा हो जाती है। अधिकांश नक्सलवादी शिक्षित व्यक्ति हैं। इसी प्रकार अधिकांश आतंकवादी शिक्षित बेरोजगार युवक हैं। इस दुर्भाग्यपूर्ण कार्य के लिए समाज और सरकार दोनों को दोषी मानना पड़ेगा। यदि हमने उन्हें रोजगार दिया होता तो उनके पास खाने के लिए रोटी होती और रहने के लिए मकान होते। वे किन्हीं असामाजिक या राष्ट्र विरोधी तत्वों द्वारा पथभ्रष्ट नहीं किए जाते। अतः शिक्षित युवकों को रोजगार दिया जाना चाहिए। हमने उन्हें जो शिक्षा दी है उसका उचित उपयोग किया जाना चाहिए। हमें उन्हें उसी समय रोजगार देना चाहिए जब वे डिग्री या डिप्लोमा अपने हाथ में लेकर आते हैं। एक अन्य प्रश्न जिसका मैं उल्लेख करना चाहता हूं वह यह है कि देश में विभिन्न रोजगारों के लिए आयु सीमा निर्धारित की गई है। आयु सीमा निर्धारित करने का क्या उपयोग है जब सरकार रोजगार देने की स्थिति में ही नहीं है। या तो रोजगार उपलब्ध कीजिए या आयु सीमा को हटाइए। अधिकांश डिग्री धारक आयु सीमा के कारण रोजगार प्राप्त करने की स्थिति में नहीं हैं। इस समय वे सड़कों पर साइकिल रिक्शा चला कर अपनी जीविका कमा रहे हैं। हमें इस तरह के लोग प्रतिदिन मिलते हैं। वे धारा-प्रवाह अंग्रेजी बोलते हैं और जब कोई व्यक्ति उनसे उनकी शिक्षा के बारे में पूछता है तब वे अपनी उच्च शैक्षिक अर्हताएं बताते हैं। भारत को छोड़कर ऐसी शोचनीय स्थिति किसी भी अन्य देश में नहीं है।

मां-बाप अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करके अपने बच्चों को शिक्षा दिलवाते हैं। वे इस आशा से सभी प्रकार की कठिनाइयों का सामना करते हैं कि उनके शिक्षित बच्चे एक दिन अच्छी नौकरी पर लग जाएंगे और वे उन्हें कुछ सहारा देंगे। लेकिन जब उनके बच्चे शिक्षित बेरोजगार हो जाते हैं। उनकी निराशाएं कई गुना बढ़ जाती हैं। उनके सपने चकनाचूर हो जाते हैं। अंत में इस प्रकार के अधिकांश परिवार बर्बादी का सामना करते हैं। जैसे परिवारों की मदद करने के विचार से शिक्षित बेरोजगारों को अनुदान देना आवश्यक है। मैं आशा करता हूं कि सरकार शिक्षित बेरोजगारों को अनुदान देने के सम्बन्ध में कदम उठाएगी। मैं यह भी आशा करता हूं कि सरकार देश में शिक्षित युवकों को बेरोजगारी अनुदान देकर राहत उपलब्ध करने के लिए कदम उठाएगी।

महोदय, जैसाकि कुछ माननीय सदस्यों ने इच्छा व्यक्त की है, केवल 40 या 50 रुपए देना ही पर्याप्त नहीं है। बेरोजगारों का तब तक ध्यान रखना सरकार की जिम्मेदारी है जब तक कि उन्हें रोजगार उपलब्ध नहीं हो जाता। अत: सरकार को इस जिम्मेदारी को निभाने का प्रयास करना चाहिए।

महोदय, यहां तक कि गैर-सरकारी क्षेत्रों में रोजगारों के लिए भी व्यक्ति को अनिवार्यत: रोजगार कार्यालयों के माध्यम से जाना पड़ता है। लेकिन क्या गैर-सरकारी क्षेत्र रोजगार कार्यालयों द्वारा भेजे गए उम्मीदवारों की नियुक्ति करके अपने वचन का पालन करता है ? अत: सरकार को गैर-सरकारी क्षेत्र में भी पदों को भरने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेनी चाहिए। इसी प्रकार विभिन्न प्रसार योजनाएं अधिक रोजगार क्षमता पैदा करने के लिए शुरू की जानी चाहिए। उस तरीके से बेरोजगारी की समस्या को कुछ सीमा तक हल किया जा सकता है।

महोदय, देश में प्राकृतिक संसाधन पर्याप्त मात्रा में हैं। मेरा आंध्र प्रदेश राज्य संसाधनों के मामले में बहुत धनी है। इन संसाधनों का उपयोग देश की प्रगति तथा सम्पन्नता के लिए करना होगा। इन प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग करने से रोजगार पैदा हो सकते हैं। अत: अपने संसाधनों का उपयोग करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। हमारी आयोजनाएं इस प्रकार से तैयार की जानी चाहिए जिससे राष्ट्र की प्रगति और समृद्धि के लिए प्राकृतिक संसाधनों के उपयुक्त उपयोग के लिए अधिक से अधिक जनशक्ति का उपयोग किया जा सके। मैं यह आशा करता हूं कि सरकार भविष्य में इन बातों को ध्यान में रखकर अपनी आयोजना को पुन: तैयार करेगी।

महोदय, मैं आपको मुझे बोलने के लिए समय देने के लिए धन्यवाद देते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूं।

***श्री वी० कृष्ण राव** (चिकबल्लापुर) : सभापति महोदय, आज हम एक महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा कर रहे हैं। बेरोजगारी की समस्या दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है। यह हमारे देश के लोगों के सामने भूत की तरह खड़ी हुई है। देश से इस समस्या को समाप्त करने के लिए कदम उठाने के लिए सरकार के लिए यह उपयुक्त समय है।

हमने कृषि क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति की है। इसके बावजूद भी कृषि क्षेत्र बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने की स्थिति में नहीं है। इसका मुख्य कारण भूमि विखण्डन है। एक ओर जोत सीमा धीरे-धीरे घट रही है और दूसरी ओर जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। अत: हमें

*मूलत: कन्नड में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

बेरोजगारी की समस्या को सुलझाने के लिए अन्य क्षेत्रों पर भी विचार करना होगा। दूसरा विकल्प औद्योगिक क्षेत्र है।

हमारे देश की गिनती उन देशों में है जिन्होंने उद्योग और आधुनिक औद्योगिकी के क्षेत्र में अत्यधिक सफलता प्राप्त की है। यहां तक कि औद्योगिक क्षेत्र भी बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने की स्थिति में नहीं हैं। अतः औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार करना बहुत आवश्यक है जिससे बेरोजगार युवकों को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराए जा सकें। नये उद्योग विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित करने होंगे। मैं इस बात पर इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि अधिकांश जनता गांवों में रहती है। 70 प्रतिशत से भी अधिक लोग गांवों में रहते हैं। और उनमें से अधिकांश लोग कृषक हैं। उद्योग देश के कोने-कोने में स्थापित किये जाने चाहिए। सरकार द्वारा करोड़ों रुपए खर्च किये जा रहे हैं। लेकिन उसका परिणाम क्या है। इस नियतन का कोई उचित उपयोग नहीं होता है। औद्योगिक क्षेत्र की आयोजना संतोषजनक नहीं है। इसे ठीक करना पड़ेगा। इसके पश्चात् हमें सिंचाई पर ध्यान देना पड़ेगा। हमें कृषि के अन्तर्गत अधिक क्षेत्र लाना होगा। जब तक ऐसा नहीं होता है देश में बेरोजगारी की समस्या का कोई समाधान नहीं है।

हमारी स्वर्गीय नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी ने भी गरीब जनता की दशा सुधारने के लिए बहुत कुछ किया है। हमारे नेता तथा प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी ने गरीबों की दशा सुधारने के लिए प्रशंसनीय सेवा की है। गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों के उत्थान के लिए हमारी सरकार की समर्पित सेवा भी सराहनीय है।

फिर भी सम्पूर्ण देश में बेरोजगारी की समस्या है। 20-सूत्री कार्यक्रम के सराहनीय उद्देश्य हैं। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा अन्य कार्यक्रम से ग्रामीणों को अपने जीवन स्तर को सुधारने में वास्तव में सहायता मिल रही है। इस 20-सूत्री कार्यक्रम ने भी बेरोजगारी की समस्या का पूर्णतः हल नहीं किया है। यह केवल जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण ही है। परिवार नियोजन के कार्यक्रम को ठीक तरह से तथा सख्ती के साथ कार्यान्वित करना पड़ेगा। अमरीका, जापान जैसे देशों में परिवार छोटे होते हैं। इसके विपरीत हमारे देश में परिवार नियोजन को सभी लोगों द्वारा नहीं अपनाया जा रहा है। देश की प्रगति के लिए बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियन्त्रण करना बहुत आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो हमारी सभी आयोजना तथा अनुमान व्यर्थ हो जायेंगे।

हमारे देश में पर्याप्त जनशक्ति बर्बाद हो रही है। प्राकृतिक संसाधनों का आशा के अनुरूप उपयोग भी नहीं किया जा रहा है। व्यक्तियों की कार्यकुशलता बर्बाद की जा रही है। ये सभी बेरोजगारी के परिणाम हैं। इस समस्या ने युवकों में अशांति पैदा कर दी है। देश में आन्दोलन, बैंक डकैतियां, चोरी की घटनाएं होती हैं। यहां तक कि आतंकवादियों की गतिविधियां भी और कुछ नहीं बल्कि बेरोजगारी का परिणाम ही है।

हमारे देश के सामने जितनी भी समस्याएं हैं उन सबका समाधान हमारी शिक्षा पद्धति में ही है। एक एम० ए० की डिग्रीधारक व्यक्ति क्लर्क या कंडक्टर या डोर-कीपर के पदों के लिए आवेदन करेगा। महाविद्यालय और अन्य शैक्षिक संस्थान युवकों को डिग्रियां देने में लगे हुए हैं। अतः अपनी शिक्षा पद्धति में संरचनात्मक परिवर्तन लाना नितांत आवश्यक है।

हमारी नई शिक्षा नीति इस समस्या का हल करने में समर्थ होनी चाहिए। जैसा कि नई नीति

में घोषित किया गया है शिक्षा रोजगार देने वाली होनी चाहिए। देश भर में हमें शिक्षा के व्यवसायीकरण को प्रोत्साहन देना पड़ेगा।

अंत में मैं यह दोहराता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों का विस्तार, परिवार नियोजन, व्यावसायिक शिक्षा पद्धति का सख्ती से कार्यान्वयन और सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि करने से ही बेरोजगारी की समस्या का समाधान होगा।

मैं इस गरिमायुक्त सभा में बहुत ही महत्वपूर्ण मामलों पर प्रकाश डालने के लिए इस प्रकार का बढ़िया विधेयक लाने के लिए श्री बनातवाला को धन्यवाद देता हूं। मैं आशा करता हूं कि हमारी सरकार बेरोजगारी की इस समस्या का उन्मूलन करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी। महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया और इन शब्दों के साथ अपना भाषण समाप्त करता हूं।

***श्री अनादि चरण दास** (जाजपुर) : सभापति महोदय, श्री जी०एम० बनातवाला द्वारा बेरोजगारी उनमूलन से सम्बन्धित विधेयक पर सभा में चर्चा हो रही है। इस विधेयक में देश के विभिन्न भागों में बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने के लिए उपबन्ध किया गया है। कुछ राज्य सरकारें बेरोजगारी भत्ता दे रही हैं किन्तु बेरोजगारी भत्ते देने से ही हम इस सम्भीर समस्या का सामाधान नहीं कर सकते। बेरोजगार व्यक्ति भत्ते की इस अल्प राशि से जीवन निर्वाह नहीं कर सकता। इसलिए हमें यह देखना होगा कि अधिक से अधिक रोजगार के अवसर कैसे बनाए जा सकते हैं और अधिक से अधिक बेरोजगार युवाओं को रोजगार कैसे दिया जा सकता है। हमें बेरोजगार युवाओं को अपनी दशा में सुधार करने में मदद करनी चाहिए। यदि उन्हें रोजगार मिलेगा तो वे अपने परिवार का भरण-पोषण कर पाएंगे, अपने बूढ़े माता-पिता की देखभाल कर पाएंगे और समाज में सम्मान से रह पाएंगे। इसलिए हमें इन सभी पहलुओं पर विचार करना होगा और समाज में अन्य लोगों के समान जीवन व्यतीत के लिए उनकी मदद करनी होगी। श्री बनातवाला ने अपना विधेयक प्रस्तुत करते हुए यह कहा था कि 1980 में जितने लोग बेरोजगार थे उनमें 1985 में 62% तक वृद्धि हुई है। वर्ष 1985 में 262 लाख लोग बेरोजगार थे हमें इस आंकड़ों को सही नहीं मानना चाहिए क्योंकि इसमें अनपढ़ बेरोजगारों की संख्या शामिल नहीं की गई है। यदि इसमें उन्हें भी शामिल किया जाए तो इस संख्या में और वृद्धि होगी। अतः हम इस आंकड़े में 25 या 30% तक की वृद्धि कर सकते हैं और उसी को देश में बेरोजगारों की समुचित संख्या मानी जानी चाहिए। रोजगार देने के बारे में विचार करते हुए सभी बेरोजगारों को ध्यान में रखना चाहिए। हमें सभी बेरोजगारों पर ध्यान देना चाहिए और उसके अनुसार योजना बनानी चाहिए।

भारत एक प्रजातांत्रिक और समाजवादी देश है। केवल बातों से हम समाजवाद नहीं ला सकते। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें भरसक प्रयास करने होंगे। जे०आर० नायक और महात्मा गांधी कुछ ऐसे महान व्यक्ति हैं जिन्होंने स्वतंत्रता आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया था। महात्मा गांधी ने कहा था कि सभी नागरिकों के लिए समान अधिकारों और अवसरों की व्यवस्था के लिए हमें विकेन्द्रीकरण पर बल देना होगा। किन्तु इस समय सभी कुछ केन्द्रीकृत है। उसके परिणामस्वरूप समाज में सभी सुविधाओं का केवल कुछेक लोग ही लाभ उठा रहे हैं। उन्हें रोजगार मिल रहे हैं और इस प्रकार वे खूब धन कमा रहे हैं। धनी व्यक्ति उद्योगों की स्थापना कर पा रहे हैं और वही लोग अपना व्यापार भी बढ़ा पा रहे हैं। ये धनवान लोग गरीबों का शोषण कर रहे हैं। हमारे समाज को शोषण से मुक्त किया

*मूलतः उड़िया में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

जाना चाहिए। मछली पानी में रहती है। अगर हम यह कहें कि उस मछली को पानी नहीं पीना चाहिए तो क्या यह सम्भव है ? इसी प्रकार हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां शोषण विद्यमान है। ऐसे समाज में रहते हुए हम उसे शोषण से मुक्त करने की बात कैसे कर सकते हैं ? कुछ लोगों का मेरे विचारों से मतभेद हो सकता है किन्तु मैं यह सिद्ध कर सकता हूं कि इस देश में हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में इस शोषण का भागीदार है। भारत एक ऐसा देश है जहां अभी भी जातिप्रथा है यहां हजारों लोग ऐसे हैं जो घोर गरीबी में अपने दिन काट रहे हैं। हमारे देश में कुछ खानाबदोश कबीले हैं, कुछ आदिम जनजातियां हैं जो अर्द्ध-नग्न रहती हैं। ऐसे लोग भी कुछ राज्यों में हैं अतः हमें उनके बारे में भी सोचना है।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : उनके बारे में सोचकर ही हम उनकी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं ला सकते।

श्री अनादि चरण दास : तो फिर आप करिए। आप तो तीन राज्यों में सत्ता में हैं। पहले पश्चिम बंगाल को चाहिए कि रोजगार की व्यवस्था करने के लिए कुछ उपाय करे और गरीब जनता की दशा में सुधार लाए। फिर केरल और त्रिपुरा को चाहिए कि पश्चिमी बंगाल का अनुकरण करे। यदि आप कुछ उदाहरण पेश करें तो अन्य राज्य भी आपका अनुकरण करेंगे।

महात्मा गांधी जो कहते थे वही करते थे और उन्होंने सभी को वैसा ही करने की सलाह दी थी। इसीलिए जनता महात्मा गांधी के आह्वान से प्रेरित होती थी और तभी वे देश को आजाद करा सके। एक बार हमारे साम्यवादी मित्र इस देश के सभी नागरिकों को समान अधिकार और अवसर दिलाने में केन्द्र पर असफल रहने का आरोप लगा रहे थे। अब तो तीन राज्यों में उनकी सरकार है। अब उन्हें बेरोजगारी और गरीबी हटाकर अपनी जनता को भली भांति जीवन-यापन करने की सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए। उन्हें जनता की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी करनी चाहिएं। यदि वे ऐसा करते हैं तो गैर-साम्यवादी राज्य उनके उदाहरण का अनुकरण करेंगे। किन्तु वस्तुतः भारत में यह बिल्कुल असम्भव है। ग्रामवासी बंटे हुए हैं आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि एक गांव के एक छोर पर रह रहे लोग एक देवता की पूजा करते हैं और दूसरी ओर रह रहे लोग दूसरे देवता की पूजा करते हैं। अतः गांवों में बिल्कुल एकता नहीं है। जैसाकि मैं पहले भी कह चुका हूं, ग्रामवासियों में बंटवारे और एकता न होने की स्थिति के लिए जातिप्रथा भी जिम्मेवार है। तो हम एक असमानतापूर्ण समाज में रह रहे हैं। आज एकता और अखंडता हमारे सामने मुख्य समस्या बन गई है। हमें किसी भी कीमत पर इसे बनाए रखना है। संस्कृत में एक कहावत है जिसके अनुसार यदि आप व्यापार करेंगे तो देवी लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होंगी और आप धनवान हो जाएंगे। यदि आप खेती करेंगे तो जितना व्यापार में कमाएंगे उसका आधा अर्जित कर पाएंगे। और यदि नौकरी की तो उसका भी आधा कमाएंगे और यदि भिक्षा मांगेंगे तो कुछ भी नहीं बचा पाएंगे। यदि आप गांवों में जाएं तो आपको पता चलेगा कि वेतनभोगी लोग अब विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग बन गया है। यहां तक कि श्रेणी-चार का कर्मचारी भी काफी अच्छी कमाई कर लेता है। नौकरी पेशा लोग, विशेषकर उच्चाधिकारी अपनी अगली पीढ़ी के लिए भी बचत कर पाते हैं। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि व्यापारी वर्ग उच्चतम स्थिति पर नहीं है। अब तो सरकारी अधिकारी ही धनवान हैं और देवी लक्ष्मी उन पर प्रसन्न है। यदि किसी परिवार का एक सदस्य नौकरीशुदा होता है तो उस परिवार की आर्थिक दशा सुधर जाती है। कांग्रेस के राज में अनेक विद्यालयों की स्थापना की गई और शिक्षितों की संख्या में वृद्धि हुई। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद वे रोजगार की तलाश कर रहे हैं। यदि हम एक परिवार के एक सदस्य को भी रोजगार देते हैं तो पूरे परिवार की मदद कर सकते हैं। किन्तु खेद है कि ऐसे नौकरी तलाश करने वालों की संख्या में

वृद्धि हो रही है और हम उन्हें रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। हमें चाहिए कि हम एक परिवार के कम से कम एक सदस्य को, चाहे वे शिक्षित हो या अशिक्षित, रोजगार देने के बारे में नीति-निर्णय लें। इस लिए मैंने अपने संशोधन में कहा है कि एक परिवार एक रोजगार। महोदय, ऐसे अनेक लोग हैं जो दैनिक मजूरी पर काम कर रहे हैं। ये लोग अपने परिवार का समुचित भरण-पोषण नहीं कर पा रहे हैं। एक श्रमिक और एक नौकरी पेशा व्यक्ति में बहुत ज्यादा अन्तर है। एक कर्मचारी भली भांति जीवन-यापन कर रहा है और अपने बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था कर पा रहा है जबकि एक श्रमिक मुश्किल से दो वक्त की रोटी जुटा पाता है। चूंकि ये कामगार बड़ी विपदा में जीवन गुजार रहे हैं इसलिए हमें उनके लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा प्रत्येक कामगार का पारिश्रमिक चाहे वह कृषि मजदूर हो, कारखानों का कामगार हो या इमारती काम करने वाला हो, उसमें वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वह अपने परिवार का भरण-पोषण कर सके और सुविधापूर्वक जीवन व्यतीत कर सके। उसे समाज में सुरक्षा मिलनी चाहिए। प्रत्येक कामगार को कम-से-कम एक वर्ष में 300 दिन काम मिलना ही चाहिए। हमें चाहिए कि पूरे वर्ष में प्रत्येक कामगार को रोजगार दिलाने के लिए सुविचारित योजना बनाएं। दूसरी बात यह है कि उनकी दैनिक मजदूरी बढ़ाई जाए और तीसरी बात यह है कि एक परिवार के एक सदस्य तक ही भर्ती सीमित की जाए। यदि हम ऐसा करते हैं तो काफी हद तक बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने में मदद कर सकते हैं। यदि आवश्यक हो तो संविधान में भी संशोधन किया जा सकता है, क्योंकि यह मौलिक अधिकारों का प्रश्न है।

महोदय, हमारी सरकार ने बेरोजगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए अनेक उपाय किए हैं। उसमें कोई प्रतिबन्ध नहीं हैं। प्रत्येक परिवार के प्रत्येक सदस्य को किसी भी परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई है। सभी सफल प्रत्याशियों को रोजगार मिल रहे हैं। इसके अतिरिक्त सरकार ने केन्द्रीय स्तर पर प्रायोजित अनेक योजनाएं लागू की हैं जिनके अंतर्गत ग्रामवासियों को रोजगार उपलब्ध कराए जाते हैं। वे हैं एन०आर०ई०पी०, आई०आर०डी०पी० और आर०एल० ई०जी०पी० आदि। कुछ वैयक्तिक स्तर पर लाभ-भोगी योजनाएं भी लागू की गई हैं। किन्तु यह बड़े खेद की बात है कि इन कार्यक्रमों को उचित ढंग से लागू नहीं किया जा रहा है। अनुसूचित जातियों के लिए विशेष उप योजनाएं हैं और अनुसूचित जनजातियों के लिए जनजातीय उपयोजनाएं हैं। मैं स्व रोजगार योजना के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। सरकार ने यह योजना शिक्षित बेरोजगारों, खासतौर से जो शहरी क्षेत्र में रह रहे हैं उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने के लिए लागू की हैं। अब इसे ग्रामीण क्षेत्रों में भी लागू कर दिया गया है। किन्तु मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि यह योजना उन्हें लाभ नहीं दे पा रही है। 95% युवा जिन्होंने ऋण लिया है, अपने व्यवसाय में सुधार नहीं ला पाए हैं और इसीलिए वे ऋण की अदायगी नहीं कर पाए हैं। मैंने अपने क्षेत्र में सर्वेक्षण किया है और आप पूरे देश में यह पता लगाने के लिए सर्वेक्षण करें कि स्व रोजगार योजना के अन्तर्गत कितनी सफलता मिली है, तो आपको सही चित्र दिखाई देगा। इनमें से शायद ही कोई व्यक्ति अच्छा उद्यमी बन पाया है। सरकार ने ऋण दिए और यह धनराशि बाजार में चली गई। इस धन प्रवाह के परिणामस्वरूप मूल्यों में वृद्धि हुई। इस प्रकार रुपए का मूल्य घटा। उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई। ऋण के इस भारी प्रवाह से रोजगार नहीं बढ़ पाया! हां यह बात जरूर है कि जिन लोगों के पास पहले से ही व्यापार था उन्होंने इस योजना के अन्तर्गत किसी तरह से ऋण प्राप्त कर लिया और अपने पुराने व्यापार में ही उसका निवेश कर दिया और लाभ कमा लिया। इसीलिए मैं एक बार फिर सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे कम से कम पंचायतवार या प्रखण्डवार सर्वेक्षण करवाएं। हमें स्व रोजगार योजना की असफलता के कारणों का अवश्य पता लगाना चाहिए। हमें उन तरीकों का पता लगाना होगा जिससे यह मालूम हो सके कि इस योजना के असफल होने के लिए

जिम्मेदार कारणों को कैसे दूर किया जा सके । यदि हम ऐसा नहीं कर सकते तो हमें इस योजना को ही भूल जाना चाहिए। मैं तो इसे भूल ही चुका हूं ।

उसकी बजाय हमें नौकरी की व्यवस्था करने के बारे में सोचना चाहिए। अभी भी कुछ ऐसे तरीके हैं जिनके माध्यम से हम उन्हें रोजगार प्रदान कर सकते हैं। कुछ श्रेणियों के पदों के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और कुछ अन्य प्रत्याशियों का कोटा होता है । मैं सरकार को यह सुझाव देना चाहता हूं कि वह अन्तर-जातीय विवाह करने वाले दम्पत्तियों को भी यह सुविधा प्रदान करें। पति या पत्नी के लिए ऐसा आरक्षण किया जाना चाहिए । यदि ऐसा किया जाता है तो इससे हमारे समाज पर काफी व्यापक प्रभाव पड़ेगा। साथ ही मैं सरकार को यह भी सुझाव देना चाहता हूं कि हमारे समाज में मूल-भूत परिवर्तन और सुधार लाए क्योंकि पुरानी व्यवस्था वर्तमान परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है ।

5.00 म० प०

महोदय, कृषि, मजदूरों को ही लें। हमारे अनेक सरकारी फार्म हैं जहां प्रतिदिन सैकड़ों मजदूर काम करते हैं लेकिन उन्हें दिहाड़ी पर ही काम दिया जाता है। उन्हें स्थायी तौर पर फार्मों में नौकरी दी जानी चाहिए और इस प्रकार उन्हें नौकरी में सुरक्षा प्राप्त होगी । गांवों में रह रहे अदक्ष कामगारों को सरकारी फार्मों में नौकरी दी जा सकती है । मैं यह बात आपके ध्यान में लाना चाहता था क्योंकि ये अदक्ष कामगार यहां-वहां भटक रहे हैं । यदि उन्हें नौकरी में सुरक्षा दे कर प्रोत्साहित किया जाएगा तो वह फार्मों में मन लगाकर काम करेंगे और कृषि की उपज बढ़ाने में मदद करेंगे । दुर्भाग्यवश इस पहलू पर ध्यान नहीं दिया गया और कुछ "बाबू" या क्लर्क जिनकी नियुक्ति की गयी है उन्हें खेती के बारे में कोई जानकारी नहीं है जबकि फार्म के मजदूर को नौकरी में सुरक्षा नहीं दी गई है । फार्म के प्रबन्धक उन्हें रोज काम नहीं देते हैं । इसलिए वे एक और फार्म के प्रबन्धकों तथा दूसरी ओर तथा-कथित "बाबूओं" या क्लर्कों आदि के रहमो-करम पर हैं, जोकि स्थाई कर्मचारी के रूप में फार्म में नौकरी करते हैं । अपने सेवाकाल के दौरान उन्हें मासिक वेतन मिलता है और वे अनुचित तरीकों से भी अतिरिक्त धन कमाते हैं । अपने प्रभाव के कारण वे अपने बच्चों को नौकरी दिलाने में भी सफल हो जाते हैं । वे 58 साल की उम्र तक काम करते हैं । सेवा-निवृत्त होने पर उन्हें पेंशन का लाभ मिलता है । अतः फार्म के बारे में जानकारी न होने पर भी ये लोग सभी प्रकार लाभ प्राप्त करते हैं जबकि अदक्ष कामगार जो फार्मों में उत्पादन बढ़ाने में मदद करते हैं वे नौकरी में समुचित सुरक्षा के अभाव के कारण बड़ी गरीबी में दिन गुजारते हैं । अतएव मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह सरकार के स्वामित्वधीन और प्रबन्धगत फार्मों का सर्वेक्षण करवाए । उन फार्मों में दिहाड़ी पर काम कर रहे अदक्ष कृषि मजदूरों को स्थाई किया जाए । फार्म के कर्मचारियों के लिए वर्तमान सेवा शर्तों को कृषि मजदूरों पर भी लागू किया जाए ।

मैं भवन-निर्माण कामगारों के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं । बहुत से सरकारी उपक्रम अस्थाई आधार पर भवन-निर्माण मजदूरों को काम पर लगाते हैं और उन्हें ठेकेदारों के माध्यम से काम पर लगाया जाता है । हालांकि भवन-निर्माण मजदूरों के लिए कुछ लाभ की व्यवस्था करने के लिए कानून हैं फिर भी उन कानूनों को समुचित रूप से लागू नहीं किया जाता । सभी लाभ ठेकेदारों को मिल जाते हैं । भवन-निर्माण मजदूरों को उचित मजदूरी अदा नहीं की जाती । उसके अतिरिक्त जब कभी वे बीमार होते हैं तो उन्हें ठेकेदारों से कोई मदद नहीं मिलती है । जब वे दुर्घटनाग्रस्त होते हैं तो उन्हें कोई वित्तीय सहायता भी नहीं मिलती है । इसलिए, मैं सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि वह इन कामगारों की स्थिति का अध्ययन करवाए । उन्हें सरकारी उपक्रमों द्वारा नियमित रूप से

सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया जाए। ठेकेदारी प्रथा को समाप्त किया जाना चाहिए। इससे शोषण खत्म हो जाएगा। यदि भवन-निर्माण कामगारों को स्थाई आधार पर नौकरी और उसकी सुरक्षा प्राप्त होगी तो वे अपने बेहतर भविष्य के बारे में सोच सकेंगे।

मैं घरेलू नौकरों में भी कुछ कहना चाहता हूं। बहुत से लोग घरेलू नौकर रखते हैं। इनमें से कुछ घरेलू नौकर पूर्णकालिक आधार पर काम करते हैं और कुछ अंशकालिक आधार पर काम करते हैं। पूर्णकालिक आधार पर काम करने वाले घरेलू नौकर मालिक के साथ रहते हैं। ऐसे अनेक सरकारी कर्मचारी हैं जो उन्हें रखते हैं क्योंकि पति और पत्नी दोनों नौकरी करते हैं। ये पूर्णकालिक नौकर अपने नियोक्ता के बच्चों की देखभाल करते हैं। घर का खाना पकाते हैं और अन्य घरेलू काम भी करते हैं। किन्तु उसके बदले में उन्हें कुछ नहीं मिलता। मासिक वेतन के रूप में उन्हें बहुत कम राशि मिलती है। जब नियोक्ता उन्हें रखना नहीं चाहते तो उन्हें किसी न किसी बहाने से नौकरी से निकाल देते हैं। ऐसे नियोक्ता यह आरोप भी लगा देते हैं कि उनके नौकर ने चोरी की है और भाग गया है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अधिकांश घरेलू नौकर बिना किसी वेतन के कई वर्षों तक काम करते रहते हैं। जब वे परेशान होकर नौकरी छोड़ देते हैं तो उन्हें उनके वेतन की राशि नहीं दी जाती। इसलिए सरकार को चाहिए कि घरेलू नौकरों के रूप में काम कर रहे लोगों की संख्या जानने के लिए देश भर में सर्वेक्षण करवाए। सरकार को चाहिए कि घरेलू नौकरों के हितों की रक्षा के लिए व्यापक विधान लाए। नियोक्ताओं को चाहिए कि वे उन्हें स्थाई आधार पर सरकारी कर्मचारियों की तरह नियुक्त करें और उन्हें सेवा-निवृत्ति के लाभ दिए जाएं।

महोदय, हमने जमींदारी प्रथा समाप्त कर दी है। राजाओं और जमींदारों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है उन्हें वैसा कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है जैसे जब प्राप्त थे जब वे शासक थे। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है और कानून बनाकर हमने साहूकारी की प्रथा समाप्त कर दी है। लेकिन अब एक नया वर्ग अर्थात् उच्च वेतन प्राप्त कर्मचारियों का वर्ग, उभर कर आया है। वे उन गरीब लोगों का शोषण कर रहे हैं जो उनके घरों में घरेलू नौकरों के रूप में कार्य कर रहे हैं। उसके अतिरिक्त वे अपने वेतन से भी ज्यादा धनराशि कमाने में सक्षम हैं। अतः हमें चाहिए कि उन्हें गरीब लोगों का शोषण न करने दें।

जिन जमींदारों के पास 10 एकड़ से ज्यादा जमीन है वे अस्थाई आधार पर कृषि मजदूरों को काम पर लगाते हैं। वे कामगारों को मौसम या वर्ष के आधार पर काम पर लगाते हैं। इन अवधियों के आधार पर वे अपने कामगारों को मजदूरी की बहुत कम रकम अदा करते हैं। ये जमींदार किसी श्रम विधि या नियमों का पालन नहीं करते। मेरी राय में इन जमींदारों को अस्थाई आधार पर कामगारों की नियुक्ति करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। गैर-सरकारी क्षेत्र के विभिन्न संयंत्रों में काम कर रहे मजदूरों के समान उन्हें भी स्थाई आधार पर नौकरी दी जानी चाहिए।

महोदय, अभी तक हमने जनशक्ति के बारे में समुचित योजना नहीं बनायी है। इससे पहले श्रम विभाजन जाति प्रथा पर आधारित था। हां, आजादी के बाद ऐसा नहीं रहा। लेकिन हमारी योजना कहीं न कहीं दोषपूर्ण रही है। इस विधेयक पर बोलते हुए अनेक माननीय सदस्यों ने कहा है कि हमारे आयोजन में दोष के कारण तथा आबादी में तेजी से वृद्धि के कारण देश में बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जा रही है। रोजगार की तलाश करने वाले निराश होकर अपराध कर रहे हैं। वे देश की समृद्धि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बेरोजगारों में हो रही वृद्धि हमारी अतिरिक्त जनशक्ति है। हमें एक समुचित योजना बनानी चाहिए ताकि इस अतिरिक्त जनशक्ति का समुचित रूप में उपयोग किया जा सके। उन्हें आस्ति के रूप में समझना चाहिए न कि दायित्व के रूप में।

मैंने एक संशोधन प्रस्तुत किया है जिसमें मैंने कहा है कि सरकार के अधीन किसी व्यक्ति का सेवा काल 20 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए और 20 वर्ष की सेवा के बाद उस कर्मचारी को 10 वर्ष की पेंशन के बराबर राशि एकमुश्त अदा की जानी चाहिए और 10 वर्ष की अवधि के बाद उसे फिर से पेंशन प्रदान की जानी चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो कर्मचारियों को सेवा-निवृत्ति के बाद काफी बड़ी धनराशि प्राप्त हो जायेगी और उस धनराशि से वे कोई व्यापार कर सकते हैं। वे अच्छे उद्यमी बन सकते हैं। कम उम्र में व्यापार शुरू करने वालों के पास कोई पर्याप्त धनराशि नहीं होती है। वे परिपक्व नहीं होते हैं और उन पर पारिवारिक जिम्मेदारी भी नहीं होती है। वे भविष्य के बारे में नहीं सोचते। स्व-रोजगार योजनाओं के असफल होने के यही कारण हैं। जो लोग 20 वर्ष की अवधि के बाद उद्यम शुरू करते हैं उनमें जिम्मेदारी की भावना ज्यादा होती है। वे अपने परिवार का भविष्य सोचते हैं। उनके सामने बहुत से दायित्व होते हैं जैसे बच्चों की शिक्षा के लिए व्यवस्था करना, उनका विवाह करना और अपने माता-पिता की देखभाल करना आदि। वह अनुभवी होता है और इसीलिए यदि वह कोई व्यापार या उद्योग शुरू करता है तो उसे भली भांति विकसित कर सकता है। भारत में प्रति वर्ष लगभग 3 लाख 25 हजार कर्मचारी सेवा-निवृत्त होते हैं और उतने ही भर्ती होते हैं। यदि 20 वर्ष पूरे होने पर कर्मचारियों को सेवा-निवृत्त किया गया तो उनके स्थान पर बेरोजगार व्यक्तियों को नियुक्त किया जा सकता है। इस प्रकार लाखों लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। लेकिन यदि हम ऐसा करें तो हमें संविधान में संशोधन करना होगा। क्योंकि वेतन-भोगी जनता में व्यापक असन्तोष पैदा हो सकता है क्योंकि यह उनके मूल अधिकारों का प्रश्न है। किन्तु हमारा लक्ष्य यह है कि इस देश के प्रत्येक नागरिक को लाभ पहुंचाया जाए। हमें बेरोजगारी दूर करनी है। यदि हम ऐसा चाहते हैं तो हमें ऐसे लोगों के असन्तोष पर ध्यान नहीं देना चाहिए जो 20 वर्ष का सेवाकाल पूरा करने पर सेवा-निवृत्त किये जायेंगे। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि मेरा संशोधन स्वीकार किया जाए।

शिक्षित युवा वर्ग को किसी-न-किसी तरह से नौकरी मिल जाती है या वे किसी न किसी तरह से अंशकालिक नौकरी करके धन कमा लेते हैं। किन्तु अशिक्षितों के बारे में तो सोचें। वे अपने परिवारों का भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं। यदि आप ऐसी जगह जायें जहां इमारतें बन रही हों तभी उन कामगारों की दुर्दशा आप देख पायेंगे। महिला कामगार अपने बच्चों को सड़क के किनारे छोड़ देती हैं और मजदूरी करती हैं। उन्हें बहुत कम धनराशि अदा की जाती है। उनके लिए प्रसूति अवकाश की व्यवस्था नहीं है। इसीलिए गर्भवती महिला कामगार शिशु उत्पन्न होने तक काम करती रहती हैं। उनके बच्चे सड़क के किनारे पड़े हुए पाइपों पर ही पैदा हो जाते हैं। इससे ही आपको उनकी दुर्दशा के बारे में पता चल सकता है। अतः हमें इन गरीब कामगारों के बारे में सोचना है। हमें चाहिए कि इनके लिए नौकरी की गारंटी और उनके जीवन की सुरक्षा की व्यवस्था करें। इसीलिए यह आवश्यक है कि ऐसा व्यापक विधेयक प्रस्तुत किया जाए जिसमें पूर्ण सुरक्षा और गारंटी के साथ प्रत्येक के लिए नौकरी की व्यवस्था हेतु समुचित उपबन्ध किया जाए। मेरी राय में श्री बनातवाला द्वारा प्रस्तुत विधेयक व्यापक नहीं है क्योंकि मैंने जितने भी सुझाव दिये हैं उनमें से कोई भी उस विधेयक में नहीं है। उन्होंने बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता प्रदान किये जाने के बारे में कहा है। किन्तु इससे बेरोजगारी और बढ़ेगी क्योंकि प्रत्येक आदमी इस भत्ते की अपेक्षा करेगा। वे लोग कोई काम नहीं करेंगे या वे कोई सरकारी या गैर-सरकारी नौकरी नहीं करेंगे। कुछ राज्य जैसे पश्चिम बंगाल बेरोजगारी भत्ते के रूप में बेरोजगारों को 50 या 100 रुपये प्रदान कर रहे हैं। क्या इस तुच्छ राशि से वे अपने परिवार का भरण-पोषण कर पायेंगे ? जो भी हो, मैं बेरोजगारी भत्ता दिये जाने के विचार का अनुमोदन नहीं

करता क्योंकि बेरोजगारी की समस्या का यह स्थाई समाधान नहीं है। इसीलिए मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य इस समस्या को समझेंगे। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे मेरे सुझावों पर ध्यान दें। विगत में हमारी सरकार ने बेरोजगारी की समस्या दूर करने के लिए अनेक उपाय किये हैं। मुझे आशा है कि इस गम्भीर समस्या को हल करने के लिए उचित और सुविचारित योजना बनाने पर ध्यान दिया जाएगा। परन्तु केन्द्रीय सरकार द्वारा इस दिशा में कदम उठाने से पूर्व राज्य सरकारों को केन्द्र के परामर्श से विधान बनाने चाहिएं। केन्द्रीय सरकार इस सम्बन्ध में केवल नीति सम्बन्धी निर्णय ही कर सकती है। क्योंकि विगत में भारत सरकार ने भूमि सुधार लागू करने और जमींदारी के उन्मूलन के लिए नीति सम्बन्धी निर्णय लिए थे। बाद में राज्य सरकारों ने उन उपायों को लागू करने के लिए विधान बनाए। इसलिए, भारत सरकार को इस दिशा में नीति सम्बन्धी निर्णय लेना चाहिए तथा राज्य सरकारों को बेरोजगारी की समस्या के उन्मूलन हेतु विधान बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिएं। मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों को कुछ दिशा-निर्देश दे।

अन्त में, सभा में देश की इस गंभीर समस्या पर हुई लाभप्रद चर्चा पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करता हूं। मुझे आशा है कि इस चर्चा का केन्द्र तथा राज्य सरकारों पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। इस विधेयक पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका आभारी हूं और इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री थम्पन थामस (मवेलिकरा) : महोदय, मैं श्री बनातवाला को यह विधेयक लाने के लिए बधाई देता हूं। यह विधेयक बेरोजगारों के प्रति सरकार की जिम्मेदारी दर्शाता है और इस बात पर बल देता है कि सरकार को अपनी जनता के लिए रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए। मेरे अपने राज्य, केरल ने इस प्रकार का प्रयोग किया है और बेरोजगार व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता देने की हमारी एक योजना है। मेरे विचार से श्री बनातवाला ने केरल सरकार की इसी योजना से कुछ प्रेरणा ली है।

महोदय, निश्चित रूत से यह विधेयक बेरोजगार व्यक्तियों के प्रति सरकार की जिम्मेदारी जताता है। यह देखना सरकार की जिम्मेदारी है कि लोगों को रोजगार मिले और उनके पास जीवन-यापन का कोई साधन हो।

जहां तक बेरोजगारी की समस्या का सम्बन्ध है, हम सभी देश की वर्तमान स्थिति से अवगत हैं। कुछ समय पहले सदन में प्रस्तुत किए गए 'आर्थिक सर्वेक्षण' से पता चलता है कि रोजगार कार्यालयों में 3 करोड़ 7 लाख बेरोजगार व्यक्तियों के नाम दर्ज हैं। हम इसकी गंभीरता का भली-भांति अनुमान लगा सकते हैं। सरकार बढ़ती बेरीजगारी को रोकने में सक्षम नहीं है। देश में पैदा किए जाने वाले रोजगार-अवसरों और दिन-प्रति-दिन बढ़ती बेरोजगारी की दर के बीच कोई परस्पर सम्बन्ध नहीं है। लोगों को प्रदान किए जा रहे रोजगार के अवसरों की दर हमारी जनसंख्या में वृद्धि की दर से बहुत कम है। इसलिए, हमारा सारा नियोजन, हमारी सारी नीतियों और योजनाओं से यह तथ्य स्पष्ट रूप से सामने आता है कि सरकार के पास अधिक से अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने का कोई कार्यक्रम नहीं है।

समाजवाद में विश्वास करने वाले प्रत्येक देश के सामने एक ही रास्ता है कि यदि वह अपने लोगों को रोजगार प्रदान नहीं कर सकता तो उन्हें बेरोजगारी अनुदान प्रदान करे। श्री बनातवाला ने अपने विधेयक में यह बात स्पष्ट रूप से कही है कि बेरोजगार व्यक्तियों को जीवन-निर्वाह अथवा भत्ते

के रूप में बेरोजगारी अनुदान दिया जाना चाहिए। यदि ऐसा करना संभव नहीं हो तो कम से कम कोई बीमा योजना ही हो ताकि बीमे में उनका गुजारा चल सके। महाराष्ट्र में बेरोजगार गारंटी योजना शुरू की गई थी और कुछ हद तक यह योजना बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने के मामले में कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकी। यह ठीक है कि ऐसी योजनाओं से कुछ वर्गों अथवा कुछ व्यक्तियों को ही रोजगार प्राप्त करने में सहायता मिलती है परन्तु ये समस्याएं वास्तव में इस समस्या की सीमा को भी नहीं छूती, जिसका सामना हमारे देश को करना पड़ रहा है। इसलिए, सरकार के पास केवल यही विकल्प है कि निर्धन और बेरोजगार व्यक्तियों में विश्वास पैदा किया जाए। ऐसा केवल रोजगार प्रदान करके ही किया जा सकता है। सरकार अपनी जनता को रोजगार प्रदान करने के लिए बाध्य है और यदि सभी को रोजगार देना सरकार के लिए संभव नहीं है, तो कुछ धन-राशि अथवा अनुदान दिया जाना चाहिए।

इस संबंध में मैं एक महत्वपूर्ण पहलू के बारे में बताना चाहूंगा। हमारा देश वास्तव में गरीब नहीं है। हमारा देश अमीर है परन्तु हमार जनता गरीब है और हमारे देश के लोग हमारी गलत नीतियों के कारण गरीब हैं। इस देश में उपलब्ध धन को परिचालित नहीं किया जाता। देश में परिचालित कुल सम्पदा 20 प्रतिशत है और शेष 80 प्रतिशत सम्पदा अभी भी छिपी हुई है। यदि सरकार उस धन को बाहर निकाले और उसे उत्पादनकारी सामग्री अथवा उत्पादनकारी प्रयोजनों के लिए खर्च करे तो निस्सन्देह लोगों के लिए रोजगार पैदा किया जा सकता है। अतः, सरकार को इस सम्बन्ध में अपने आपको वचनबद्ध करना होगा और रोजगार प्रदान करने की जिम्मेदारी लेनी होगी। इसलिए, यदि सरकार इस बात की जिम्मेदारी लेती है कि 80 प्रतिशत धन जो अभी भी कुछ व्यक्तियों के पास है, यदि उसे बाहर लाकर उससे रोजगार पैदा किए जाएं तो सामाजिक व्यवस्था स्वतः बदल जाएगी। रोजगार की असुरक्षा के कारण लोग धन संचय करने पर मजबूर हैं और उनमें धन संचय करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है।

इसलिए लोग अन्य साधनों से धन का संचय करते हैं और यह सोचकर उसे बेकार पड़ा रहने देते हैं कि उनका बेटा अथवा बेटी अथवा पोती अथवा उससे अगली पीढ़ी आएगी और वे इसका उपयोग कर सकेंगे। वह यह बात कह रहे हैं। यह हमारे देश की प्रमुख समस्याओं में से एक है। इसे कैसे समाप्त किया जा सकता है ? इसका सामना केवल तभी किया जा सकता है जब सरकार यह कहे कि कुछ साधन सम्पन्न लोगों की उन गरीब लोगों के प्रति जिम्मेदारी है जो बेरोजगार हैं। केवल ऐसा करने पर ही संचित धन बाहर आएगा। यदि सरकार इसके लिए वचनबद्ध हो और बेरोजगारी अनुदान देने के लिए बाध्य हो और वह भी उन व्यक्तियों की जेब से, जिन्होंने इस धन को संचित करके बेकार रखा हुआ है, केवल तभी इस समस्या का समाधान हो सकता है।

इसलिए मैं श्री बनातवाला द्वारा यह कहने पर उन्हें बधाई देता हूं कि जब तक सरकार बेकार पड़े धन अथवा सम्पदा को बाहर नहीं निकालती तब तक यह सरकार की जिम्मेदारी होगी कि वह रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करे। इस ढंग से ही हमारी प्रति व्यक्ति आय, जीवन के प्रति हमारे पूरे दृष्टिकोण अथवा पूरे जीवन में परिवर्तन आएगा। इसलिए मैं श्री बनातवाला के विधेयक का पूरा-पूरा समर्थन करता हूं और इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि न केवल यह विधेयक, बल्कि एक संविधान (संशोधन) विधेयक भी आवश्यक है, जिसके बारे में सरकार को अब सोचना चाहिए। अब उन्हें अनुच्छेद 19 में अथवा संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों में संशोधन करना चाहिए। वहां हमें रोजगार का अधिकार भी प्रदान करना पड़ेगा। इसे भारत में रहने वाले व्यक्ति के लिए मौलिक अधिकार बनाया जाना चाहिए। इस प्रकार, प्रत्येक नागरिक को रोजगार का अधिकार मिल

जाएगा। यदि उसे रोजगार का अवसर नहीं दिया जाता, तो फिर उसे जिन्दा रहने का अधिकार तो होना ही चाहिए। यदि रोजगार के अधिकार को स्वाभाविक रूप से संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में सम्मिलित किया जाये तो व्यक्ति अपने को सुरक्षित महसूस करता है। उसकी सुरक्षा के लिए स्वयं संविधान ही कुछ न कुछ प्रदान करेगा। उसे जीवन-यापन करने का अधिकार होगा।

इस विधेयक की विषयवस्तु क्या है ? इस विधेयक की विषयवस्तु जिंदा रहने का अधिकार है। अतः, क्या सरकार उसे जिंदा रहने का अधिकार देगी ? प्रश्न यह है।

ऐसा कहा जाता है कि "भारत में किसी नागरिक का पाप यही है कि वह भारत में पैदा हुआ।" इस पाप के लिए वह जिम्मेदार नहीं है। उस पाप के लिए कोई अन्य व्यक्ति जिम्मेदार है। क्या सरकार उन्हें किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किए गए पाप का फल भुगतने रहने की अनुमति देगी ? यदि कोई व्यक्ति पैदा होता है तो आप उसे जिन्दा रहने का अधिकार प्रदान करते हैं। जिन्दा रहने का अधिकार देने के लिए आप उसे रोजगार तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करें जिनसे वह जिन्दा रह सके।

मैं इस विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए उन्हें पुनः बधाई देता हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती ऊषा चौधरी (अमरावती) : सभापति महोदय, बनातवाला जी ने जो बेरोजबारी उन्मूलन विधेयक यहां चर्चा के लिए पेश किया है उसका मैं हार्दिक स्वागत करती हूं। अभी हमारे समाज में आजादी के बाद भी जिस ओर हमें मुड़के देखने और सोचने का समय है, आवश्यकता है वह बेरोजगारी की समस्या है, शिक्षित बेरोजगार युवाओं की समस्या है, कई लोगों के अमीर होने की और कई लोगों के गरीब होने की समस्या है। उसके हल के लिए हम बार-बार देख रहे हैं। मैं समझती हूं कि इस चर्चा में भाग लेने का समय हमारे जीवन में आया है। मुझे मालूम है, प्राइवेट मैम्बर विधेयक पर जब चर्चा होती है, तो अलग-अलग सुझाव भी आते हैं। विधेयक को पारित किया जाना या नहीं किया जाना एक अलग बात है। हमारी सरकार बीस सूत्री कार्यक्रम के माध्यम से इस समस्या को दूर करने में लगी है। गरीबी हटाने के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए सीलिंग का कानून आया, तो इसी सरकार के माध्यम से आया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी इसी सरकार के माध्यम से किया गया। हमारी स्व० नेता इन्दिरा जी ने आर्थिक क्रान्ति का एक कदम बढ़ाया था। मैं समझती हूं कि उन्हीं विचारों को और दोबारा समर्थन देने के लिए ऐसे विधेयक यहां चर्चा के लिए आते हैं। उससे सरकार को और बल मिलता है, ताकि शासन जो कार्य कर रहा है, उसमें कुछ और सुझाव आए और कुछ संशोधन हो। आर्थिक नीति बनाते समय और उसका इम्पलीमेंटेशन करने के लिए कोई रूप-रेखा बनाई जा सके। उस दिशा में बनातवाला जी का विधेयक बहुत कामयाब रहेगा। और उस दिशा में एक कदम आगे बढ़ने के लिए हमें समर्थन देता रहेगा।

कई माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार रखे हैं, जिनका मैं दोबारा जिक्र नहीं करना चाहती हूं। संसद भाइयों ने यह बताया कि इस बेरोजगारी की समस्या की वजह से हमारे शहर भरते जा रहे हैं और देहात सुनसान होते जा रहे हैं। यदि राजनीतिक हालत के कारण यह फर्क किया जाता तो बात समझ में आती। लेकिन सीलिंग के बाद जो भी जमीन बची और बढ़ते हुए परिवार नजर आते गए, परिवारों के विभाजन हुए और इस वजह से आज देहातों में किसान या मजदूर की हालत में ज्यादा फर्क नजर नहीं आता है। उनके लिए दूसरी कोई आर्थिक सहायता की

भावना या आर्थिक स्थिति कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि खेती के साथ-साथ देहातों में ज्यादा बिजनेस या दूसरे जरिए से काम कर सकें।

शिक्षा की जो हालत है, शिक्षा की जो अवस्था है, इसको मद्दे नजर रखते हुए हमारे माननीय प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है। शिक्षा की नीति में उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर परिवर्तन किया। हम देखते थे कि किसानों की खेती के साथ, मजदूरी के साथ-साथ उनके जीवन के निर्वाह के लिए दूसरा कोई रास्ता था, तो शिक्षा थी। शिक्षा के माध्यम से उनको व्यवसाय करने तथा नौकरी मिलने की आवश्यकता थी। लेकिन आज हम देहातों में स्कूल देखते हैं, देहातों में शिक्षा की अवस्था देखते हैं, तो उससे बच्चे अनपढ़ तो नहीं रहते, लेकिन ज्यादा पढ़ भी नहीं सकते हैं। आज कितने ड्रापआउट्स के प्रमाण देहातों में गरीबों के घरों में देखते हैं, पिछली हुई बस्ती में दिखाई देते हैं। दो साल पहले आदिवासी इलाकों में एक सर्वे हुआ। उच्च शिक्षा के लिए, इंजीनियर्स और डाक्टर्स बनाने के लिए दो सीटें रिजर्व होती हैं, इसके लिए भी आदिवासी बच्चे वहां तक नहीं पहुँच पाते यानी ड्रापआउट्स का प्रमाण है। यही शिक्षा की व्यवस्था थी, जहां शिक्षा पाकर भी सर्विस नहीं मिल पाती है। उद्योग लगाने के लिए बच्चे खड़े नहीं हो सकते हैं। इसलिए आज पिछड़े हुए इलाकों में, देहातों में बेरोजगारी की समस्या इतनी बढ़ी हुई है। इस समस्या को दूर करने के लिए शासन की अलग-अलग नीतियों के साथ-साथ बीस सूत्री कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षित बेरोजगारों के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसको इन्दिरा जी ने शुरू किया था। छोटे-छोटे उद्योगों के लिए बेरोजगार युवकों को उसमें ताकत मिलती है, हिम्मत मिलती है। इसके लिए भी मैं कुछ सुझाव देना चाहती हूं। इसके साथ-साथ देहातों में छोटे-छोटे उद्योगों और व्यवसायों की शिक्षा और प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। इसी के साथ-साथ हमें यह भी देखना चाहिए कि आज हमारे देहातों का किसान भाई यह पूछता है कि हमारे लिए सीलिंग तो आ गई लेकिन अर्बन सीलिंग है, जो शहरी सम्पत्ति इकट्ठा करते हैं, उनकी रोकथाम के लिए कुछ नहीं हुआ। इसके अलावा यह बात भी हैं कि एक घर में दस-दस लोग सर्विस करते हैं और दूसरी तरफ जो गरीब है, जो पिछड़ा हुआ परिवार है, उसके बच्चे पढ़ नहीं सकते और इन हालात का मुकाबला नहीं कर सकते और कोई प्रशिक्षण नहीं ले सकते। बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ और एक नई योजना शिक्षित बेरोजगारों के लिए आई लेकिन अगर कोई उद्योग लगाना चाहता है, तो उसको लाइसेंस नहीं मिलता, कोई जगह नहीं मिल पाती, कभी विद्युत का कनेक्शन नहीं मिल पाता और समाज में जो दलाल और भ्रष्टाचारी लोग हैं, जो सब जगह फैले हुए हैं, उनके कारण उस योजना का लाभ उन लोगों को नहीं मिल पाता, जिनके लिए योजना बनी है। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि हमारी सरकार किसी कानून के जरिए या बन्धन के जरिए कोई ऐसी चीज लाए, जिसमें हर परिवार के एक व्यक्ति को सर्विस देने की व्यवस्था हो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सर्विस मिल सके। आजादी सबको है लेकिन हम कितना कमाएं और कोई कितना भूखा रहे, इसके लिए बन्धन लगाने के लिए कोई क्रान्तिकारी कदम उठाया जाए। इस बारे में सरकार सोचे और मंत्रालय सोचे। यह भावना मैं यहां प्रदर्शित करना चाहती हूं।

इसके साथ ही साथ एक छोटा सा सुझाव है। गवर्नमेंट आफ इण्डिया की सेल्फ एम्पलायमेंट स्कीम है। जिस एरिया से मैं आती हूं विदर्भ से, उसमें ट्राइबल एरिया ज्यादा है। अमरावती डिवीजन का मैंने एक लोक प्रतिनिधि की हैसियत से सर्वे किया। उस योजना के अंतर्गत हम इंडस्ट्रियल दृष्टि से लोन लेते हैं और कुछ सर्विस के हिसाब से लोन लेते हैं और बिजनेस के लिए फाइनैंस देते हैं लेकिन हर सांसद भाई और बहन और कोई भी नागरिक हो, उसको पता होगा कि जो शहर में

धंधा करने वाले लोग हैं, उन्होंने ही इसका ज्यादा फायदा उठाया है और जो पिछड़े हुए लोग हैं, उनको इसका फायदा बहुत कम मिला है। एक दुकानदार है, तो उसका लड़का अलग नाम रखकर अपनी दूसरी दुकान निकाल लेता है और जिसके पास कुछ नहीं है, उसको कुछ नहीं मिलता है। योजना बहुत अच्छी है और शासन बहुत कोशिश भी कर रहा है लेकिन उस एरिया में लोगों में जागृति नहीं है और न ही वहां पर प्रचार है और प्रशिक्षण भी नहीं है। मैं यहां पर डिटेल्स नहीं रखना चाहती लेकिन चार जिलों का हमने सर्वे किया है और तब यह सच्चाई सामने आई कि जब तक इस योजना के अन्तर्गत किसानों को खेती के लिए कर्जा नहीं देते हैं, तब तक यह योजना पूरी तरह से कार्यान्वित नहीं हो सकती। हमने उनको बोला कि शिक्षित बेरोजगारों के लिए यह योजना है और इसका लाभ लेना चाहिए। उन्होंने बताया कि उनको रा-मैटीरियल नहीं मिलता है। देहातों में कौन से उद्योग चाहिए, जिसके लिए मार्केट उपलब्ध हो, यह सब उनको पता नहीं रहता है। कई तरह के लाइसेंस उसको लेने पड़ते हैं। मेरे एरिया की यह बात है, इसलिए मैं जानती हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो फाइनेन्सेज दिए हैं, उनको वे पूरी तरह से यूटीलाइज नहीं कर पाते। इसलिए हमारी यह इच्छा है कि इस योजना के अन्तर्गत खेती के लिए और खेती पर निर्धारित छोटे-छोटे उद्योगों के लिए, इर्रीगेशन के लिए और स्प्रिंकिल मशीन के लिए कर्जे देने की व्यवस्था करें। शिक्षित बेकारों के लिए सेन्ट्रल गवर्नमेंट की जो योजना है, उसमें ज्यादा से ज्यादा पर सेन्ट में आदिवासियों को रा-मेटीरियल मिले और इंडस्ट्रीज लगाने के लिए हम फाइनेंस करें। किसानों के लिए स्प्रिंकिल मशीन के लिए और टेकनोलोजी के डेवलपमेंट के लिए कुछ रिसोर्सेज उनको दें ताकि खेती की फसल बढ़े और गांव से शहरों की तरफ दौड़ने वाले लड़के वहीं रुक जाएं, वहीं थम जाएं। किसानों के बच्चों के लिए, मजदूरों के बच्चों के लिए, आदिवासियों के बच्चों के लिए और देहातों में घर-घर उद्योग करने वाली महिलाओं को हम उद्योग प्रदान कर सकें, ऐसी व्यवस्था हमें करनी चाहिए।

विदेशों में हमारे यहां से कुछ लोग जाते हैं। खास कर के दक्षिण के कोचीन, मद्रास ऐसे एयरपोर्ट हैं जहां पर कि हम गए हैं, वहां से हमारे बच्चे जाते हैं। यह बात नहीं है कि वे इसलिए जाते हैं कि यहां से वहां ज्यादा तनख्वाह मिलती है। वहां सुविधाएं ज्यादा हैं, इसलिए वे जाते हैं। साऊथ से ही नहीं, पूरे देश से जाते हैं। जब उनके घर वाले उन्हें विदा करने जाते हैं तो उनकी आंखों से आंसू टपकते हैं। वे नहीं चाहते कि उनके बच्चे बाहर जाएं लेकिन वे रोजी-रोटी के लिए जाते हैं, कुछ अपने से जाते हैं, कुछ एजेंटों के जरिए से जाते हैं। उनको भी हमें रोकना है।

इसलिए यह जो बिल आया है, इसका मैं हृदय से स्वागत करती हूं और मंत्री महोदय से विनती करती हूं कि समाज में कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसको कि केवल एक ही मंत्रालय हल कर पाएगा। जो भी सामाजिक समस्याएं हैं उनका सम्बन्ध सभी मंत्रालयों से है। इसलिए बेकारी और बेरोजगारी को दूर करने के लिए केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों से भी कह कर, उनको भी साथ लेकर, सब विभागों को एक साथ मिलजुल कर काम करना है। इसलिए सभी की मदद उपलब्ध होना बहुत ही आवश्यक है।

मैं जहां से आती हूं, वहां हमारी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इस प्रोग्राम को उठाया था। एम्पलायमेंट गारन्टी स्कीम एक अच्छी योजना मानी जाती है। ऐसी योजना सभी राज्यों में चलनी चाहिए। इधर या उधर बैठने वाले भाई अपनी-अपनी राज्य सरकारों से इस बारे में विचार करने के लिए कहें। महाराष्ट्र ने जो रोजगार योजना बनायी है, दूसरे प्रांत भी इस बारे में कदम उठाएं और केन्द्र सरकार से जो सुविधाएं मिल सकती हैं वे प्राप्त करें। बेकारी की समस्या कुछ ही दिनों में पूरी तरह से तो दूर नहीं हो सकती है। लेकिन हम युवाओं और बेरोजगारों के जीवन में रोजी-रोटी का कुछ बन्दोबस्त

कर सकें, उन्हें कुछ सुविधाएं दे सकें वह हमें करना चाहिए। अपनी ये भावनाएं व्यक्त करते हुए मैं समाप्त करती हूं।

श्री के०डी० सुल्तानपुरी (शिमला) : माननीय सभापति जी, मान्यवर बनातवाला जी को मैं मुबारकवाद देता हूं कि वे एक अच्छा बिल इस सदन में लाए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि देश में जो बेरोजगार हैं उनकी बेरोजगारी समाप्त करने के लिए कौन-कौन से उपाय किए जाएं जिससे कि उनको रोजगार दिया जा सके, हमें यह देखना होगा।

आप देखेंगे कि भारत सरकार ने इसके लिए बहुत से पग उठाए हैं और उन्हीं पगों की वजह से आज देश में बेरोजगारी कुछ कम हुई है। यह ठीक है कि इसको जिस स्थिति तक खत्म किया जाना था उस स्थिति तक वह खत्म नहीं हुई है। पर इसको खत्म करने की सरकार ने पूरी चेष्टा की है। इसका नतीजा यह हुआ जो हमारे लड़के-लड़कियां शिक्षा प्राप्त हैं, उनको रोजगार प्राप्त हुआ है। भूमिहीनों को भूमि देने का हमारी सरकार ने फैसला किया। हमारी भूतपूर्व प्रधान मंत्री, मरहूम नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने भूमिहीन किसानों को जमीनें देकर उनको भूमि का मालिक बनाया। इस कारण से भी बहुत से लोगों को रोजगार मिल सका।

इसी तरह से मैं आपको बताता हूं कि बेरोजगारी को दूर करने के लिए शिक्षा का कितना महत्व है। आज के हालत के हिसाब से, हमारे राष्ट्र में जितने लड़के-लड़कियां अनपढ़ हैं, जितने नौजवान बेकार हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है, बहुत से बेकार खुदकशी भी कर लेते हैं क्योंकि उनके मां-बाप उनका पालन-पोषण नहीं कर पाते, उनको रोजगार वाली शिक्षा देने का भी काम बहुत जरूरी है। ऐसे लोगों को अभी तक शिक्षा का कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ। मैं सुझाव दूंगा कि हर राज्य को जिम्मेदार बनाया जाए कि वह अपने लड़के-लड़कियों को रोजगार प्राप्त करने वाली ट्रेनिंग दिलाए। जैसे कि हमारी शिक्षा प्रणाली में तब्दीली आ रही है और नई शिक्षा प्रणाली में यह रखा जा रहा है कि वे शिक्षा के साथ-साथ कुछ काम सीखें जिससे कि उन्हें रोजगार ढूंढना न पड़े और वे अपने पांव पर खड़े हो सकें। जो लोग अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ा सकते हैं, जिनके पास अच्छे साधन हैं, वे ही इस देश के पब्लिक स्कूलों का लाभ उठा सकते है और उठाया है। वही वजह है कि आज हिन्दुस्तान की जितनी भी अच्छी नौकरियां हैं चाहे आइ०ए०एस० या बैंक्स वगैरह की हों, उसमें वे लोग लगे हुए हैं। गांवों की स्थिति यह है कि स्कूलों में मास्टर ही नहीं होते। अगर साइन्स पढ़े हुए लड़के चाहिए तो सर्वे करा लीजिए, कहीं भी गांव में साइन्स पढ़े हुए लड़के नहीं मिलेंगे। इस तरह से जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं चाहे हिमालय, टिहरी गढ़वाल या नागालैंड वगैरह का इलाका हो तो वहां पर मिशनरियों द्वारा पढ़ाया जाता है इसलिए बड़ी खुशखत अंग्रेजी बोलते हैं। हमारे टीचर्स में डेडीकेशन नहीं है। वे लोग एजीटेशन करते हैं, और तनख्वाह बढ़ाने की बात करते हैं। लेकिन उनका जो रिजल्ट आता है, वह जीरो ही होता है। जितने भी शिक्षा बोर्ड बने हुए हैं, उनका रिजल्ट देखेंगे तो वहां पचास परसेंट से ऊपर किसी का रिजल्ट नहीं होता है। यही कारण है कि गांव के सारे बच्चे फेल हो जाते हैं। अगर बीस लड़के मैट्रिक की परीक्षा देते हैं तो पांच-छः ही पास होते हैं। मास्टर लोग नकल कराने के लिए पहले से ही तैयार होते हैं। जहां पर एक्जामीनर चैक करने के लिए नहीं जाता वहां पर सेंट-पर-सेंट पास हो जाते हैं। शिक्षा का स्तर गांवों में बहुत कम है। वहां पर बैठने के लिए टाट-पट्टी भी नहीं होती है। जब मैं और कमेटी के सदस्य बिहार के दौरे पर रांची गए तो हमने एक मास्टर से पूछा कि आप क्या पढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा प्रणाली से अनुसार हम अच्छी तरह पढ़ा रहे हैं। जब मैंने पूछा कि भारत सरकार के शिक्षा मंत्री कौन हैं तो कहने लगे कि मुझे पता नहीं है। जब एक

मास्टर ऐसा जवाब देता है तो वह बच्चे कैसे पढ़ेंगे। बच्चों को जब साक्षात्कार के लिए दिल्ली जाना होता है तो यहां आने पर सेन्टर का पता करने पर ही समय निकल जाता है। गांव के साधारण बच्चों को कोई नहीं पूछता। जब वे अपने स्थान पर पहुंचते हैं तो उनका इंटरव्यू खत्म हो जाता है। अगर एक पोस्ट होती है तो कम से कम चालीस-पचास आदमी रोजगार कार्यालय से अवश्य उसके लिए पहुंचते हैं। गांव के बच्चों को बड़ी निराशा होती है क्योंकि एक का भी सिलेक्शन नहीं होता है। इस तरह की ज्यादती खत्म होनी चाहिए। शहरों में भी इस तरह की स्थिति है। जो लोग गरीब हैं और झुग्गी-झोंपड़ी में रहते हैं, उनके साथ भी यह होता है। मैं सरकार से यह कहना चाहूंगा कि इस तरफ़ सरकार को पूरी तरह से तवज्जह देनी पड़ेगी ताकि गरीब बच्चों को आगे आने का मौका प्राप्त हो सके। जो आदमी कारखाना लगाता है तो वह यही कहता है कि मैं टेक्नीकल हैंड को नहीं लूंगा जिनकी एम०पी०, एम०एल०ए० या मिनिस्टर सिफारिश करेगा, उनको वह नहीं लेता। हम लोग तो सिर्फ उद्घाटन करने वाले हैं। लेकिन हमारे बच्चों को वह नहीं मानता है इसलिए हमको एक नियम बनाना पड़ेगा। अगर मध्य प्रदेश में कहीं पर कारखाना लगता है तो वहीं के इलाके के बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए। इस तरह से हर राज्य में ऐसा होना चाहिए। लेकिन होता इसके विपरीत है। यह लोग लोन ले लेते हैं, सब कुछ ले लेते हैं और बाद में सिक यूनिट घोषित करके हमारे पास आ जाते हैं कि हमारी इंडस्ट्री घाटे में जा रही है, घाटे का सौदा हो गया है। इसके लिए कसूरवार हमको बताया जाता है। इस बात को सरकार को गम्भीरता से लेना पड़ेगा, अगर हम गम्भीरता से नहीं लेंगे तो यह बेरोजगार बच्चे इनके अन्दर जो ज्वाला भड़क रही है, यह समाज को खराब कर सकते हैं।

आप जब भी लाइसेंस इश्यू करते हैं तो आपको यह ध्यान में रखना चाहिए कि जहां पर इंडस्ट्री लगे वहां के लोगों को नौकरी में लिया जाए। यहां पर दो बातें दिखाई देती हैं एक तो रेगूलर करना और दूसरा अस्थायी तौर पर काम करते रहना। रेगूलर का तो यह काम है कि वह काम करे या न करे उसको तनख्वाह पूरी मिलेगी, वह भी तीन मजदूरों की मजदूरी जितनी, जो कि अस्थायी हैं। भारत सरकार और पब्लिक अण्डरटेकिंग में जो मजदूर काम करते उनको रेगूलर नहीं किया जाता है, यह उनके साथ ज्यादती है, हम उनके साथ ठीक व्यवहार नहीं करते। मैं सरकार पर जोर देकर कहना चाहता हूं कि सरकार उन पर तवज्जोह दे ताकि वह स्थायी हो सकें और उनको मौका मिल सके आगे बढ़ने का, उनके बच्चों को मौका मिल सके और वह भी हिन्दुस्थान के स्थायी नौकर बन सकें। जो आपने शिक्षा की बात कही है। नई शिक्षा प्रणाली जिसमें नवोदय स्कूल खुल रहे हैं मैं समझता हूं इसके जरिए कुछ न कुछ काम होगा। आपको यह देखना चाहिए कि इसमें घांधली नहीं हो। जैसा हमारे प्रधान मंत्री जी ने कहा और उनका यह लक्ष्य है कि देश के अन्दर जो गरीब लोगों के बच्चे हैं, जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनको पढ़ने लिखने का भरपूर अवसर दिया जाना चाहिए। लेकिन जो साक्षात्कार करने वाले हैं उनको भी आपको देखना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपको एक सुझाव दूंगा कि जिस हल्के में स्कूल खुले उस जगह के सांसद को उस समिति में शामिल किया जाए जिससे वह देख सके कि गरीब बच्चे उस स्कूल में लिए जा रहे हैं या नहीं या जो टैक्स पे करते हैं उनके बच्चे तो कहीं नहीं लिए जा रहे हैं। यह गरीब आदमियों को कहते हैं कि तुम अपने बच्चों को स्कूल में मत भेजो। वह गांव के मुखिया से मिलकर अपने लिए प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं और शहर से मजिस्ट्रेट साहब उन्हें कम आमदनी वाले लोगों का प्रमाण पत्र दे देते हैं और वह अपने बच्चों को उस स्कूल में दाखिल करवा देते हैं, जबकि गरीब आदमी का बच्चा उस स्कूल में दाखिले से वंचित रह जाता है जो कि उन्हीं के लिए स्कूल बनाया गया है। हमारी सरकार भी यह समझती है और नियम भी है कि गरीबों को ऊपर उठाना चाहिए तो इसके लिए कार्यवाही करना जरूरी है।

कई कारखाने-दार हैं जिन्होंने टैक्साइल मिलें लगा ली हैं। इससे बुनकर का काम घट गया है। हम यह नहीं कहते कि कारखाने न लगें, लेकिन जो बुनकर हैं उनकी बेरोजगारी को भी आप देखें। उनके बाल-बच्चों की पढ़ाई की तरफ ध्यान दें जिससे वह बड़े होकर समाज में आ सकें।

इसके साथ-साथ यहां शहरी आबादी की बात भी कही गई। यह भी कहा गया कि गांवों में भूमि का बंटवारा हो गया और लोग अमीर हो गए। एक किसान, एक मजदूर जो सारा साल अपने खेत में काम करते हुए अपनी हड्डियां-पसलियां एक कर देता है और जो प्रोडक्शन होता है उसका उसको उचित मूल्य नहीं मिलता तो उसका कैसे आर्थिक दशा सुधर सकती है। जहां हमने गांव के लोगों की जमीन का बंटवारा स्वीकार किया और गरीब लोगों को ऊंचा उठाने का प्रयत्न हुआ है तो हमें शहरों की ओर भी देखना चाहिए जहां लोग 10-10 मंजिल के मकान बनाकर उसके मालिक बने हुए हैं और खुद को गरीबों का मसीहा कहते हैं, वह कहते हैं हमें गरीबी दूर करनी है, और कोई नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि अब वे सिर्फ दिखावे के गरीब रह गए हैं वरना वे किसी चीज में पीछे नहीं हैं, आज उन्हें अच्छी शिक्षा प्राप्त है, उनके बच्चे पब्लिक स्कूलों में पढ़ते हैं, लेकिन अब भी वे प्रचार गरीबी का ही करते हैं। इसलिए हमारी सरकार को थोड़ा सा इनकी तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा, उनमें थोड़ी डैडीकेशन लानी पड़ेगी। डैडीकेशन का मतलब यह नहीं कि हम उनके ऊपर किसी तरह का हमला करना चाहते हैं बल्कि इस बात की डैडीकेशन लानी है क्योंकि वे अब सिर्फ दिखावे के गरीब हैं अन्यथा उनके बड़े-बड़े मकान हैं, बेशुमार किराया आता है, फिर भी वे दिखावे के लिए गरीबी का चोला ओढ़े हुए हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि ऐसे लोगों के प्रति पूरी जागरुकता के साथ विचार करना चाहिए। वे लोग हर फील्ड में बहुत आगे पहुंच गए हैं। अब हमें गांव के गरीब की ओर ज्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि वह भी समाज के दूसरे वर्गों के समकक्ष आ सके, तरक्की कर सकें, और अपने जीवन स्तर में सुधार ला सके। वह अपना कोई छोटा-मोटा मकान बना सके। अभी तक तो वे किराए के मकानों में ही रहते हैं, संदियां गुजर गयीं उनको इस तरह रहते हुए, और हमारे अपोजीशन में बैठे हुए कई माननीय सदस्य वैसे तो गरीबों का नाम लेकर कोर्ट तक में चले जाते हैं, परन्तु उन वास्तविक गरीबों की तरफ कोई ध्यान नहीं देता, जो गांवों में रहते हैं। बनातवाला साहब तो नहीं जाते, लेकिन अपोजीशन के हमारे दूसरे बहुत से लोग उनकी तरफ से कोर्ट में लड़ते हैं। इसलिए आपको इस ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

अब मैं एक-दो बात ट्राइबल हरिजनों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। वैसे तो इनके लिए हमारे विधान में 338 के अन्तर्गत कुछ अस्तयारात दिए गए हैं, इनको रिजर्वेशन कोटा मिलता है, अनुसूचित जातियों को नौकरियों में पन्द्रह प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजातियों को साढ़े सात प्रतिशत रिजर्वेशन का प्रावधान है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह प्रतिशत जिस समय निर्धारित किया गया था, उसके बाद हमारे देश में इन लोगों की पौपूलेशन काफी अधिक बढ़ गयी है। बेरोजगारों की यदि लिस्ट देखी जाए तो भी इनकी संख्या सबसे ज्यादा मिलेगी। आज कह दिया जाता है, जब भी ये लोग किसी इंटरव्यू में सम्मिलित होते हैं, कि तुम काबिल नहीं हो, तुम्हारी बौडी ठीक नहीं है, या कुछ इसी तरह की इर-रैलैवैंट बातें कहकर उनको निकाल दिया जाता है, जबकि वे शैक्षणिक दृष्टि से उपयुक्त होते हैं, किसी को कह दिया जाता है कि तुमको बैठना नहीं आता, लेकिन जब तक हम उनको बैठना, या दूसरे व्यवहार सिखाएंगे नहीं, तब तक उन्हें कैसे आएगा। वे सदियों से बैकवर्ड रहे हैं, एक दो दिन में सब कुछ सीख नहीं जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं हैं कि हमारे नेताओं ने, महात्मा गांधी, जवाहर लाल नेहरू, श्रीमती इन्दिरा गांधी और वर्तमान समय में हमारे प्रधानमंत्री

राजीव गांधी जी, सब हमेशा से गरीब लोगों की मदद करते आए हैं और करते रहेंगे, ऐसी घोषणा उन्होंने कई प्लेटफार्मस से की है। फिर भी मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि हर जगह आज इन लोगों के लिए आरक्षित स्थानों पर उन्हें नहीं लिया जाता और हर जगह बैकलौग विद्यमान है, चाहे आप किसी पब्लिक अण्डरटेकिंग में देख लें, पुलिस में देख लें, कहीं भी देख लें। मेरा निवेदन है कि आप ऐसे आदेश जारी करें कि जो बैकलौग पिछले 40 सालों से चला आ रहा है, वह आगामी 6 महीने में पूरा हो जाए ताकि इन लोगों में आज जिस तरह निराशा की भावना बढ़ती जा रही है, उसमें सुधार आये और ये लोग समझ सकें कि देश के विकास में हमारा भी ख्याल रखा जा रहा है और संविधान में हमें जो अधिकार दिए गए हैं, उनसे अब हमें वंचित नहीं होना पड़ेगा। आप केन्द्रीय एडमिनिस्ट्रेशन, यहां के अधिकारियों के द्वारा, कानून बनाकर या भारत सरकार के किसी डायरैक्शन से ऐसा कर सकते हैं। यह व्यवस्था भी कर दें कि यदि कोई व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाएगा तो उसके विरुद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, तब जाकर स्थिति में सुधार आएगा। अन्यथा कुछ मुट्ठी-भर लोग ही गरीबी का नाम लेकर सारे फायदे उठाते चले जाएंगे और हमारे गांव के लोग पिछड़े के पिछड़े ही रह जाएंगे जो अभी तक उन सुविधाओं से वंचित हैं जो सरकार उनकी गरीबी दूर करने के लिए, उन्हें आगे लाने के लिए, देना चाहती है। यहां पर बीस सूत्री कार्यक्रम की बात भी कही गयी और हमारे कुछ माननीय सदस्य यहां बहुत गैर-जिम्मेदारी की बात करते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबों का जीवनस्तर सुधारना है, उनको विकास के रास्ते पर आगे ले जाना है परन्तु हमारे कुछ राज्य इस कार्यक्रम की आड़ में कुछ ऐसे लोगों को पैसा दे रहे हैं, जिनको नहीं मिलना चाहिए। उदाहरण के लिए पशु-पालन का कार्य वही कर सकता है, जिसके पास खेती है, परन्तु मैंने देखा है कि बंगाल में उसे भी पशु-पालन के लिए सहायता राशि दे दी गयी है, जिसके पास कोई खेती नहीं है। ऐसे काम किसी एक राज्य विशेष में नहीं, कई राज्यों में हो रहे हैं। कुछ लोगों को मशीनें दे दी जाती हैं, जिनका उनसे कोई वास्ता नहीं। कुछ लोगों को सिंचाई सुविधा के लिए पैसा दे दिया जाता है, जिसके पास कोई जमीन नहीं। इस तरह से कई जगह गलत कार्य हो रहे हैं और गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के गलत आंकड़े दे दिए जाते हैं। हमें इसकी छानबीन करनी पड़ेगी और ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि बीस सूत्री कार्यक्रम के जरिए वास्तविक लोगों को सहायता मिले, और सारा कार्य ठीक ढंग से चले। जब तक ऐसा नहीं होगा, हम गरीब लोगों को आगे नहीं बढ़ा सकेंगे, देश से बेरोजगारी दूर नहीं कर सकेंगे। जो व्यक्ति खेती-बाड़ी करता है, उसको खेती-बाड़ी के काम में पूरी मदद मिले, जहां तक रोजगार का सवाल है, यदि किसी के परिवार में 8-10 आदमी हैं तो उसको हक है क्योंकि विधान हमें वह अधिकार देता है कि हम नौकरी भी कर सकते हैं, इंडस्ट्री भी लगा सकते हैं, कोई दूसरा काम भी कर सकते हैं, कोई आई० ए० एस० बन सकता है, पी० सी० एस० बन सकता है। अन्यथा जिस तरह से कुछ राज्यों में काम रहे हैं, उससे हमारी सरकार की भी बदनामी है और गरीब लोगों को भी कोई फायदा नहीं होने वाला है। चाहे किसी भी पार्टी की सरकार आए, किसी को लाभ नहीं होगा। यदि कुछ चन्द लोग ही सरकारी सुविधाओं का फायदा उठाते रहे, उनके ही दिल्ली में मकान बनते रहे, इंडस्ट्रीज लगती रहीं, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता में बिल्डिंगें बनती रहीं, जहां-जहां भी उनको स्थान मिलता है, तो वहीं वे अपनी कुटिया बनाएंगे, तो हमारी कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती और हम अपने उद्देश्य में कामयाब नहीं हो सकते। यह बात है कि बड़े-बड़े कारखाने वाले, बड़े-बड़े स्मगलर जो हैं उनके ऊपर हाथ डालने की जरूरत है ताकि इन बेरोजगार लोगों को पता लगे कि हमारी सरकार इन लोगों के लिए उचित कदम उठा रही है। यहां हमारे प्रो० रंगा जी बैठे हुए हैं, ये बड़ी कोशिश करते हैं, राजीव जी बड़ी कोशिश करते हैं, लेकिन यह कोशिश सभी एम० पीज० को करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो कि पेट्रोल

पम्प उसने ले लिया जिसकी दुकान भी है ट्रक भी चल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने कहा कि इसका फैसला रिटायर्ड जज करेंगे, हो सकता है वे पहले ही तय कर लें कि हमें यह पेट्रोल पम्प इसको देना है, वे कह देंगे कि मैंने तो देखा नहीं है कि इसके और भी धंधे चल रहे हैं। यहां एम० पीज० बैठे हुए हैं किसी ने किसी की सिफारिश करके उसे पेट्रोल पम्प दिला दिया। मैं किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन हम लोग दस लाख आदमियों द्वारा चुनकर आते हैं इसलिए हमारी यह ड्यूटी है कि हम इन सब चीजों को देखें। अगर हमारे बगैर पूछे कोई काम होता है, तो यह ठीक नहीं है। ऐसा भी न हो कि काम तो हम करें और उस क्रेडिट को कोई दूसरा ही ले जाए। मैं यही कहना चाहता हूं कि इन बातों को देखा जाए। कई ऐसे एम० पी० भी होंगे जिनके पास चार-चार कारें होंगी, लेकिन बहुत से ऐसे भी हैं जिनके पास कोई कार नहीं होगी, वे सिर्फ ग्यारह नम्बर गाड़ी पर ही चलते हैं। यानी अपने दो टांगों पर ही चलते हैं। एक एम० पी० को एक चपरासी के बराबर तनख्वाह मिलती है और दूसरी तरफ ऐसे बड़े-बड़े एम० पी० जो सुप्रीमकोर्ट में एक केस लड़ने की फीस 25 हजार रुपए लेते हैं। उनके ऊपर छापे वाले भी छापा नहीं डालते हैं। सरकारी कर्मचारियों और छोटे दुकानदारों पर ही छापे डाले जाते हैं।

सभापति महोदय, मैं हिमाचल प्रदेश से आता हूं। मेरे क्षेत्र शिमला में बहुत बेरोजगार लड़के-लड़कियां हैं। जब भी आप एयर इंडिया में और दूसरी जगहों पर देखें, तो उन लोगों को रोजगार नहीं मिलता है सिर्फ स्थानीय लोगों को ही रोजगार मिलता है। उन लोगों को तो सिर्फ फौज में ही भर्ती किया जाता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जिनको और जगह नौकरी मिल सकती है, उनको यहां भरती न करें बल्कि ऐसे लोगों को भरती करें जिन्हें और कहीं नौकरी मिलने की संभावना नहीं है, जिनके और कोई धंधे नहीं चल रहे हैं। मैं अपनी सरकार से यह मांग भी करता हूं कि बेरोजगारों को नौकरी देने के लिए एक योजनाबद्ध ढंग से प्रोग्राम बनाए जैसा कि इस प्रस्ताव में भी कहा गया है कि उनकी बेरोजगारी दूर करने के लिए भरसक प्रयास करने की आवश्यकता है। हमारी सरकार जिनको नौकरी दे सकती है, उनको नौकरी दे। इसलिए मैं इस बिल का स्वागत करता हूं और मंत्री जी तो पहाड़ के हैं मेरी बातों को सुन रहे होंगे। जो मैंने कहा है उसको पर्वतीय क्षेत्र में अमल कराएंगे और पहाड़ी क्षेत्रों में जो बेरोजगारी है, उसको कम करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। इन शब्दों के साथ मुझे आशा है कि बनातवाला जी अपने इस प्रस्ताव को वापस ले लेंगे।

[अनुवाद]

***श्री आर० अण्णामलै** (पोल्लाची) : माननीय सभापति महोदय, मैं श्री जी० एम० बनातवाला द्वारा पेश किए गए बेरोजगारी उन्मूलन विधेयक, 1987 के बारे में आल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम की ओर से बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए आपका आभारी हूं।

महोदय, मुझे यह देखकर दुःख होता है कि स्वतन्त्रता के 40 वर्षों के बाद और सात पंचवर्षीय योजनाओं के बाद भी हम अपनी जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं कर पाए हैं जो 80 करोड़ से भी बढ़ गई है। हमारी जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है जबकि आर्थिक अथवा औद्योगिक क्षेत्र में हम इतनी तेजी से प्रगति करने में असफल रहे हैं।

लगभग 45 प्रतिशत व्यक्ति केवल इसलिए गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे हैं कि उनके पास रोजगार नहीं है। अनेक परिवारों में माता-पिता अपने बच्चों की शिक्षा के लिए अपने पूर्वजों की

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

घर-धरती सहित सारी सम्पत्ति बेच देते हैं ताकि उनके बच्चे पढ़-लिख कर कोई अच्छा रोजगार प्राप्त कर सकें । माता-पिता यह आशा करते हैं कि शिक्षा पाने के बाद उनके बच्चे अच्छी कमाई करेंगे और उनकी शिक्षा के लिए बेची गई सम्पत्ति पुनः प्राप्त कर लेंगे । परन्तु, शिक्षा पाने के बाद शिक्षित युवा काफी समय तक बेरोजगार रहते हैं । वे रोजगार कार्यालयों में अपना नाम दर्ज कराते हैं और प्रतिदिन व्यर्थ में रोजगार की प्रतीक्षा करते हैं और इस प्रकार कई महीने और कई वर्ष गुजर जाते हैं । भारत में शिक्षित बेरोजगार की यही दयनीय दशा है ।

कुछ परिवारों में, माता-पिता अपनी लड़कियों को केवल इस प्रयोजन से शिक्षा दिलाते हैं कि शिक्षा पाने के बाद उन्हें अच्छा रोजगार प्राप्त हो जाएगा और वे अपने विवाह के खर्चे के लिए काफी धन अर्जित कर लेंगी । चूंकि शिक्षित युवतियों को काफी लम्बे समय तक रोजगार प्राप्त नहीं होता इसलिए हमारे देश में युवतियों का 25 से 30 अथवा 35 वर्ष की आयु हो जाने तक भी विवाह नहीं हो पाता यह और स्थिति बड़ी दयनीय बन जाती है ।

इसलिए, केन्द्रीय सरकार को एक योजना बनानी चाहिए ताकि शिक्षित युवाओं को रोजगार की गारंटी दी जा सके । रोजगार मिलने तक उन्हें समुचित भत्ता दिया जाना चाहिए । सरकार को इस बात को ध्यान में रखते हुए एक कोष बनाना चाहिए ।

तमिलनाडु सरकार शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने वाली प्रथम राज्य सरकार है । मुझे सभा को यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि डा० एम० जी० आर० के नेतृत्व में उन सभी शिक्षित बेरोजगारों को, जिनके नाम रोजगार कार्यालयों में दर्ज हैं, 75 रुपए बेरोजगारी भत्ते के रूप में दिए जा रहे हैं । केन्द्रीय सरकार तथा मंत्री महोदय को बेरोजगारी उन्मूलन की तमिलनाडु की इस आदर्श योजना की अन्य राज्य सरकारों से सिफारिश करनी चाहिए ।

सरकार को बेरोजगारी से लड़ने के लिए सख्त कदम उठाने चाहिए । बेरोजगारी एक आर्थिक रोग है ।

भारत में सरकार एक प्रमुख नियोक्ता है । परन्तु गैर-सरकारी कम्पनियों में भी रोजगार की काफी क्षमता है । गैर-सरकारी उद्यमी सरकार से लाइसेंस, आर्थिक सहायता तथा अन्य छूटें प्राप्त करते हैं । परन्तु अपनी कम्पनियों में रिक्त स्थानों को भरते समय वे राष्ट्रीय हितों की अवहेलना करते हैं तथा एक जाति, समुदाय के व्यक्तियों की ही भर्ती करते हैं और व्यक्तियों का चयन संकीर्ण क्षेत्रीयता के आधार पर करते हैं । ऐसे नियम बनाने चाहिए जिससे उद्यमी कर्मचारियों की भर्ती रोजगार कार्यालयों के माध्यम से ही करें । चयन करते समय वरिष्ठता और योग्यता ही मापदंड होना चाहिए । इसके बिना बेरोजगारी दूर नहीं की जा सकेगी ।

6.00 म०प०

हमारी स्वर्गीय प्रधान मंत्री, श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस दिशा में अनेक कार्यक्रम बनाए थे । उनमें सर्वश्रेष्ठ कार्यक्रम स्वरोजगार कार्यक्रम है । इस योजना के अंतर्गत बैंकों द्वारा गरीब शिक्षित बेरोजगारों को ऋण देने की व्यवस्था है । तथापि, जब बेरोजगार स्नातक अपना कोई उद्यम आरम्भ करने के लिए बैंकों के पास ऋण लेने जाते हैं तो उनसे ऋण के लिए गारंटी मांगी जाती है । जिन व्यक्तियों के पास कुछ नहीं है और रोजी-रोटी कमाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं वे ऋणों के लिए गारंटी नहीं दे सकते । इसलिए मेरा सुझाव है कि इस प्रकार की बाधक प्रक्रियाओं को समाप्त किया जाना चाहिए । ऐसा कनून बनाया जाना चाहिए, जैसाकि सभा के सम्मुख इस समय प्रस्तुत है, ताकि

इन बेरोजगार युवाओं को कष्ट न सहने पड़ें । उन्हें अपने जीवन-यापन के लिए कम से कम कुछ भत्ता मिलना चाहिए । स्व-रोजगार योजना को अधिक सफल बनाया जाना चाहिए ताकि हमारी स्वर्गीय प्रधान मंत्री, श्रीमती इंदिरा गांधी के सपने साकार हो सकें ।

सभापति महोदय : श्री अण्णानम्बी, आपको और कितने मिनट का समय चाहिए ?

श्री आर० अण्णानम्बी : क्या ?

सभापति महोदय : आपको और कितने मिनट का समय चाहिए ?

श्री आर० अण्णानम्बी : मुझे 5 मिनट चाहिएं ।

सभापति महोदय : नहीं, नहीं, 5 मिनट नहीं ।

श्री आर० अण्णानम्बी : मैं 3 मिनट में ही अपना भाषण समाप्त कर दूंगा ।

***श्री आर० अण्णानम्बी** : महोदय, इस सम्बन्ध में केवल कानून बनाने से ही बेरोजगारी हटाने और इस प्रकार आर्थिक विकास में मदद मिलेगी ।

मैं कुछ और मुद्दों का भी उल्लेख करना चाहूंगा और उसके बाद अपना भाषण समाप्त कर दूंगा ।

चूंकि गरीब बेरोजगार व्यक्ति स्व-रोजगार योजना के अन्तर्गत बैंकों से ऋण लेने के लिए गारंटी नहीं दे सकता, इसलिए मैं यह अनुरोध करता हूं कि इस जरूरतमंद युवा को संसद सदस्यों और विधेयकों द्वारा दिए गए इस आशय के प्रमाण पत्र पर ऋण दे दिया जाना चाहिए कि ऋण लेने वाले का चाल-चलन ठीक है और वह ऋण की अदायगी अवश्य कर देगा ।

इसके अतिरिक्त, हमें उद्योगों की स्थापना करने पर अपना ध्यान लगाना चाहिए । एशिया की ज्योति, पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे उद्योगों के संस्थापक थे । श्रीमती गांधी ने भी इसी नीति का अनुपालन किया । परन्तु उनके बाद हम इस सम्बन्ध में अपेक्षित ध्यान नहीं दे पाए । मैं इस अवसर पर केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह तमिलनाडु में उद्योग शुरू करने के बारे में राज्य सरकार के लम्बित अनुरोधों को स्वीकृति प्रदान करें ।

इसके साथ ही मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

6.01 म०प०

संविधान (संशोधन) विधेयक**

(नये अनुच्छेद 16क अंत:स्थापन)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री हरीश रावत, आप उस समय उपस्थित नहीं थे जब आपको विधेयक

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर ।

**दिनांक 24-4-1987 के भारत के राजपत्र असाधारण, भाग दो, खंड-2 में प्रकाशित ।

पुरःस्थापित करने के लिए पुकारा गया था। खैर, मैं आपको आपके अनुरोध पर इसे एक विशेष मामला समझ कर अनुमति दे रहा हूं।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री हरीश रावत : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

6.02 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 27 अप्रैल, 1987/7 वैशाख, 1909 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

गुप्ता प्रिंटिंग वर्क्स, दिल्ली